मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

दिसम्बर, 2014 सत्र

बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

तारांकित प्रश्नोत्तर

<u>दतिया जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को प्राप्त राशि एवं व्यय</u>

1. **(*क्र. 529) श्री प्रदीप अग्रवाल** : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला दतिया में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को वर्ष 2011-12,12-13 एवं 13-14 में शासन से कितनी राशि प्राप्त हुई, व इस राशि को विभाग ने तीनों विकासखण्डों में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की, बिन्दुवार व मदवार जानकारी उपलब्ध करायें ? (ख) विधानसभा क्षेत्र सेंवढ़ा में कितनी नल-जल योजनायें अभी तक स्वीकृत हुई हैं, एवं उनमें से कितने का कार्य पूर्ण किया जाकर उक्त योजना अंतर्गत जल प्रदाय का कार्य चालू कर दिया गया है, तथा कितनी योजनायें अपूर्ण हैं एवं कब तक पूर्ण कराई जावेंगी दिनांक से अवगत करावें ? (ग) जो नल-जल योजनायें विभागीय रूप से पूर्ण कराकर हस्तांतरित की जा चुकी हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं ? वर्तमान में सेंवढ़ा विकास खण्ड अंतर्गत कितनी नल-जल योजनायें किन-किन कारणों से बन्द हैं, एवं उनको चालू कराने के लिये विभागीय स्तर से क्या प्रयास किये गये हैं, क्या नल-जल योजना चालू रखने के लिये राज्य स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित किये जावेंगे ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-1** अनुसार । (ख) 58 योजनाएं स्वीकृत, 34 पूर्ण । शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-2 (क) एवं 2 (ख)** अनुसार । (ग) संबंधित ग्राम पंचायत/जल उपभोक्ता समिति द्वारा संचालन-संधारण किया जाता है तथापि स्रोत असफल होने से बंद योजनाओं में सफल स्रोत विकसित करने का दायित्व विभाग का है । बंद योजनाओं से संबंधित विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-3** अनुसार है । योजनाओं को चालू रखने के लिये पृथक से निर्देशों की आवश्यकता नहीं है ।

<u>भण्डार सामग्री व लेखे में अनियमितता</u>

2. **(*क्र. 754) श्री दुर्गालाल विजय** : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सच है कि पी.एच.ई. उपखण्ड, श्योपुर, जिला श्योपुर के भंडार प्रभारी उपयंत्री की लापरवाही के कारण 3 करोड़ की भंडार सामग्री की क्षति व दिसम्बर 2011 से अक्टूबर 2012 तक की अवधि का भंडार लेखा संधारित न करने के मामले में आयुक्त ग्वालियर द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है ? (ख) यदि हां, तो जांच के आदेश किस दिनांक को जारी किए गए ? जांचकर्ता अधिकारी का नाम/पदनाम बतावें ? जांच के बिन्दु क्या हैं ? क्या जांच पूर्ण कर ली गई है ? यदि हां, तो कौन दोषी पाया गया, के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो

जांच कार्य पूर्ण करने में विलम्ब के क्या-क्या कारण हैं ? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में सहायक यंत्री द्वारा भंडार नियमों के अनुसार भंडार का भौतिक सत्यापन किस-किस दिनांक को किया गया के अनुसार भंडार में सामग्री की उपलब्धता/अनुपलब्धता अथवा क्षति के संबंध में तथा भंडार प्रभारी से भंडार लेखा संधारित कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) क्या यह सच है कि उक्त अवधि में स्टोर में 3 करोड़ की सामग्री की क्षति नहीं हुई बल्कि सहायक यंत्री व स्टोर प्रभारी उपयंत्री द्वारा षड़यंत्रपूर्वक अनियमित तरीके से पूरी सामग्री को विक्रय कर शासन को क्षति पहुंचाई गई है ? इस तथ्य को तथा प्रश्नांश (ग) में वर्णित तथ्य को भी जांच के दायरे में लेकर क्या अब जांच कार्य समय सीमा में पूर्ण करवाकर दोषियों के विरूद्ध शासन कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं । विभागीय जांच आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा संस्थित की गई है । (ख) दिनांक 10 मई 2013 को जांच के आदेश जारी किए गए है । कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर के विभागीय जांच शाखा के (पदेन) प्रभारी अधिकारी को जांचकर्त्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है । शासकीय कार्यो के प्रति उदासीनता, कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही, भंडार में प्राप्त व इश्यू सामग्री का लेखा जोखा न देना, ठेकेदारों को सामग्री व साइट न देना, शराब के नशे मे रहना एवं केन्द्रीय भण्ड़ार प्रभारी के कार्यकाल में सामग्री की चोरी होने के बिन्दुओं पर जांच की जा रही है । जांच प्रक्रियाधीन है, अतः दोष निर्धारण किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है जांच के निष्कर्षो के आधार पर कार्यवाही की जाएंगी । (ग) भण्डार प्रभारी उपयंत्री द्वारा मासिक लेखा प्रस्तुत न करने के कारण भौतिक सत्यापन सहायक यंत्री द्वारा नहीं किया जा सका । भण्डार प्रभारी उपयंत्री को भण्डार लेखा संधारित करने हेतु सहायक यंत्री द्वारा समय समय पर निर्देशित किया गया है । (घ) जी हॉ, जी नहीं । जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर एवं जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएंगी ।

<u>कावेरी गृह निर्माण समिति की भूमि का सीमांकन</u>

3. **(*क्र. 1111) श्री जालम सिंह पटेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2 जुलाई, 2014 के ता. प्रश्न संख्या-8, (क्र. 1259) के प्रश्नांश (क) के उत्तर में कावेरी गृह निर्माण सहकारी समिति की भूमि का सीमांकन 17/09/2011 को किए जाने संबंधी उत्तर दिया गया था ? तो उक्त सीमांकन की प्रति उपलब्ध कराएं ? (ख) क्या उक्त सीमांकन की प्रति, अक्स एवं फीड बुक की प्रति समिति को प्रदाय कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? कब तक प्रदाय कर दी जाएगी ? (ग) उक्त सीमांकन हेतु कावेरी गृह निर्माण सहकारी समिति को किस दिनांक को सीमांकन हेतु उपस्थित रहने हेतु पत्र प्रेषित किया गया ? समिति एवं प्रशासन की ओर से कौन-कौन उपस्थित हुए ? पत्र एवं पंचनामा की प्रति भी उपलब्ध कराएं ? (घ) माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तारतम्य में समिति की भूमि से अतिक्रमण हटाने संबंधी प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? (ड.) यह भी बताएं कि न्यू वल्लभ गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल द्वारा सीमांकन हेतु कब आवेदन किया गया एवं सीमांकन कब किया गया ? (च) क्या यह सही है कि समिति की ओर से सीमांकन कराने हेतु माननीय मंत्री, राजस्व को पत्र प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ''** अभिलेखानुसार । (ख) सीमांकन प्रकरणों की सत्य प्रतिलिपि लिये जाने के प्रावधान होने से आवेदक अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर निर्धारित समय-सीमा में वांछित अभिलेख की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाती

है । (ग) सीमांकन दिनांक 17-9-2011 हेतु समस्त हितबद्ध पक्षकारों को आवेदित सीमांकित स्थल पर उपस्थित होने बाबत सूचना पत्र दिनांक 14-9-2011 को अधीक्षक भू- अभिलेख द्वारा जारी किया गया है । जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब''** अभिलेखानुसार । (घ) माननीय उच्च न्यायालय की डब्ल्यू. ए. नम्बर 901/2013 में पारित आदेश दिनांक 02-04-2014 के आदेशानुसार याचिकाकर्ता शर्मा एवं सिग्नेशन बिल्डर्स विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में अनुविभागीय अधिकारी तथा नगर पालिका कोलार के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के बाद जांच उपरान्त याचिकाकर्ता की शिकायत का निराकरण करने संबंधी निर्देश दिये हैं । माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में आवेदक संस्था/याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी । (ड.) संबधित वर्ष में उक्त संस्था का सीमांकन का कोई प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया गया है । तथापि इस हेतु किसी व्यक्ति ने आवेदन प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं इसकी खोज कराई जा रही है । (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

पांढुर्ना में SDM कार्यालय में पदों की पूर्ति

4. **(*क्र. 989) श्री नाना भाऊ मोहोड़ :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि छिन्दवाड़ा जिले की तहसील पांढुर्ना में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (SDM) का कार्यालय प्रारंभ किया गया है ? यदि हां, तो वर्तमान में यहां पर कुल कितना स्टॉफ स्वीकृत है ? स्वीकृत स्टाफ के विरूद्ध कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यालय में पदों की पूर्ति नहीं की गई है ? जिससे कार्य प्रभावित/विलंब हो रहा है ? कब तक पदों की पूर्ति कर दी जाएगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । यह सही है कि छिन्दवाड़ा जिले की तहसील पार्ढुना में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एस.डी.एम) का कार्यालय प्रारंभ किया गया है । वर्तमान में यहां कोई स्टाफ की स्वीकृति नहीं है । तहसील के स्टाफ से कार्य लिया जा रहा है । (ख) जी नहीं, तहसील स्टाफ से कार्य लिये जाने से शासकीय कार्य में विलम्ब/एवं कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है, पद पूर्ति समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

कार्यों की जानकारी विषयक

5. **(*क्र. 497) श्री मधु भगत :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा जिला बालाघाट में वर्ष, 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस मद से कब-कब करवाये गये ? नियुक्त कार्य एजेंसी के नाम सहित विकासखण्डवार एवं वर्षवार पूर्ण ब्यौरा देवें ? (ख) बालाघाट जिले में कृषि विभाग द्वारा 2011 से अब तक कितने कृषकों को कृषि उपकरण दिया गया है, या प्रदाय किया गया है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उनका कृषि स्त्रोत से क्या अनुमोदन लिया गया है ? इनका बाजार मूल्य क्या है एवं किसानों को दिये गए सामानों का मूल्य क्या है ? दोनों के मूल्य में क्या अंतर है ? अंतर के लिए कौन दोषी है ? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? की गई कार्यवाही से अवगत करावें ? (घ) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी में माल आने उसको नीलाम करने, उसके रखने का किसानों से शुल्क वसूल किया जाता है ? इस संबंध में कौन-कौन से नियम/ निर्देश/ आदेश वर्तमान परिपत्र में प्रचलित हैं एवं लागू है ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** पर है । (ख) विभाग द्वारा बालाघाट जिले में विभिन्न योजनांतर्गत निहित प्रावधान अनुसार 1537 कृषकों को कृषि उपकरण प्रदाय किये गये । (ग) पात्र हितग्राहियों का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति से लिया जाता है । शेष प्रश्न नहीं उठता । (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता है ।

परिशिष्ट - "एक"

शासकीय जमीन पर अतिक्रमण

6. **(*क्र. 926) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है सुमावली विधानसभा क्षेत्र (मुरैना) के ग्राम -खासखेडा, मैथाना, लीलाधर का पुरा, बाबरखेडा की शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण की कितनी शिकायते हुईं व उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) क्या यह भी सही है स्थानीय विधायक द्वारा उक्त अतिक्रमण की कितनी बार शिकायत की, उस पर कितने लोगों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई, व्यक्तिवार जानकारी दी जावे ? (ग) क्या स्थानीय विधायक के शिकायती पत्रों की कार्यवाही की जानकारी विधायकों को दी गई ? कब, किस अधिकारी द्वारा पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया ? (घ) क्या उक्त अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ अतिक्रमण हटाकर कार्यवाही की जावेगी, कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) ग्राम खासखेडा में अतिक्रमण की 16 शिकायतों में से जांच उपरांत 15 में कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया । भूमि सर्वे क्र-110 पर पाये गये अतिक्रमण को दिनांक 20.3.2014 को पीठासीन अधिकारी द्वारा हटा दिया गया है । ग्राम मैथाना व लीलाधार का पुरा का अतिक्रमण की कुल 04 शिकायत प्राप्त हुई जिनका नियमानुसार निराकरण दिनांक 23.6.2014 को किया गया है । ग्राम बावरखेडा में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । (ख) मान. विधायक महोदय द्वारा ग्राम लीलाधार का पुरा की 04 शिकायत की गई । जिस संबंध में पूर्व में ही 05 अतिक्रामकों के प्रति म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित कर शासकीय भूमि से बेदखल किया गया है । व्यक्तिवार जानकारी निम्नानुसार है :- 1. रमेश पुत्र दामोदर अधिरोपित अर्थदण्ड राशि रूपये 2000/- 2. नरेश, महेश पुत्र दामोदर अधिरोपित अर्थदण्ड राशि रूपये 4000/- 3. निरंजन पुत्र रामजीलाल अधिरोपित अर्थदण्ड राशि रूपये 10,000/- 4. यशपाल पुत्र हुब्बलाल अधिरोपित अर्थदण्ड राशि 10,000/- (ग) जी हां । पत्र क्रमांक-1277/शिका./स.सी/विधायक/2014, मुरैना दिनांक 18.11.2014 के माध्यम से । (घ) अतिक्रमण हटवाकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई है ।

शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण

7. **(*क्र. 45) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अशोकनगर शहर में म.प्र. शासन तथा भोसले परिवार कि भूमि जिसका कि विवाद न्यायालय में चल रहा है तथा फिलहाल न्यायालय ने उसे शासकीय भूमि माना है उस पर किस व्यक्ति ने अतिक्रमण कर दीवार बना ली है ? इस संबंध में जिलाधीश अशोकनगर को किस-किस व्यक्ति एवं जनप्रतिनिधि ने शिकायत कर अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र लिखे तथा उन पर जिलाधीश ने क्या कार्यवाही की ? (ख) क्या उक्त भूमि पर जब अशोकनगर स्वतंत्र जिला नहीं था गुना जिले के अधीन था जब वहां की जिलाधीश श्रीमती नीलमराव के निर्देश पर पुलिस ने इसी स्थान पर अतिक्रमण हटाया था ? यदि हां, तो जिलाधीश के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने के बाद पुन: अतिक्रमण किये जाने पर जिलाधीश व पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं कर रही ? (ग) अशोकनगर जिले में इसी प्रकार अथाईखेड़ा,

पिपरई व अन्य स्थानों पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की जो शिकायतें मिली है, उन शिकायतों को देखते हुये बताएं कि पिछले वर्षों में शासन द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (घ) दिनांक 5 मार्च, 2014 के परि. तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 100) के बाद 9 जुलाई के परि. ता. प्रश्न 1 (क्र. 105) के उत्तर में बताया है कि उक्त भूमि पर किसी का कब्जा नहीं है तो फिर उक्त भूमि पर दीवाल किसने बनाई है व उसे प्रशासन ने तोड़ा क्यों नहीं ? खासतौर से जनप्रतिनिधियों के कब्जा हटाने के पत्रों के बाद भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) कस्बा अशोकनगर में बायपास रोड के दोनों तरफ भौंसले परिवार की भूमि थी, जो वर्तमान अभिलेखों में शासकीय भूमि अंकित है । माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्र.क्र. 1128/09, 1129/09 प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विचाराधीन है । विचाराधीन भूमि पर दक्षिण दिशा की तरफ पुरानी टूटी-फूटी फर्शियां गढी हुई थी, अब ईंटों की दीवार खडी कर दी गई है । जिलाधीश अशोकनगर को माननीय विधायिका यशोधरा राजे सिंधिया विधायक शिवपुरी एवं माननीय श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा विधायक मुंगावली की ओर से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अतिक्रमण हटाने हेतु तहसील न्यायालय अशोकनगर के प्र.क्र. 08 अ 68/2013-14 आदेश दिनांक 25/08/2014 द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया तथा संबंधित को कारण बताओ नोटिस दो बार जारी किया गया किन्तु अतिक्रामक श्री गजराज सिंह पुत्र अलोल सिंह यादव निवासी खानपुर तहसील चन्देरी उपस्थित नहीं हो रहें है । प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है । (ख) जी हां । तत्समय अतिक्रामक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका दायर की गई जो वर्तमान में विचाराधीन है । (ग) तहसील मुंगावली के ग्राम अथाईखेडा एवं ग्राम पिपरई व अन्य स्थानों पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की शिकायतें मिली थी । उन पर पिछलें वर्षों में प्रकरण क्रमांक 227/अ-68/2011-112 ग्राम अथाईखेडा एवं प्रकरण क्रमांक 01अ/68/2014-15 ग्राम पिपरई का पंजीबद्ध किये जाकर अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध धारा 284 के तहत संबंधितों का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है । (घ) प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 555/2 मिन-1 में दक्षिण दिशा की तरफ टूटी-फूटी फर्शियां गढी हुई थी अब ईटों की दीवार खडी कर दी गई है । उत्तर दिशा में तालाब से लगी इसी नम्बर की भूमि पर मात्र खम्बे गड़े हुये है भूमि मौके पर खाली पडी है । जन प्रतिनिधियों के पत्र प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरांत तहसील न्यायालय अशोकनगर में प्रकरण क्रमांक 8 अ 68/13-14 में पारित आदेश दिनांक 25-08-2014 द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया एवं अतिक्रामक को कारण बताओं नोटिस (दो बार) जारी किया गया है । प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है ।

आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को विक्रय की अनुज्ञा

8. **(*क्र. 607) श्री संजय उइके :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के आदिवासी अधिसूचित क्षेत्र में कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम विक्रय पर रोक लगा दी गई है ? (ख) यदि हां, तो कब से लगाई गई अधिनियम/नियम/आदेश की प्रति उपलब्ध करावें ? (ग) क्या यह भी सही है कि प्रतिबंध के बावजूद भी अपर कलेक्टर बालाघाट द्वारा आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी को विक्रय हेतु अनुमति दी गई ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की उपधारा (6) के खण्ड (एक) के अनुसार उक्त प्रावधान के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में आदिम जनजाति वर्ग की भूमि का आदिम जनजाति वर्ग से भिन्न वर्ग के व्यक्ति को विक्रय करने पर पूर्ण प्रतिबंध है । प्रावधान की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "क"** अनुसार है । (ग) जी नहीं ।

<u>विभिन्न योजनाओं में कृषकों को अनुदान</u>

9. **(*क्र. 837) श्री बाला बच्चन :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा कृषकों को विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली अनुदान सहायता की राशि उनके बैंक खाते में जमा करने का निर्णय किया गया था ? यदि हां, तो निर्णय के बारे में जारी आदेश की प्रति उपलब्ध करायें ? (ख) उक्त व्यवस्था किस दिनांक तक लागू रही है, तथा क्या इस संबंध में कोई पुनरीक्षित आदेश जारी किए गए हैं ? क्या कृषि मामलों की मंत्रीय परिषद उप समिति से इस संबंध में आदेश किए गए हैं ? (ग) मंत्री परिषद उपसमिति के निर्णय के बगैर कृषकों के खातों में अनुदान राशि जमा नहीं करने का निर्णय किस स्तर से लिया गया है, स्पष्ट करें ? (घ) क्या इस आर्थिक अनियमितता की जांच कराई जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हॉ । आदेश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट** पर है । (ख) उक्त व्यवस्था वर्तमान में भी लागू है । शेष प्रश्न नहीं उठता । (ग) जी नहीं । (घ) जॉच का प्रश्न नहीं उठता ।

परिशिष्ट - "दो"

<u>पटवारी पदस्थापना में विसंगति</u>

10. **(*क्र. 743) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील रघुराजनगर अन्तर्गत नई हल्का बन्दी बनाते समय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र. के आदेश क्रं. 5829 दिनांक 02.01.2008 द्वारा दी गई गाईड लाईन का पालन क्यों नहीं किया गया शासन की मंशा के बावजूद 48 नये हल्कों का सृजन क्यों कर दिया गया ? (ख) तहसील रघुराजनगर अन्तर्गत पटवारी पदस्थापना में राजस्व मंत्रालय के आदेश क्रं. 2-18 दिनॉक 12.04.2004 आयुक्त भू-अभिलेख का पृष्ठांकन क्रं. 295 दिनॉक 28.05.2005 के पालन में जारी कलेक्टर सतना के पृ.क्रं. 1406 दिनॉक 30.06.2005 का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है ? (ग) तहसील रघुराजनगर में बिना स्वीकृति नवीन हल्कों में पदस्थ पटवारियों को हटाकर पद स्वीकृति मूल हल्कों में पदस्थ करने हेतु जारी कलेक्टर सतना के आदेश क्रं. 2550 दिनॉक 30.12.2010 का पालन क्यों नहीं किया जा रहा वर्तमान में 56 के विरूद्ध 55 पटवारी पदस्थ होते हुये 13 मूल हल्के पटवारी विहीन क्यों है ? क्या 56 के विरूद्ध 68 पटवारी पदस्थ करके मूल हल्कों में पटवारी पदस्थ किये जायेंगे या ग्रामीण क्षेत्र के 12 हल्के हमेशा पटवारी विहीन रहेंगे ? (घ) सतना जिले में 7 पटवारी पुन: गृह तहसील में क्यों पदस्थ कर दिये गये ? जिनमें से 6 पटवारियों को नगर सीमा के अन्दर या सीमा से सटे हल्के में पदस्थ किया गया क्या इन्हें गृह तहसील से बाहर किया जायेगा ? यदि हॉ, तो कब तक ? तहसील रघुराजनगर में जिन 5 पटवारियों को हटाया गया था तथा इनकी सम्पत्ति की जॉच की घोषणा विधान सभा में की गई थी इनमें से 4 पटवारियों के बिना सम्पत्ति की जॉच कर पुन: तहसील रघुराजनगर में क्यों पदस्थ कर दिया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) तहसील रघुराज नगर अन्तर्गत नई हल्काबन्दी बनाते समय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र. ग्वालियर के आदेश क्रमांक 5829 दिनांक 02.01.2008 के निर्देशो के अनुरूप गाइड लाइन का पालन किया गया है । शासन के मंशा अनुसार पंचायतवार पटवारी हल्कों का गठन किया गया है । पूर्व से स्वीकृत 56 पटवारी हल्कों तथा नये 48 पटवारी हल्कों का सृजन कर तहसील रघुराजानगर में पंचायतवार कुल 104 पटवारी हल्के निर्मित हुये है । (ख) तहसील रघुराजनगर अन्तर्गत पटवारी पदस्थापना में राजस्व विभाग के आदेश क्र 2-18, दिनांक 12.04.2004 एवं उपायुक्त भू-अभिलेख रीवा के पृष्ठा. क्र. 295 दिनांक 28.05.2005 के पालन में जारी कलेक्टर सतना के पृष्ठां. क्र. 1406 दिनांक 30.06.2005 का पूर्णतः पालन किया जाकर पटवारियों की पदस्थापना की गई है । (ग) तहसील रघुराजनगर अन्तर्गत वर्तमान समय में 104 पटवारी हल्के है, जिसके विरूद्ध

पटवारी के 56 पद स्वीकृत है तथा वर्तमान समय में 55 पटवारी पदस्थ है । 55 पटवारियों को 55 पटवारी हल्कों में पदस्थ किया जाकर शेष 49 पटवारी हल्कों का अतिरिक्त प्रभार, समीपी पटवारियों को दिलाया गया है । वर्तमान समय में कोई भी पटवारी हल्का पटवारी विहीन नही है । (घ) गृह तहसीलों में पदस्थ पटवारियों को हटाये जाने संबंधी स्थानांतरण नीति दिनांक 01.05.2012 की कंडिका 9.5 शासन के ज्ञाप दिनांक 08.05.2013 द्वारा विलोपित किये जाने के फलस्वरूप सतना जिले में 7 पटवारी पुनः गृह तहसील में पदस्थ कर दिये गये है । तहसील रघुराजनगर में शहरी क्षेत्र से जिन 5 पटवारियों को हटाया गया था । उनकी सम्पत्ति की जांच कलेक्टर सतना से कराने के निर्देश दिये गये है । किन्तु शहरी क्षेत्र के जिन 5 पटवारियों को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 323 दिनांक 19.02.2013 द्वारा शहरी क्षेत्र से हटाकर अन्य तहसीलों में पदस्थ किया गया था । उनमें से 4 पटवारी तहसील रघुराजनगर में शहरी क्षेत्र से बाहर के पटवारी हल्कों में पदस्थ किये गये है ।

निजी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना

11. **(*क्र. 4) श्री हर्ष यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रीवा, तहसील सेमरिया के ग्राम कोलौरा की भूमि नं. 6/1 क, 0.10 एवं 10/3, 0.31 डिसमिल का बंटवारा 25 वर्ष पूर्व जरिये रजिस्ट्री की भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत समय-समय पर कलेक्टर, प्रमुख सचिव एवं तत्कालीन मंत्रियों को की गई है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में दिनांक 22.2.2013 को तत्कालीन विधायक श्री रामखेलावन पटेल द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व को लिखित शिकायत तहसीलदार के खिलाफ की थी ? उक्त तहसीलदार के खिलाफ विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? सम्पूर्ण जानकारी दें ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) की भूमि की अपील की सुनवाई एस.डी.एम. (सिरमौर) तहसील सेमरिया कार्यालय में दिनांक 19.5.2014 को पूर्ण कर ली गई है ? यदि हां, तो प्रकरण के आदेश की जानकारी उपलब्ध करायें ? (घ) प्रश्नांश (क) से (घ) के प्रकरण को निगरानी में लेकर कलेक्टर रीवा द्वारा निराकृत कब तक कर दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं । विभाग स्तर पर प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में प्रमुख सचिव को दी गई शिकायत का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है । प्रश्नाधीन भूमि, अभिलेख में उदयभान पिता रामावतार ब्रा. साकिन देह के नाम दर्ज है । भूमिस्वामी मौके पर काबिज है । (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में तत्कालीन विधायक महोदय द्वारा की गई शिकायत दिनांक 22.2.2013 राजस्व विभाग में आना नहीं पाया गया है । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है । (ग) जी नहीं । दिनांक 26.5.2014 को परिसीमा अधिनियम की धारा 5 पर आदेश पारित किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क पर नियत किया गया है । (घ) इस प्रकार के निगरानी प्रकरण में सुनवाई के अधिकार मान. राजस्व मंडल ग्वालियर को प्रत्यायोजित हैं । अतः कलेक्टर द्वारा निराकरण का प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

फसल बीमा राशि का भुगतान

12. **(*क्र. 484) श्री ठाकुरदास नागवंशी :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रं. 427/R दि. 30.9.14, क्रमांक 480, दि. 5.10.14, पत्र क्रं. 440/R, दि. 9.10.14, जिला कलेक्टर, होशंगाबाद को वि.स. क्षे. पिपरिया अंतर्गत ग्राम कोठरी, ग्राम कामटी ग्राम मुर्गीढाना एवं अन्य ग्रामों के कृषकों को सोयाबीन की क्षतिपूर्ति की बीमा राशि प्राप्त न होने के संबंध में लिखा था ? (ख) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि ग्राम महसवाड़ा तह. पिपरिया के कृषकों द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर फसल बीमा राशि के त्रुटिपूर्ण भुगतान के संबंध में दिनांक 22.9.14 को अनुविभागीय

अधिकारी पिपरिया, जिला-होशंगाबाद को पत्र लिखा गया/प्रस्तुत किया गया ? (ग) यदि हां, तो कंडिका (क) एवं (ख) का उत्तर हां में है, तो इन पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई, बतायें ? बीमा राशि से वंचित किसानों को बीमा राशि का भुगतान किस दिनांक तक करा दिया जावेगा, बतावें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हॉ । शासन नियमानुसार 100 हेक्टर से अधिक फसल होने एवं अधिसूचित होने के उपरांत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के तहत कृषि बीमा का लाभ कृषकों को एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड म.प्र. भोपाल द्वारा दिया जाता है । फलस्वरूप ग्राम दहलवाडा, रहटवाडा, खरसली, विकासखण्ड बनखेडी एवं ग्राम महलवाडा विकासखण्ड पिपरिया के कृषकों को कृषि बीमा का लाभ दिया गया है । ग्राम मुरगीढाना, कोठरी, कामठी, डगरहाई एवं जूनावानीढाना में फसल रकबा 100 हेक्टर से कम होने के फलस्वरूप अधिसूचित नहीं होने के कारण फसल बीमा का लाभ नियमानुसार नहीं दिया गया है । (ख) जी हॉ । शासन नियमानुसार ग्राम महलवाडा तहसील पिपरिया के कृषकों को कृषि बीमा का लाभ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के तहत दिया गया । (ग) कंडिका क एवं ख के अनुसार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के तहत कृषि बीमा का लाभ किसानों को दिया गया ।

सोयाबीन बीज की कमी

13. **(*क्र. 656) श्री गोपालसिंह चौहान :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरीफ वर्ष 2014 में विगत वर्षो की अपेक्षा प्रदेश में सोयाबीन बीज की कमी थी ? (ख) क्या शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अमानक स्तर के बीज बेचने वाले बीज उत्पादन कम्पनियों/संस्थायें/व्यापारियों के विरूद्ध बीज नियंत्रण आदेश एवं बीज अधिनियम के अनुसार सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे ? (ग) यदि हां, तो प्रदेश में किन-किन जिलों में कौन-कौन सी संस्था, कम्पनियों एवं व्यापारियों के विरूद्ध अमानक बीज पर कार्यवाही करने हेतु कारणदर्शी सूचना पत्र/निलंबन आदि कार्यवाही की गई ? तथा किन-किन कम्पनियों एवं व्यापारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई ? उनमें से किन-किन को दण्ड दिया गया ? (घ) किन-किन संस्था तथा किन-किन को बगैर किसी को दण्ड के छोड़ दिया गया, कम्पनीवार संस्थावार ब्यौरा देवें ? जिन कम्पनियों को बगैर किसी कारण के छोड़ दिया गया, तथा कुछ कम्पनियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई उनके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या शासन कार्यवाही करेगा ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी नहीं । (ख) जी हां । (ग) संपूर्ण मध्यप्रदेश के 51 जिलों से जानकारी एकत्रित की जा रही है । (घ) संपूर्ण मध्यप्रदेश के 51 जिलों से जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

कृषकों की मांग के अनुरूप बीज, खाद की पूर्ति

14. **(*क्र. 658) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र पनागर में गत खरीफ/रबी सीजन में मॉग के अनुरूप बीज खाद की पर्याप्त पूर्ति नहीं की गई थी ? (ख) यदि हॉ, तो क्या इस सीजन में पर्याप्त स्टाक भण्डारित कराया गया है ? समितिवार जानकारी दें ? (ग) क्या बीज खाद कीटनाशकों का मानक स्तर परीक्षण हेतु तत्काल सेंपलिंग कराये जाते हैं ? ताकि कृषकों को उत्पादन गुणवत्ता का स्कंध प्राप्त हो ? (घ) जिला जबलपुर में बीज खाद एवं कीटनाशक दवाओं के कितने प्रायवेट डीलर्स है ? सूची देंवे ? वर्ष 2013-14 में मानक स्तर परीक्षण हेतु कितने सेंपल लिये गये ? कितने अमानक पाये गये ? अमानक के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? डीलरवार जानकारी देवें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी नहीं । (ख) रबी 2014-15 में पर्याप्त उर्वरक, बीज भंडारित है । समितिवार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1** पर है । (ग) जी हॉ । लक्ष्यों के अनुरूप गुणवत्ता परीक्षण हेतु सेंपल लिये जाते हैं । (घ) जिले में बीज के 145, उर्वरक के 365 एवं कीटनाशक के 313 प्रायवेट डीलर्स हैं । सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2** पर है । वर्ष 2013-14 में मानक स्तर परीक्षण हेतु भेजे गये बीज के 140 नमूने, उर्वरक के 127 एवं कीटनाशक के 36 नमूने प्रयोगशाला में भेजे गये । जिसमें से बीज के 30 नमूने, उर्वरक के 30 नमूने अमानक पाये गये । कीटनाशक का कोई भी नमूना अमानक नहीं पाया गया । अमानक पाये गये नमूने पर डीलरवार की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3** पर है ।

उज्जैन दक्षिण वि.स. क्षेत्र में नल-जल योजनाएं

15. **(*क्र. 1159) डॉ. मोहन यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण में कितनी नल-जल योजनाएं स्वीकृत हैं, किस-किस गॉव हेतु स्वीकृत हैं ? विधानसभा क्षेत्रवार बताएं ? (ख) उक्त में से कितनी नल-जल योजनाओं का कार्य पूर्ण होकर पंचायतों को सौंप दिया गया है एवं कितनी, किन-किन कारणों से अपूर्ण हैं, कब तक पूर्ण हो जाएगी ? (ग) ग्राम पंचायतों को सौंपी गई नल-जल योजनाओं में से कितनी संचालन में हैं एवं कितनी, किन कारणों से बंद हैं, उनको कब तक चालू कर दिया जाएगा ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) कुल 28 नल-जल योजनाऐं स्वीकृत है । शेष जानकारी **संलग्न "परिशिष्ट"** अनुसार है । (ख) उत्तरांश "क" अनुसार स्वीकृत सभी नल-जल योजनाओं के कार्य पूर्ण कर इन्हें संबंधित पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है । (ग) वर्तमान में 23 नल-जल योजनायें चालू, तथा 5 नल-जल योजनाऐं बंद है । बंद योजनाओं में से 2 पावर पंप खराबी से, 2 मोटर पंप नलकूप में फंसने से तथा 1 स्रोत सूख जाने से बंद है ।

परिशिष्ट - "तीन"

नलकूप खनन बावत्

16. **(*क्र. 812) श्री जितू पटवारी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इंदौर एवं उज्जैन जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्र हेतु कितने नलकूप खनन वर्ष 2014-15 में स्वीकृत किये गये है ? एवं इसके लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें ? (ख) इंदौर जिले में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्रवार कितने नलकूप खनन किये जा चुके है ? एवं नलकूपों में मोटर डाली जा चुकी है ? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें ? (ग) मुख्यमंत्री नल-जल योजना का क्रियान्वयन किन-किन विधानसभा क्षेत्रों में किया जा रहा है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक** अनुसार । (ख) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो** अनुसार । (ग) किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं ।

परिशिष्ट - "चार"

विभाग द्वारा विक्रताओं को भुगतान में भ्रष्टाचार

17. **(*क्र. 1167) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में उद्यानिकी विभाग द्वारा कौन-कौन से ड्रीप इन माइक्रो इरिगेशन निर्माता कंपनियों के अधिकृत विक्रेताओं से कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की ड्रीप इन माइक्रो इरिगेशन का क्रय किया गया विकासखण्डवार, विक्रेतावार क्रय की विस्तृत जानकारी प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि कृषक आदेश, कंपनी आदेश एवं कृषक संतुष्टि प्रमाण पत्र विक्रेताओं द्वारा विभाग में जमा करा देने के बावजूद भी विभाग द्वारा विक्रेताओं को क्रय की गई सामग्री का प्रश्न दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इसके लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? और कब तक कार्यवाही की जाएगी ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में विक्रेताओं को बकाया राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा ? (घ) क्या यह सही है कि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विक्रेताओं पर विभाग से बकाया राशि प्राप्त करने हेतु भारी कमीशन देने के लिये दवाब बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो शासन दोषियों पर क्या कार्यवाही कब तक करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) ड्रिप स्प्रिंकलर इरीगेशन के लिए सामग्री का क्रय विभाग द्वारा नहीं किया जाकर कृषकों द्वारा किया जाता है । कृषकों द्वारा किए गये क्रय पर विभाग भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रति हेक्टर इकाई लागत के आधार पर अनुदान उपलब्ध कराता है । (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

करोंद मण्डी में हुए भ्रष्टाचार के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

18. **(*क्र. 959) श्री आरिफ अकील :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल की लक्ष्मी नारायण कृषि उपज मण्डी, करोंद के वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए, तथा 2 लाख या उससे अधिक राशि के कार्य किस-किस ठेकेदार को (ठेकेदार का नाम सहित) दिये गये ? उन कार्यों की गुणवत्ता की जांच कब-कब की गई और गुणवत्ता की अंतिम रिपोर्ट क्या रही है ? (ख) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2013 में मिर्ची शेड में आग लगी थी ? यदि हां, तो किस कारण से और उसकी सूचना किस थाने में दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ? इस लापरवाही के लिए कौन-कौन दोषी हैं ? उनके विरूद्ध शासन द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों, कारण सहित बतावें ? (ग) क्या यह भी सही है कि मण्डी बोर्ड द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर सब्जी सेक्शन में व्यापारियों को दुकानें निलामी के माध्यम से आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि कुछ 1000 वर्गफीट की दुकानें शेष रह गईं थी, का आवंटन/निलामी किस प्रकार तथा कब की गई ? (घ) प्रश्नांश (क) - (ग) के परिप्रेक्ष्य में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों, कारण सहित बतावें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) विवरण **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है । (ख) जी नही । (ग) जी नहीं । (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ग) के उत्तर के संदंर्भ में शेष का प्रश्न ही उपस्थित नही होता है ।

परिशिष्ट - "पांच"

<u>एन.टी.पी.सी. प्लांट हेतु भूमि का अधिग्रहण</u>

19. **(*क्र. 1042) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रस्तावित एन.टी.पी.सी. प्लांट जिला छतरपुर हेतु जिस भूमि का चयन किया गया है, उसमें ग्राम बरेठी के खसरा क्रं.16, 106, 109, 138 में तालाब तथा ख.क्रं. 349, 849, 850, 844 आदि में नाला और ख. क्रं. 178, 192, 193, 191, 214, 216, 221 में चरनोई भूमि दर्ज है और ग्राम सांदनी के खसरा क्रं. 957, 1202, 1199, 1172, 1264 में मरघट एवं ख. क्रं. 981, 1068, 1069, 1130, 1132 आदि में तालाब दर्ज है ? क्या राजस्व पुस्तक परिपत्र और भू राजस्व संहिता के विभिन्न नियमों/धाराओं के अंतर्गत इनका आवंटन किया जाना उचित है ? उपरोक्त संबद्ध वर्णित खसरा क्रमांकों में से किन्ही का आवंटन एन.टी.पी.सी. प्लांट हेतु किया गया है, तो इनके आवंटन के आधार, नियमों की जानकारी व आवंटन प्रकरण की ब्यौरेवार जानकारी प्रदान करावें ? (ख) क्या तालाब, नाला, चरनोई, मरघट आदि की भूमियों को आवंटित करने के नियम हैं ? (ग) क्या मा. सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील क्रं. 3511/2004 म.प्र. राज्य बनाम नरेन्द्र प्रताप सिंह में तथा सुप्रीम कोर्ट की सिविल अपील क्रं. 2965/11, 25503/2003 निर्णय दिनांक 6/4/11 के अनुसार ऐसी भूमियों में आवंटन को अवैधानिक किया गया ? यदि हां, तो ऐसी भूमियों का आवंटन किस आधार पर किया गया ? (घ) क्या योजना आयोग द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी ताप विद्युत गृह कोयला खदानों से 100 किमी की परिधि में ही स्थापित किया जावे ? यदि हां, तो उक्त प्लांट की निकटस्थ कोयला खदान से कितनी दूरी है ? क्या उक्त प्लांट सभी नियमों का पालन करता है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>पाटन एवं मझौली तहसीलों में पटवारियों की कमी</u>

20. **(*क्र. 1007) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले की पाटन एवं मझौली तहसीलों के कौन-कौन से ग्रामों को किन-किन राजस्व सर्किल अंतर्गत कौन-कौन से पटवारी हल्कों में विभाजित किया गया है ? एवं इन पटवारी हल्कों में कब से कौन-कौन से पटवारी पदस्थ हैं ? सूची देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित पटवारी हल्कों के अनुसार कुल कितने पटवारियों की पदस्थापना इन दोनों तहसीलों में नियमानुसार होना आवश्यक है ? इन दोनों तहसीलों में पटवारियों के कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों की सूची देवें ? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित इन पटवारियों के रिक्त पदों की पूर्ति किस तरह से कब तक हो सकेगी ? ताकि कृषकों को होने वाली परेशानी से बचाया जा सके ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जिले की तहसील पाटन में 226 ग्राम एवं 35 हल्के हैं जिसमे दो राजस्व निरीक्षक सर्किल में विभाजित किया गया है । राजस्व निरीक्षक सर्किल कटंगी में 113 ग्राम 19 हल्के व पाटन में 113 ग्राम 16 हल्के हैं । तहसील मझौली में कुल 225 ग्राम एवं 30 हल्के हैं जिसमें दो राजस्व सर्किल में विभाजित किया गया है । राजस्व सर्किल मझौली में 129 ग्राम 14 हल्के व पोडा में 96 ग्राम 16 हल्के है । उक्त दोनों तहसीलों के इन पटवारी हल्को में पटवारियों की पदस्थापना की जानकारी पृथक से **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार, है । (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित पटवारी हल्को के अनुसार इन दो तहसीलो में नियमानुसार कुल 65 पटवारियों की पदस्थापना होना आवश्यक है । इन दोनों तहसीलों में 17 पद रिक्त हैं रिक्त पदों की पूर्ति की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब"** अनुसार है । (ग) रिक्त हल्कों का प्रभार अन्य हल्के के पटवारियों को दिया गया है जिससे कृषको को राजस्व कार्यो में असुविधा नहीं हो । पटवारियों के रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु प्रक्रिया जारी है ।

विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा की समूह आधारित नल-जल योजनाओं की स्वीकृति

21. (***क्र. 645) श्री नारायण सिंह पँवार** : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड राजगढ़ द्वारा माह जुलाई 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक 2709 दिनांक 19 जनवरी 2013 के परिपालन में पेयजल संकट ग्रस्त 45 ग्रामों में पेयजल की स्थायी व्यवस्था हेतु सतही स्त्रोत कुशलपुरा बांध आधारित समूह नल-जल योजना तथा पेयजल संकट ग्रस्त 37 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था हेतु सतही स्त्रोत पहाड़गढ़ बन्द उद्वहन सिंचाई योजना आधारित नल-जल योजना के स्टेट-1 के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित किये गये है ? (ख) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा उपरोक्त संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्र क्रमांक 449 दिनांक 16.10.2014 व 450 दिनांक 16.10.2014 पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उक्त योजनाओं की स्वीकृति हेतु जल निगम को भेजने की अनुशंसा की गई थी ? (ग) यदि हां, तो वर्तमान में उक्त प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हॉ । (ख) जी हॉ । (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में सतही स्रोत कुशलपुरा बांध आधारित समूह नलजल प्रदाय योजना स्टेज-1 लागत रु. 48.40 करोड़ की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा सतही स्रोत आधारित 37 ग्रामों की पहाड़गढ़ नलजल योजना का स्टेज-1 प्रस्ताव रु. 46.27 करोड़ का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) बनाने हेतु मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

भूमि के व्यपवर्तन एवं कॉलोनाईजर लायसेन्स में नियम विरूद्ध कार्यवाही

22. (***क्र. 630) श्री मुरलीधर पाटीदार** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि भूमि के व्यपवर्तन (डायवर्सन) एवं कॉलोनाईजर लायसेन्स के संबंध में शासन निर्देश क्या हैं ? दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया की विवरणात्मक जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों हेतु जवाबदार शासकीय सेवकों के कार्यों की मॉनिटरिंग शासन स्तर से की जाती है ? यदि हॉ, तो दोषयुक्त पाये गये प्रकरणों में संबंधित शासकीय सेवक पर क्या कार्यवाही की जाती है ? विगत 02 वर्षों में कोई कार्यवाही की गई हो तो विवरण देवें ? (ग) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सुसनेर में विगत 03 वर्षों में भूमि के कुल कितने व्यपवर्तन एवं कॉलोनाईजर लायसेन्स जारी किए गए ? (घ) उक्त प्रक्रिया में नगरीय निवेश एवं विकास विभाग की क्या भूमिका है ? क्या निर्धारित भूमिका का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो इसके लिए दोषी कौन है ? एवं क्या शासन दोषियों पर कार्यवाही करेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 के अंतर्गत भूमि के उपयोग को दृष्टि में रखते हुए पुनर्निधारण व धारा 172 व उसके अंतर्गत बने नियमों के आधार पर भूमि का व्यपवर्तन किया जाता है । म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत बने नियमों के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में कॉलोनाईजर लायसेंस व म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत बने नियमों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनाईजर लायसेंस जारी किये जाते हैं । दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** पर है । (ख) प्रश्नांश 'क' के उल्लेखित कार्यों की मानिटरिंग कलेक्टर स्तर से की जाती है । आगर मालवा जिले में विगत 2 वर्षों से कोई

अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है इस कारण कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । (ग) जिला आगर-मालवा के सुसनेर विधान सभा क्षेत्र अनुविभाग सुसनेर नलखेडा अंतर्गत विगत 03 वर्षो में भूमि के कॉलोनाईजर के 03 प्रकरणों में डायवर्सन एवं कॉलोनाईजर लायसेंस जारी किये गये हैं । (घ) भूमि के कॉलोनाइजर प्रकरणों में नगर एवं ग्राम निवेश विभाग का अभिमत प्राप्त किया जाता है एवं निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जा रहा है । चूँकि नियमों का पालन किया जा रहा है इसलिए कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

परिशिष्ट - "छ:"

तहसील पोहरी व बैराढ़ में निजी भूमि को शासकीय भूमि दर्शाई जाना

23. **(*क्र. 122) श्री प्रहलाद भारती :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है, कि आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त म.प्र. ग्वालियर द्वारा अपने पत्र क्र./219/कम्प्यूटर-9/2014 ग्वालियर दिनांक 27.05.2014 द्वारा कलेक्टर शिवपुरी को तहसील पोहरी एवं बैराढ़ में कम्प्यूटराईज्ड त्रुटि के कारण किसानों की निजी भूमि को शासकीय भूमि दर्शाया गया था उस त्रुटि को ठीक करने हेतु निर्देशित किया गया था ? यदि हॉ तो उक्त आदेश के परिपालन में कितने कृषकों की भूमि में त्रुटि सुधार कर उनके नाम पुन: अंकित कर दिये गये है व कितने शेष है ? (ख) प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्र. 2349 दिनांक 09.07.2014 में जांच कार्य शीघ्रपूर्ण करने का आश्वासन उत्तर में दिया गया था तो त्रुटि में प्रश्न दिनांक तक सुधार न होने के क्या कारण है ? (ग) क्या उक्त त्रुटि के कारण कृषक अपने खातों पर शासकीय योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे है ? (घ) यदि हॉ, तो उक्त कार्य पूर्ण न करने का उत्तरदायित्व किसका है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी साथ ही कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा भी बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । यह सत्य है कि शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील में कम्प्यूटराईज्ड त्रुटि के कारण किसानों की निजी भूमि को शासकीय दर्शाया गया है उक्त स्थिति के कारण प्रभावित कृषकों के त्रुटिपूर्ण खातों की जांच कराई जाकर सुधार किया गया है । प्र.क्र./8/2012-13/अ-6 (अ) आदेश दि. 20.05.13 से जाखनौद के 278 खातों का सुधार किया गया तथा प्र.क्र. 24/2013-14/अ-5 (अ) आदेश दि. 22.05.2014 ग्राम दुल्हारा के 149 खातों का सुधार किया गया है तथा शेष ग्राम बछौरा, तिमाउनी व गणेशखेडा में जांच की कार्यवाही प्रचलित है, जिसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाएगा । (ख) ग्राम जाखनौद व दुल्हारा में पायी गई त्रुटियों की शत-प्रतिशत जांच कराकर कम्प्यूटर डाटा में सुधार किया जा चुका है, शेष ग्रामों के खसरा नंबरों को शासकीय से निजी स्वामित्व में अंकित करने हेतु गहन जांच कार्य जारी है, जिसके कारण उक्त कार्य में विलंब हुआ है, जिसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा । (ग) कोई भी कृषक खाते में त्रुटि के कारण शासकीय योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं हो रहा है । यदि किसी कृषक के खाते में किसी प्रकार की अभिलेखीय त्रुटि पाई जाती है तो विधिवत् जांच कर भू-अभिलेख अद्यतन कर उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाती है । (घ) तहसील पोहरी में कम्प्यूटराईज्ड त्रुटि के कारण किसानों की निजी भूमि के शासकीय होने के प्रकरण में जांच हेतु समिति गठित की गई है, समिति की जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही कार्यवाही की जावेगी ।

परासिया वि.स. क्षेत्र में कुपोषण की रोकथाम हेतु शासन योजना का क्रियान्वयन

24. **(*क्र. 251) श्री सोहनलाल बाल्मीक :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि परासिया विधानसभा क्षेत्र में कुपोषित बच्चे ग्राम सूठिया में पाये गये थे ? क्या कुपोषण की रोकथाम हेतु म.प्र. सरकार की योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है ? (ख) महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी द्वारा कुपोषण की रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अन्य ग्रामों में भी कुपोषित बच्चों की शिकायतें हैं ? जहॉ कुपोषित बच्चे

कुपोषण से पीड़ित पाये गये हैं ? क्या संबंधित परियोजना अधिकारी पर कार्यवाही होगी और कब तक होगी ? (घ) कितना आहार आंगनवाड़ियों में आवंटित किया जाता है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हां । ग्राम सूठिया में गंभीर कुपोषित 06 बच्चे, अतिकम वजन के 12 बच्चे एवं कम वजन के 37 बच्चे है । कुपोषण की रोकथाम हेतु आई.सी.डी.एस. के अतिरिक्त म.प्र.शासन की योजना अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन एवं सुपोषण अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है । (ख) परियोजना अधिकारी द्वारा माह अप्रेल 2014 से नवम्बर 2014 तक 166 गंभीर कुपोषित बच्चों को चादामेटा पोषण पुर्नवास केन्द्र में भर्ती कराया गया है एवं चिकित्सकों द्वारा माह अक्टूबर 2013 से अक्टूबर 2014 तक 7896 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है । आंगनवाड़ी स्तर पर सतत् निगरानी, पोषण आहार का प्रदाय एवं आई.सी.डी.एस. की सेवायें दी गई है । (ग) जी हां । परासिया विधान सभा क्षेत्र के अन्य ग्रामों में भी कुपोषित बच्चे पाए गए है । संबंधित परियोजना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है । (घ) आंगनवाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती, धात्री माताओं को एम.पी.एग्रो द्वारा प्रदायित टेक होम राशन एवं 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों को सांझा चूल्हा स्व-सहायता समूह द्वारा ताजा पका नाश्ता भोजन एवं थर्ड मील प्रदान किया जाता है । जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है ।

प्रदेश में भूमि का उपयोग

25. **(*क्र. 1190) श्री उमंग सिंघार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1960 की धारा 172 के अंतर्गत जो भूमि कृषि प्रयोजन के लिये निर्धारित की गई है, तथा शहर की विकास योजना (मास्टर प्लान) की परिधि में नहीं आती है ? क्या भूमि स्वामी अपनी भूमि का उपयोग उद्योग के प्रयोजन के लिये करना चाहता है तो क्या उसे व्यपवर्तन (डायवर्सन) के लिये अनुज्ञा (अनुमति) लेना अनिवार्य है या नहीं ? (ख) शासन के दिशा निर्देशों की एवं भू-राजस्व संहिता म.प्र. 1960 के अनुसार क्या प्रावधान है, स्पष्ट करें एवं दिशा निर्देश क्या है ? (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई बार उक्त नियम को लेकर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की गई ? क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार नियम का विभाग द्वारा पालन करवाया जा रहा है ? बतायें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के तृतीय परन्तुक के अनुसार यदि कोई भूमि स्वामी अपनी कृषि प्रयोजन की भूमि औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तित कराना चाहता है और उसकी ऐसी भूमि विकास योजना क्षेत्र की परिधि के बाहर स्थित है तो उसे ऐसे व्यपवर्तन की उपखण्ड अधिकारी से सूचना देना पर्याप्त है, व्यपवर्तन की अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है । सूचना देने का कार्य धारक को स्वयं करना है, शासन स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम पंचायत मालनपुर के सरपंच/सचिव द्वारा राजस्व भूमि के आवंटन में अनियमितता

1. **(क्र. 9) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले की गोहद तहसील के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में सर्वे क्रमांक 79 एवं 80 की बेशकीमती राजस्व भूमि में ग्राम पंचायत मालनपुर के सरपंच एवं सचिव आदि द्वारा किन-किन व्यक्तियों को कब-कब कितनी-कितनी, भूमि किस-किस प्रयोजन के लिए किन नियम/प्रक्रिया के तहत आवंटित कर पट्टे पर दी गई अथवा आवंटित की गई है एवं किन-किन को उक्त भूमि पर भवन बनाने की अनुमति किन नियमों के तहत प्रदान की गई ? (ख) उक्त भूमि किस प्रयोजन के लिए आरक्षित थी, तथा क्या भवन बनाने हेतु टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग से अनुमोदन प्राप्त किया गया था ? यदि हां तो कब ? (ग) यदि नहीं तो क्या उक्त बेशकीमती भूमि के आवंटन/पट्टे पर दिए जाने में अनियमितता करने वाले संबंधितों के विरूद्ध क्या आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? (घ) क्या उपरोक्त भूमि में हुई अनियमितता को उजागर करने वाले पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को भूमि माफियाओं के दबाव में अन्यत्र स्थानांतर कर परेशान किया जा रहा है ? यदि नहीं तो पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक का प्रतिबंध लागू होने के बाद भी स्थानांतर किए जाने के क्या कारण हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) प्रश्नाधीन सर्वे क्रमांक-79 एवं 89 में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव ठहराव क्रमांक-4 दिनांक 16.4.2013 से 100ग100 फीट मानव निवास एवं 100ग250 फीट सांस्कृतिक कार्यक्रम वाल निर्माण तथा 10,448 वर्गमीटर नरेन्द्रसिंह पुत्र रणवीरसिंह गुर्जर निवासी गुरीखा हाल हरीराम का पुरा मालनपुर को अनुमति प्रदान की गई है । प्रस्ताव/ठहराव क्रमांक-5 दिनांक 16.4.2013 से 50ग50 फीट में मानव निर्माण तथा 50ग300 फीट में निजी क्लब की बाउन्ड्रीवाल बनाने की अनुमति सत्यभानसिंह पुत्र केशवसिंह गुर्जर निवासी लटकनपुरा हाल मालनपुर को दी गई । प्रस्ताव-ठहराव क्रमांक-6 दिनांक 16.4.2013 से 50ग50 फीट में मानव निवास एवं 50ग300 फीट में बाउन्ड्रीवाल बनाने हेतु रामेश्वर पुत्र जयभानसिंह गुर्जर को अनुमति दी गई । (ख) उक्त भूमि आबादी हेतु आरक्षित थी । भवन बनाने हेतु टाउन एन्ड कन्ट्री प्लानिंग से अनुमोदन नही लिया गया है । (ग) अनुविभागीय अधिकारी गोहद के प्र0 क्र0-01/2014-15/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2014 द्वारा ग्राम पंचायत के ठहराव-प्रस्ताव क्रमांक-4,5,6, दिनांक 16.4.2013 को अवैधानिक होने से निरस्त कर दिया गया है एवं ग्राम पंचायत मालनपुर के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यवालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद एवं थाना प्रभारी मालनपुर को लिखा गया है । (घ) जी नहीं । कर्मवारियों के स्थानातरण पर प्रतिबंध होने से शिकायतों के आधार पर पटवारी को चार्ज मुक्त कर अन्य पटवारी हल्के का प्रभार दिया गया है । राजस्व निरीक्षक का स्थानांतरण नहीं किया गया है ।

हटा विधानसभा क्षेत्र की संचालित नल जल योजनाएं

2. **(क्र. 59) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र हटा अंतर्गत कितनी नल जल योजनाऐं है ? कब-कब कितनी-कितनी राशि से स्वीकृत की गई थी ? राशिवार,वर्षवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करायें ? (ख) क्या हटा विधनसभा क्षेत्र की समस्त स्वीकृत नलजल योजनाएं बनकर तैयार है । यदि हां तो क्षेत्रीय जनता को इस शासन की नल जल योजनाओं का लाभ मिल रहा है ? यदि नहीं तो इसके लिये कौन दोषी है ? इन पर शासन स्तर पर क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी समय सीमा बतावें ? (ग) हटा नगर की वर्ष 2001 में स्वीकृत वृहद नल-जल योजना में शासन

की कितनी राशि व्यय हो चुकी है ? कब-कब कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई एवं किस कार्य ऐजेन्सी द्वारा कार्य कराया गया ? जनता को हटा नगर की नल जल योजना का लाभ कब तक प्राप्त हो सकेगा ? एक दशक बीत जाने के बाद भी जनता को इस शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है । इस हेतु दोषी अधिकारियों पर क्या और कब कार्यवाही की जावेगी ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 106 नलजल योजनायें । जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "क" अनुसार । (ख) जी नहीं । 63 योजनाओं से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिल रहा है । शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "क" पुस्तकालय में रखे अनुसार । (ग) रूपये 380.54 लाख । जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ख" एवं "ख-1" अनुसार । फोर लेन रोड निर्माण के दौरान पाइप लाइन उखाड़ दिये जाने के कारण योजना पूर्ण होने में विलम्ब हुआ, दिनांक 31 मार्च 2015 तक योजना पूर्ण/चालू कर नगरवासियों को पेयजल योजना का लाभ मिलना संभावित है । कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

विधानसभा क्षेत्र खरगापुर के अंतर्गत ओलावृष्टि के मुआवजें से वंचित किसानों का पुन: सर्वे

3. **(क्र. 78) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र खरगापुर के अंतर्गत विगत फरवरी माह में हुई ओलावृष्टि-अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों के मुआवजें से आज भी कई ग्रामों के किसान वंचित रह गये हैं, क्या उनका पुन: सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया जायेगा ? (ख) यदि हां, तो पुन: सर्वे का कार्य कब तक करा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें ? (ग) यदि हां, तो मुआवजा दिलाये जाने की समयावधि बतायें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क)प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों का तत्समय ही पूर्ण सर्वेक्षण कराया जाकर पात्र कृषकों को सहायता वितरित की जा चुकी है । कोई भी पात्र प्रभावित कृषक अनुदान सहायता राशि से वंचित नहीं रहा है । पुनः सर्वे कराये जाने की आवश्यकता नहीं । (ख) एवं (ग) प्रश्नांश "क" की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

टीकमगढ़ जिले में कम बारिश होने से जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाना

4. **(क्र. 79) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि इस वर्ष टीकमगढ़ जिले में खासतौर पर खरगापुर विधान सभा क्षेत्र समेत पूरे जिले में बहुत कम बारिश होने के कारण पूरा जिला सूखे की चपेट में है ? क्या किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये पूरे जिले को एवं खरगापुर विधान सभा क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करेंगे ? यदि हॉ, तो कब तक ? (ख) सूखागस्त होने पर शासन द्वारा कोई भी किसानों के हित में योजना है कि किसानों के बिजली बिल माफ करेंगे ? क्या बैंकों के कर्जा माफ करेंगे ? क्या खरीब की फसल की बीज की राशि माफ करेंगे ? (ग) यदि हॉ, तो सम्पूर्ण योजना से अवगत करायें एवं आदेश प्रसारित कितने समय में कर दिये जायेंगे तथा किसानों को कौन-कौन सी छूट दी जायेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) टीकमगढ़ जिले में औसत से कम वर्षा हुई है । शासन के निर्धारित मापदण्डों के अनुक्रम में सूखा ग्रस्त मान्य करने की कार्यवाही की जाती है । (ख) एवं (ग) प्रश्न "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

5. **(क्र. 89) श्री संजय पाठक :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री महोदय को दिनांक 25.09.2014 को उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग जिला-कटनी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में स्वतंत्र एजेंसी से जॉच कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था ? (ख) क्या माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रश्नाधीन पत्र के तारतम्य में प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल को पत्र लिखते हुए कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया था ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) यदि हॉ, तो उपरोक्त पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये यह भी बतायें किस अधिकारी को जॉच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ? (घ) क्या जॉच में उपरोक्त उपसंचालक दोषी पाया गया ? यदि हॉ, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि प्रश्न दिनांक तक जॉच नहीं कराई गई, तो कौन दोषी है नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें ? (ड.) क्या उक्त उपसंचालक को कटनी जिले से अन्यत्र स्थानांतरित करते हुऐ निष्पक्ष जॉच कराई जावेगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर है । (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित पत्र में बिन्दुवार जॉच कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु संचालक कृषि को लिखा गया था । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार । (ग) संचालक कृषि द्वारा संयुक्त संचालक कृषि जबलपुर को जॉच करने हेतु पत्र क्रमांक 1216 दिनांक 19.11.2014 द्वार निर्देशित किया गया है । जानकारी परिशिष्ट "स" अनुसार । (घ) जॉच प्रक्रियाधीन है, जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ड.) जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।''जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ, ब, स अनुसार है ।''

अमानक खाद/बीज बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ की गई एफ.आई.आर.

6. **(क्र. 102) श्री विश्वास सारंग :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अमानक स्तर के खाद, बीज सप्लाई करने वाली कितनी और किन-किन कंपनियों के खिलाफ वर्ष 2014 में किन-किन धाराओं के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है ? (ख) बीज प्रमाणीकरण संस्था व बीज निगम के बीजों को ग्वालियर स्थित बीज परीक्षण प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के पूर्व किसानों को क्यों वितरित किया जाता है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत इसके लिए किस पदनाम/नाम के अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या उन पर कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2 पर है । (ख) बीज निगम द्वारा बीज प्रमाणीकरण संस्था के निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये जाने के उपरांत ही मानक बीजों को पैक्ड/टैग्ड कर किसानों को वितरित किया जाता है । (ग) उत्तरांश(ख) के परिपेक्ष्य में किसी अधिकारी पर कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "सात"

डाटा एंट्री ऑपरेटरों का वेतन ठेकेदार को दिया जाना

7. **(क्र. 103) श्री विश्वास सारंग :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग ने वर्ष 2013-14 में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों को भरने के लिए किस फर्म को किन शर्तों पर ठेका दिया था ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या ठेकेदार ने पदों को सरकारी बताकर युवकों से 60 से 75 हजार रूपये लेकर भर्ती की है ? क्या यह भी सच है कि विभाग ऑपरेटरों को सीधे भुगतान न करने के बजाय ठेकेदार का कर रहा है ? क्या यह भी सच है कि ठेकेदार द्वारा किसी भी ऑपरेटर को भुगतान नहीं किया जा रहा है ? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत विभाग ने कांट्रेक्ट आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटरों को सीधे ही क्यों नहीं रखा ? बीच में एक ठेकेदार की आवश्यकता क्यों पड़ी ? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) व (ग) के तहत ऑपरेटरों को सीधे मानदेय/वेतन दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ? कारण दें ? नियम बताएं ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कृषि विभाग ने वर्ष 2013-14 में डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर को नियुक्त करने के लिये खुली निविदा पद्धति द्वारा संस्था मेसर्स प्रसाद कॉन्ट्रेक्टर एण्ड फेब्रीकेटर्स का चयन कर अनुबंध किया गया था । कार्य की शर्तें संलग्न अनुबंध एवं निविदा प्रपत्र अनुसार है । (पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक व "दो") । (ख) प्रश्नांश क के तहत ठेकेदार द्वारा पदों को सरकारी बताकर युवकों से 60 से 75 हजार रूपये लेकर भर्ती करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । हाँ कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेस योजना के दिशा निर्देश के अनुसार आउट सोर्स संस्था के माध्यम से डाटा एन्ट्री आपरेटर विभाग को उपलब्ध कराये गये हैं, अत: आउट सोर्स करने वाली संस्था को भुगतान किया जाता है । (ग) डाटा एन्ट्री आपरेटर के विभाग में कोई स्थाई पद स्वीकृत नहीं है । कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेस कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होकर अस्थाई तौर पर मानव सेवा प्रदायकर्ता के माध्यम से तीन वर्षो हेतु विभाग के विभिन्न कार्यालयों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखे जाने का प्रावधान है । अत: योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार डाटा एन्ट्री आपरेटर ठेकेदार के माध्यम से आउट सोर्स करने की कार्यवाही की गई । दिशा-निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "तीन" पर है । (घ) नहीं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में डाटा एन्ट्री आपरेटर का कोई स्थाई, अस्थाई अथवा संविदा पर स्वीकृत न होने से विभागीय बजट में सीधे मानदेय/वेतन दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से आपरेटरों को सीधे मानदेय नहीं दिया जा सकता है ।

मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास अंतर्गत संचालित योजनाएं

8. **(क्र. 136) श्री राजेश धरमवीर सिंह यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के अंतर्गत गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाऐं संचालित हैं ? क्या मछुआ बस्ती निर्माण में पिछले पांच वर्षों में कोई कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो सूची दें ? क्या ये समस्त कार्य मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, शिक्षा की व्यवस्था सहित पूर्ण हो गये हैं ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें ? (ख) वर्ष 2011-12 में किन-किन ऐजेंसी से मत्स्य किन-किन योजनाओं के तहत कितना-कितना मत्स्य बीज क्रय कर गांधीसागर जलाशय में संचय किया गया ? (ग) उक्त मत्स्य बीज संचय करने में क्या कोई अनियमितता हुई है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्राथमिक जांच हुई है ? प्राथमिक जांच में कोई दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की गई है या की जावेगी ? (घ) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से 80 लाख का बीज क्रय किया गया है, इसकी प्रारंभिक जांच हो चुकी है किन्तु कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां, तो कार्यवाही होगी ? देरी के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही होगी ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) गरोठ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत महासंघ द्वारा मछुआरों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है । प्रश्नाधीन अवधि में केवल वर्ष 2009-10 में 46 मछुआ आवास स्वीकृत किये गये तथा पूर्ण हो गये सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है । मूल भूत सुविधा अन्तर्गत केवल जल आपूर्ति व्यवस्था हेतु 2 हेण्डपम्प का प्रावधान था परन्तु भूमिगत जल उपलब्ध न होने के कारण हेण्डपम्प की स्थापना नहीं हो सकी जिसके विकल्प हेतु म.प्र.पावर जनरेटिंग कम्पनी के फिलटर प्लांट से जलप्रदाय पाईप लाईन हेतु अनुरोध किया गया है । (ख) वर्ष 2011-12 में श्री कैलाशचंद वर्मा मत्स्यबीज उत्पादन केन्द्र जिला धार से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत 100.00 लाख मत्स्य बीज क्रय कर गांधीसागर जलाशय में संचय करने के आदेश दिये गये । जांच उपरांत 57.153 लाख मत्स्यबीज संचय मान्य किया गया । (ग) जी हॉ । जी हॉ । प्राथमिक जांच में मत्स्य बीज प्रदायकर्ता एवं 9 महासंघ कर्मी दोषी पाये गये । जांच के आधार पर मत्स्य बीज प्रदायकर्ता श्री कैलाशचंद वर्मा से उनकी सुरक्षा राशि रू. 9.48 लाख राजसात की गई तथा प्रदाय मत्स्य बीज के भुगतान हेतु प्रस्तुत देयक रू. 79.06 लाख के विपक्ष रू. 43.496 लाख का भुगतान अंतिम रूप से किया गया है । प्रारंभिक जांच में उत्तरदायी पाये गये महासंघ के 3 अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है तथा 6 अधिकारी एवं कर्मचारियों को लघुशास्ति हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये । (घ) प्रश्नांश ''ख'' एवं ''ग'' अनुसार है ।

परिशिष्ट- "आठ"

<u>बेरोजगारों को प्रदाय ऋण की गारंटी</u>

9. **(क्र. 145) श्री अंचल सोनकर :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सत्य है कि कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार हेतु बैंकों के माध्यम से (ऋण (लोन)) स्वीकृत कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि हॉ, तो वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में जबलपुर जिले में कितने बेरोजगारों को ऋण प्रदाय किया एवं कितने हितग्राहियों ने रोजगार प्रारंभ कर दिया है ? (ख) प्रश्नांश (क) में प्रदाय किये जा रहे ऋण के क्या मापदण्ड है ? क्या बेरोजगारों से ऋण प्रदाय के पूर्व ऋण प्रदायकर्त्ता बैंक द्वारा ऋण गारंटी के बदले लोन की राशि की गारंटी बैंक में ली जानी हैं ? यदि हॉ, तो क्यों ? क्या बेरोजगार के पास गारंटी देने हेतु प्रापर्टी का होना आवश्यक है ? (ग) क्या शासन समस्त जिला कलेक्टरों/ऋण प्रदायकर्त्ता बैंकों को इस आशय का आदेश देंगे कि बेरोजगारों से गारंटी न ली जावे एवं विभाग द्वारा स्वीकृत राशि को हितग्राही को प्रदाय की जावे तो कब तक ? यह भी बतावें कि क्या शासन लोन की गारंटी लेता है ? यदि हाँ, तो अब तक जबलपुर जिले में कितने हितग्राहियों की गारंटी लेकर लोन प्रदाय किया जा चुका है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हां. वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में जबलपुर जिले में बैंक द्वारा स्वीक़त ऋण एवं रोजगार प्रारंभ हेतु वितरित ऋणो की जानकारी निम्नानुसार है:-

योजना	बैंक द्वारा हितग्राहियों को स्वीक़त ऋण प्रकरण की संख्या		रोजगार प्रारम्भ करने हेतु बैंको द्वारा वितरति ऋण प्रकरणो की संख्या	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
1. मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोगार/मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	78	22	65	20
2. श्री यादे माटी कला योजना	20	02	20	02

(ख) मापदण्डो की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रकरणो में बैंक द्वारा गारंटी की मांग करने पर गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फार माइक्रो एण्ड स्माल इण्टर प्राइजेस) के माध्यम से शासन द्वारा प्रचलित दर से गारंटी शुल्क देकर 7 वर्ष तक की अवधि के लिये गारंटी दिये जाने का प्रावधान है. गारंटी हेतु हितग्राही की प्रापर्टी का होना आवश्यक नहीं है. मुख्य मंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना में गारंटी निधि योजना अन्तर्गत शासन द्वारा गारंटी दिये जाने का प्रावधान था. श्री यादे माटी कला योजना में शासन गारंटी का प्रावधान नहीं था. ये दोनो योजनाए दि0 1.8.14 से मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना में समाहित हो गई है (ग) हितग्राही से गारंटी की मांग नहीं करने तथा स्वीकृत ऋण राशि समयसीमा मे वितरित करने बाबत बैंकर्स को निर्देश दिये जाने हेतु विभागीय पत्र क्र0 एफ 3-5/2012/52-2 दिनांक 29.11.14 से आयुक्त, संस्थागत वित्त संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं समस्त कलेक्टर को निर्देश जारी किये गये है. पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है. ऋण वितरण एक सतत प्रक्रिया है जिसकी समयवधि दर्शाये जाना संभव नहीं है शासन द्वारा उत्तराश (ख) में उल्लेखित अनुरूप गारंटी दिये जाने की व्यवस्था की गयी है. जबलपुर मे किसी भी बैंक द्वारा अभी तक गारंटी हेतु शुल्क की मांग नहीं की है अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होते.

निविदा(टेंडर) ऑनलाईन/समाचार पत्रों से प्रकाशन न करना

10. **(क्र. 189) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भिंड विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत क्या वर्ष 2011-12 से प्रश्नांश दिनांक तक हेण्ड पम्प संधारण हेतु प्लेटफार्म निर्माण, कुआ जीर्णोद्वार, रूप वाटर हार्वेस्टिंग व हेण्डपम्प में कम्प्रेशर लगवाने आदि क्या ऑन लाइन निविदा जारी की गई ? क्या समाचार पत्रों में निविदा जारी की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित वर्ष में भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कहां-कहां पर नलकूप का खनन करवाया गया है ? प्रश्नांश दिनांक तक कौन से चालू है कौन से बन्द हैं ? बन्द नलकूपों का क्या क्या कारण है ? क्या प्राथमिकता के आधार पर बन्द नलकूपों को चालू करवाना चाहिए था यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई थी ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं । जी नहीं । कार्यों की लागत रूपये 2.00 लाख से कम होने के कारण । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"क" पुस्तकालय में रखे अनुसार है ।

अनियमितता तरीके से व्यय करने बाबत्

11. **(क्र. 190) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सत्य है कि जिला महिला एवं बाल विकास विभाग भिण्ड को मद 2236-02-101-0701-9050-34-004 के अंतर्गत 22185000 व 5400000.00 रू. का प्रावधान वर्ष 2014-15 में शासन द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो इसका कब-कब किस प्रकार व्यय किया गया ? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत वर्णित मद में वर्ष 2010 से प्रश्नांश दिनांक तक कितना-कितना बजट प्राप्त हुआ और किस प्रकार किस-किस संस्था को व्यय किया गया ? क्या मापदण्डों का पूर्णत: पालन किया गया ? (ग) भिण्ड जिले में आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत 2009 से प्रश्नांश दिनांक तक कितना बजट प्राप्त हुआ ? उसका व्यय किस प्रकार किया गया ? (घ) क्या प्रश्नांश (क) व (ग) में वर्णित मद में राशि का उपयोग करते समय सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हां । कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी भिण्ड को मांग संख्या 2236-02-101-0701-9050- 34-004-55 में राशि रू. 22185000 एवं मांग संख्या 2236-02-101-0701-9050-34-004-64 में राशि रू. 5400000 का आवंटन वर्ष 2014-15 के माह अक्टूबर 14 में प्राप्त हुआ है । प्राप्त आवंटन के व्यय की स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है । (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत वर्णित मद में वर्ष 2010 से प्रश्नांश दिनांक तक विभाग को वर्षवार प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है । जी हां । मापदण्डो का पूर्णतः पालन किया गया है । (ग) जिला भिण्ड में आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत 2009 से प्रश्नांश दिनांक तक प्राप्त बजट एवं व्यय की वर्षवार स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है । (घ) जी हां ।

प्रदेश में आयोजित कृषि महोत्सव पर व्यय

12. **(क्र. 230) श्री रामनिवास रावत :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 25 सितम्बर से 20 अक्टूबर 2014 तक कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया ? यदि हां,तो उक्त आयोजन में कुल कितनी राशि व्यय की गई ? जिलेवार विवरण सहित बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आयोजित कृषि महोत्सव में श्योपुर जिले में किस-किस मद पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? प्रचार-प्रसार हेतु किस-किस एजेंसी का चयन किस प्रक्रिया के तहत किया जाकर किस-किस को कितना-कितना भुगतान किया गया ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कृषि महोत्सव के आयोजन के क्या-क्या सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन) : (क) जी हां । कृषि महोत्सेव के आयोजन में हुए व्यय एवं देयक के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है कुल व्यय की जानकारी जिलेवार प्राप्त की जा रही है । (ख) कृषि महोत्स्व श्यो्पुर में कृषि महोत्सयव के आयोजन में हुए व्याय के देयक जिले में प्राप्तर हो रहे हैं, उनके भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । टेन्डर प्रक्रिया अनुसार फ्लेक्सी, बेनर, होर्डिंग, दीवार लेखन एवं कृषि साहित्या हेतु एजेंसी का चयन किया गया है जिसके प्राप्त देयक, कलेक्टर द्वारा गठित जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष परीक्षण हेतु लंबित है । (ग) कृषि महोत्सव के आयोजन से जिलों में वैज्ञानिक कृषि को बढावा, नवीन कृषि तकनीक की कृषकों को जानकारी, कृषि कार्य में कौशल वर्धन, परस्पर चर्चा, एवं कृषि वैज्ञानिको से समस्या समाधान, नई फसल किस्मों एवं फसल चक्र परिवर्तन, कृषि तकनीक प्रदर्शन बहुविभागीय कार्यक्रमों की जानकारी से कृषि को लाभकारी बनाने हेतु कृषकों का मार्ग प्रशस्त हुआ है । इसके दूरगामी परिणाम फसल उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि के रूप में निश्चित रूप से परिलक्षित होंगे ।

परासिया वि.स. क्षेत्र के मंधान डेम व चरई डेम का कार्य प्रारंभ किया जाना

13. **(क्र. 254) श्री सोहनलाल बाल्मीक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 714) के प्रश्नांश (क) के उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि पत्र क्र. 6 एम.पी.सी. 043/2013-बी.एच.ओ./1170 दिनांक 19.06.2014 के तहत् सैद्धांतिक तथा औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, तथा भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगति पर है ? कार्य प्रारंभ करने हेतु दिनांक 24.06.2014 को ठेकेदार को पुन: निर्देशित किया गया है परंतु आज दिनांक तक मंधान डेम का कार्य आदेश के उपरांत भी प्रारंभ नहीं किया गया है ?

(ख) मंधान डेम का कार्य 2014 के किस माह से प्रारंभ किया जायेगा ? इस योजना में कितनी लागत आयेगी ? इस कार्य को पूर्ण करने की अवधि क्या होगी ? वर्तमान में मंधान डेम निर्माण में कितनी राशि आवंटित की गई है ? (ग) तारांकित प्रश्न क्रमांक 714 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि चरई डेम में विगत 5 वर्षों में संधारण कार्य हेतु कुल राशि 466.50 लाख आवंटित की गई थी । इस आवंटित की गई राशि का उपयोग चरई डेम में विगत 5 वर्षों में किस-किस कार्य में किया गया ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क)जी हॉ । (ख) मंधान डेम निर्माण का कार्य दिसम्बर 2014 से प्रारंभ करने के प्रयास किये जा रहे है । मंधान बांध निर्माण कार्य कुल लागत रु. 32.44 करोड़ है । इस कार्य को पूर्ण करने की अवधि 3 वर्ष (दिसम्बर 2017 तक) है । मंधान डेम के निर्माण हेतु पृथक से कोई राशि आवंटित नहीं की गई है बल्कि रु. 18.37 करोड़ की राशि पेंचव्हेली समूह जल प्रदाय परियोजना हेतु आंवटित है जिसमें बांध निर्माण कार्य भी सम्मिलित है । (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है ।

परिशिष्ट- "नौ"

<u>प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा पद का दुरूपयोग</u>

14. **(क्र. 261) श्री मुकेश नायक :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 17.10.2014 को राज्य के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को आयुक्त, ग्वालियर, श्री के.के.खरे, आईएएस के मामले में शासकीय भूमि पर अपनी माता एवं अपने भाई द्वारा अवैध कब्जा करने के संबध में जो शिकायत की गई है, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? (ख) आयुक्त, ग्वालियर, श्री के.के.खरे, आईएएस ने पन्ना जिले की पवई तहसील के ग्राम लिलवार में अपने भाई श्री दीपचंद खरे के नाम से भूमि क्रय की और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया ? इस बारे में शिकायतों पर अब तक राजस्व अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की ? (ग) क्या यह भी शिकायत है कि श्री के.के.खरे जब सतना मे कलेक्टर थे तब उन्होनें अपने पद और प्रभाव का दुरूपयोग कर गरीब आदिवासियों को उनके कब्जे की भूमि से बेदखल कराया और अपने भाई तथा अपनी माता द्वारा 18.55 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा करया । इस पर शासन ने शिकायत होने के बाद भी कार्यवाही नहीं की इसके क्या कारण है ? (घ) श्री के.के.खरे, आईएएस द्वारा ग्राम लिलवार, तहसील पवई, जिला पन्ना में अवैध कब्जा करवाकर गरीब आदिवासियों की जमीन हड़पने और अवैध कब्जा करने के मामले में भी राजस्व कर्मचारियों ने शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की, इसके क्या कारण थे ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) आई.ए.एस. अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जाती है । अतः प्राप्त प्रश्नकर्ता की शिकायत मूलतः आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र क्रमांक-2843/3190/2014/सात-2ए, दिनांक 02.12.2014 द्वारा प्रमुख सचिव 'कार्मिक' सामान्य प्रशासन विभाग को भेजते हुए पृष्ठांकन प्रति मान0 विधायक महोदय को भी भेजी गई है । (ख) जी नहीं । इस बावत कोई शिकायत प्राप्त न होने से कार्यवाही का प्रश्न उद्भूत नहीं होता । (ग) सतना जिला अन्तर्गत ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । (घ) कोई शिकायत प्राप्त न होने से कार्यवाही का प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

<u>पन्ना जिले में शामिल नल जल योजनाएं</u>

15. **(क्र. 262) श्री मुकेश नायक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पन्ना जिले में पिछले 5 वर्षो में जिलावार कितने गांव को नलजल योजना में शामिल किया गया और उक्त अवधि में योजना में शामिल कितने गांवों में नल जल योजना का निर्माण हो गया ? इनमें से कितनी नल-जल योजना को निर्माण एजेंसी

द्वारा पंचायतों को सौंप दिया गया है ? इसमें कितने बजट का नियोजन हुआ ? (ख) अप्रैल, 2004 से अक्टूबर, 2014 की अवधि में नल जल योजना में शामिल जिलावार कितने गांवों में पेयजल की आपूर्ति हो रही है, कितने गांवों में आपूर्ति बंद है ? (ग) पेयजल आपूर्ति बंद होने के लिए प्रत्येक मामले में किस-किस को जिम्मेदार माना गया ? क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो सूची उपलब्ध कराएं और यदि नहीं, तो उनके खिलाफ क्या और कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रश्नांकित अवधि में 375 ग्रामों की नलजल योजनाएं शामिल । 276 ग्रामों में निर्माण कार्य पूर्ण । 117 योजनायें ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित । रुपये 2222.46 लाख नियोजित । (ख) प्रश्नांकित अवधि में कुल निर्मित 302 नलजल योजनाओं में से 277 योजनाओं से ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति हो रही है । 25 ग्रामों में नलजल योजनायें बंद होने से पेयजल आपूर्ति बाधित (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- "क" पुस्तकालय में रखे अनुसार है । योजना बंद होने के मामलों में विभागीय अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>कृषि रथ पर व्यय राशी</u>

16. **(क्र. 274) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा राज्य में कुल कितने कृषि रथ चलाये गये ? (ख) कृषि रथ में ग्रामीण भ्रमण के समय किन-किन विभागों को सम्मिलित किया गया ? (ग) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में कृषि रथ भ्रमण के दौरान कितने किसानों को विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं का लाभ मिला ? (घ) कृषि विज्ञान मेला एवं कृषि रथ पर म.प्र.शासन का उज्जैन संभाग में कुल कितना खर्च हुआ ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) म.प्र. शासन द्वारा राज्य में कुल 313 कृषि रथ चलाये गए । (ख) कृषि रथ में ग्रामीण भ्रमण के समय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विश्वविद्यालय, उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, पंचायत और ग्रामीण विकास, वन, जल संसाधन, उर्जा, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा, राजस्व, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, आदिमजाति कल्याण विकास, महिला एवं बाल विकास, विभाग को सम्मिलित किया गया है । (ग) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 20357 किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला । (घ) उज्जैन संभाग में कृषि विज्ञान मेलों पर राशि रू0 39.14526 लाख एवं कृषि रथ पर राशि रू0 50.34958 लाख खर्च हुआ है ।

<u>हितग्राही मूलक योजनाओं में व्यय</u>

17. **(क्र. 279) श्री रामलाल रौतेल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, शहडोल के द्वारा जिला- अनूपपुर को वित्तीय वर्ष, 2012-13 एवं 2013-14 में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ? प्राप्त राशि को हितग्राही मूलक योजनाओं में खर्च किया गया है ? यदि हां, तो हितग्राही का नाम, जाति, ग्राम तथा उपलब्ध सामग्री, उपकरण आदि की जानकारी प्रदान करें ? (ख) हितग्राहियों को प्रदाय की गई सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, कि नहीं ? यदि नहीं, किया जा रहा है, तो क्यों ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, शहडोल से जिला अनूपपुर के लिए उद्यानिकी क्षेत्र में हितग्राही मूलक कार्यो हेतु प्राप्त राशि से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में प्रपत्र ''क'' में पुस्ताकालय में रखी गयी है । (ख) उपयोग किया जाना प्रतिवेदित है । प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है ।

अत्यधिक दर पर कार्य कराने बावत्

18. **(क्र. 281) श्री रामलाल रौतेल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनूपपुर खण्ड अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2012 से 2014 तक ग्रामीण जल प्रदाय योजना के तहत् किन-किन स्थानों पर नलकूप खनन कार्य कराया गया है ? उक्त कार्यों का निविदा विज्ञापित की गई थी ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों को किस दर से कराया गया है ? क्या यह सच है कि कार्य अधिक दर से कराया गया है, तथा उपरोक्त कार्यों में दो ठेकेदारों की भागीदारी अधिक है ? (ग) क्या यह सच है कि दो समान दर डलवा कर एक ही कार्य को दो ठेकेदारों में विभाजित कर संपादित कराया गया है ? क्या यह कार्य शासन के नियमों का उल्लंघन नहीं है ? एवं लाखों रूपये शासन का अत्यधिक व्यय नहीं किया गया है ? उपरोक्त कार्यों का माप पुस्तिका एवं प्राक्कलन के आधार पर भौतिक सत्यापन कराऐंगे ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पुस्तकालय में रखे अनुसार । जी हाँ । (ख) जानकारी परिशिष्ट-1 पुस्तकालय में रखे अनुसार । जी नहीं । (ग) यह सही नही है कि दो समान दर डलवाकर एक ही कार्य का विभाजन ठेकेदारों मे कर कार्य संपादित कराया गया । सभी कार्य खुली निविदा आमंत्रित कर नियमानुसार पर्याप्त स्पर्धा उपरांत न्यूनतम दर पर कार्य आवंटित कर कराये गये हैं, समान न्यूनतम दर प्राप्त होने पर ठेकेदारों को समान रुप से कार्य आवंटित कर कराये गये । अत: शासन का अनावश्यक व्यय नहीं हुआ है । कार्यों का क्रियान्वयन नियमानुसार किया गया है, अत: पुन: भौतिक सत्यापन किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नही होता ।

विकासखण्ड स्तरीय भवनों की जर्जर स्थिति

19. **(क्र. 298) श्री ओमकार सिंह मरकाम :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि डिण्डौरी जिले के विकासखण्ड डिण्डौरी, बजाग, समनापुर, करंजिया में खण्ड स्तरीय S.A.D.O. के आफिस हेतु उपयुक्त भवन नहीं है ? (ख) अगर हॉ, तो बतावें उपयुक्त भवन क्यों नहीं है ? कब तक उपयुक्त भवन बनाया जायेगा और अगर नहीं तो बतावें डिण्डौरी, करंजिया, बजाग, समनापुर के भवन क्यों जर्जर है ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी नहीं । विकासखंड डिंडौरी बजाग, समनापुर, एवं करजिया में एस.ए.डी.ओ. ऑफिस वर्तमान में संचालित हो रहे है । विवरण परिशिष्ट "एक" पर है । (ख) भवन उपयुक्त है जिसमें आंशिक मरम्मत की आवश्यकता है । विकासखण्ड डिंडौरी के कृषि ज्ञान केन्द्र भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । करंजिया, बजाग, समनापुर का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है । ''जानकारी संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार है ।''

परिशिष्ट- "दस"

सिवनी जिले में फसल बीमा योजना के अंतर्गत राशि के वितरण में अनियमितता

20. **(क्र. 304) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत फसल बीमा योजना में विगत तीन वर्षो में कितनी राशि किसानों को वितरित की गई है ? तहसीलवार जानकारी दें ? (ख) क्या केवलारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भावरी विकासखण्ड धनौरा में बीमा राशि कम वितरण करने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कारण है ? (ग) केवलारी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सोयाबीन की फसल का मुआवजा/ बीमा विगत तीन वर्षों से क्यों प्रदान नहीं किया गया है ? कारण स्पष्ट करें एवं कब तक किया जायेगा ? (घ) फसल बीमा योजना के लिए शासन क्या पटवारी हल्का को मूल इकाई मानकर कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन) : (क) सिवनी जिले में फसल बीमा योजना अंतर्गत विगत तीन वर्षों में वितरित की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर है । (ख) जी हॉ । कलेक्टर जिला सिवनी को शिकायत प्राप्त हुई थी । फसल बीमा योजनानुसार राजस्व विभाग द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के परिणाम के आधार पर दावों की गणना की गई है । योजनानुसार सोयाबीन फसल की बीमा इकाई पटवारी हल्का है तथा प्रत्येक पटवारी हल्के की उपज में कमी के आधार पर ही दावों की गणना कर दावा राशि का भुगतान किया गया है । (ग) योजनान्तर्गत आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय ग्वालियर द्वारा किये गये फसल कटाई प्रयोगों सें प्राप्त उपज के आंकडों के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन किया जाता है और जिस अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पाई जाती है वहां क्षतिपूर्ति देय राशि का भुगतान किया जाता है । सिवनी जिले की केवलारी व धनौरा तहसील की विगत तीन वर्षो की बीमा आवरण की जानकारी परिशिष्ट-1 पर है । (घ) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2013 मौसम में मुख्य फसलें जैसे कि धान, सिंचित/असिंचित, बाजरा, मक्का, तुअर व सोयाबीन हेतु बीमा की इकाई पटवारी हल्का है । पटवारी हल्का को ही इकाई मानकर योजना अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है ।

परिशिष्ट- "ग्यारह"

अनियमितता की शिकायत पर कार्यवाही

21. **(क्र. 308) श्री संजय पाठक :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालक के पत्र क्रमांक/जे.के/आर. के.व्ही. वाई/13-14/256 दिनांक 18/12/2013 द्वारा बरमी कम्पोस्ट खाद का घटक परिवर्तन किया गया है ? यदि नहीं तो उप संचालक कृषि जिला-कटनी द्वारा किसके आदेश के तहत अपने पत्र क्रमांक/टी.-3/13-14/3845 दिनांक 21.12.2013 द्वारा विभिन्न विकासखण्डों में 5307 बैग (50 किलो) भर्ती का प्रदाय आदेश दिया गया था ? (ख) यदि प्रश्नांश (क) बिना अनुमति के प्रदाय आदेश दिया गया है, तो क्या उपसंचालक कृषि दोषी है ? (ग) क्या यह सत्य है कि प्रदाय आदेश जितने का दिया गया है संयुक्त संचालक कृषि जबलपुर के आकस्मिक भ्रमण दि. 25.04.2014 में कम मात्रा पाई गई है जिसकी विस्तृत जॉच हेतु उप संचालक को पत्र लिखा गया ? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) हॉ, तो बिना जॉच कराये क्या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रीठी के ऊपर दिनांक 29.05.2014 को दबाव बनाकर गलत प्रतिवेदन उप संचालक कृषि द्वारा लिया गया जिसके तनाव में आने के कारण उसे ब्रेन हेम्ब्रेज (मानसिक घात) हुआ जिसकी शिकायत उसकी पत्नि द्वारा की गई ? यदि हॉ, तो बतायें कि किस अधिकारी द्वारा शिकायत की जॉच की गई है ? (ड) यदि प्रश्नांश (घ) हॉ, तो क्या जॉच हुई ? क्या संबंधित दोषी अधिकारी को निलंबित कर निष्पक्ष जांच कराई जायेगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी नहीं । संचालक के पत्र क्रमांक/जे.के./आर.के.वी.वाय./13-14/256 दिनांक 18/12/2013 के द्वारा योजना अन्तर्गत प्रावधानित अन्य स्वीकृत घटकों के अन्दर ही राशि व्यय करने की अनुमति प्रदान की थी । संलग्न परिशिष्ट-एक (ख) जी हां । (ग) जी हॉ । संयुक्त संचालक कृषि जबलपुर

के आकस्मिक भ्रमण के दौरान विकासखण्ड रीठी में प्रदाय आदेश 883 (वर्मी कम्पोस्ट खाद) बैग के विरूद्ध 300 बैग पायी गयी । जिसकी जांच के लिए उप संचालक कृषि कटनी को संयुक्त संचालक कार्यालय के पत्र क्रमांक तक-1/आदान/2014-15/ई-1572 जबलपुर दिनांक 01/05/2014 के द्वारा अन्य विकासखण्डों की जांच कराने हेतु आदेश दिये गये थे । संलग्न परिशिष्ट-2(घ) शिकायत की जांच संयुक्त संचालक कृषि जबलपुर द्वारा करायी गयी है । (ड) जांच प्रतिवेदन के परीक्षणोपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी ।

परिशिष्ट- "बारह"

मुख्यमंत्री नल-जल योजना का क्रियान्वयन

22. **(क्र. 321) श्री मेव राजकुमार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुख्यमंत्री नल-जल योजना के क्रियान्वयन संबंधी नियम क्या है ? नल-जल योजना किन ग्रामों में कितनी आबादी वाले ग्रामों में क्रियान्वित की जा सकती है ? (ख) मुख्यमंत्री नल-जल योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने ग्रामों में कितनी योजनाओं में कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है ? कितनी योजनाएं पूर्ण हो गई है ? कितनी प्रगतिरत होकर अपूर्ण है एवं कितनी योजनाओं का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ? (ग) मुख्यमंत्री नल-जल योजनान्तर्गत खरगोन जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी राशि की योजना स्वीकृत की गई है ? कितनी योजनाएं पूर्ण हुई ? कितनी प्रगतिरत होकर अपूर्ण है एवं कितनी अप्रारंभ है ? अप्रारंभ एवं अपूर्ण रहने का कारण स्पष्ट करें ? (घ) पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुये महेश्वर विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों में मुख्यमंत्री पेयजल नल-जल योजना की स्वीकृति हेतु चिन्हांकन किया गया है ? क्या उनकी कार्ययोजना तैयार कर विभाग को प्रस्तुत कर दी गई है ? यदि हॉ, तो किस स्तर पर लंबित है ? कब तक स्वीकृति प्रदाय की जावेगी ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) :(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"क" अनुसार । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ख" अनुसार । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ग" अनुसार । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"घ" अनुसार है । वर्ष 2014-15 में मुख्यमंत्री पेयजल योजना कार्यक्रम समाप्त होने के कारण विधानसभा क्षेत्र महेश्वर में किसी भी योजना का चिन्हांकन नहीं किया गया एवं न ही स्वीकृत की गई अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

पशुओं की चिकित्सा हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली औषधियॉ

23. **(क्र. 322) श्री मेव राजकुमार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पशु चिकित्सा विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने पशुओं का उपचार, बंधियाकरण, टीकाकरण, गर्भाधान का कार्य किया गया है ? जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराई जावें ? (ख) प्रश्न (क) के संदर्भ में उक्त कार्यों को करने के लिए कौन-कौन सी औषधियां, कितनी-कितनी मात्रा में कितनी राशि की उपलब्ध कराई गई ? (ग) पशुपालन विभाग द्वारा कौन-कौन सी हितग्राही मूलक एवं सार्वजनिक हित की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ? खरगोन जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने हितग्राहियों को किस-किस योजना के तहत सार्वजनिक हित की योजना में चयनित किया जाकर लाभ दिया गया है एवं कितने हितग्राहियों को सार्वजनिक हित की योजना के तहत लाभ दिया जाना प्रस्तावित है ? इन्हें कब तक लाभ दिया जावेगा ? (घ) खरगोन जिले में पशु चिकित्सालय/औषधालयवार कितने पशुओं का उपचार, बंधियाकरण, टीकाकरण, गर्भाधान का कार्य किया गया है ? उक्त कार्यो को करने के लिए कौन-कौन सी औषधियां, कितनी-कितनी मात्रा में कितनी राशि की उपलब्ध कराई गई ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार है ।

<u>ड्रीप एरिगेशन से लाभांवित कृषक</u>

24. **(क्र. 348) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या उद्यान विभाग द्वारा ड्रिप एरिगेशन हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु 70% अनुदान हेतु लाभान्वित किया गया है ? यह बतावें कि एरिगेशन सामग्री का निर्धारण बाजार मूल्य या विभाग द्वारा निर्धारित दर से किया जाता है ? यदि अनुदान दिया जाता है तो बाजार मूल्य से अंतर का कारण बताएं ? (ख) धार जिले की धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष, 2013-2014 तथा वर्ष, 2014-2015 में उक्त योजना में लाभ लेने हेतु कितने हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त होकर कितना को, लाभान्वित किया गया तथा किस दर पर ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा ड्रिप इरीगेशन के लिए भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रति हेक्टर इकाई लागत पर 55 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है । अनुदान राशि कृषक द्वारा क्रय किए जाने वाले मूल्य पर निर्भर नहीं होती है । (ख) धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड धरमपुरी एवं नालछा में अप्रैल, 2013 से दिसंबर, 2013 तक 663 आवेदन और जनवरी, 2014 से अप्रैल, 2014 तक 286 आवेदन ऑनलाईन पंजीकृत हुए । दिसंबर, 2013 तक प्राप्त ऑनलाईन पंजीयन में से लाटरी पद्धति से 93 कृषकों का चयन किया गया । वर्तमान स्थिति में चयनित हितग्राहियों में से किसी भी हितग्राही को अनुदान वितरित नहीं किया गया है ।

<u>डिप्लोमा इन आर्गेनिक फार्मिंग पुन: प्रारंभ किया जाना</u>

25. **(क्र. 352) श्री महेन्द्र हार्डिया :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ? यदि हां, तो जैविक खेती के प्रशिक्षण हेतु मध्यप्रदेश के कितने कृषि महाविद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ? (ख) क्या इन्दौर कृषि महाविद्यालय में डिप्लोमा इन आर्गेनिक फार्मिंग का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था ? क्या वर्तमान में अभी यह संचालित है ? (ग) यदि नहीं तो इसे क्यों बंद किया गया ? इसे पुन: प्रारंभ कब तक किया जावेगा ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हॉ । कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत जैविक खेती से संबंधित प्रशिक्षण ग्वालियर, सीहोर एवं इंदौर कृषि महाविद्यालयों में दिया जा रहा है । (ख) जी हॉ । वर्तमान में यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित नहीं है । (ग) कृषि विश्वविद्यालय की समन्वय परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 23.07.2014 में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि जैविक डिप्लोमा हेतु दोनों कृषि विशवविद्यालय एकरूप प्रस्ताव तैयार करें । प्रारंभ करने की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

इन्दौर में निर्भया केन्द्र प्रारंभ किया जाना

26. **(क्र. 353) श्री महेन्द्र हार्डिया :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद के लिए राज्य सरकार निर्भया केन्द्र प्रारंभ कर रही है ? यदि हां, तो यह केन्द्र इन्दौर में कहां-कहां प्रारम्भ हो चुके हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? (ख) इन्दौर शहर में निर्भया केन्द्र कब तक प्रारंभ किया जावेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हां निर्भया केन्द्र भारत सरकार की प्रस्तावित योजना है योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले में एक निर्भया केन्द्र प्रारंभ किया जाना है जिसके प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है इन्दौर जिले का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा गया है (ख) इंदौर शहर में निर्भया केन्द्र प्रारंभ करने की तिथि दिया जाना संभव नहीं है

सौर एवं पवन उर्जा हेतु भूमि आवंटन

27. **(क्र. 371) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2010 के पश्चात सौर एवं पवन उर्जा संयंत्र हेतु किन-किन कंपनियों ने कहां-कहां पर संयंत्र स्थापित करने के लिए आवेदन किए, उन में से किन-किन स्थानों पर इन्हें भूमि उपलब्ध करा दी गई है ? (ख) सौर उर्जा एवं पवन उर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कंपनियों को कौन-कौन सी अनुमतियां लेना आवश्यक है ? क्या यह सही है कि भूमि आवंटन हेतु ग्राम पंचायत की एवं अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति आवश्यक है ? यदि हां, तो भूमि आवंटित की गई कंपनियों के अनुमति दस्तावेज उपलबध करावें ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) और (ख) के संदर्भ में पवन उर्जा हेतु स्थल चयन में इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि पंखे के समीप किसी भी प्रकार का सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, रोड, मंदिर पंखे परिधि से दूर हो यदि नहीं तो क्यों ? और यदि हां, तो नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में उज्जैन संभाग में सौर एवं पवन उर्जा संयंत्र स्थापना हेतु आवेदित कम्पनियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' पर है । विकासकों को सौर ऊर्जा परियोजना निर्माण के उपयोग हेतु दी गई भूमि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' एवं पवन ऊर्जा परियोजना निर्माण के उपयोग हेतु विकासकों को दी गई भूमि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' पर है । (ख) सौर ऊर्जा एवं पवन उर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिये कम्पनियों को शासन की नीतियों के अन्तर्गत निम्न अनुमतियां लेनी आवश्यक हैं । 1. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना क्रियान्वयन की अनुमति । 2 पर्यावरण प्रदूषण के सन्दर्भ में परियोजना स्थापना एवं संचालन हेतु अनुमति । भूमि आवंटन हेतु ग्राम पंचायत एवं अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के संबंध में उपरोक्त पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' एवं ''द'' में दर्शित कंपनियों की जानकारी संकलित की जा रहीं है । (ग) जी हां । गैर वन भूमि क्षेत्रों के अन्तर्गत रिहायशी इलाके, सार्वजनिक स्थलों के पास पवन चक्कियों की स्थापना के संबंध में कोई नियम प्रतिस्पादित नहीं है ।

बहोरी बंद विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या का निराकरण

28. **(क्र. 402) श्री कुंवर सौरभ सिंह :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी जिले में विधान सभा क्षेत्र बहोरीबंद के अन्तर्गत वर्ष 2009 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्रामों में कब-कब कितनी नल जल प्रदाय योजनायें, स्थल जल प्रदाय योजनायें, मुख्यमंत्री जल प्रदाय योजना एवं अन्य मद की कितनी योजनायें स्वीकृत की गई हैं ? (ख) उपरोक्त योजनाओं में से कितनी योजनाओं में उच्च स्तरीय टंकी स्वीकृत हैं ? कितनी टंकी पूर्ण हैं ? कितनी टंकियों से जल प्रदाय चालू है ? जिनसे जल प्रदाय चालू नहीं किया गया है, उसके क्या करण हैं, तथा इनसे कब तक जल प्रदाय चालू किया जायेगा ? ग्रामवार व योजनावार जानकारी दें ? (ग) उपरोक्त उच्च स्तरीय टंकियों के प्रत्येक योजना हेतु कितने-कितने नलकूप खनित किये गये हैं ? उनमें से कितने सफल व कितने असफल हैं ? ग्रामवार जानकारी दें ? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश (क) एवं (ख) में बताये गए निर्माण जो अनुपयोगी हैं, उनके विषय में भविष्य में विभाग द्वारा क्या योजनायें प्रस्तावित हैं और उन्हें कब तक चालू करा दिया जायेगा ? (ड़) विधान सभा क्षेत्र बहोरीबंद के अन्तर्गत पठार क्षेत्र के ऐसे कितने ग्राम हैं जहां ग्रीष्म ऋतु में पेयजल परिवहन किया जाता है ? उन ग्रामों में क्या विभाग द्वारा 150 मीटर से अधिक गहराई के नलकूप खनन की कार्ययोजना बनाई जाकर ऐसे ग्रामों में पानी की समस्या को दूर किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार । (ख) 2 योजनाओं में उच्चस्तरीय टंकी स्वीकृत है । इनमें से 01 टंकी पूर्ण है तथा इससे जलप्रदाय चालू है । शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पुस्तकालय में रखे अनुसार । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पुस्तकालय में रखे अनुसार । (घ) जानकारी परिशिष्ट-2 पुस्तकालय में रखे अनुसार । (ड) ऐसे कोई ग्राम नहीं हैं । शेष प्रश्नांश उपस्थित नही होता ।

उद्यानिकी विकास, छतरपुर में स्थानांतरण/संलग्नीकरण

29. **(क्र. 412) श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या छतरपुर जिले के कार्यालय सहा.संचालक, उद्यान, छतरपुर में स्थानान्तरण की नीति वर्ष 2013-14 के तारतम्य में माह सितम्बर, 13 से 31.03.2014 तक की अवधि में कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए हैं ? (ख) क्या उक्त अवधि में उक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा संलग्नीकरण/अटैचमेन्ट पर प्रतिबंध होते हुए उद्यानिकी विभाग, छतरपुर के कर्मचारियों की सेवाएं सम्बद्ध (अटैच) की गई थी ? हॉ, तो उक्तावधि में प्रसारित संलग्नीकरण/अटैचमैन्ट कर्मचारियों की सूची देवे ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लिखित आदेश जारी करने से पूर्व कलेक्टर/प्रभारी मंत्री/ विभागाध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त किया गया है ? हॉ, तो अनुमोदन की आदेश पत्रिका की प्रतियॉ अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें ? यदि नहीं तो स्पष्ट करें कि उक्त स्थानान्तरण/अटैचमेन्ट आदेश उक्त स्थानांतरण नीति के प्रतिकूल है ? (घ) यदि हॉ, तो शासन प्रतिकूल उक्त स्थानान्तरण/अटैचमेन्ट आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर शासन नीति/निर्देशों का उल्लंघन करने वाले उक्त प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दंडित करेगा ? हॉ, तो कब तक ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (घ) जी नहीं, कार्यहित में रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिसकी जानकारी परिशिष्ट-एक अनुसार है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं ।

परिशिष्ट- "तेरह"

छतरपुर में माईक्रोएरीगेशन योजनान्तर्गत अपात्रों को सामग्री का प्रदाय

30. **(क्र. 413) श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले में उद्यानिकी विभाग में वित्तीय वर्ष, 2011-12 में माईक्रोएरीगेशन योजनांतर्गत फर्जी हस्ताक्षर कर सामग्री अपात्रों को प्रदाय करने के संबंध में प्राप्त शिकायत-पत्र की जॉच कर, जॉच प्रतिवेदन कलेक्टर, छतरपुर के पत्र क्र. 1763/जि.पं./शिका. उद्यानिकी/2013 दिनॉक 10.04.2013 द्वारा संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल को प्रेषित किया गया था ? हॉ, तो उक्त पत्र की सत्य प्रतिलिपि अवलोकनार्थ प्रस्तुत करते हुए शिकायतकर्त्ता कृषकों के नाम तथा पते सहित जानकारी दें ? (ख) क्या यह सही है कि उक्त जॉच प्रतिवेदन में संबंधित फर्म/मेसर्स को ब्लेक लिस्टेड किया जाकर संबंधित फर्म के विरूद्ध अवैधानिक कार्यवाही की जाना तथा त्रुटिपूर्ण सत्यापनकर्ताओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया था ? हॉ, तो संबंधित फर्म/मेसर्स का नाम व पूरा पता एवं सत्यापनकर्त्ताओं के नाम, पदनाम उल्लेखित कर स्पष्ट करें कि उक्त प्रतिवेदन पर माह नवम्बर/दिसम्बर, 2013 तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या यह भी सही है कि उक्त फर्म को ब्लेक लिस्टेड न कर माह दिसम्बर, 2013 में पारितोषिक के रूप में चैक द्वारा राशि भुगतान की गई है ? हॉ, तो आहरणकर्त्ता अधि. का नाम/पदनाम, चैक क्रमांक दिनॉक व राशि का उल्लेख कर स्पष्ट करें कि उक्त राशि का भुगतान उचित है या अनुचित ? (घ) यदि अनुचित है, तो शासन त्रुटिपूर्ण सत्यापनकर्त्ताओं एवं अनुचित राशि भुगतान करने वाले उक्त अधिकारी/कर्म. के विरूद्ध अनुशासनात्मक व फर्म के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगा ? हॉतो कब तक ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी परिशिष्ट-क अनुसार है । (ख) जी हां । मे. बालाजी इन्टर प्राइजेज बजरंग नगर, पन्ना रोड़, छतरपुर । श्री धुरवकुमार निगम एवं श्री श्रीचन्द्र राजपूत, तत्कालीन ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी ने सत्यापन किया । फार्म के विरूद्ध दिसम्बर, 2013 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई । (ग) एवं (घ) फर्म को पंजाब नेशनल बैंक, छतरपुर के चेक क्रमांक 114596 दिनांक 26.12.2013 से अनुदान राशि रू. 9,68,918 (नौ लाख अड़सठ हजार नौ सौ अठारह) जारी की गई । फर्म को दिनांक 01.12.2014 को ब्लेकलिस्ट करने के लिए कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर दिया गया है । फर्म को किए गए भुगतान की जांच करने और फर्म के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने के लिए जिम्मेदारी नियत कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश आयुक्त, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को दिए गए हैं । सत्यापन करने वाले अधिकारी श्री धुरवकुमार निगम एवं श्री श्रीचन्द्र राजपूत, तत्कालीन ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के विरूद्ध दिनांक 20.11.2013 को विभागीय जांच संस्थित की गई है ।

परिशिष्ट- "चौदह"

आर्थिक अनुदान में अनियमितता

31. **(क्र. 424) श्री दिव्यराज सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि रीवा जिला अन्तर्गत जवा तहसील में ग्राम कसियारी, मनिपुर, हरदहन, महराज पुर्वा मौहरिया, चौबेनपुर्वा, वरौहा के कृषकों को मुआवजा भुगतान में तहसीलदार, आर.आई., पटवारी की मिली भगत से कृषकों को पक्षपातपूर्ण अनियमितता कर लाभान्वित किया गया है ? क्या इसकी जाचं करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? समय सीमा बातावें ? (ख) प्रश्न (क) के ही संदर्भ में - उपरोक्त ग्रामों में प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसानी एक ही नम्बर का एक ही कृषक को कई बार भुगतान देना क्या नियम विरूद्ध नहीं है ? यदि हां, तो इस प्रकार कृत्य करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? समय सीमा बतावें ? (ग) प्रश्न (क) के ही संदर्भ में - उपरोक्त ग्रामों में प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसानी मुआवजा वितरण पक्षपात पूर्ण होने के कारण नुकसानी क्षतिपूर्ण से वंचित कृषकों को क्या मुआवजा भुगतान कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? समय सीमा बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क)जी नहीं । शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता । (ख) एवं(ग) प्रश्नांश "क" की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

शिवपुरी जिले में बाल न्यायालय का संचालन

32. **(क्र. 433) श्री के.पी. सिंह :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शिवपुरी जिले में बाल न्यायालय संचालित किया जा रहा है ? यदि हां, तो कहां पर संचालित किया जा रहा है ? उक्त न्यायालय में कितने प्रकरण लंबित हैं ? क्या लंबित प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बाल न्यायालय को नियमित किए जाने की कोई योजना है ? नियमित रूप से कब तक संचालित किया जावेगा ? (ख) क्या शिवपुरी जिले में बाल न्यायालय के लिए नवीन भवन का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि का बजट प्रावधान कराया गया है ? भवन निर्माण की प्रक्रिया किस स्टेज पर है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हां, शिवपुरी जिले में बाल न्यायालय (किशोर न्याय बोर्ड) का संचालन अशासकीय भवन में पुलिस अधीक्षक निवास के पीछे हाथीखाना शिवपुरी में किया जा रहा है उक्त न्यायालय में 225 प्रकरण लंबित है, लंबित प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बाल न्यायालय को नियमित किये जाने के संबंध में किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 14 की उपधारा 2 में लिखित है कि "मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट प्रत्येक 6 मास पर बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करेगा और बोर्ड को अपनी बैठको की आवृत्ति बढ़ाने का निर्देश देगा या अतिरिक्त बोर्डो का गठन करा सकेगा", वर्तमान में शिवपुरी जिले में बाल न्यायालय में मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार को प्रकरणों की सुनवाई होती है (ख) जी नहीं.

बाल कल्याण समिति एवं बाल न्यायालय के सदस्यों को मानदेय

33. **(क्र. 434) श्री के.पी. सिंह :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मध्यप्रदेश में सभी जिलों में बाल कल्याण समिति और बाल न्यायालय के लिए सदस्यों का गठन कर दिया गया है ? (ख) वर्तमान में उक्त दोनों समितियों के सदस्यों को कितना मानदेय दिया जाता है ? क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार में इन सदस्यों का मानदेय 1 अप्रैल 2014 से 1000/- रूपये प्रति बैठक के हिसाब से करने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं ? (ग) क्या प्रदेश में भी उक्त समितियों के सदस्यों का मानदेय बढ़ाया जा चुका है ? यदि हां, तो किस दिनांक से बढ़ाया गया है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हां, 10 जिलो में बाल कल्याण समिति एवं 11 जिलो में किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है । (ख) विभागीय आदेश क्र. 1664/894/2014/50-2 दिनांक 12/09/2014 द्वारा वर्तमान में उक्त दोनों समितियों के सदस्यों को राशि रूपये 1000/- प्रति बैठक दिए जाने की स्वीकृति दी गई है ।(ग)जी हां, 1 अक्टूबर 2014 ।

निलंबित किए गए कर्मचारियों का नवीन पदाकंन

34. **(क्र. 442) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में विगत 03 वर्ष में किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित किया गया इनके निलंबन के क्या कारण थे ? इनकी पदस्थापना कहां एवं किस विकासखण्ड में थी ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार निलंबन के पश्चात कर्मचारियों की पदस्थापना कहॉ एवं किस विकासखण्ड में की गई ? (ग) क्या निलंबन कर्मचारियों की पदस्थापना उनके गृह नगर से 30 कि.मी. की परिधि में अथवा गृह विकासखण्ड में की गई ? यदि हां, तो इनकी पदस्थापना के लिए यही स्थान चुनने के क्या ठोस कारण थे ? (घ) क्या स्थानातंरण पर प्रतिबंध के कारण बिना किसी ठोस कारण के निलंबित कर पसंद की जगह पर पदस्थापना करने वाले प्रकरणों की जॉच करवाई जा सकती है ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन) : (क) छतरपुर जिले में विगत तीन वर्षों में 15 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है । इनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-"एक" पर है । (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित परिशिष्ट "एक" अनुसार पदस्थ किये गये । (ग) जी हाँ। संलग्न परिशिष्ट "एक" अनुसार क्र. 7 अंकित श्री एन.डी. खटीक की पदस्थापना गृह नगर में की गई थी । संज्ञान में आने पर पदस्थापना संशोधित कर उप संचालक छतरपुर के कार्यालय में रिक्त पद पर कर दी गई है । (घ) संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को शासकीय कार्य में लापरवाही, मुख्यालय पर निवास न करने एवं अन्य अनियमितताओं के कारण निलंबित किया गया था एवं निलंबन के पश्चात जिले में रिक्त पदों के विरूद्ध संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की पदस्थापना की गई है । अत: पसंद की जगह पदस्थ करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिशिष्ट- "पंद्रह"

अनुदान प्राप्त योजनाएं

35. **(क्र. 443) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में विगत 3 वर्ष में विभाग द्वारा 50 प्रतिशत् या उससे अधिक अनुदान प्राप्त योजनाओं में बीज, खाद, दवाईयॉ एवं अन्य उपकरण किस संस्था, कम्पनी एवं सप्लायर्स से कितनी राशि में कब-कब क्रय कर किसानों को वितरित किए गए ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार सामग्री किसानों को किस अधिकारी के माध्यम से वितरित की गई ? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रदाय की गई सामग्री के देयकों का सत्यापन किन-किन अधिकारियों के द्वारा किया गया ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) छतरपुर जिले में विगत 3 वर्षो मे विभाग में संचालित योजनाओ के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुदान प्राप्त घटको के भौतिक लक्ष्यो की पूर्ति शासकीय संस्थाओं जैसे- म.प्र. राज्य बीज निगम, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, एम.पी.एग्रो एवं बीज संघ से कृषि आदान सामग्री जैसे बीज,खाद,दवाईयां एवं अन्य उपकरण भण्डारित कराकर कृषको को उपलब्ध कराये जाते हैं। कृषक अपने हिस्से की राशि सम्बन्धित संस्था मे जमा करके कृषि आदान सामग्री प्राप्त करता है। विभाग द्वारा विगत तीन वर्षो में कम्पनी एवं सप्लायर्स से कोई कृषि आदान सामग्री क्रय नही की गई है। वर्षवार म.प्र. राज्य बीज निगम, बीज संघ, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ एवं एम.पी.एग्रो. के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराई गई सामग्री का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	वर्ष	बीज		खाद		दवाईयां		उपकरण	
		मात्रा क्वि.	कीमत लाख रू.	मात्रा क्वि.	कीमत लाख रू.	मात्रा क्वि.	कीमत लाख रू.	संख्या	कीमत लाख रू.
1	2011-12	17246.40	419.33	9.00	0.085	10700	48.57	3190	729.94
2	2012-13	22042.15	527.43	70.00	1.09	40536	155.33	2489	559.85
3	2013-14	17488.04	495.92	100.00	1.48	46259	162.30	6438	1416.74
	योग	56776.59	1442.69	179.00	2.65	97495	366.22	12117	2706.54

विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ए में संलग्न है । (ख) किसानो को सामग्री का वितरण क्षेत्र के सम्बन्धित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से वितरित की गई । (ग) प्रदाय की गई सामग्री के देयको का सत्यापन संबंधित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियो के द्वारा किया गया।''जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है ।''

<u>स्थाई जाति प्रमाण पत्र बनाने कार्य समय सीमा में किया जाना</u>

36. **(क्र. 485) श्री ठाकुरदास नागवंशी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिपरिया में प्रश्न दिनांक तक लगभग 06 हजार स्थाई जाति प्रमाण पत्र लंबित है ? (ख) यदि हां, तो लोक सेवा प्रदाय गारन्टी केन्द्र द्वारा इस वित्तीय वर्ष (वर्तमान) में किस-किस दिनांक को प्रकरण भेजे गये ? इन प्रकरणों में किस-किस दिनांक को निराकरण किया गया ? (ग) ऐसे कितने प्रकरण हैं, जो विगत 3 माह से अधिक समय अवधि के हैं ? (घ) ऐसे कितने प्रकरण हैं, जो छात्रवृत्ति से सम्बन्धित हैं ? लंबित हैं ? (ड़) स्थाई जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु शासन द्वारा क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ? निर्धारित समय सीमा में प्रमाण पत्र जारी न होने के लिये कौन उत्तरदायी है ? तथा शासन द्वारा जारी गाईड लाईन एवं दिशा निर्देश की प्रति देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं । (ख) , (ग) एवं (घ) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ड़) जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में जारी निर्देश दिनांक 13 जनवरी 2014 की कंडिका 2 में जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की निर्धारित समय-सीमा 30 कार्य दिवस एवं कंडिका 8.6 में यदि जाति का सत्यापन अन्य जिले अथवा अन्य राज्य से कराया जाता है तो एक माह की अतिरिक्त समय-सीमा अर्थात दो माह की समय-सीमा के अंदर जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के निर्देश है । विशेष अभियान के तहत बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे है । अतः इस अभियान के अंतर्गत उक्त निर्धारित समय-सीमा को शिथिल किया गया है । (परिपत्र दिनांक 24.11.2014 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "II" पर है ।) जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध जारी परिपत्र दिनांक 13 जनवरी 2014 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - "I" पर है ।

मुआवजा निर्धारण व वितरण में अनियमितता

37. **(क्र. 512) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ओलावृष्टि,पाला,तुषार व अतिवृष्टि से प्रदेश में वर्ष 2013 में खरीफ व वर्ष 2014 में रबी की फसलों की बर्बादी व क्षति के मामले में शासन ने कृषकों को राहत व मुआवजा दिये जाने हेतु क्या नीति व मापदण्ड तय किये गये थे और इस कार्य हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया था ? इस संबंध में क्या-क्या घोषणायें व दिशा-निर्देश दिये गये थे उनका सम्पूर्ण विवरण दें ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में सिवनी जिले में सिवनी विधान सभा क्षेत्र में खरीफ व रबी की फसलों के मुआवजा वितरण में शासन की किस नीति नियम व निर्देशों का पालन नहीं किया गया हैं क्यों ? (ग) सिवनी जिले में सर्वाधिक फसलों की हानि सिवनी विधानसभा क्षेत्र में होने के बावजूद अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अत्यंत कम मुआवजा कृषकों को दिये जाने के क्या कारण हैं ? सर्वे में गड़बड़ी व मुआवजा वितरण में असमानता के लिये कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी दोषी हैं ? सर्वे से वंचित रहे पीड़ित कृषकों हेतु विभाग की क्या योजना हैं ? (घ) मुआवजा वितरण में असमानता, लापरवाही पूर्ण सर्वे कर किसानों को वंचित करने आदि के मामले में क्या शासन कोई उच्चस्तरीय जॉच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो समय-सीमा बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

ओलावृष्टि का मुआवजा भुगतान

38. **(क्र. 527) श्री मधु भगत :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बालाघाट जिले के बालाघाट, किरनापुर एवं परसवाड़ा तहसील में जनवरी, 2014 से मार्च-अप्रैल, 2014 के दौरान ओलावृष्टि/ असामयिक वर्षा से हुई फसल क्षति के लिये सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों का सर्वे किया गया है ? (ख) उक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कितने कृषकों की, कितने रकबा की कौन-कौन सी फसल थी ? कितनी-कितनी मुआवजा राशि स्वीकृत की गई ? (ग) प्रश्नाधीन वर्णित प्रभावित किसानों को कितनी राशि जारी की गई, तथा ऐसे कितने किसान हैं, जिन्हें प्रश्न दिनांक तक राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है ? (घ) क्या यह सही है कि फसल का सर्वे करने के लिये संबंधित विभाग के कर्मचारियों द्वारा सर्वे के नाम पर किसानों से पैसा वसूला गया है ? इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं हैं और किन-किन कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही हुई है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । बालाघाट जिले की बालाघाट किरनापुर तहसील में जनवरी,2014 से मार्च 2014 के दौरान ओलावृष्टि/असामयिक वर्षा से हुई फसल क्षति के लिये सर्वे कराया गया था । तहसील परसवाड़ा में ओलावृष्टि/असामयिक वर्षा से फसल क्षति नहीं होने से सर्वे नहीं कराया गया । जिले की तहसील बालाघाट अंतर्गत ग्राम-खुटिया, कटंगी, नवेगांव, नैतरा, बोरी एवं परसवाड़ा, में ओलावृष्टि से फसल क्षतिग्रस्त होना पाया गया एवं तहसील किरनापुर अन्तर्गत ग्राम खारा, बटरमारा, मंगोलीखुर्द, मोहगांवकला, चिखला, पिपरडारी, बम्हनी एवं सिहोरा का सर्वे कराया गया था । (ख) सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जिले की बालाघाट तहसील के ग्रामों की जानकारी परिशिष्ट "अ" अनुसार है । तहसील में अलसी, लखोडी, गेंहू, चना, भटा, टमाटर आदि की फसल क्षतिग्रस्त होना पाई गई । किरनापुर तहसील के वर्णित ग्रामों में 20 प्रतिशत तक की फसल क्षति का आंकलन किया गया । राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान अनुसार 25 प्रतिशत से कम क्षति होने पर सहायता राशि देने की पात्रता नहीं आती । परसवाड़ा तहसील में

ओलावृष्टि/असामयिक वर्षा से फसल क्षति नहीं हुई । (ग) जानकारी परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है । ऐसा कोई किसान शेष नहीं है, जिन्हें उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान नहीं किया गया है । (घ) जी नहीं । शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता ।

परिशिष्ट- "सोलह"

<u>दतिया जिले में नवीन हैण्डपम्प की स्वीकृति</u>

39. **(क्र. 530) श्री प्रदीप अग्रवाल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दतिया जिले में वर्ष 2012 से 2014 तक शासन द्वारा कितने नवीन हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं, इनमें विकासखण्डवार कितने-कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाकर खनन कर दिये गये हैं, एवं उनमें कितने वर्तमान में चालू हैं एवं कितने बंद है, बंद पड़े हैण्डपंपों को चालू रखने की क्या कार्य योजना है ? (ख) शासन द्वारा स्वीकृत किये गये हैण्डपम्प/नल जल योजना के स्वीकृति की क्या प्रक्रिया है ? शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यो की निविदा हेतु स्थानीय/संभागीय/राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में किस प्रक्रिया के तहत विज्ञप्ति जारी की जाती है ? (ग) शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार हैण्डपंप खनन के पश्चात् किस मानक स्तर का तथा किस मानक कंपनी का पाईप प्रयोग में लाया जाता है ? क्या शासन द्वारा निर्धारित मानक स्तर के पाइप एवं कंपनी का प्रयोग जिले में किया जा रहा है, यदि हॉ, तो कृपया मानक स्तर का नाम एवं कम्पनी का नाम अवगत कराया जावे और यदि नहीं तो दोषी जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 490 । शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"1" अनुसार । सभी हैण्डपंप चालू हैं, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) ऐसी बसाहटें जिनमें पेयजल व्यवस्था 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन से कम हो, में हैण्डपंप खनन कार्य किये जाते हैं । शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"2 व 3" अनुसार । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-4 अनुसार । जी हाँ । जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-4 अनुसार । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

<u>रतलाम जिले की आंगनवाडियों में पोषण आहार वितरण</u>

40. **(क्र. 564) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रतलाम जिले में आंगनवाड़ियों में पोषण आहार बनाने व सप्लाई करने हेतु क्या नीति अपनाई है ? (ख) स्व. सहायता समूह को छोड़कर अन्य किस-किस आपूर्तिकर्त्ता को पिछले तीन वर्षो में किस-किस दर पर उक्त कार्य, किस नीति के तहत दिया गया, तथा कितना-कितना भुगतान उन्हें किया गया ? वर्षवार ब्यौरा क्या है ? (ग) किस-किस सप्लायर के विरूद्ध पिछले तीन वर्षों में कितनी व कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुईं ? शिकायतों की जांच रिपोर्ट व कार्यवाही का ब्यौरा दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) रतलाम जिले में आंगनवाड़ियो में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन एवं मंगल दिवस के दिन गर्भवती/धात्री एवं किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार का प्रदाय ग्रामीण क्षेत्रों में सांझा चूल्हा कार्यक्रम तहत् मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्व सहायता समूहों के माध्यम से तथा इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों की आंगनबाड़ी केन्द्रो में स्थानीय स्व-सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है ।06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था एम.पी.एग्रो के माध्यम से की जाती है । (ख) एम.पी.एग्रो के अतिरिक्त जिले में स्व. सहायता समूह के

अलावा किसी भी आपूर्तिकर्ता को पिछले तीन वर्षो में कार्य नहीं दिया गया है । (ग) कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने से जानकारी निरंक है ।शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नकली सोयाबीन बीज की सप्लाई

41. **(क्र. 565) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि रतलाम जिले में एवं विशेषकर आलोट विधानसभा क्षेत्र में सोयाबीन बीज के नकली होने के कारण किसानों ने दो अथवा तीन बार बोवनी की ? क्या शासन ने इसका संज्ञान लिया है ? (ख) कितने किसानों को उक्त खराब बीज के कारण डबल या तिबल बोवनी करना पड़ी, तहसीलवार ब्यौरा क्या है ? (ग) पीड़ित किसानों की भरपाई के लिए शासन ने क्या कार्यवाही की ? नहीं, तो क्यों नहीं ? (घ) जिले में कितने खराब व नकली बीज सप्लायरों पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) रतलाम जिले एवं आलोट विधान सभा क्षेत्र में सोयाबीन बीज के नकली होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । शेष प्रश्न ही नहीं उठता । (ख) उत्तरांश (क) के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता । (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता । (घ) खराब व नकली बीज का कोई भी प्रकरण संसूचित नहीं है । अत: कार्यवाही का प्रश्न नहीं ।

व्यापक स्तर पर अनुसूचित जनजातियों की भूमि का क्रय-विक्रय

42. **(क्र. 593) श्रीमती प्रमिला सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लक्ष्मी स्वामी पिता भोजन स्वामी निवासी गौतम नगर भोपाल द्वारा तहसील गोहपारू जिला शहडोल में अनुसूचित जनजातियों की भूमि व शासकीय पट्टे की कृषि भूमियों को व्यापक स्तर पर क्रय की जा रही है ? (ख) यदि हॉ, तो क्या यहाँमध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) एवं 165(7) के उपबंध तथा कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के नियम लागू नहीं होते ? (ग) उक्त (क) एवं (ख) के संबंध में दोषी कौन है ? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा इस संबंध में कलेक्टर शहडोल को अवगत कराया गया था तथा कलेक्टर शहडोल के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) अनुसूचित जनजातियों की भूमि क्रय की गई है । शासकीय पट्टे की भूमि नहीं खरीदी गई है । (ख) क्रेता लक्ष्मी स्वामी स्वयं अ.ज.जा. वर्ग से है । अतः म0प्र0भू-राजस्व संहिता के किसी प्रावधान/उपबन्धों का उल्लंघन नही हुआ है । कृषि जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में जांच कराई जा रहीं है । (ग) तहसीलदार गोहपारू द्वारा की जा रही जांच में, दोषी पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही संभव हो सकेगी । (घ) जी हां । जांच कराई जा रही है । वस्तुस्थिति से प्रश्नकर्ता महोदया को दिनांक 20.11.2014 को कलेक्टर द्वारा अवगत कराया गया है ।

शासकीय भूमि का दुरूपयोग

43. **(क्र. 631) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवगठित आगर जिले में कुल कितनी शासकीय भूमि हैं ? इनमें से कितनी भूमि अतिक्रमण मुक्त होकर उपलब्ध है एवं कितनी

भूमि अतिक्रमण युक्त हैं ? (ख) क्या शासन शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाने जा रहा हैं ? (ग) विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अनुचित पट्टा वितरण एवं त्रुटिपूर्ण सीमांकन के कितने प्रकरण संज्ञान में हैं ? कृपया विवरणात्मक जानकारी देवें ? क्षेत्र में शिकायत के आधार पर अनुचित पट्टा वितरण की कोई जांच प्रचलन में है ? यदि हां,तो जांच किस स्तर पर पहुँची हैं ? (घ) क्षेत्रान्तर्गत सीमांकन के ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें बिना क्षेत्र प्रतिवेदन (फिल्ड बुक) के सीमांकन किया गया है ? क्या ऐसे सीमांकन दोषपूर्ण हैं ? यदि हां, तो दोषी शासकीय सेवकों पर क्या कार्यवाही की जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) कुल 76115 है0 शासकीय भूमि है । कुल 74079 हैक्टर भूमि अतिक्रमण से मुक्त है तथा 2046 है0 भूमि अतिक्रमण युक्त है । (ख) म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 में प्रभावी प्रावधान हैं । अतः शासन स्तर से ऐसे कदम की आवश्यकता नहीं है । (ग) जानकारी निरंक है । (घ) जानकारी निरंक है । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

विकासखण्ड ब्यावरा में सब डिवीज़न कार्यालय की स्वीकृति

44. **(क्र. 646) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि राजगढ़ जिले के विकासखण्ड ब्यावरा में विगत 30 वर्षों से अस्थायी राजस्व अनुविभाग कार्यरत है, तथा न ही अलग से कोई अमला स्वीकृत है ? (ख) यदि हां, तो क्या स्थाई राजस्व अनुविभाग नहीं होने से अन्य विभागों से कर्मचारियों का संलग्नीकरण कर शासकीय कार्य सम्पन्न कराये जा रहे हैं ? (ग) यदि हां, तो क्या शासन विकासखण्ड ब्यावरा में स्थाई राजस्व अनुविभाग कार्यालय घोषित कर कार्यालय भवन की स्वीकृति तथा पृथक से अमला स्वीकृत कर पदस्थ करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क)जी हां । पृथक से कोई अमला स्वीकृत नहीं है । (ख) जी हां । (ग) निश्चित समय अवधि दी जाना संभव नहीं है ।

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण

45. **(क्र. 654) डॉ. योगेन्द्र निर्मल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के वारासिवनी तहसील की ग्राम पंचायत मेंहदीवाड़ा के पटवारी हल्का नं. 33 के खसरा क्रमांक 617/28 रकबा 0.398 तथा खसरा क्रमांक 50/1, 589/1, 289/1 उक्त खसरा क्रमांक में कितना-कितना रकबा दर्ज है, तथा उक्त भूमि राजस्व-अभिलेख में किस मद में दर्ज है ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित भूमि के खसरे पर कितने-कितने भू-भाग में किस-किस के द्वारा कब से अतिक्रमण किया गया है ? अतिक्रमण भूमि के खसरा व रकबा एवं अतिक्रमणधारियों के नाम, पते सहित पूर्ण जानकारी दें ? (ग) क्या उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु ग्राम पंचायत मेंहदीवाड़ा के सरपंच द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने का अधिकार है ? यदि हां तो सरपंच द्वारा कितनी बार कब-कब नोटिस दिया गया ? (घ) क्या उक्त अतिक्रमित भूमि के अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा कलेक्टर बालाघाट व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी वारासिवनी को कब-कब कार्यालयीन पत्र के माध्यम से शिकायत पत्र प्रेषित किया गया ? यदि हॉ तो उक्त पत्र के आधार पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? कब तक उक्त भूमि से अतिक्रमण हटवा दिया जावेगा । निश्चित समय सीमा बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जानकारी निम्नवत हैः- खसरा नंबर रकबा मद 617/28 0.398 म0प्र0शासन चरनोई 50/1 एवं 589/1 2.736 म0प्र0शासन सडक 289/1 0.218 म0प्र0शासन सडक (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ख" अनुसार । (ग) जी हां । दिनांक 5.10.2013, दिनांक 23.12.2013 एवं 11.01..2014 (घ) सरपंच ग्राम पंचायत मेंहदीवाडा द्वारा दिनांक 11.2.2014 का अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस बल की सहायता दिलायी जाने बावत पत्र तहसीलदार बारासिवनी के कार्यालय में दिनांक 11.2.2014 को प्रस्तुत किया गया । उक्त पत्र के संदर्भ में अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर , बेदखली आदेश पारित किये गये । फलस्वरूप 10 अतिक्रमणकर्ताओं में से 04 अतिक्रमणकर्ताओं ने अपना कब्जा हटा लिया है । कुल 05 अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बारासिवनी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो दिनांक 22.11.2014 को निरस्त की जा चुकी है । सरपंच ग्राम पंचायत मेंहदीवाडा के द्वारा दिनांक 22.11.2014 को अनुविभागीय अधिकारी बारासिवनी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा अतिक्रमणकर्ताओं के पक्ष में स्थगन आदेश न दिये जाने के संबंध में लिखा गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सभी अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अपीले दिनांक 22.11.2014 को निरस्त की जा चुकी हैं । अतिक्रमणकर्ता मोहम्मद इकबाल वल्द मो0 रफा निवासी मेंहदीवाडा के द्वारा म.प्र.राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22.11.2014 के क्रियान्वयन को संभाग आयुक्त के यहां पेश अपील के निराकरण तक स्थगित रखने का अनुरोध किया है । अतिक्रमणकर्ता रफीक उर्फ बापू वल्द ताजमोहम्मद के अतिक्रमण के संबंध में व्यवहारवाद क्रमांक-165अ/2014 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2014 में स्थगन आदेश दिया गया है । न्यायालयीन प्रक्रियान्तर्गत होने से अतिक्रमण हटाने हेतु निश्चित समयसीमा बताना संभव नहीं है ।

शासकीय कृषि प्रक्षेत्र सतराढी के कृषि प्रक्षेत्र की मुरम की अवैध खुदाई

46. **(क्र. 657) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कसरावद के यहां शासकीय कृषि प्रक्षेत्र सतराढ़ी के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 7.2.2014 को आदेश पारित किया गया ? (ख) यदि हां, तो क्या ये भी सही है कि उक्त प्रकरण में प्रायवेट कम्पनी के साथ-साथ तत्कालीन संयुक्त संचालक कृषि इंदौर के विरूद्ध पद की गरिमा के विपरीत पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हुए प्रायवेट कंपनी को लाभ पहुँचाने के लिये नियम विरूद्ध कार्यवाही की गई है ? क्या ऐसा निर्ण में उल्लेख है ? (ग) यदि यह सही है, तो क्या करोड़ों का शासन को नुकसान पहुँचाने वाले अधिकारी के विरूद्ध कोई आपराधिक/ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) एवं (ख) जी हां । (ग) अवैध उत्खनन के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध राशि रू0 26,69,355/- की वसूली, दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है ।

शारदा दाल मिल की अनुज्ञप्ति निरस्त कर राशि की वसूली

47. **(क्र. 684) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दि. 16.7.14 में मुद्रित प्रश्न क्रं. 1759 के प्रश्नांश (ग) का उत्तर फर्म शारदा दाल मिल के द्वारा प्रदेश के बाहर से आयातीत दलहन का मंडी फीस का भुगतान किये बगैर आयातित दलहन/ प्रसंस्करण किये जाने पर कृषि उपज मंडी कटनी द्वारा म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 19(4) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए पांच गुना

मण्डी फीस रूपये 31,37,499 रू. तथा निराश्रित शुल्क 62750 को ब्याज सहित जमा करने हेतु सूचना 28.6.14 से सूचना-पत्र जारी किया गया, जिसमें कार्यवाही प्रचलित है, दिया गया है, तथा प्रश्नांश (घ) का उत्तर प्रकरण में जांच संस्थित कर दी गई है ? जांच में पाई गई स्थिति पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी, दिया गया है ? हाँ,तो इतनी बड़ी राशि के बकाया रहते फर्म की अनुज्ञप्ति निरस्त कर बकाया राशि की वसूली हेतु आर.आर.सी. अभी तक क्यों जारी नहीं की गई, अब तक कौन दोषी है ? (ख) प्रश्नांश (क) से (घ) उत्तर के अनुसार कराई गई जांच में जांचकर्त्ता ने फर्म पर राज्य के बाहर से आयातित शहर पर मण्डी शुल्क मात्र 10 क्विंटल पर ही पांच गुना लिया जाना प्रतिवेदन किया गया है, शेष पर क्यों नहीं ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हॉ । मण्डी समिति कटनी के आदेश दिनांक 13.09.2014 से इस फर्म का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।प्रश्नागत प्रकरण में प्रथमदृष्टया दोषी पाये अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट "अ" में है । (ख) प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन दिनांक 01.09.2014 में राज्य शासन द्वारा स्थानीय दाल मिलों के प्रसंस्करण हेतु आयातित दलहन पर अधिसूचना की जिन शर्तो के अध्याधीन रहते हुए मंडी फीस छूट प्रदान की गई है, उसका संज्ञान जांच अधिकारी द्वारा नहीं लेने से प्रश्नाधीन स्थिति उत्पन्न हुई है, यद्यपि मंडी समिति कटनी द्वारा फर्म शारदा दालमिल पर वर्ष 2012-13 में आयातित 7410 क्विंटल दलहन पर पॉच गुना मंडी फीस प्रश्नांश (क) अनुसार अधिरोपित की गई है । उक्त जांच में पूर्ण सावधानी नहीं बरतने के लिये जांचकर्ता अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

परिशिष्ट- "सत्रह"

<u>**फर्म शारदा दाल मिल पुरैना कटनी के प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही**</u>

48. **(क्र. 685) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मण्डी समिति कटनी के अंतर्गत फर्म मेसर्स शारदा, दाल मिल पुरैना कटनी फर्म बाल मुकुन्द बद्री प्रसाद तथा शारदा फूड प्रोजेक्ट ने किस वर्ष में अनुज्ञप्ति प्राप्त की, तथा उसमें कौन-कौन भागीदार थे नाम पता सहित विवरण दें ? (ख) प्रश्नांश (क) की फर्म मेसर्स शारदा दाल मिल पर प्रदेश से बाहर आयातित दलहन पर कितना मण्डी शुल्क निराश्रित शुल्क एवं ब्याज पर कुल कितनी राशि अधिरोपित की गई है ? बतायें क्या अधिरोपित राशि बकाया रहते क्या अनुज्ञप्ति जारी रह सकती है यदि नहीं, तो उक्त फर्म की अनुज्ञप्ति क्यों नहीं निरस्त की गई ? (ग) प्रश्नांश (ख) की फर्म के भागीदार क्या फर्म बाल मुकुन्द बद्रीप्रसाद में भी भागीदार है यदि हां तो फर्म बालमुकुन्द बद्रीप्रसाद का क्रय विक्रय क्यों प्रतिबंधित नहीं किया गया है ? जबकि मंडी सचिव एवं लाईसेंस निर्वाही लिपिक को इस बात की जानकारी है ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क)जानकारी परिशिष्ट -"अ" पर है । (ख) फर्म शारदा दाल मिल पर प्रदेश के बाहर से आयातित दलहन पर मंडी फीस रूपये 31,37,499/- निराश्रित शुल्क रूपये 62,750/- एवं रूपये 11,40,057/- ब्याज सहित कुल राशि रूपयें 43,40,306/- दिनांक 28.06.2014 को कृषि उपज मंडी समिति कटनी के द्वारा अधिरोपित की गई है ।जी नही, मंडी समिति कटनी के आदेश दिनांक 13.09.2014 से प्रश्नागत फर्म का क्रय-विक्रय को प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (ग) जी नही, अत: शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता है ।

परिशिष्ट- "अठारह"

ग्राम हथाई खेड़ा तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर के नरेश यादव के संबंध में

49. **(क्र. 692) श्रीमती इमरती देवी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता का तारांकित प्रश्न क्र. 3728 दिनांक 28-07-2014 के उत्तर में बताया गया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, उत्तर हेतु पुन: प्रश्न प्रेषित है :- (क) ग्राम हथाईखेड़ा, तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर के नरेश यादव के विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर ने सर्वे क्रं. 259/1 तथा 361 की भूमि के पट्टे का फर्जी रजिस्ट्री कराना प्रमाणित पाया गया है, तो इस पर एफ.आई.आर दर्ज कराकर 420 का प्रकरण पुलिस व प्रशासन द्वारा क्यों दर्ज नहीं किया गया है ? (ख) क्या यह सही है कि ग्राम हथाई खेड़ा तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर में सड़क के किनारे प्रमुख मार्ग पर कब्जा कर दुकाने बनाने के बारे में श्री हरिशंकर कोरी की शिकायत पर निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी, लेकिन उसे बार-बार तहसीलदार एवं एस.डी.ओ. ने संरक्षण देकर कार्य करने दे रहे है ? (ग) क्या यादव के विरूद्ध शिकायत सही पाए जाने पर पटवारी एवं तहसील ने सही मानकर एस.डी.एम. को सिविल जेल व मान हानि का केस दर्ज करने की सिफारिश की है, लेकिन कार्यवाही नहीं की जा रही है ? (घ) क्या प्रकरण में 03 वर्ष की सजा होने के बाद जमानत पर छूटते ही इसके विरूद्ध इतनी शिकायत होने के बाद भी यह खुलआम कैसे घूम रहा है तथा जिलाबदर की कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जबकि श्री पवन जैन, प्रमोद जैन, सुमन चंद जैन, बाबू कारीगर आदि हथाईखेड़ा के नागरिकों ने बार-बार झगड़ा करने व परेशान करने की शिकायत ऑनलाईन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी की है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जिला अशोनगर की मुगावली तहसील के ग्राम अथाईखेडा की भूमि सर्वे न0 259/1, 361 की भूमि के संबंध में अपर कलेक्टर अशोकनगर के न्यायालय के प्र0क्र0 27/2008-09 आदेश दि0 04.09.2009 के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी । अपर आयुक्त ग्वालियर के न्यायालय के प्र0क्र0 12/2009-10 आदेश दिनांक 28-08-2010 से तहसीलदार मुंगावली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-09-05 को स्थिर रखा गया है । अपर आयुक्त ग्वालियर के प्र0क्र0 12/2009-10 आदेश दिनांक 28-08-2010 से असंतुष्ट होकर नरेश सिंह यादव द्वारा राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 में निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्र0क्र0 आर- 1516-आई/2010 पर अंकित होकर प्रचलित है । (ख) मौके पर कोई निमार्ण कार्य नही चल रहा है और न ही न्यायालय तहसीलदार मुगावली द्वारा किसी भी अतिक्रामक को संरक्षण दिया गया है । (ग) जी नही । (घ) नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है ।

उप संचालक, कृषि, दतिया द्वारा नियम विरूद्ध भुगतान

50. **(क्र. 693) श्रीमती इमरती देवी :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13 से 2014-15 में उप संचालक, कृषि, दतिया को किस फर्म/संस्था द्वारा खरीब एवं रबी की फसलों का किस किस्म का बीज कितनी-कितनी मात्रा में किस दर से कब-कब प्रदाय किया गया, तथा फर्म/संस्था को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस दिनांक को किया गया ? वर्षवार बतावें ? (ख) क्या यह सही है कि कलेक्टर दतिया ने दिनांक 7-8-2014 को उप संचालक, कृषि, दतिया कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें श्री आर.डी. राजपूत, उप संचालक, कृषि, दतिया के कार्यकाल में जिन बीज उत्पादन समिति/फर्म को बीज परीक्षण में इस वर्ष एवं गत वर्ष भी बीज अमानक पाये गये, उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज, लायसेंस निलंबित/निरस्त करना संबंधित फर्म का भुगतान रोकना या पूर्व में किये गये भुगतान की वसूली करना तथा ऐसी फर्म को (ब्लेक लिस्टेड) करने की कार्यवाही नहीं कर श्री आर.डी. राजपूत, उप संचालक, कृषि, दतिया ने पुन: लाखों रूपये का फर्म को भुगतान कर दिया गया ? ऐसा क्यों ? बतावें ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार आर.डी. राजपूत, उप संचालक, कृषि, दतिया के विरूद्ध कलेक्टर दतिया का पत्र क्रं. 4639, दिनांक 8-8-2014 एवं आयुक्त ग्वा. संभाग, ग्वालियर का पत्र क्रं. 5881, दिनांक 2-9-2014 अनुसार दतिया जिले के किसानों को अमानक बीज वितरण के लिये दोषी पाये जाने से अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों नहीं ? बतावें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है । (ख) जी हां निरीक्षण में दिये निर्देशों के पालन में अमानक बीज पाये जाने पर बीज अधिनियम 1966, बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधान अनुसार संबंधित बीज उत्पादक समिति मां पीताम्बरा बीज पौध उत्पादक भण्डारण एवं उर्वरक क्रय-विक्रय सहकारिता मर्यादित दतिया के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस, एफ.आई.आर., बीज अनुज्ञप्ति निलंबित किये जाने की कार्यवाही की गई । उसी प्रकार दतिया ग्राम विकास बीज उत्पादक सहकारी समिति दतिया के विरूद्ध भी कारण बताओ नोटिस एवं अनुज्ञप्ति निलंबित किये जाने की कार्यवाही तथा बीज परीक्षण प्रयोगशाला के परिणाम प्रतिवेदन में अमानक पाये गये बीजों का परिणाम प्राप्त होने की दिनांक के पश्चात कोई राशि भुगतान नहीं की गई है । (ग) अमानक पाये गये बीजों की फर्म/संस्थाओं के विरूद्ध बीज अधिनियम 1966, बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत श्री डी.आर.राजपूत उपसंचालक कृषि दतिया द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की । उपसंचालक कृषि के विरूद्ध आयुक्त ग्वालियर द्वारा दिनांक 2-9-2014 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है । कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

कृषि बजट से आवंटित राशि

51. **(क्र. 719) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा कृषि बजट खण्ड क्रमांक-8 में उल्लेखित योजनाओं में से मुरैना जिलें में कितनी योजनाऐं संचालित/ क्रियान्वित होकर उन्हें कितनी राशि वर्ष, 2012-13 से अक्टूबर, 2014 तक मुरैना जिलों को आवंटित की गई ? राशि विवरण योजनावार व वर्षवार दी जावे ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित राशि मुरैना जिलों की किन-किन विकासखण्ड में कितनी राशि व्यय की गई ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में आवंटित राशि विकासखण्ड दिमनी, जिला मुरैना में कितने कृषकों को किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि नकद एवं अन्य प्रकार से दी गईं ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है । (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है । (ग) जिले में दिमनी विकासखंड नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

सड़क निधि से संबंधित

52. **(क्र. 720) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान सड़क निधि से वर्ष 2009-2010 से अक्टूबर 2014 तक जिला मुरैना अंतर्गत कितनी आय प्राप्त हुई व व्यय हेतु क्या मार्गदर्शिका निर्धारित है ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित राशि से (जिला/तहसील/विकासखण्ड/विधान सभा क्षेत्रों में) व्यय हेतु विभाग ने क्या नीति निर्धारित की है ? (ग) नीति अंतर्गत किसान सड़क निधि किन-किन विभागों को कितनी-कितनी राशि प्रदाय होकर, क्या-क्या कार्य कराये जाने का प्रावधान है ? व प्रावधान अंतर्गत मुरैना जिले में वर्ष 2009-2010 से अक्टूबर 2014 तक किस-किस विभाग को, किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस वर्ष में प्रदाय की गई ? कार्यो की वर्तमान स्थिति क्या है ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन) : (क) किसान सड़क निधि से वर्ष 2009-10 से अक्टूबर 2014 तक जिला मुरैना अंतर्गत रू0 17,99,96,584.00 की आय प्राप्त हुई, जिसका मंडीवार एवं वर्षवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -अ अनुसार है । किसान सड़क निधि के अंतर्गत् स्वीकृत किये जाने वाले कार्यो की

प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित है । (ख) किसान सड़क निधि के अंतर्गत संकलित की गयी राशि का उपयोग/स्वीकृति संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है । (ग) नीति अंतर्गत किसान सड़क निधि से मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गयी सड़कों के अनुरक्षण कार्य के लिये प्रश्नाधीन अवधि में राशि रू0 912.00 करोड़ मंडी बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को प्रदाय की गई है । मंडी बोर्ड के तकनीकी अमले के माध्यम से मंडी क्षेत्र की सड़कों तथा आधारभूत संरचनाओं को निर्मित करने हेतु उक्त अवधि में राशि रू0 626.32 करोड़ प्रदाय की गई है । प्रदाय की गयी राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "स" अनुसार है । मुरैना जिलें में प्रश्नांश वर्षो में मंडी बोर्ड द्वारा कराये गये कार्यो के नाम, प्रदाय राशि एवं कार्यो की वर्तमान स्थिति का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार है ।

मण्डी बोर्ड द्वारा सागर संभाग में स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति के संबंध में

53. **(क्र. 792) श्री हर्ष यादव :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सागर संभाग अंतर्गत अगस्त 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितने मंडी सचिव, निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, लेखापाल का स्थानान्तर किया गया है ? (ख) प्रश्नांकित (क) समय में कितनी मंडी समितियों के लिपिकों को अन्य मंडियों में प्रतिनियुक्ति पर एवं संलग्न कर भेजा गया है नाम समितिवार बताये ? (ग) प्रश्नांकित (क) (ख) में से कितनों ने आदेश का पालन नहीं किया हैं ? नाम पद सहित बताये प्रबंध संचालक के आदेश का पालन नहीं करने वालों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? (घ) क्या प्रबंध संचालक का आदेश पालन कराने के लिये उपसंचालक सागर जबावदेह नहीं हैं ? आदेश पालन नहीं कराने वालों पर क्या कार्यवाही की जावेगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में सागर संभाग के अंतर्गत 10 मंडी सचिव, 07 मंडी निरीक्षक, 02 सहायक उप निरीक्षक एवं 07 लेखापाल का स्थानांतरण किया गया है । (ख) जानकारी परिशिष्ट- "अ" पर है । (ग) प्रश्नांकित (क) (ख) में से 03 मंडी सचिव, 02 मंडी निरीक्षक एवं 01 सहायक उपनिरीक्षक स्थानांतरण स्थल पर उपस्थित नहीं हो सके है, जिसके संबंध में वांछित विवरण परिशिष्ट "ब" पर है । (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही का प्रश्न निर्मित नहीं होता है ।

परिशिष्ट- "उन्नीस"

मतस्य बीज वितरण एवं उत्पादन

54. **(क्र. 813) श्री जितू पटवारी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. में वर्तमान में कितने मछली पालन केंद्र स्थापित है ? (ख) म.प्र. में विगत 05 वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जिले अनुसार किस-किस केंद्र पर कितना-कितना मछली का बीज वितरित किया गया, तथा कितना उत्पादन हुआ है एवं मछलियों को बेचने से कितना राजस्व शासन को प्राप्त हुआ है ? केंद्रवार जानकारी देवें ? (ग) प्रत्येक मछली पालन केंद्र से मछलियों के विक्रय हेतु किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है एवं किन-किन निजी ठेकेदार/कंपनियों को विगत 05 वर्षों में ठेके दिये गये हैं ? केंद्रवार जानकारी देवें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) मध्यप्रदेश में वर्तमान में कुल 92 मछली पालन केन्द्र स्थापित है । सूची संलग्न परिशिष्ट-एक के अनुसार । (ख) प्रश्नागत अवधि में कुल मत्स्य बीज (स्टे.फ्राई) 5187.84 लाख वितरित किया गया कुल उत्पादन (स्टे.फ्राई) 7928.60 लाख एवं शासन को प्राप्त राजस्व रूपयें 885.68 लाख है । केन्द्रवार

जानकारी परिशिष्ट-एक अनुसार । (ग) मछली पालन केन्द्र से मछलियों के विक्रय हेतु शासन द्वारा दरें निर्धाति है । एक भी मछली पालन केन्द ठेकेदारों अथवा कम्पनियों को ठेके पर नही दिया गया है ।

परिशिष्ट- "बीस"

भोपाल में म.प्र.गृह निर्माण मण्डल को आवंटित भूमि की लीज समाप्त होना

55. **(क्र. 835) श्री बाला बच्चन :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल शहर के अरेरा कालोनी स्थित सेक्टर ई-6 एवं ई-7 के लिए म.प्र. गृह निर्माण मण्डल को आवंटित भूमि की लीज कब समाप्त हो गई है ? लीज नवीनीकृत करने के लिए म.प्र. गृह निर्माण मण्डल में कितनी राशि की मांग कलेक्टर द्वारा की गई है, तथा कितनी राशि मण्डल ने जमा की है ? (ख) म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा लीज नवीनीकृत नहीं किए जाने से आवंटित भूमि कलेक्टर द्वारा वापस नहीं लेने के कारण स्पष्ट करें ? क्या मण्डल के पट्टेदारों की लीज कलेक्टर द्वारा नवीनीकृत की जावेगी ? यदि हॉ, तो कब तक ? (ग) कलेक्टर भोपाल द्वारा गृह निर्माण मण्डल के प्रश्नांश (क) में वर्णित भूमि के लीज नवीनीकृत नहीं होने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ? नजूल भूमि फ्री होल्ड करने के लिए क्या नियम है ? छायाप्रति उपलब्ध करावें ? (घ) मण्डल द्वारा लीज नवीनीकृत न होने से पट्टेदारों को अनापत्ति पत्र प्राप्त न होने तथा फ्री होल्ड के लिए आवेदन नहीं दे पाने के लिए क्या शासन निर्देश जारी करेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

रीवा जिले के हनुमना तहसील में व्यवहार न्यायालय की स्थापना

56. **(क्र. 863) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रीवा जिले के हनुमना तहसील में व्यवहार न्यायालय की स्थापना का आदेश होने के पश्चात न्यायालय भवन पूरी तरह से सम्पूर्ण आवश्यक सुविधाओं के साथ दो वर्षो से बनकर तैयार है ? (ख) क्या प्रदेश के कई स्थानों में माननीय न्यायाधीशों के निवास की व्यवस्था निजी तौर पर की जाकर न्यायालय संचालित है ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में यदि उत्तर जी हॉ, तो क्या इस अति महत्व एवं आम जनता से जुड़े व्यवहार न्यायालय को प्रदेश के अन्य स्थानों की भॉति माननीय न्यायाधीशों के निवास की व्यवस्था निजी तौर पर की जाकर व्यवहार न्यायालय संचालित किया जावेगा ? यदि हाँतो कब तक समय सीमा बताएं ? यदि नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट बतावें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : प्रश्नांश (क) से (ग) तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

तहसील हनुमना एवं मऊगंज में आदिवासियों के पट्टा आवंटन के लंबित प्रकरणों का निपटारा

57. **(क्र. 864) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के हनुमना तहसील अन्तर्गत ग्राम लोढी बनडोगवा जड़कुड़, पिड़रिया, बगैहा, बेलहा, पटेहरा, हटवा निर्मयनाथ एवं मऊगंज तहसील अन्तर्गत ग्राम डमरीमाघव, माठी सेंगर एवं बरवां कला के आदिवासियों के पट्टा आवंटन के प्रकरण तहसील कार्यालय में लंबित हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि जी हॉ, तो इनका कब तक निपटारा कर पट्टा आवंटित कर दिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं । तहसील हनुमना एवं मउगंज के प्रश्नाधीन ग्रामों में आदिवासियों को राजस्व भूमि पट्टा आवंटन का कोई प्रकरण लंबित नहीं है । ग्राम बरयाकलां में 07 व्यक्तियों द्वारा दखल रहित भूमि के अंतर्गत आवेदन किया है, जो जांच उपरांत पात्र न पाये जाने से निरस्त किये गये है । वर्तमान में कोई प्रकरण निराकरण हेतु लंबित नहीं है । (ख) उत्तरांश ''क'' में दी गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

मंदसौर जिले में स्थापित हेण्डपम्प

58. **(क्र. 875) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मन्दसौर जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जनवरी 2014 से आज दिनांक तक कितने हेण्डपम्प लगाए गए ? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? (ख) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में जनवरी 2014 से आज दिनांक तक कितने हेण्डपम्प लगाए गए उनके पंचायतों और स्थानों के नाम की जानकारी दें ? (ग) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा कितने हॉर्स पॉवर की कितनी मोटरें तथा पाईप, पेयजल हेतु मंदसौर जिले में आई तथा कितनी मोटरें तथा पाईप किस-किस स्थान पर लगाई गई, विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? (घ) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में कितनी मोटरें और पाईप किस-किस स्थान पर लगाए गए हैं ? उसकी पंचायत तथा स्थान के नाम सहित जानकारी दें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रश्नांकित अवधि में 288 हैण्डपंप लगाये गये । विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	विधानसभा क्षेत्र का नाम	स्थापित किये गये हैण्डपंपों की संख्या
1	मंदसौर	44
2	मल्हारगढ़	44
3	सुवासरा	90
4	गरोठ-भानपुरा	110
	योग	288

(ख) प्रश्नांकित अवधि में कुल 90 हैण्डपंप लगाये गये । शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "दो", "तीन" व "चार" अनुसार । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "तीन" व "चार" अनुसार ।

ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को राहत राशि

59. **(क्र. 892) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को रायसेन जिले में राहत राशि वितरण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ ? यदि हॉं, तो क्यों ? कारण बतायें इसके लिए कौन दोषी है ? (ख) रायसेन जिले में प्रभावित किसानों को राहत राशि वितरण का कार्य कब तक पूर्ण होगा ? इस संबंध में माननीय मंत्री जी तथा विभाग को किन-किन माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई ?उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) ओला वृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत राशि वितरण हेतु रायसेन जिले को शासन द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई ? कितनी राशि का वितरण हुआ,

तथा कितनी राशि शेष है, तथा कहाँजमा है ? (घ) राहत राशि वितरण में शासन के निर्देशों का रायसेन जिले में पालन क्यों नहीं हुआ, तथा इसके लिये कौन-कौन जवाबदार है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

गौ शालाओं को भूमि आंवटन

60. **(क्र. 893) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवम्बर 2014 की स्थिति में गौ शालाओं को भूमि आवंटन के संबंध में विभाग के क्या-क्या निर्देश है, उनकी प्रति दें ? (ख) क्या यह सत्य है कि गौ शालाओं को भूमि आवंटन के नियम बनाने के बाद से आज दिनांक तक एक भी गौ शाला को भूमि का आवंटन नहीं हुआ यदि हॉ, तो क्यों कारण बतायें ? (ग) नवम्बर 2014 की स्थिति में रायसेन एवं देवास जिले की किन-किन गौ शालाओं के भूमि आवंटन के आवेदन पत्र किस-किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित है कारण बताये इसके लिये कौन जवाबदार है ? (घ) उक्त आवेदन पत्रों का कब तक निराकरण कर गौ शालाओं को भूमि आवंटित कर दी जायेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर है । (ख) जी नहीं । देवास जिले में दो आवेदकों के आवेदन पत्र निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति नहीं कर पाने तथा चरनोई का रकबा 2 प्रतिशत से कम होने के कारण, निरस्त किये गये हैं । रायसेन जिला- प्रश्नाधीन अवधि में 02 गौ शालाओं को भूमि आवंटित की गई है । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है । (ग) देवास- जिले में केवल एक आवेदन पत्र तहसील स्तर पर विगत दस माह से जांच के लिये लंबित है । ग्राम पंचायत की ओर से संकल्प प्राप्त नहीं होने कारण । इसके लिये ग्राम पंचायत जवाबदार है । रायसेन-02 गौ शालाओं को भूमि आवंटित करने के प्रकरण वर्तमान में अनुभाग स्तर पर विचारण में है । (ध) जिला-देवास-एवं जिला-रायसेन- उत्तरांश "क" के निर्देश पत्र अनुरूप अपेक्षित जांच की जाकर पात्रतानुसार लंबित प्रकरणों का यथासंभव शीघ्र निराकरण किया जा सकेगा । इस हेतु निर्धारित न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन आवश्यक होने से निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है ।

मेघवाल जाति के लोगों का राजस्व रिकार्ड में जाति सुधार

61. **(क्र. 904) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मेघवाल जाति के लोगों का राजस्व रिकार्ड में चारण जाति गलत अंकित है, मेघवाल 38 अनु.जाति क्र. पर अंकित हैं । इस कारण जाति मेघवाल को प्रमाण पत्र नहीं दिये जा रहे हैं ? (ख) क्या म.प्र. शासन आदिम जाति अनुसंधान केन्द्र द्वारा वास्तविक स्थिति का सूक्ष्म परीक्षण कर शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, क्या पात्र मेघवाल जाति के लोगों को प्रमाणपत्र दिये जायेगें ? (ग) जांच कब तक हो जायेगी, स्पष्ट करें ? (घ) प्रश्नांश (क) के अभाव में वह लोग शिक्षा एवं अन्य योजनाओं से विगत 10 वर्षों से वंचित हो रहे है, जबकि पूर्व में उनके प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

नेशनल हाईवे क्रमांक 75 रोड के किनारे करहीलामी में बसे अनुसूचित जाति परिवारों की बसाहट

62. **(क्र. 946) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले की तहसील अमरपाटन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम करहीलामी की शासकीय आराजी क्रं. 294/670 रकवा 2.30 एकड़ में किनके-किनके द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है उनके नाम सहित बताएं ? (ख) क्या नेशनल हाईवे नं. 75 में राजस्व ग्राम करहीलामी के किनारे अनुसूचित जाति के लगभग 105 परिवार विगत 50 वर्षों से भूमिहीन होने के कारण घर बनाकर निवास कर रहे थे ? यदि हाँतो क्या एन.एच. 75 फोरलेन विस्तार के कारण इन्हें विस्थापित किया जा रहा है ? (ग) यदि हाँतो इन अनु. जाति परिवार के लोगों को विस्थापित करने के पूर्व बसाहट की व्यवस्था की गई है । यदि हाँतो कहां, आरजी क्रं. सहित बताएं ? क्या करहीलामी की शासकीय आराजी नं. 294/670 जो दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है उस जमीन को खाली कराकर इन अनुसूचित जाति के 105 परिवारों को बसाहट हेतु जमीन उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि हाँतो कब तक, समय सीमा बताएं ? (घ) क्या यह सही है कि इन्हें उपयुक्त स्थान पर प्लाट नहीं दिये जाने से इन लोगों द्वारा दिनॉक 24.02.2014 को आमरण अनशन किया गया था, जिसमें मौके पर कलेक्टर द्वारा अधिकृत एस.डी.एम. रामपुर बाघेलान पहुँच कर उचित व्यवस्था एवं मुआवजा दिलाने तथा आराजी नं. 191 का सीमांकन (आबादी चेक) कराये जाने पर दिनॉक 27.02.2014 को अनशन समाप्त कर दिया गया था ? लेकिन वर्तमान समय तक इनकी सुविधाओं पर शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्यावही नहीं की गई, क्यों कारण सहित बतायें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) :(क) प्रश्नाधीन भूमि म0प्र0 शासन की है । इस भूमि में बरसात में पानी भरा रहता है । पानी सूखने के बाद दिनांक 2.11.2014 को राजाराम पिता अर्जुन प्रसाद ब्रा0 द्वारा 0.42 एकड में, अंगिरा प्रसाद पिता सतानंद ब्रा0 द्वारा 0.58 डिसमल, गंगाधर पिता लालमन ब्रा0 द्वारा 0.55 डिसमल में, विमला पत्नी रामसुन्दर ब्रा0 द्वारा 0.55डिसमल में, सभी निवासीगण ग्राम करही वृत्त, द्वारा जोतकर अवैध रूप से कब्जाकर अतिक्रमण किया गया है । (ख) नेशनल हाइवे क्रमांक-75 में ग्राम करही लामी रोड किनारे आराजी नं. 191/1, म0प्र0 शासन आबादी आवास योजना मद की भूमि पर अनुसूचित जाति के 50 परिवार निवास कर रहे हैं । इनके 46 मकान राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के विस्तार से प्रभावित हो रहे है । (ग) जी नहीं । प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मकान की मुआवजा राशि दी जा चुकी है । प्रावधान नहीं होने से बसावट हेतु पृथक से भूमि दिया जाना संभव नहीं है । शासकीय भूमि 294/670 को खाली कराकर उसे सुरक्षित किया जावेगा इस भूमि के अवैध कब्जेदारों द्वारा सिविल न्यायालय अमरपाटन में व्यवहारवाद क्रमांक-50ए/14 दिनांक 20.3.2014 से विचाराधीन होने से, भूमि को बसाहट हेतु प्रस्तावित नहीं किया जा सकता । (घ) जी हां । एसडीएम रामपुर बधेलान द्वारा मौके पर उचित मुआवजा दिलाये जाने का आश्वासन दिया गया था । जिसके पश्चात् दिनांक 27.2.2014 को आमरण अनशन समाप्त कर दिया गया था । शासन के नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है । अन्य सुविधाओं हेतु नियमो में कोई प्रावधान नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

पोहरी तहसील के वृत्तो का प्रभार

63. **(क्र. 953) श्री प्रहलाद भारती :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी को कितने राजस्व निरीक्षक वृत्तों में विभाजित किया गया है एवं दिनांक 26.04.2014 एवं दिनांक 28.10.2014 को इन वृत्तों का प्रभार किस-किस तहसीलदार/नायब तहसीलदार पर था वृत्तवार अधिकारियों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पोहरी तहसील का पटवारी हल्का परिच्छा अहीर किस राजस्व निरीक्षक वृत्त में आता है एवं उक्त दिनांकों में इसका प्रभार किस तहसीलदार/नायब तहसीलदार पर था नाम

बतावें ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या एक वृत्त के प्रभारी अधिकारी द्वारा किसी राजस्व प्रकरण में किसी अन्य वृत्त के प्रभार के ग्राम में कोई आदेश पारित किया जा सकता है ? यदि हॉ, तो किस नियम व आदेश के तहत ? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में क्या उक्त दिनांकों में कोई ऐसे प्रकरण का निस्तारण अनाधिकृत रूप से दूसरे वृत्त के प्रभारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा किया गया है ? यदि हॉ, तो उक्त अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) :(क) तहसील पोहरी जिला शिवपुरी को 02 राजस्व निरीक्षक वृत्तों में विभाजित किया गया है एवं दिनांक 26.04.2014 एवं दिनांक 28.10.2014 से राजस्व निरीक्षक वृत्त 01 पोहरी का प्रभार श्री ओ.पी.राजपूत तहसीलदार के प्रभार में तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त 02 छर्च का प्रभार श्री शत्रुहन सिंह चौहान नायब तहसीलदार के प्रभार में रहा है । (ख) पोहरी तहसील का पटवारी हल्का परीच्छा अहीर राजस्व निरीक्षक वृत्त 01 पोहरी में आता है, उक्त दिनांको में इसका प्रभार श्री ओ.पी.राजपूत तहसीलदार के प्रभार में था । (ग) एक वृत्त के प्रभारी अधिकारी द्वारा किसी राजस्व प्रकरण में किसी अन्य वृत्त के प्रभार के ग्राम में कोई आदेश सामान्यतः पारित नहीं किया जाता है परन्तु भू-राजस्व संहिता के अनुसार राजस्व अधिकारी अपनी तहसील क्षेत्राधिकार में आदेश पारित कर सकता है । (घ) राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 पोहरी के ग्राम परीच्छा अहीर में नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया है, चूँकि प्रकरण का निराकरण न्यायालय की हैसीयत से किया गया है अतएव इसे म.प्र.भू-राजस्व संहिता में अपील के अंतर्गत उठाया जा सकता है ।

<u>ए.एन.एम. (बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) की नियुक्ति</u>

64. **(क्र. 958) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र. मंत्री परिषद द्वारा आयटम क्रं.-39, दि. 17 मई, 2010 को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण), अधिनियम, 2000 का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया है ? (ख) यदि हां, तो क्या मंत्री परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि सामाजिक न्याय विभाग से महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तान्तरित अमलें की वरिष्ठता पदोन्नति एवं सेवा शर्तो का प्रावधान करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किया जायेगा ? (ग) यदि हां, तो क्या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया गया है ? (घ) यदि हां, तो कब तक संशोधन किया जावेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) एवं (ख) जी हां (ग) जी नहीं (घ) समय सीमा बताया जाना संभव नहीं ।

<u>प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों को मुआवजा भुगतान</u>

65. **(क्र. 960) श्री आरिफ अकील :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत किसानों का प्राकृतिक आपदा के तहत् वर्ष, 2012 से प्रश्न दिनांक तक फसलों का नुकसान हुआ है ? (ख) यदि हां, तो किस-किस जिले के कितने ऐसे किसान हैं, जिन्हें प्राकृतिक आपदा के तहत राशि स्वीकृत हुई, लेकिन राहत राशि प्राप्त नहीं की गई ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि किसानों को राहत राशि प्रदान किए जाने हेतु प्रशासन द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई ? साथ में यह

भी अवगत करावें कि कुल कितने किसानों की कुल कितनी राशि वितरित नहीं की गई और उसका उपयोग कहां किया गया, जिलेवार, वर्षवार बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

लंबित देयको का भुगतान

66. **(क्र. 968) श्री गोविन्द सिंह पटेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय मुद्रणालय भोपाल द्वारा शरोदा प्रिंटर्स एम.पी. नगर भोपाल से मुद्रण करवाया गया ? यदि हां, तो कार्य पूर्ण होने के बावजूद उनके द्वारा प्रस्तुत कितने देयकों का भुगतान आज दिनांक तक शास. मुद्रणालय स्तर पर क्या लंबित हैं ? (ख) क्या आदेशित मुद्रण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद प्रस्तुत देयकों के भुगतान की कोई समय सीमा निर्धारित है यदि हॉ, तो लंबित देयकों का भुगतान कब तक किया जाएगा ? (ग) शासकीय मुद्रणालय (शासकीय प्रेस) भोपाल द्वारा विगत तीन वर्षों में कितने अन्य प्राइवेट स्क्रीन प्रिंटर्स को मुद्रण कार्य सौंपा गया ? नाम/पते सहित स्पष्ट विवरण दें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । मे. शारोदा प्रिन्टर्स भोपाल के देयकों का भुगतान किया जा चुका है । शासकीय मुद्रणालय स्तर पर कोई देयक लंबित नहीं है । (ख) जी हां । मे. शारोदा प्रिन्टर्स के देयको का भुगतान कर दिया गया है । (ग) शासकीय मुद्रणालय भोपाल द्वारा विगत तीन वर्षो में निम्नानुसार फर्मो को स्क्रीन प्रिंटिंग का कार्य आवंटित किया गया हैः- 1. मेसर्स प्रिंटिंग पाइन्ट 22, नदीम प्रेस, कृषक जगत के सामने, प्रेस काम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल । 2. मे. शारोदा प्रेस 59, चेन्बर्स जोन 1 एम.पी.नगर भोपाल । 3. मेसर्स कृष्णा प्रिंटिंग होम ई 5/46 अरेरा कालोनी भोपाल । 4. मेसर्स गायत्री प्रिन्टर्स 118 ओल्ड अशोका गार्डन भोपाल । 5. मेसर्स सरस्वती प्रिन्टर्स 112 जयदीप काम्पलेक्स, एम.पी.नगर भोपाल ।

जौरा तहसील के ग्राम खाण्डौली में शासकीय भूमि के नियम विरूद्ध व्यवस्थापन (पट्टे) की निरस्ती

67. **(क्र. 970) श्रीमती शकुन्तला खटीक :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग द्वारा आदेश क्र. एफ/30-18/2002/सात-2-ए दिनॉक 21.01.2003 से शासकीय जमीन के व्यवस्थापन (पट्टे) पर रोक लगाई गयी थी ? (ख) क्या यह सही है कि जौरा तहसील जिला मुरैना के ग्राम खाण्डौली में नियम विरूद्ध भारी भ्रष्टाचार कर प्रकरण क्रमांक 04/2004-05/अ-19 के द्वारा चम्बल की वेशकीमती बेहड़ (नोइयत) एवं वन विभाग की शासकीय 1200 से 1300 बीघा जमीन तत्कालीन पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन किया गया ? यदि हाँतो संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में दायर जनहित याचिका क्रमांक WP1668/2013 PIL में तथा मध्य प्रदेश शासन के जनशिकायत निवारण विभाग में लगी पी.जी. क्रमांक 192060/2012/99 तथा न्यायालय कलेक्टर जिला मुरैना के प्र.क्र. 04/2012-13/स्व.निगरानी/115 दिनॉक 07.01.2013 एवं 14.02.2013 द्वारा उक्त पूर्ण व्यवस्थापन फर्जी बताया जा कर कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे ? इसमें प्रश्न दिनॉक तक क्या कार्यावाही की गई ? (घ) उक्त फर्जी व्यवस्थापन में शामिल तत्कालीन पटवारी एवं नायब तहसीलदार तथा व्यवस्थापन करवाने वाले व्यक्ति जो कि इस फर्जीबाड़े में दोषी हैं जिनके द्वारा उक्त शासकीय जमीन पर कब्जे किये गये हैं, पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करायेंगे तथा उक्त नियम विरूद्ध व्यवस्थापन (पट्टों) को निरस्त करने के आदेश प्रसारित करेंगे ? यदि हाँतो कब तक समय-सीमा देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । (ख) जी हां । संबंधित तत्कालीन, पटवारी को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई है । तत्का. नायब तहसीलदार के विरूद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है । (ग) म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की प्रश्नाधीन पी.आई.एल, जनशिकायत निवारण विभाग की पी.जी., तथा कलेक्टर मुरैना के प्रकरण क्रमांक-4/2012-13/स्वमेव निग/आदेश, दिनांक 16.9.2013 द्वारा पट्टे फर्जी होने पर व्यस्थापन निरस्त किया गया है । पट्टा भूमि को पटवारी अभिलेख में यथा स्थिति में (शासकीय) दर्ज कराया गया है । (घ) जी हां । संबंधित तत्कालीन पटवारी को निलंबित कर, विभागीय जांच संस्थित की गई है । तत्कालीन नायब तहसीलदार के विरूद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है । प्रश्नाधीन नियम विरूद्ध व्यवस्थापन निरस्त किये जाकर वर्तमान में भूमि शासकीय दर्ज कराई गई है ।

मद परिवर्तन के प्रकरणों के निराकरण में विलंब

68. **(क्र. 980) पं. रमेश दुबे :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अन्य मद की शासकीय भूमियों को आबादी मद में परिवर्तन किये जाने हेतु किन नियमों में क्या व्यवस्था है, तथा इसके लिए कौन सशक्त है ? नियम व निर्देश की प्रति सहित जानकारी दें ? क्या इस प्रकार के प्रकरणों के निराकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो बताएं ? (ख) छिन्दवाड़ा जिले में अन्य मद की शासकीय भूमियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए आबादी मद में परिवर्तन किये जाने हेतु कुल कितने प्रकरण किस स्तर पर कब से किस लिए लंबित है ? तहसीलवार, ग्रामवार, खसरा नं. व रकबा सहित जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विधान सभा क्षेत्र चौरई की तहसील विछुवा व चौरई के किन-किन ग्रामों की अन्य मद की भूमियां किन प्रयोजनों के लिए आबादी मद में परिवर्तन किये जाने हेतु किनके द्वारा किस तिथि को मांग की गयी है ? मांग करने वाली संस्था/ग्राम पंचायत का पता सहित जानकारी दें ? (घ) विधान सभा क्षेत्र चौरई की अन्य मद की शासकीय भूमियों को आबादी मद में परिवर्तन किये जाने के प्रकरणों को विभिन्न स्तरों पर लंबित रहने के क्या कारण हैं ? कब तक ऐसे लंबित प्रकरणों का निराकरण कर दिया जावेगा ? समय सीमा बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : ((क)अन्य मद की शासकीय भूमियों को आबादी मद में परिवर्तन किये जाने हेतु म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 एवं धारा 243 में प्रावधान निहित हैं । संहिता की धारा 237 में प्रावधानित है कि ''इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीनरहते हुए, कलेक्टर, उपधारा (1) के खण्ड (ख) में वर्णित भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात उपधारा (1) में वर्णित ऐसी दखल रहित भूमि को आबादी, सड़कों, राजमार्गों,नहरों,तालाबों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, गौशालाओं के निर्माण या अन्य किसी जनउपयोगी परियोजनाओं के लिए जैसी कि राज्य सरकार द्वारा उपधारित की जाए, व्यपवर्तित कर सकेगा'' संहिता की धारा-243 (1) में प्रावधानित है कि ''जहांआबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहां वह ग्राम की दखल रहित भूमि में ऐसा और क्षेत्र आरक्षित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझें ।''अन्य मद की शासकीय भूमियों का आबादी मद में परिवर्तन किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर है । (ख)जानकारी परिशिष्ट 'अ' पर है । (ग) जिला छिंदवाड़ा की विधान सभा क्षेत्र चौरई की तहसील बिछुआ के ग्राम खमारपानी, खमरा, पाथरी, लोहारबतरी की बड़े झाड़ का जंगल, छोटे झाड़ का जंगल एवं छोटे झाड़ का जंगल (चराई) मद की भूमि आबादीघोषित करने हेतु ग्राम खमारपानी में दि. 02.07.2014 को ग्राम पंचायत खमारपानी के मांग करने पर मान0 विधायक महोदय चौरई द्वारा पत्र तहसीलदार को दिया गया ।ग्राम लोहार बतरी में दि. 22.09.14 को ग्रामीणों द्वारा मांग करने पर मान0 विधायक महोदय द्वारा पत्र अनुविभागीय अधिकारी चौरई को दियागया, ग्राम पाथरी एवं ग्रामखमरा में मद परिवर्तन हेतु दि. 13.08.2012 को पत्र तहसीलदार बिछुआ को प्राप्त हुए । तहसील चौरई के ग्राम हतोड़ा की छोटे झाड़ का जंगल मद की भूमि आबादी घोषित करने हेतु दि. 02.03.2014

को आवेदन ग्राम पंचायत हथनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था । (घ)मद परिवर्तन के प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलित हैं । जांच पश्चात नियमानुकूल होने पर परिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी । समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट- "इक्कीस"

पांढुर्ना, सौसर, मोहखेड़ के किसानों की फसल नष्ट होना

69. **(क्र. 990) श्री नाना भाऊ मोहोड़ :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इस वर्ष छिन्दवाड़ा जिले की तहसील पांढुर्ना, सौसर तथा मोहखेड़ में कृषकों की कपास, तुअर तथा सोयाबीन की फसल अवर्षा के तथा अन्य कारणों से नष्ट हुई है ? यदि हां, तो कितने कृषकों की ? (ख) प्रश्न (क) के प्रकाश में किन-किन क्षेत्रों में सर्वे किया गया है ? क्या सर्वे कार्य पूर्ण हो गया है ? (ग) शासन द्वारा कृषकों को मुआवजा देने के संबंध में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? (घ) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने जिलाध्यक्ष छिन्दवाड़ा तथा कृषि मंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? (ड़) कब तक प्रभावित कृषकों को मुआवजा वितरण कर दिया जाएगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ड़) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

सिवनी विधान सभा में स्वीकृत पेयजल योजनाएं

70. **(क्र. 995) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले के सिवनी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 1 अप्रैल,2010 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितनी नलजल/ स्थलजल/मुख्यमंत्री पेयजल योजनाएँ स्वीकृत की गई ? वर्षवार,ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) की स्थलजल योजनाओं में किन-किन में जल प्रदाय प्रारंभ नहीं हो पाया है एवं क्यों ? व इसके लिये कौन दोषी हैं ? कब तक शेष जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ करा दिया जावेगा ? निश्चित समय-सीमा बतावें ? इनमें से कितनी योजनाएं वर्तमान में किस कारण से बंद हैं ? (ग) सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रश्नांकित दिनांक तक विभिन्न मदों के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए नवीन हैण्डपंपों की सूची स्थलवार, वर्षवार उपलब्ध करावें, इनमें से कितने ऐसे हैण्डपम्प हैं जो खनन करा दिए गए हैं किन्तु अभी तक न तो उनमें लाईन डाली गई है और न ही हैण्डपम्प स्थापित किए हैं ? कितने हैण्डपम्प खनन कराया जाना शेष हैं ? कृपया ग्राम पंचायतवार तहसीलवार बतावें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रश्नावधि में 40 नलजल तथा 27 मुख्यमंत्री पेयजल योजनाएं स्वीकृत । शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार । (ख) कोई भी स्थल योजना स्वीकृत नहीं है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता । कोई भी दोषी नहीं है । शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार । 49 खनित नलकूपों में न तो हैण्डपंप स्थापित किये गये न ही पाईप लाईन डाली गई । कोई भी स्वीकृत नलकूप/हैण्डपंप खनन हेतु शेष नहीं, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

पाटन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित नल जल योजनायें

71. **(क्र. 1008) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पाटन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वित्त वर्ष 2008 से प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां पर कितनी-कितनी लागत से कौन-कौन सी

नल-जल योजनायें प्रस्तावित थीं ? एवं इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी लागत से कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित थे ? सूची देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) में प्रस्तावित नल जल योजनाओं के तहत कहां-कहां पर कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये एवं कौन-कौन सी नल जल योजनायें प्रारंभ की गई ? सूची देवें ? एवं कौन-कौन सी योजनायें अपूर्ण हैं ? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित पूर्ण नल जल योजनाओं में से कितनी योजनाएं चालू हैं ? सूची देवें ? इन बंद पड़ी नल जल योजनाओं के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं, तथा इन्हें कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा ? (घ) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा पूर्व में नगर परिषद मझौली में पेयजल भंडारण हेतु वर्तमान वार्ड क्रमांक 12 एवं 15 में दो पानी की टंकियों का निर्माण कराया था ? यदि हां, तो यह बतलावें कि कितनी-कितनी लागत से किस योजनान्तर्गत इन टंकियों का निर्माण किया गया एवं इन टंकियों को भरने हेतु जल स्त्रोत क्या है ? एवं यह भी बतलावें कि वर्तमान समय में इन टंकियों का क्या उपयोग हो रहा है, एवं ये किसके अधीनस्थ है ? अगर इनका उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसके क्या कारण हैं, एवं उसका जिम्मेदार कौन है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -1 अनुसार । (ग) 22 योजनाऐं । शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -1 अनुसार । (घ) जी हॉ । क्रमशः रूपये 15.98 लाख एवं रूपये 9.60 लाख, मझौली जल आवर्धन योजना के अंतर्गत । इन टंकियों को नलकूपों से भरा जाना प्रस्तावित था । टंकियों का उपयोग नहीं हो रहा है, टंकिया नगर पंचायत मझौली के अधीनस्थ हैं । प्रस्तावित नलकूपों के असफल होने के कारण इन टंकियों को नहीं भरा जा सका । इस हेतु कोई भी जिम्मेदार नहीं है ।

आंगनवाड़ी भवन का निर्माण

72. **(क्र. 1019) श्री सतीश मालवीय :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिले में आंगनवाड़ी भवन निर्माण की राशि कब एवं कितने भवन के लिये आवंटित की गई ? (ख) आवंटित राशि से कितने भवन कब स्वीकृत किये गये ? स्वीकृत भवन की सूची उपलब्ध करावें ? (ग) क्या यह सही है कि उज्जैन जिले में भवन निर्माण हेतु 18 करोड़ 13 लाख रूपये लगभग दो वर्ष पूर्व जारी किये गये थे, परन्तु भवन निर्माण के नाम पर दो वर्ष में कोई भी कार्य नहीं किया गया ? जिससे जिले में एक भी आंगनवाड़ी भवन नहीं बन पाया ? (घ) एक वर्ष में भवन निर्माण की राशि के उपयोग न होने एवं भवन स्वीकृत न होने के लिये कौन-कौन से शासकीय सेवक जिम्मेदार हैं एवं इस लापरवाही पर शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) उज्जैन जिले में वर्ष 1993 से 2014 तक कुल 809 आंगनवाडी भवनों के लिये कुल 28.70 करोड़ राशि आबंटित की गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '01' अनुसार है । (ख) आबंटित राशि से कुल 809 भवन स्वीकृत किये गये । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '02' अनुसार है । (ग) वर्ष 2012-13 में भवन निर्माण हेतु कोई राशि प्राप्त नही हुई । प्रश्नाधीन राशि (18 करोड़ 13 लाख 50 हजार) विगत वर्ष 2013-14 में प्राप्त हुई है , उक्त राशि से आंगनवाड़ी भवन निर्माण के सबंध में की गई कार्यवाही की वस्तु स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '03' अनुसार है । (घ) भवन निर्माण हेतु कुल लागत प्रति भवन रूपये 7.80 लाख में से आईसीडीएस मद में रूपये 4.50 लाख की उपलब्धता थी तथा शेष रूपये 3.30 लाख की राशि मनरेगा कन्वर्जेंस से सुनिश्चित करनी थी । कन्वर्जेंस की राशि हेतु प्रक्रिया प्रचलित थी , किन्तु मनरेगा अन्तर्गत नवीन कार्य प्रारंभ नही करने के निर्णय के कारण कन्वर्जेंस की राशि उपलब्ध नही होने से निर्माण कार्य प्रारंभ नही हो सके । अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

कृषकों को समय पर खाद बीज की उपलब्धता

73. **(क्र. 1025) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि खरीफ व रबी फसल की बोवनी के पूर्व कृषकों को विभाग के माध्यम से उन्नत बीज एवं खाद व दवाई का वितरण रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का दायित्व विभाग का है ? यदि हां, तो उन्नत बीज, खाद व दवाई का वितरण बोवनी के कितने दिवस के अंदर किया जाना निर्धारित है ? (ख) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा समय पर किसानों को उन्नत बीज उर्वरक एवं दवाई का वितरण नहीं किया जाता है ? बोवनी होने के पश्चात अधिकांश उन्नत बीज उर्वरक एवं दवाई व्यापारियों को बेच दिया जाता है ? क्या शासन समय पर किसानों को उन्नत बीज उर्वरक एवं दवाई आदि के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) खरीफ एवं रबी में फसल बोनी के पूर्व सहकारी संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं के माध्यम से कृषकों द्वारा स्वयं बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाई की व्यवस्था की जाती है । जहां तक रियायती दरों पर कृषि आदान उपलब्ध कराने का प्रश्न है, वह विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य पोषित योजनाओं में उपलब्ध प्रावधान अनुसार चयनित कृषकों को गाइडलाइन अनुसार कृषि आदान सामग्री प्रदाय की जाती है। आदान सामग्री वितरण हेतु समय-सीमा निर्धारित नहीं है। (ख) जी नहीं। विभाग द्वारा समय पर किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक एवं पौध संरक्षण व औषधियां उपलब्घ कराई जाती है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

कृषि उपज मण्डी लवकुश नगर में मण्डी शुल्क चोरी की शिकायत

74. **(क्र. 1044) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मण्डी समिति लवकुश नगर जिला- छतरपुर से वर्ष अप्रैल, 2010 से अक्टूबर, 2014 तक मण्डी क्षेत्र लवकुशनगर से कुल कितने जिन्स वाहन की निकासी हुई, ब्यौरैवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में मण्डी लवकुश नगर में पदस्थ अधिकारी एवं दोषी पाये जाने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं एवं कितनी लंबित हैं, उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी ? (ग) मण्डी लवकुश नगर से प्रश्नांश (क) अवधि में मण्डी शुल्क चोरी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा की गयी शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कृषि उपज मंडी समिति, लवकुशनगर जिला - छतरपुर से प्रश्नाधीन अवधि में कुल 5452 कृषि उपज वाहनों की निकासी अनुज्ञापत्र के माध्यम से हुई, जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" पर है । (ख) प्राप्त शिकायतों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" पर है । (ग) प्राप्त शिकायतों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" पर है ।

आदिवासियों की भूमियों का अवैध हस्तान्तरण

75. **(क्र. 1052) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 3452 दिनांक 16.07.2014 के उत्तर में प्रकरण की जांच वरिष्ठ स्तर के अधिकारी से कराये जाने की घोषणा माननीय मंत्री जी ने सदन में की थी ? (ख) क्या यह सत्य है कि दस्तावेजों में हेराफेरी कर उक्त के जे एस सीमेंट ने आदिवासियों की भूमियों को अपने आदिवासी ड्राईवर सुन्दर कोल ने उक्त भूमियों को के.जे.एस सीमेंट के नाम पर अवैध रूप से हस्तांतरित कर दिया था ? (ग) क्या यह सत्य है कि माननीय मंत्री जी की सदन की घोषणा एवं आश्वासन के पश्चात उक्त प्रकरण में कोई जांच नहीं की गई ? अगर की है तो

किस नाम/पदनाम के अधिकारी द्वारा ? एवं कब-कब, क्या-क्या ? जांच चल रही है या पूर्ण हो चुकी हैं ? पूर्ण हो चुकी है तो जांच रिपोर्ट एवं निष्कर्षो की जानकारी उपलब्ध करावें ? (घ) क्या यह सत्य है कि अपर आयुक्त रीवा के द्वारा भी आदिवासियों की भूमि सुन्दर कोल के नाम पर एवं सुन्दरकोल से के.जे.एस सीमेंट के नाम पर स्थानान्तरण की सहमति दी थी ? क्या उक्त प्रकरण में अपर आयुक्त (राजस्व) रीवा के निर्णय को राज्य शासन जांच में शामिल करेगा ? क्या कार्यवाही दोषी अधिकारियों के विरूद्ध राज्य शासन कब तक करेगा ? समय सीमा दें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । (ख) श्री सुन्दर कोल अनुसूचित जनजाति , की 15.842 है0 भूमि को बेचने की अनुमति म0प्र0 भू-राजस्वसंहिता 1959 की धारा 165(6) के अंतर्गत दिनांक 26.11.2013 को ही मिली थी । लेकिन उक्त भूमि का आधिपत्य के.जे.एस. सीमेंट कंपनी ने उक्त क्रय से 4-5 वर्ष पूर्व ही लेकर इस पर बाउन्ड्रीवाल एवं सीमेंट फैक्टरी पहले से ही निर्मित कर ली थी । पूर्व में दिनांक 21.1.2012 को प्रश्नागत भूमि के भू-स्वामी सुंदर कोल द्वारा विक्रय की अनुमति चाही थी जिसे कलेक्टर सतना ने दिनांक 23.1.2012 को अमान्य कर दिया था । उक्त के काफी बाद आयुक्त रीवा संभाग ने इसकी अपील, प्रकरण रिमान्ड करने के पश्चात तत्कालीन कलेक्टर ने दिनांक 25.11.2013 को प्रश्नागत भूमि के विक्रय की अनुमति दी । अर्थात इस प्रकरण में अनुसूचित जनजाति के भूमिस्वामी की प्रश्नागत भूमि आवश्यक वैधानिक अनुमति लिये बगैर अधिनियम के प्रावधान की मंशा के विपरीत अवैध रूप से कब्जा में रखी गई । इस अवैध कब्जे की भूमि पर बाउन्ड्रीवाल एवं फैक्टरी कर ली गई, बाद में उक्त अवैधानिक कृत्य की पेशबंदी और उसे ही सही ठहराने के लिये दिनांक 25.11.2013 को भू-राजस्व संहिता की धारा 165(6) की अनुमति ली गई, जो कि सद्भावनापूर्ण नहीं कही जा सकती । (ग) जांच कराई जा रही है । (घ) जी नही । अपर आयुक्त (राजस्व) रीवा संभाग रीवा के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक-769/अपील/11-12 सुन्दर कोल बनाम शासन में पारित आदेश दिनांक 6.6.2012 से प्रकरण कलेक्टर सतना को विचारोपरांत नियमानुसार अनुमति जारी करने बावत प्रत्यावर्तित किया गया है । प्रकरण में जांच पूरी होने के बाद जांच निष्कर्ष में दोषी पाये गये संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी । समयसीमा बताना संभव नहीं है ।

डीनोटीफाईड की गई भूमि

76. **(क्र. 1089) श्रीमती रेखा यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि 2014 की प्रश्नांकित तिथि तक बुनियाद संस्था बैतूल के अनिल गर्ग द्वारा कलेक्टर छतरपुर को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34 (अ) के तहत् राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं के अनुसार डीनोटीफाईड भूमियों की ग्रामवार सूची प्रेषित कर कार्यवाही का अनुरोध किया है ? (ख) छतरपुर जिले के लिए धारा 34 (अ) के तहत किस दिनांक के राजपत्र में किस ग्राम की कितनी भूमि एवं किस ग्राम की समस्त वन भूमि डीनोटीफाईड की गई इन भूमियों के अभिलेख संशोधन हेतु मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल ने 24 जुलाई, 2004 को क्या आदेश निर्देश दिए हैं ? (ग) 24 जुलाई, 2004 से प्रश्नांकित तिथि तक कितने ग्रामों की संशोधन पंजी में कितनी डीनोटीफाईड भूमियों के अभिलेख संशोधन के आदेश दिए जाकर राजस्व अभिलेखों को संशोधित कर दिया गया है ? यदि संशोधन पंजी में संशोधन दर्ज ही नहीं किए गए हों, तो कारण बतायें ? (घ) संशोधन पंजी में संशोधन दर्ज कर डीनोटीफाईड भूमियों को राजस्व अभिलेखों में संशोधित किए जाने के आदेश कब तक दे दिए जायेंगे, समयसीमा सहित बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' पर है । मुख्यसचिव म0प्र0शासन के पत्र दिनांक 24.7.2004 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' पर है । (ग) अभिलेख संशोधन करने की कार्यवाही की जा रही है । (घ) वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित है । निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

खसरा पंजी में संशोधित प्रविष्टि दर्ज न किये जाने पर कार्यवाही

77. **(क्र. 1090) श्रीमती रेखा यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के द्वारा संशोधन पंजी में नामान्तरण स्वीकृत होने के बाद भी खसरा पंजी में संशोधित प्रविष्टि दर्ज न किए जाने के संबंध में सितम्बर 2014 में लिखे गये पत्र आयुक्त सागर संभाग,कलेक्टर टीकमगढ, अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़,जतारा, निवारी एवं बल्देवगढ़ को प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हां, तो पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जांच किस-किस अधिकारी से करवाई गई यदि जांच नहीं करवाई गई हो तो कारण बतावें ? (ग) संशोधन पंजी में नामान्तरण स्वीकृत होने के बाद संशोधित प्रविष्टि को खसरा पंजी में दर्ज किए जाने की जिम्मेदारी किसकी हैं ऐसा न किए जाने वाले पटवारी के विरूद्ध किन-किन कार्यवाहियों के किस-किस को क्या-क्या अधिकार दिए हैं ? (घ) प्रश्नकर्ता के द्वारा लिखे गए पत्र की जांच करवाई जाकर संशोधन पंजी में स्वीकृत नामान्तरण के आधार पर खसरा पंजी में प्रविष्टी दर्ज करवाए जाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही हैं कब तक खसरा पंजी में प्रविष्टियों को दर्ज करवा दिया जावेगा समय सीमा सहित बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ । (ख) पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच संबंधित राजस्व निरीक्षकों से कराई गई । जहां तक ग्राम तखा के प्रकरण का उदाहरण दिया गया है आवेदिका श्रीमती बृजकुंवर पत्नी सियाराम एवं आवेदक राकेश तनय विद्याधर यादव द्वाराक्रय की गई भूमि ग्राम तखा तहसील टीकमगढ़ खसरा नंबर 271/1/1 जुंज रकवा 0.057 हे0 जो प्रकाशतनय राजधर यादव से दि. 16.08.96 को क्रय की थी जिसका नामान्तरण संशोधन पंजी क्रमांक 13 में आदेश दि. 30.10.98 को स्वीकृत किया गया था लेकिन उक्त भूमि पर पटवारी रिकार्ड में आवेदकगणों का दर्ज नहीं किये जाने से संबंधित आवेदन पर न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ में प्रकरण क्रमांक 71/अ-6अ/13-14 दर्ज किया जाकर जांच की गई । उक्त भूमि खसरा नं. 271/1/1 रकवा0.057 हे0 पर विक्रेता प्रकाश यादव का नाम दर्ज न होने के कारण क्रेता बृजकुंवर पत्नी सियाराम यादव एवं राकेश तनय विद्याधर याद व के नाम नामांतरण किये जाने का आवेदन तत्का0 तहसीलदार द्वारा निरस्त किया गया । आवेदकों द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के अपील प्रकरण क्र. 115/अपील/13-14 में पारित आदेश दि. 25.09.2014 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.05.2014 निरस्त किया गया है । (ग) संशोधन पंजी में नामांतरण स्वीकृत होने के बाद संशोधित प्रविष्टि को खसरा पंजी में दर्ज किये जाने की जिम्मेदारी संबंधित हल्का पटवारी की है, ऐसा न करने पर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी को पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के अधिकार हैं । (घ) अनुविभागीय अधिकार द्वारा पारित आदेश दि. 25-9-14 को पुनर्विलोकन में लिया जाकर रिकार्ड दुरूस्ती की कार्यवाही प्रचलित है । समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

नरसिंहपुर जिले के बंटवारे, सीमांकन के लंबित प्रकरण

78. **(क्र. 1112) श्री जालम सिंह पटेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिलान्तर्गत सीमांकन, बंटवारा एवं नामान्तरण के कितने प्रकरण किन-किन कारणों से लंबित है ? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? (ख) क्या शासन ने सीमांकन, बंटवारा, नामान्तरण के निराकरण की कोई समय-सीमा तय की है ? यदि हां, तो उक्त तय समय-सीमा में कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया है ? कितने किन कारणों से शेष है ? उनका निराकरण कब तक कर दिया जाएगा ? (ग) प्रकरण के निराकरण हेतु दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत विधिवत कार्यवाही के कारण लंबित है । जानकारी परिशिष्ट 'अ' पर है । (ख) जी हाँ । लोक सेवा प्रबंधन की अधिसूचना क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पीएसजी-04

दि. 10 अप्रैल 2013 में निर्धारित प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा निम्नानुसार है :- सीमांकन 30 दिवस अविवादित बंटवारा 90 दिवस अविवादित नामांतरण 30 दिवस नरसिंहपुर जिले में उक्त समय सीमा में निम्नानुसार प्रकरणों का निराकरण किया गया है :-

निराकृत प्रकरण			शेष प्रकरण		
सीमांकन	बंटवारा	नामांतरण	सीमांकन	बंटवारा	नामांतरण
178	472	1962	17	266	425

शेष प्रकरणों में न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत विधिवत प्रचलन में होने के कारण लंबित हैं, जो शासन द्वारा तय समय-सीमा में पूर्ण कर लिया जावेगा । (ग) प्रकरणों का निराकरण के संबंध में दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा समय सीमा में कार्य पूर्ण करने से जानकारी निरंक है ।

परिशिष्ट- "बाईस"

दमोह, पथरिया एवं बटियागढ़ में चेक-डेम का निर्माण

79. **(क्र. 1128) श्री लखन पटेल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2013-2014 एवं वर्ष 2014-2015 में दमोह जिले के अंतर्गत तहसील पथरिया, बटियागढ़ एवं दमोह में कितने चेक-डेम स्वीकृत किए गए ? कृपया स्थानवार पृथक-पृथक बतायें ? (ख) उपरोक्त वर्षों में स्वीकृत चेक-डेम हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई ? (ग) आवंटित राशि में से कितनी राशि व्यय की गई कितनी राशि शेष है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) वर्ष 2013-14 में 22 चेकडेम स्वीकृत किये गये है, एवं वर्ष 2014-15 कोई चेकडेम स्वीकृत नही हैं । शेष जानकारी प्रपत्र-"क" अनुसार है । (ख) वर्ष 2013-14 में रु. 434.80 लाख एवं वर्ष 2014-15 में रु. 126.41 लाख । (ग) उत्तरांश "ख" अनुसार आवंटित सम्पूर्ण राशि व्यय की जा चुकी है, कोई भी राशि शेष नहीं है ।

परिशिष्ट- "तेईस"

भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 के अंतर्गत भूमि सुधार

80. **(क्र. 1129) श्री लखन पटेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले के दमोह, पथरिया एवं बटियागढ तहसीलों में धारा 89 (राजस्व संहिता) अंतर्गत मई 2014 से अक्टूबर 2014 तक भूमि सुधार के कितने लंबित मामलों पर निर्णय लिया गया है ? (ख) प्रत्येक तहसील के राजस्व-मंडलवार लंबित प्रकरणों की संख्या क्या है ? (ग) लंबित प्रकरणों का निपटारा क्या दिसम्बर 2014 तक कर लिया जावेगा ? (घ) यदि नहीं तो किस माह या वर्ष तक लंबित प्रकरणों का निपटारा किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) दमोह जिले में तहसील दमोह पथरिया बटियागढ म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 89 के अंतर्गत मई 2014 से अक्टूंबर 2014 तक तहसील दमोह में 34 पथरिया में 31 एवं बटियागढ में कुल 103 भूमि सुधार के प्रकरणों का निराकरण किया गया है । (ख) जिले में प्रत्येक तहसील के राजस्व निरीक्षक मंडलवार 174 लंबित प्रकरण हैं, जो निम्नानुसार हैं.

तहसील	रा.नि.मण्डल	लंबित प्रकरण की संख्या
दमोह	दमोह 1	06
	दमोह 2	03
	हिंडोरिया	03
	अभाना	निल
पथरिया	पथरिया	87
	सदगुवां	34
	नरसिंहगढ	09
बटियागढ	बटियागढ	09
	फतेहपुर	23
		174

(ग) न्यायालयीन कार्यवाही पूर्ण होते ही प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा । (घ) लंबित प्रकरणों की जांच राजस्व निरीक्षक पटवारी की टीम गठित कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन मंगाया गया है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही प्रकरणों का निराकरण कर दिया जायेगा । समय.सीमा बताना संभव नहीं है ।

कृषि महोत्सव 2014 के व्यय राशि

81. **(क्र. 1136) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि महोत्सव 2014 में सीहोर जिले में कितनी राशि किन-किन मदों में खर्च की गई है ? (ख) सीहोर जिले के किसानों के हित में जो कृषि क्रान्ति रथ के माध्यम से प्रचार-प्रसार व शासन की योजनाओं से प्रश्नांश(क) अवधि में लाभांवित किसानें की संख्या एवं कृषि क्रान्ति रथ में होने वाले व्यय की जानकारी उपलब्ध करायें ? (ग) प्रदेश भर में कृषि महोत्सव 2014 के अंतर्गत कितने कृषि रथ बनाए गए । सीहोर जिले में रथों के संचालन में टेंडर की क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? (घ) सीहोर जिले में रथ के संचालन में कृषि महोत्सव के प्रचार प्रसार हेतु कितनी प्रचार सामग्री छपवाई गई और उस पर कितना व्यय हुआ ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कृषि महोत्सव में सीहोर जिले में कुल राशि 41.52091 लाख व्यय की गई । विवरण परिशिष्ट-1 पर है । (ख) कृषि क्रांति रथ के माध्यम से प्रचार-प्रसार व शासन की योजनाओं से प्रश्नांश (क) अवधि में 41943 किसान लाभान्वित हुए । कृषि क्रांति रथ पर कुल राशि रूपये 6.49574 लाख व्यय हुआ । (ग) कृषि महोत्सव 2014 के अंतर्गत 313 कृषि रथ प्रदेश में बनाये गये । सीहोर जिले में रथों के संचालन हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रसारित कर जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा दर एवं एजेन्सी निर्धारित की गई । (घ) सीहोर जिले में रथ के संचालन में कृषि महोत्सव के प्रचार-प्रसार हेतु छपवाई गई सामग्री की जानकारी परिशिष्ट-2 पर है । प्रचार-प्रसार पर कुल राशि रूपये 7.54885 लाख व्यय हुआ ।

परिशिष्ट- "चौबीस"

मण्डला जिले में संचालित नल जल योजनाएं

82. **(क्र. 1152) श्री रामप्यारे कुलस्ते :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वित्तीय वर्ष, 2013-2014 में मण्डला जिले के नारायणगंज, निवास सब डिवीजन में कुल कितनी नल जल योजनाऐं और कहाँ-कहाँकिस स्थान पर संचालित हैं, वर्तमान समय में इनकी क्या स्थिति हैं ? (ख) क्या सभी नल जल योजनाऐं संचालित हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी और कहाँ-कहाँ की योजनाऐं बंद हैं, योजना किस दिनॉक से बंद हैं, योजनाओं का बंद होने के क्या कारण हैं ? (ग) इन योजनाओं को प्रारंभ करने के लिये क्या प्रावधान हैं इन नल जल योजनाओं को कब तक प्रारंभ कर लिया जावेगा, निश्चित तिथि बतावें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रश्नाकिंत अवधि में सब डिविजन नारायणगंज में 24 नलजल प्रदाय योजनाऐं तथा सब डिवीजन निवास में 20 नलजल प्रदाय योजनाऐं संचालित थी । शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है । (ख) जी नहीं । शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है । (ग) नलजल योजनाओं को क्रियान्वयन उपरांत संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाता है । हस्तांततिरत योजनाओं के संचालन संधारण की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पचायंत की होती है, तथापि स्रोत के कारण बंद नलजल योजनाओं को विभाग द्वारा नवीन पेयजल स्रोत विकसित कर पुनर्जीवित किया जाता है । प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 1 अनुसार है ।

मण्डला जिले में किसानों को ऋण पुस्तिका वितरण

83. **(क्र. 1155) श्री रामप्यारे कुलस्ते :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले की निवास तहसील में वर्ष, 2013-14 में क्या सभी किसानों को नि:शुल्क ऋण पुस्तिका का वितरण कर दिया गया है एवं जिले में फौतीनामा के सभी प्रकरणों में कार्यवाही कर नामांतरण किया जा चुका है, तथा किसानों के आवेदन पर उनकी जमीनों का अपडेशन कर दिया गया है ? (ख) अप्रैल, 2014 से प्रश्न दिनॉक तक निवास तहसील में कुल कितने किसानों को ऋण पुस्तिका प्रदान की गई है, कुल कितने किसानों की पुरानी ऋण पुस्तिका जमा कराई गई हैं, कुल कितने किसानों को किन्हीं कारणोंवश द्वितीय ऋण पुस्तिका प्रदान की गई है, पृथक-पृथक जानकारी देवें ? (ग) निवास तहसील में फौतीनाम के कुल कितने प्रकरणों का निराकरण कर नामांतरण किया जा चुका है, कितने लंबित हैं और किन कारणों से हैं ? (घ) क्या निवास तहसील में प्रश्न दिनॉक तक जमीनों के अपडेशन संबंधित किसान के आवेदन अनुसार जैसे फसल, पड़त भूमि, कपिल धारा कूप, ट्यूब वैल, सिंचित असिंचित के अपडेशन राजस्व रिकार्डों एवं कम्प्यूटर पर किया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । (ख) तहसील निवास अंतर्गत अप्रैल 2014 से प्रश्न दिनांक तक 348 ऋण पुस्तिकाओं का वितरण एवं 348 पुरानी ऋण पुस्तिकाएं जमा करायी गईं तथा 08 दिव्तीय ऋण पुस्तिकाएं प्रदान की गई हैं । (ग) निवास तहसील में फौतीनामा के 1306 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है तथा 11 प्रकरण नि:संतान भूमि स्वामियों के मृत होने से उत्तराधिकारी की जांच हेतु प्रकरण विचारण में है । (घ) जी हां, तहसील निवास अंतर्गत अपडेशन कार्य पूर्व में भी कराया गया है एवं वर्तमान में जमीनों के अपडेशन संबंधित किसान के आवेदन अनुसार जैसे फसल, पडत भूमि, कपिल धारा कूप, ट्यूबवेल, सिंचित, असिंचित के अपडेशन राजस्व रिकार्डों एवं कम्प्यूटर पर किया जा रहा है ।

उज्जैन जिले में बंटवारा, नामांतरण के लंबित प्रकरण

84. **(क्र. 1160) डॉ. मोहन यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिलान्तर्गत सीमांकन, बंटवारा एवं नामान्तरण के कितने प्रकरण किन-किन कारणों से लंबित हैं, विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? (ख) क्या शासन ने सीमांकन, बंटवारा, नामान्तरण के निराकरण की कोई समय सीमा तय की गई है, यदि हाँतो उक्त तय समय सीमा में कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया है, कितने किन कारणों से शेष हैं, उनका निराकरण कब तक कर दिया जाएगा ? (ग) प्रकरणों के निराकरण हेतु दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) सीमांकन के प्रकरण विगत वर्षा ऋतु एवं फसल खड़ी होने के कारण बंटवारा एवं नामांतरण के प्रकरण स्वत्व संबंधी विवाद, आपत्ति, साक्ष्य संबंधित दस्तावेज एवं जवाब के अभाव में न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत लंबित है । लंबित प्रकरणों की जानकारी परिशिष्ट 'अ' पर है । (ख) जी हाँ । शासन द्वारा म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत सीमांकन एवं अविवादित नामान्तरण के लिए 30 कार्य दिवस तथा अविवादित बंटवारे के लिए 90 कार्य दिवस तय की गई है । (ग) प्रकरणों का निराकरण म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाता है । अधिनियम में अधिकारी/ कर्मचारी के दोषी पाये जाने पर दण्ड का प्रावधान भी है ।

परिशिष्ट- "पच्चीस"

राघौगढ़ एवं आरोन विकासखण्ड में अनुदान का वितरण

85. **(क्र. 1166) श्री जयवर्द्धन सिंह :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राघौगढ़ एवं आरोन विकासखण्ड में कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विगत तीन वर्षों में किसानों को कितना अनुदान मिला है एवं अनुदान का वितरण कितना हुआ ? दोनो विकासखण्डो के हितग्राहियों की संख्या देवे ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) राघौगढ़ एवं आरोन विकासखंड में विगत 3 वर्षो में 918.53 लाख राशि का अनुदान वितरण किया गया । दोनो विकासखंडों में 35567 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया । विवरण परिशिष्ट -"एक" पर है ।

परिशिष्ट- "छब्बीस"

नलकूप का खनन

86. **(क्र. 1169) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग द्वारा भूजल स्तर सर्वेक्षण के आधार पर नलकूप खनन और पानी का अपव्यय रोकने के लिए वॉटर रिचार्ज पिट निर्माण का प्रावधान है ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिपेक्ष्य में यदि उत्तर हाँहै तो, जिला धार अंतर्गत विगत 3 वर्षों में भूजल स्तर सर्वेक्षण कब-कब किया गया व कितने वॉटर रिचार्ज पिट का निर्माण किया गया ? उल्लेखित कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि का व्यय माहवार और ग्रामवार किया गया ? (ग) प्रश्नांश (ख) के विगत 3 वर्षों में भूजल स्तर की जानकारी विकासखंडवार प्रदान करें ? (घ) प्रश्नांश (क) के परिपेक्ष्य में क्या यह सही है कि कुक्षी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नलकूपों का खनन भूजल सर्वेक्षण के आधार पर नहीं किया है और न ही वॉटर रिचार्ज पिट का निर्माण,

जिस कारणवश डही व कुक्षी विकासखण्ड क्षेत्रांतर्गत बहुत से हैण्डपंप बंद पड़े है ? यदि हाँतो, शासन पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था करेगा और प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन ना करने वाले अधिकारियों पर क्या और कब तक कार्यवाही करेगा ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ । पानी का अपव्यय रोकने के लिये वाटर रिचार्ज पिट के निर्माण का प्रावधान नहीं है, तथापि इस हेतु खनन स्थल पर परिस्थिति अनुसार साँकेज़ पिट निर्माण किया जाता है (ख) भूजल स्तर के ऑकलन हेतु जिले के प्रत्येक विकासखण्ड के निर्धारित 10-10 नलकूपों का जलस्तर प्रतिमाह लिया जाता है, जो प्रश्नावधि में भी लिया गया है । किसी भी वाटर रिचार्ज पिट का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है । भूजल स्तर ऑकलन हेतु जलस्तर नापे जाने का कार्य विभागीय अमले के द्वारा किया जाता है, इस हेतु पृथक से कोई भी राशि व्यय नहीं की जाती (ग) जानकारी परिशिष्ट-"एक" के अनुसार है । (घ) जी नहीं, नलकूपों का खनन भूजल सर्वेक्षण के आधार पर ही किया गया है तथापि वाटर रिचार्ज पिट के निर्माण का प्रावधान न होने से यह कार्य नहीं किया गया है । जी नहीं । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट- "सत्ताईस"

<u>प्रदेश में ड्रिप स्पिंकलर योजना में अनियमितता</u>

87. **(क्र. 1186) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में ड्रिप स्पिंकलर (डीपइरीबोशन) योजना किस उद्देश्य को लेकर कब से संचालित है ? (ख) उक्त योजना के लिए प्रदेश में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत/आवंटित की गई थी ? (ग) उक्त योजनांतर्गत ग्वालियर चंबल-संभाग एवं होशंगाबाद संभाग में उक्त अवधि में कितनी राशि का आवंटन किया गया था एवं किस जिले में कितने पात्र कृषक लाभांवित हुए ? कृपया भिण्ड जिले सहित लाभांवित कृषकों संख्या बतावें ? (घ) क्या यह सही है कि उक्त योजना का लाभ पात्र कृषकों को नहीं दिया जाकर विभाग के अधिकारियों ने आर्थिक भ्रष्टाचार किये जाने की शिकायतें विगत वर्षो में प्राप्त हुई है ? (ड.) यदि हां, तो उक्त शिकायतों की जांच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) प्रदेश में ड्रिप, स्प्रिंकलर (ड्रिपइरीगेशन) योजना के नाम से कोई योजना संचालित नहीं है । अपितु राज्य माइक्रोइरीगेशन मिशन के नाम से योजना संचालित है । जिसका मुख्य उद्देश्य उपलब्ध सिंचित जल का अधिकतम सदुपयोग कर कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की गई है । (ख) उक्त राज्य माइक्रोइरीगेशन मिशन योजना के अंतर्गत ड्रिप स्प्रिंकलर वर्ष 2012-13 में राशि रू0 579.44 लाख एवं वर्ष 2013-14 में राशि 889.80 लाख आवंटित की गई थी । (ग) उक्त योजनांतर्गत ग्वालियर, चंबल एवं होशंगाबाद संभाग में जिलेवार, वर्षवार भिण्ड जिले सहित आवंटन एवं लाभान्वित कृषकों की संख्या की जानकारी परिशिष्ट - "एक" पर है । (घ) योजना का लाभ पात्र कृषकों को ही दिया गया है । विभाग में कोई शिकायतें विगत वर्षो में प्राप्त नही हुई है । (ड़) शिकायतें प्राप्त न होने से जांच करने का प्रश्न हीं नही उठता ।

परिशिष्ट- "अट्ठाईस"

<u>बैरसिया में ADJ न्यायालय की स्थापना</u>

88. **(क्र. 1192) श्री विष्णु खत्री :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैरसिया तहसील मुख्यालय पर ADJ अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही/ प्रयास किये

गये हैं, पूर्णत: स्पष्ट करें ? (ख) क्या शासन इसी वित्त वर्ष, 2014-15 में न्यायालय की स्थापना के लिये सहमत है, यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्या कारण हैं ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) बैरसिया तहसील मुख्यालय पर एडीजे अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को उक्त प्रस्ताव पर अभिमत प्रदान करने का अनुरोध किया गया । माननीय उच्च न्यायालय ने प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए ऐसा न्यायालय स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत न्यायिक अधिकारी के निवास के लिये आवास गृह एवं न्यायालयीन स्टाफ उपलब्ध कराने का अनुरोध शासन से किया है । उच्च न्यायालय ने यह भी अवगत कराया है कि बैरसिया में न्यायालय परिसर में ए0डी0जे के न्यायालय के लिये पूर्व में न्यायालय कक्ष निर्मित किया गया है जिसमें अपेक्षित सुधार के पश्चात् न्यायालय के उपयोग मे लाया जा सकता है । तद्नुसार कलेक्टर, भोपाल को न्यायाधीश की गरिमा के अनुरूप उपयुक्त शासकीय आवासगृह की उपलब्धता के संबंध में शासन को अवगत कराने तथा उच्च न्यायालय द्वारा अवगत कराए अनुसार पूर्व में निर्मित न्यायालय कक्ष में अपेक्षित एवं आवश्यक सुधार कार्य कराए जाने हेतु लिखा गया है । (ख) जी नही । नियमित न्यायालय स्थापित किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप समस्त आवश्यक मूलभूत सुविधाएं अभी उपलब्ध नही होने के कारण ।

<u>बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में ट्यूब बेल खनन</u>

89. **(क्र. 1193) श्री विष्णु खत्री :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नलकूप खनन के शासन के क्या मापदण्ड है पूर्णत: स्पष्ट करें ? (ख) क्या नये नल कूप खनन किय जाने में जनप्रतिनिधियों की सलाह/अनुशंसा पर भी विचार कर उनकी अनुशंसाओं पर अमल करने का प्रावधान है ? (ग) बैरसिया विधान सभा क्षेत्र में 1/04/2014 के पश्चात कितने नये नलकूप/खनन किये गये एवं इनके खनन के स्थल चयन में किस-किस जनप्रतिनिधि की अनुशंसा को शामिल एवं मान्य किया गया बतायें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) नलकूप खनन मात्र के लिये पृथक से शासन के कोई मापदण्ड नहीं है । ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पेयजल स्रोत निमार्ण के निर्धारित मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"क"अनुसार है, जिनमें नलकूप खनन कार्य भी सम्मिलित है । (ख) जी हाँ । (ग) कुल 69 नलकूप खनित किए गए । शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ख" अनुसार ।

<u>नवलखा सीड़स कंपनी की जांच</u>

90. **(क्र. 1197) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवलखा सीड़स कंपनी महिदपुर के विरूद्ध जांच आदेश जारी होने पर भी अभी तक जांच क्यों नहीं की गई है ? (ख) जांच अभी तक लंबित रखने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बताएं ? (ग) जांच समिति के अध्यक्ष को किस आधार पर बदला गया ? (घ) उपरोक्त जांच कब तक पूरी कर ली जावेगी, समयसीमा दें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) नवलखा सीडस कंपनी महिदपुर के विरूद्ध जांच की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है । गठित जांच दल से जांच प्रतिवेदन दिनांक 27/11/2014 को ही प्राप्त हुआ है । परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । (ख) जांच "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) संचालक कृषि के आदेश दिनांक 17/07/2014 द्वारा जांच दल का गठन किया गया था जिसमें जांच दल के अध्यक्ष उज्जैन संभाग के

संयुक्त संचालक कृषि को बनाया गया था । अत: निष्पक्ष जांच के उद्देश्य से शासन स्तर से जांच दल में संभाग के बाहर के संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी को संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म0प्र0 भोपाल के आदेश दिनांक 16/09/2014 द्वारा जांच दल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया । (घ) गठित जांच दल से जांच प्रतिवेदन दिनांक 27-11-14 को ही प्राप्त हुआ है । जांच प्रतिवेदन का परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

ग्रामीण कृषि विकास केन्द्र एवं डीप अनुदान स्वीकृत कृषकों की संख्या

91. **(क्र. 1205) श्री रमेश पटेल :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बडवानी विधान सभा क्षेत्र के बडवानी एवं पाटी विकास खण्ड में स्वीकृत ग्रामीण कृषि विस्तार अधीक्षक के कितने केन्द्र हैं ? प्रत्येक केन्द्र का नाम एवं केन्द्र में सम्मिलित गावों के नाम उपलब्ध करावें ? (ख) वर्ष, 2012-13 में बड़वानी एवं पाटी विकास खण्ड में ग्रा. कृ. वि. केन्द्र की संख्या कम कर दी है, क्यों, कारण बतावें ? (ग) बड़वानी विकास खण्ड में ग्राम तलून (बजहाखुर्द) में केंद्र सन् 1956 से स्वीकृत है, तथा उक्त ग्राम में, बीज निगम एवं कृषि विज्ञान केन्द्र है ? किन्तु जिले के अधी. द्वारा उक्त केन्द्र को समाप्त कर दिया है ? कारण बतावें ? (घ) बड़वानी एवं पाटी विकासखण्ड में कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्ष, 2011, 2012, 2013 एवं 2014 में डीप अनुदान की जानकारी ग्रामवार कितने कृषकों को कितने एकड़ जमीन पर डीप अनुदान स्वीकृत किया है ? ग्रामवार कृषकों की संख्या देवें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) बडवानी विकासखण्ड में 10 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के केन्द्र है जिसमें 96 गॉव है एवं पाटी विकासखण्ड में 05 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के केन्द्र स्वीकृत है जिसमें 106 गॉव है । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" एवं "दो" पर । (ख) जी हॉ, विभाग के पत्र क्रमांक ए-1-ए/19/2007/14-1 दिनांक 30.06.2007 के अनुसार मध्यप्रदेश, भोपाल एवं अधीनस्थ कार्यालयों का कार्यालयवार/संवर्गवार पदों का निर्धारण (30 प्रतिशत पदों की कटौती एवं राज्य विभाजन के उपरांत) बडवानी केन्द्रों की संख्या कम की गई है । (ग) प्रश्नांश "ख" अनुसार पदों में कटौत्री होने से ग्राम तलुन (बजट्टाखुर्द) केन्द्र के कुल 07 ग्रामों को पास के केन्द्रों करी, बोरलाय एवं बीज गोदाम की सुविधा होने से अन्य केन्द्रों में समायोजित किया गया । (घ) बडवानी एवं पाटी विकास खण्ड में डिप अनुदान की जानकारी परिशिष्ट "तीन" पर है ।

रिक्त पदों की पूर्ति

92. **(क्र. 1208) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैतूल जिले में विधि एवं विधायी विभाग के अंतर्गत कौन से एवं कितने पद स्वीकृत हैं ? (ख) क्या यह सही है कि सहायक विधि अधिकारी (ए.जी.पी.) के पद विगत कई वर्षों से रिक्त है ? यदि हॉ, तो इनको रिक्त रखने का क्या कारण है ? (ग) जो पद रिक्त है कब तक भरे जाएंगे ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) बैतूल जिला मुख्यालय में शासकीय अभिभाषक का 01 पद तथा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के 02 पद के साथ ही तहसील मुलताई में अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के 02 पद स्वीकृत हैं । (ख) जी हाँ । किन्तु विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत नियुक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् भी वे उनकी पुनर्नियुक्ति होने तक अथवा उनके उत्तराधिकारी के कार्यभार संभालने तक कार्यरत रहते हैं । रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कलेक्टर जिला बैतूल से प्राप्त प्रस्ताव पर शासकीय अभिभाषक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया विचाराधीन है । (ग) नस्ती माननीय विधि मंत्री कार्यालय से प्राप्त होने पर तत्काल पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किये जा सकेंगें ।

एन.जी.ओ. द्वारा हितग्राहियों की राशि में अनियमितता

93. **(क्र. 1252) पं. रमेश दुबे :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में उपसंचालक हथकरघा के द्वारा विगत 2 वर्ष में कौन-कौन सी योजनाओं में किन-किन हितग्राहियों का चयन किया गया, तथा उन्हें कौन-कौन से उपकरण सीधे उपलब्ध कराये गये अथवा उपकरणों के क्रय हेतु सीधे उनके बैंक खातों में कितनी-कितनी धनराशि जमा करायी गयी ? विकासखण्डवार, ग्रामवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में विधान सभा क्षेत्र चौरई के विकास खण्ड विछुआ में डीजल/ मोटर पंप क्रय एवं अन्य उपकरण क्रय हेतु क्या कोई राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा करायी गयी थी ? यदि हां, तो हितग्राहियों के नाम पता व उनके बैंक खातों में जमा करायी गयी धनराशि की जानकारी दें ? यह भी बतावें कि हितग्राहियों के चयन की क्या प्रक्रिया है, तथा धनराशि बैंक खातों में अंतरण व उपकरणों के क्रय किये जाने की नियमों/निर्देशों में क्या व्यवस्था है ? नियम व आदेश निर्देश की प्रति संलग्न करें ? (ग) क्या यह सही है कि विकासखण्ड विछुआ के अंतर्गत चयनित हितग्राहियों के बैंक खाते में उपकरणों के क्रय आदि के लिए जमा करायी गयी रकम एक एन.जी.ओ. द्वारा हितग्राहियों को बहला-फुसलाकर उनसे बैंक खातों से राशि निकलवा ली गयी, तथा उन्हें न तो धनराशि मिल पायी और ना ही उपकरण प्राप्त हो सके ? (घ) प्रश्नांश (ग) का उत्तर यदि हां है, तो प्रश्नकर्ता के द्वारा उप संचालक हथकरघा को दूरभाष पर उक्त तथ्य ध्यान में लाये जाने पर संबंधित एन.जी.ओ. के विरूद्ध एवं इसमें लिप्त शासकीय/अशासकीय सेवकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में विभागीय योजनाएं एवं एकीक़त आदिवासी विकास परियोजना सौंसर अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद से हितग्राही चयन कर उपकरण क्रय हेतु राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई गयी है. योजनावार, विकास खण्डवार एवं ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट एक प्रपत्र ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है. (ख) जी हॉ. वर्ष 2012-13 में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सौंसर द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता मद से 112 आदिवासी हितग्राहियों को डीजल पम्प/दोना पत्तल/चूड़ी मनियारी वे टेन्ट हाउस हेतु रू0 20,000/- प्रति हितग्राही के मान से राशि रू0 22.40 लाख स्वीक़त होकर हितग्राही के खाते मे जमा कराने हेतु प्राप्त हुए थे. हितग्राही का नाम पता व बैंक खाते में जमा राशि की जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट एक ''स'' अनुसार है. हितग्राहियों के चयन हेतु एकीकृत आदिवासी परियोजना सौंसर से प्राप्त निर्देश दि0 11.9.12 एवं 28.01.13 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – "दो" अनुसार है.(ग) जी हॉ. चित्रांचल बहुउददेश्यीय सामाजिक संस्था भोपाल के अध्यक्ष द्वारा हितग्राहियों से आहरण पत्र पर हस्ताक्षर कराकर राशि का आहरण किया गया. उन्हे उपकरण या टूल किट प्रदाय नहीं हुआ है.(घ) माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा सहायक संचालक हाथकरघा से चर्चा नहीं की गयी है. स्थानीय सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य व हितग्राही से जानकारी प्राप्ति पर संस्था के अध्यक्ष को तलब किया गया. संस्था अध्यक्ष द्वारा शीघ्र कार्य पूर्ण करने का लिखित पत्र दिया गया तथा एक बार समय सीमा बढाने का अनुरोध किया गया. इसके पश्चात संस्था अध्यक्ष द्वारा परियोजना प्रशासक एवं अनुविभागीय अधिकारी से सम्पर्क कर दिनांक 20.11.14 तक का समय मांगा गया. दिनांक 21.11.14 को प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सौंसर की जानकारी में लाकर संस्था अध्यक्ष व कर्मचारियों के विरूद्ध वैधानिक प्रकरण दायर करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है. प्रकरण में कोई शासकीय सेवक लिप्त नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व मंत्री के आश्वासन की पूर्ति न किया जाना

1. **(क्र. 1) श्री संजय उइके :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि रीवा जिले की तहसील हुजूर के ग्राम कुल्लू में शासकीय तालाब के किनारे 09 लोगों द्वारा अतिक्रमण किया है । जिसे तत्कालीन राजस्व मंत्री जी ने विधान सभा में तारांकित प्रश्न क्रमांक 05, दिनांक 15.03.2007 में सदन में चर्चा के दौरान 02 माह में हटाने का आश्वासन दिया था ? (ख) यदि हां तो क्या उक्त आश्वासन की पूर्ति कर दी गई है । यदि नहीं तो क्यों और इसके लिये कौन-कौन दोषी है तथा उक्त अतिक्रमण हटाने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक अतिक्रमण हटा दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां। (ख) जी हां। दिनांक 30.11.2014 को अतिक्रमण हटा दिया गया है ।

पोषण आहार सप्लाई के दिशा निर्देशों का पालन न किया जाना

2. **(क्र. 14) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में वर्ष 2014-15 के लिए पोषण-आहार हेतु कितनी राशि का बजट स्वीकृत हुआ है एवं विभाग द्वारा पोषण-आहार सप्लाई की वर्तमान में क्या नीति है ? (ख) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आंगनवाड़ी एवं आई.सी.डी.एस. के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों से पोषण-आहार का वितरण करने में ठेकेदारों को सम्मिलित न किये जाने एवं महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से पोषण-आहार सप्लाई किये जाने के स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये गये है ? (ग) यदि हां, तो क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त दिशा-निर्देशों की अवेहलना करते हुए एम.पी. एग्रो एवं ठेकेदारों के साथ ज्वाइंट वेन्चर कंपनी बनाकर पोषण आहार सप्लाई किया जा रहा है ? यदि हां, तो एम.पी. एग्रो के साथ किन-किन ठेकेदारों के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाया गया है ? (घ) क्या उक्त सप्लाई पोषण-आहार निम्न गुणवत्ता का है, जिसके कारण प्रदेश में कुपोषितों की संख्या बढ़ रही है ? (ड.) क्या शासन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार पोषण आहार सप्लाई का कार्य महिला स्व-सहायता समूह को सौंपने की कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) प्रदेश में वर्ष 2014-15 के लिये पोषण आहार मद में कुल राशि रू. 1150.14 करोड़ एवं सबला योजनांतर्गत पोषण आहार मद में राशि रू. 144.18 करोड़ का बजट प्रावधान है । राज्य मंत्री परिषद द्वारा लिये निर्णयानुसार राज्य शासन द्वारा वर्तमान में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं एवं कि बालिकाओं को टेकहोम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था एम.पी.एग्रो के माध्यम से तथा 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सांझा चूल्हा कार्यक्रम तहत् मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत स्व सहायता समूहों के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में स्व सहायता समूह एवं महिला मण्डल के माध्यम से जिला स्तर से संचालित किये जाने का प्रावधान है । (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्देशों के परिपेक्ष्य में पोषण आहार व्यवस्था हेतु भारत सरकार महिला बाल विकास द्वारा जारी पत्र दिनांक 24.02.2009 एवं 09.05.2012 अनुसार पोषण आहार व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिये गये थे, तद्नुसार प्रदेश में पोषण आहार व्यवस्था लागू की गई है । भारत सरकार महिला बाल विकास के निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में मान. सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार महिला बाल विकास के निर्देशानुसार प्रदेश में पोषण आहार व्यवस्था लागू की गई है । (घ) जी

नही । (ड़) राज्य शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार ही वर्तमान में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सांझा चूल्हा कार्यक्रम तहत् मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत स्व सहायता समूहों के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में स्व सहायता समूह एवं महिला मण्डल के माध्यम से संचालित की जा रही है ।

कृषक प्रशिक्षण के नाम पर आर्थिक अनियमितताएं

3. **(क्र. 15) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2013-14 में मुरैना जिले के उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को बीज ग्राम योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों पर ही कृषकों के प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु 12 लाख रूपये की राशि का बंटन दिया गया ? (ख) उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मुरैना ने उक्त योजना के अंतर्गत कितने प्रशिक्षण कितने चरणों में करवाए गए, विकास खडवार प्रदाय राशि की जानकारी दें ? (ग) क्या वर्ष 2013-14 में अत्याधिक व लगातार वर्षा होने पर भी कृषकों के खेतों पर निर्धारित तीन-तीन चरणों में कृषक प्रशिक्षण आयोजित किए गये ? यदि हां, तो उनकी विकासखण्ड जानकारी उपलब्ध करावें ? यदि नहीं, तो क्या आवंटित राशि सरकार या आवंटन प्रदाय करने वाले अधिकारी को समर्पित की गई ? (घ) उक्त प्रशिक्षणों का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया ? योजना के अंतर्गत निर्धारित चरणों में किए जाने वाले प्रशिक्षण की निगरानी/मॉनिटरिंग की गई है ? (ड.) क्या उक्त राशि कागजों पर ही व्यय दर्शाकर आर्थिक अनियमितताएं की गई है ? यदि हां, तो क्या संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हॉ । (ख) 80 प्रशिक्षण तीन चरणो में कराये गए । विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर है । (ग) जी हॉ। विकास खंडवार आयोजित कृषक प्रशिक्षणों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर है । (घ) उक्त प्रशिक्षणों का निरीक्षण व.कृ.वि. अधि. अनु.वि.कृ.अधि., उपसंचालक एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया/ मॉनीटरिंग विभागीय अधिकारियों द्वारा कराई गई । (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट -''उनतीस''

किसानों को फसल बीमा भुगतान

4. **(क्र. 32) श्री कमलेश्वर पटेल :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. की कृषि दर सर्वाधिक 25 प्रतिशत् रही है ? यदि हां, तो इस गणना का स्त्रोत क्या है ? पिछले पांच सालों में खेती के रकबे में कितने हैक्टेयर का इज़ाफा हुआ ? (ख) कृषि महोत्सव में कितनी राशि पूरे प्रदेश में खर्च हुई ? रीवा संभाग में पिछले दो साल में अमानक बीज और खाद बेचने वाली एजेंसियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) विगत एक वर्ष में शून्य प्रतिशत् पर कृषि लोन देने की योजना से रीवा संभाग के कितने किसान लाभांवित हुये हैं ? जिलेवार जानकारी दें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हॉ । म.प्र. में वर्ष 2013-14 में कृषि क्षेत्र (पशुपालन) राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 24.99 प्रतिशत रही है । विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1' एवं '2' पर है । गणना का स्त्रोत केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त गणना पद्धति है । खेती के रकबे का विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '3' पर है । (ख) जानकारी संकलित की जा रही है । (ग) रीवा संभाग में कुल 151721 कृषक लाभान्वित हुये । जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'4' पर है ।

ओला, पाला पीड़ित किसानों को मुआवजा वितरण में हुई अनियमितता

5. **(क्र. 44) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि गत वर्ष सर्दी में अशोकनगर व गुना जिलों में ओला, पाला, अतिवृष्टि व चने की फसल में आफलन का किसानों को मुआवजा के लिए आकलन न कर पक्षपातपूर्ण तरीके से आकलन पटवारियों द्वारा कर एक ही परिवार के लोगों को 2-2 लाख रूपये का मुआवजा देने तथा कई गरीबों के नाम सूची में छोड़ने की शिकायत पर प्रभारी मंत्री जी अशोकनगर द्वारा एक समिति बनाने की घोषणा की थी ? (ख) यदि हां, तो इस समिति के तहत् एस.डी.ओ. एवं जिलाधीश अशोकनगर को कितने आवेदन किसानों से प्राप्त हुए, तथा इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने जिलाधीश अशोकनगर, एस.डी.ओ., प्रभारी मंत्री, अशोकनगर, राजस्व मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को जो पत्र लिखे उन पर क्या कार्यवाही हुई ? (ग) गत वर्ष अशोकनगर जिले में किस-किस गांव के कितने किसानों को कितना मुआवजा स्वीकृत हुआ ? क्या आकलन के समय नियमानुसार सरपंच, उपसरपंच गांव के दो प्रतिष्ठित अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उपलब्ध थे, तथा क्या पंचनामा बना था ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

जिनिंग कारखानों की भूमि के संबंध में

6. **(क्र. 54) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि म.प्र.शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन क्र. 636297 दिनांक 22.12.1997 के अनुसार प्रदेश में बंद पड़ी जिनिंग कारखानों की भूमि वापस लेकर नगरीय निकायों को सौपने के निर्देश के पालन में प्रदेश में कहॉ-कहॉ इस प्रकार की भूमि को स्थानीय निकायों को सौंपी गई तथा कहॉ-कहॉ न्यायालयों में प्रकरण जाने व अन्य कारणों से नहीं सौंपी जा सकी है ? यदि न्यायालय में विचाराधीन है तो क्या शासन ने अपील की है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

जावरा शहर में प्रीमियर आयल मिल की भूमि के संबंध में

7. **(क्र. 55) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में जावरा शहर में प्रीमियर आयल मिल की विवादग्रस्त भूमि शहर के मध्य में किस-किस खसरा नम्बर की, कितना-कितना रकबा है ? तथा उसमें से किस-किस नम्बर की भूमि नगरपालिका ने बस स्टेण्ड के लिए अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव किया ? किस तिथि को किया गया बाकी भूमि क्यों छोड़ी गई ? क्या तत्कालीन एस.डी.ओ. श्री राजेश जैन ने इस क्षेत्र की जिस भूमि का अतिक्रमण हटाया उसका व आसपास की भूमि का खसरा नम्बर बताते हुए यह बताये कि उन भूमियों पर किस-किस का कब्जा है व क्या इसके विरूद्ध अपील पेंडिंग है व अधिग्रहण के प्रस्ताव में इस भूमि को क्यों छोड़ा गया है ? (ख) क्या प्रीमियर आयल मिल की उक्त भूमि में कुछ भूमि का फैसला राजस्व मण्डल ग्वालियर से करवाकर कुछ लोगों ने हाईकोर्ट से उक्त आदेश के पालन के निर्देश ले लिये हैं ? यदि हॉ, तो इसका विवरण देते हुये उन लोगों के नाम बताये, जिन्होंने यह आदेश लिया है, तथा इस पर काबीज है ? क्या शासन ने उक्त भूमि में अपील की है, तथा यह आदेश किस तिथि को हुआ और अपील किस तिथि को हुई, तथा करोड़ो की कीमत की उक्त भूमि की अपील में देरी क्यों हुई ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) तहसील जावरा के ग्राम बन्नाखेड़ा में स्थित प्रीमियर आईल मिल की निम्नांकित भूमिया हैः- सर्वे क्र0 224 रकबा 1.050, सर्वे क्र0 225/1 रकबा 0.025, सर्वे क्र0 225/2 रकबा 0.010, सर्वे क्र0 226/1 पेकी रकबा 2.036, सर्वे क्र0 226/1 पेकी रकबा 0.013, सर्वे क्र0 226/2 रकबा 1.012, सर्वे क्र0 226/3/1 रकबा 0.588, सर्वे क्र0 226/3/2 रकबा 0.044, सर्वे क्र0 226/4 रकबा 0.253, सर्वे क्र0 226/5 रकबा 0.025, सर्वे क्र0 226/6 रकबा 0.020, सर्वे क्र0 226/7 रकबा 0.017, सर्वे क्र0 226/8 रकबा 0.064 कुल सर्वे नं0 13 रकवा 5.160 इस प्रकार कुल किता 13 करवा 5.160 हे0 भूमि का रिकार्ड है । उक्त भूमि में से सर्वे नं0 224 रकवा 1.050 हे0 226/1 पेकी रकवा 2.036 हेक्टर कुल रकवा 3.086 हेक्टर भूमि पर स्थित आवास एवं दुकान स्थल को छोड़ते हुये शेष भूमि नगर पालिका परिषद जावरा द्वारा संकल्प क्र0 442 दिनांक 29.05.2013 से भूमि अधिग्रहण का संकल्प पारित किया गया है । तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी जावरा श्री राजेश जैन द्वारा हटाये गये अतिक्रमण व आस पास के सर्वे नं0 निम्नानुसार हैः- सर्वे नं0 225/2 कुआ स्थित है । 226/5, 226/6, 226/7 एवं 226/8 दर्ज है । उक्त सर्वे नं0 226/5 पर प्रकाश, प्रदीपकुमार पिता पारसमल जैन के नाम दर्ज रिकार्ड है । कुछ हिस्से पर दुकान बनी है तथा जिस भूमि का अतिक्रमण हटाया गया था वह खुली पड़ी है । सर्वे नं0 226/6 पर प्रकाशचन्द्र प्रदीपकुमार पिता पारसमल जैन का नाम दर्ज है । मौके पर दुकान बनी है । जिस पर सरदारमल पिता कन्हैयालाल धारीवाल का कब्जा है । शेष भूमि खंडहर नुमा मकान है जिसमें कोई निवास नहीं करता है । सर्वे नं0 226/7 रकवा 0.017 हेक्टर भूमि पर चंदादेवी पति प्रदीपकुमार जैन नाम दर्ज है । मोके पर खंडहर नुमा मकान है । सर्वे नं0 226/8 रकवा 0.064 हेक्टर भूमि कुछ भाग पर धर्मचन्द चैपड का कब्जा है । तथा अन्य कमरे में मोटर बाईडिंग की दुकान लगाकर कब्जा कर रखा है । उक्त भूमि खसरा अनुसार बीरेन्द्र कुमार पिता बाबूलाल चन्द्रकान्ता पति बाबूलाल सुभाष चन्द्र पिता अनोखीलाल, मनिता कुमारी पिता भवरलाल, रूपरेखा पिता बाबूलाल, सुशीला बाई पति शैतानमल, राजमल पति मिट्ठीलाल सम्पतबाई पति मांगीलाल, कमलाबाई पति केसरीमल व कुसुमबाई पति ज्ञानचन्द संगीता पति अनिल कुमार आन्नदीलाल पिता उकारलाल एवं चन्दनबाला पति उकारलाल, मधुबाला पति सरदारमल जाति जैन निवासी जावरा के नाम दर्ज रिकार्ड है । उक्त भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में शासन की ओर से रिट याचिका क्र0 712/2014 (रिट याचिका क्र0 87/2006 (ओ.) से उद्भूत) को दिनांक 02.09.2014 को पेश की गई है । जो न्यायालय में विचाराधीन है । (ख) जी हा ॅ। राजस्व मंडल ग्वालियर के आदेश दिनांक 06.04.2011 एवं उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के आदेश दिनांक 16.07.2009 के अनुसार सर्वे नं0 225/2, 226/5 एवं 6/6रकवा क्रमशः 0.013, 0.025 एवं 0.020 हेक्टर भूमि बी-1 मे प्रकाशचन्द्र प्रदीपकुमार पिता पारसमल जैन निवासी जावरा के नाम दर्ज है । सर्वे नं0 225/1, 226/1 मिन 1 रकवा क्रमशः 0.025, 0.013 पर शेतानमल केसरीमल पिता मांगीलाल सरदारमल पिता उकारमल संगीता कुमारी पिता अनोखीलाल जैन निवासी जावरा के नाम दर्ज है । सर्वे नम्बर 226/7 रकवा 0.017 चंदादेवी पति प्रदीपकुमार जैन निवासी जावरा एवं सर्वे नं0 226/8 रकवा 0.064 वीरेन्द्रकुमार पिता बाबूलाल चन्द्रकांता पति बाबूलाल सुभाषचन्द्र पिता अनोखीलाल मनिता कुमारी पिता भवरलाल, रूपरेखा पिता बाबूलाल, सुशीला बाई पति शैतानमल, राजमल पति मिट्ठीलाल सम्पतबाई पति मांगीलाल, कमलाबाई पति केसरीमल व कुसुमबाई पति ज्ञानचन्द संगीता पति अनिल कुमार आन्नदीलाल पिता उकारलाल एवं चन्दनबाला पति उकारलाल, मधुबाला पति सरदारमल जाति जैन निवासी जावरा के नाम दर्ज रिकार्ड दर्ज कराया गया है । एवं वर्तमान में उक्त सर्वे क्रमांको की भूमि पर उक्त व्यक्ति ही काबिज है । विधान सभा एवं लोक सभा निर्वाचन के महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्तता होने तथा बन्दोबस्त की नकल व भूमि संबंधी अन्य राजस्व रिकार्ड प्राप्त करने एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ म.प्र. इन्दौर में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण उक्त रिट अपील समयावधि में प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी। दिनांक 02.09.2014 को रिट अपील क्रमांक 712/2014 प्रस्तुत की गई है ।

कृषि क्रान्ति रथ एवं कृषि प्रचार-प्रसार पर व्यय

8. **(क्र. 64) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2014 में आयोजित कृषि क्रान्ति रथ एवं कृषि विभाग में विभिन्न मदों के अंतर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई ? मदवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) दमोह जिले के किसानों के हित में जो कृषि क्रांति रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार व शासन की योजनाओं से प्रश्नांश (क) अवधि में लाभान्वित किसानों की संख्या एवं कृषि क्रान्ति रथ में होने वाले व्यय की जानकारी उपलब्ध कराये ? (ग) दमोह जिले की हटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत तीन वर्षों में कितने बलराम तालाब बनाये गये ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क)दमोह जिले में वर्ष 2014 में कृषि क्रांति रथ हेतु राशि रूपये 10.50 लाख प्राप्त हुई एवं विभिन्न मदों में प्राप्त मदवार राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है । (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में 97524 किसानों को लाभान्वित किया गया एवं कृषि क्रांति रथ पर राशि रूपये 9.5587 लाख व्यय किया गया । (ग) हटा विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में 99 बलराम तालाब बनाये गये हैं ।

डी.पी.ओ., आई.सी.डी.एस. शिवपुरी द्वारा प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही

9. **(क्र. 68) श्री राम सिंह यादव :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सी.डी.पी.ओ. बदरवास द्वारा उनके पत्र क्रमांक 455 दिनांक 10/06/2014, पत्र क्रं. 282 दिनांक 25/09/2014, पत्र क्रं. 1014 दिनांक 30/09/2014, पत्र क्रं. 1022 दिनांक 09/10/2014 एवं पत्र क्रं. 1034 दिनांक 20/10/2014 से जांच प्रतिवेदन डी.पी.ओ., आई.सी.डी.एस. शिवपुरी को प्रेषित किए गए है ? यदि हां तो ? उक्त प्रतिवेदनों की संलग्न दस्तावेजों सहित छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें कि उक्त प्रतिवेदनों में किन-किन प्रतिवेदनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रतिवेदनों पर कार्यवाही करने में अनावश्यक विलम्ब किसी घोटाले का दबाने के लिये किया जा रहा है ? यदि हां तो क्यों ? यदि नहीं तो प्राप्त प्रतिवेदनों में विलम्ब का क्या कारण है ? (ग) क्या डी.पी.ओ., आई.सी.डी.एस. शिवपुरी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2055 दिनांक 15/09/2014 द्वारा सी.डी.पी.ओ. बदरवास से जांच प्रतिवेदन चाहा गया था ? यदि हां तो सी.डी.पी.ओ. द्वारा उक्त जांच प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

जिला स्तरीय आपत्ति निराकरण समिति की बैठक दिनांक 09/07/2014 में लिए गए निर्णयों की जानकारी

10. **(क्र. 69) श्री राम सिंह यादव :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या दिनॉक 09/07/2014 को जिला स्तरीय आपत्ति निराकरण समिति की बैठक आयोजित की गई थी ? यदि हां तो उक्त बैठक में कौन-कौन पदाधिकारी उपस्थित थे ? समिति द्वारा बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए ? (ख) डी.पी.ओ., आई.सी.डी.एस. शिवपुरी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रं. 1891 दिनांक 27/08/2014 एवं पत्र क्रं. 1997 दिनांक 09/09/2014 एवं पत्र क्रं. 2129 दिनांक 24/09/2014 के साथ संलग्न दस्तावेजों में क्या अलग-अलग निर्णयों की जानकारी दी गई है ? यदि हां तो किस निर्णय की क्या-क्या अलग जानकारी दी गई है ? वर्णित पत्रों की दस्तावेजों सहित प्रति संलग्न कर जानकारी दें ? (ग) क्या उक्त बैठक में उपस्थित कुल 06 सदस्यों में से 02 निर्वाचित जनप्रतिनिधि समिति सदस्यों के निर्णयों पर हस्ताक्षर नहीं है ? यदि हां तो उनके किन-किन निर्णयों पर

हस्ताक्षर क्यों नहीं है ? क्या बैठक के लगभग 45 दिन बाद प्रोसीडिंग हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत की गई थी ? इसलिए उनके द्वारा बैठक के निर्णय बदले होने के कारण हस्ताक्षर नहीं किए गए ? (घ) उक्त बैठक दिनांक 09/07/2014 के निर्णयों के क्रम में डी.पी.ओ., आई.सी.डी.एस. शिवपुरी द्वारा क्या-क्या पत्राचार सी.डी.पी.ओ. से दिनॉक 09/07/2014 से दिनांक 10/11/2014 तक किया गया है ? किए गए पत्राचार की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हां । बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' अनुसार है । बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो '' अनुसार है । (ख) जी हां । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "तीन" अनुसार है । (ग) ''क'' में दर्शाये अनुसार बैठक दिनांक 09.07.2014 की बैठक प्रोसेडिंग एवं बैठक पंजी में किये गये हस्ताक्षरों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' एवं ''दो'' अनुसार है । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''तीन'' अनुसार है ।

<u>शिवपुरी जिले की बदरवास तहसील के अंतर्गत शासकीय भूमि का गलत नामांतरण</u>

11. **(क्र. 70) श्री राम सिंह यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तहसील बदरवास के ग्राम एवं पटवारी हल्का नम्बर 43 ढकरोरा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 1166/3 रकवा 0.770, 1188 रकवा 0.450, 1190/1 रकवा 1.890, 1190/2 रकवा 0.260, 1191 रकवा 0.190, 1192 रकवा 0.920 (कुल रकवा 4.48) पटवारी महेश कुमार शर्मा द्वारा अपने पुत्र देवेन्द्र कुमार शर्मा के नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज कर दी है ? यदि हां, तो उक्त शासकीय भूमि कब और किसके आदेश से देवेन्द्र कुमार शर्मा के नाम दर्ज की गई ? (ख) क्या पटवारी श्री महेश कुमार शर्मा द्वारा ग्राम सीतानगर पटवारी हल्का नम्बर 42 अकोदा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 321/1 रकवा 1.000, सर्वे नं. 321/2 रकवा 1.730, सर्वे नं. 321/3 रकवा 1.000, सर्वे 321/4 रकवा 1.000 (कुल रकवा 4.73) अपने दूसरे पुत्र श्री घनश्याम शर्मा के नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज कर दी है ? यदि हां, तो उक्त शासकीय भूमि कब और किसके आदेश से दर्ज की गई ? (ग) प्रश्न (क) एवं (ख) में वर्णित भूमि खसरा नं. एवं रकवा श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एवं श्री घनश्याम शर्मा पुत्रगण महेश कुमार शर्मा (पटवारी) के नाम पर नामांतरण होने/दर्ज होने के पूर्व किसके नाम पर दर्ज थी ? यदि शासकीय भूमि पटवारी द्वारा अपने पुत्रों के नाम कर दी गई है, तो पटवारी के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्या प्रश्नकर्ता ने कलेक्टर, जिला शिवपुरी से अपने पत्र क्रमांक 277 दिनांक 24/09/2014 (कलेक्टर कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 24/09/2014) से प्रश्नाधीन वर्णित प्रकरण की जांच करा कर वैधानिक कार्यवाही करने का अनुरोध किया था ? यदि हॉ, तो क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हॉ । पटवारी श्री महेश कुमार शर्मा की तत्समय पदस्थापना के दौरान अपने पुत्र देवेन्द्र कुमार शर्मा के नाम वसियत के आधार पर तत्कालीन न्यायालय अपर तहसीलदार रन्नौद के आदेश दि. 25-9-2011 द्वारा की गई है । (ख) जी हॉ । दूसरे पुत्र धनश्याम शर्मा के नाम भूमिस्वामी के रूप में वसीयत के आधार पर न्यायालय अपर तहसीलदार रन्नौद के आदेश दि. 30.9.2011 से दर्ज की गई है । (ग)) ग्राम ढकरौरा-

सर्वे नं.- रकवा(हे0), भूमि स्वामी
1160/3- 0.77 जगदीश पुत्र ढडकोला जाटव
1188- 0.45 आलू पुत्र भीका चमार
1190/2 - 0.26 आलू पुत्र भीका चमार
1191- 0.19 आलू पुत्र भीका चमार
1192- 0.92 आलू पुत्र भीका चमार
1190/1-1.89 लल्लू पुत्र सरदार मेहतर
उपरोक्त के नाम भूमिस्वामी (विक्रय से वर्जित) दर्ज थी
321/1-1.00 पणू पुत्र कसिया चमार
321/2-1.73 पप्पू पुत्र भगडू चमार
321/3-1.00 कैलाश पुत्र कसिया चमार
321/4-1.00 पुनुआ पुत्र मंगू चमार
उपरोक्त के नाम भूमिस्वामी (विक्रय से वर्जित) दर्ज थी। विक्रय से वर्जित भूमि किस प्रकार अंतरित हुई, इसकी जांच की कार्यवाही की जा रही है । (घ)जी हॉ। जिसमें प्रश्नाधीन वर्णित प्रकरण की जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी कोलारस को कलेक्टर, शिवपुर के कार्यालयीन पत्र दि. 28.09.14 द्वारा निर्देशित किया गया है ।

ग्राम पंचायत बड़ाघाट, जनपद बल्देवगढ़, जिला-टीकमगढ़ के मतदाताओं के नाम यथावत रखे जाने बावत्

12. **(क्र. 80) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि खरगापुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत बड़ाघाट, तहसील बल्देवगढ़ की मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम काफी लंबे समय से जुड़े चले आ रहे हैं परन्तु वर्तमान में पदस्थ नायब तहसीलदार बल्देवगढ़ द्वारा कतिपय व्यक्तियों से सांठ-गांठ कर कई पुस्तैनी रहवासियों, मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं ? क्या इसमें नायब तहसीलदार, बल्देवगढ़ को मतदाताओं के नाम काटे जाने के विशेष अधिकार दिये गये हैं ? क्या उक्त प्रकरण की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? (ख) जो मतदाता अपना एक ही स्थान पर नाम जुड़वाकर मकान बनाकर रह रहा हो, क्या ऐसे मतदाताओं के नाम काटे जाना उचित है ? क्या दोषी नायब तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? (ग) क्या जो मतदाता पीढ़ी-दर-पीढ़ी ग्राम पंचायत, बड़ाघाट का मतदाता रहा हो और खेती की भूमि रहवासी ग्राम से दूर हो एवं जानवरों के लिये खेत पर घर बना लिया हो, तो क्या दूसरी ग्राम पंचायत का मूल निवासी माना जायेगा ? यदि हां, तो कारण स्पष्ट करें ? यदि नहीं, तो नायब तहसीलदार सहित पूरी विधान सभा क्षेत्र में अधिकारी जनप्रतिनिधियों से सांठ-गांठ कर आम जनता के नाम काटे जाने की प्रक्रिया से गुमराह कर परेशान कर रहे हैं ? जांच कराकर, कारण स्पष्ट करें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) प्रश्नांश "क" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधायकों के पत्रानुसार नये हैण्डपम्प (बोर) खनन किये जाने बावत्

13. **(क्र. 85) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सम्पूर्ण विधानसभा क्षेत्र खरगापुर में पी.एच.ई. द्वारा कितने ग्रामीण क्षेत्रों

के हैण्डपम्पों का रखरखाव एवं सुधार का कार्य किया जाता है खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम वार चालू हैण्डपम्पों एवं खराब पड़े हैण्डपम्पों की जानकारी दें ? (ख) क्या विधायकों के पत्रों में उल्लेखित किये गये स्थानों पर नये हैण्डपम्प (बोर) खनन कराने की व्यवस्था करेगें ? यदि हॉ तो कब तक समयावधि बतायें यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विधानसभा क्षेत्र खरगापुर के 209 ग्रामों में स्थापित शासकीय हैंडपंपों का रखरखाव विभाग द्वारा किया जाता है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "क" अनुसार है । (ख) माननीय विधायकों द्वारा अनुशंसित ऐसे स्थलों/बसाहटों में नलकूप खनन प्राथमिकता से किये जाते है, जहां पेयजल व्यवस्था शासकीय मापदण्डानुसार अपर्याप्त हो। नलकूप खनन कार्य निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के अनुसार किये जाते है, इस हेतु निश्चित समयावधि बताया जाना संभंव नहीं है ।

<u>खारे व अन्य प्रदूषित जल की समस्या</u>

14. **(क्र. 112) श्री विश्वास सारंग :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भोपाल जिले में खारे/अन्य प्रदूषित पानी की समस्या से ग्रसित हैं ? उक्त जिलों में पेयजल में कौन-कौन से पदार्थों की कितनी-कितनी मात्रा घुली है, जिससे वे शरीर के लिए घातक हैं ? ब्लाकवार, घुले पदार्थवार, मात्रावार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या विभाग उक्त ब्लाकों में नियमित रूप से पेयजल की शुद्धता की जांच प्रयोगशालाओं में कराता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण दें ? यदि हां, तो वर्ष 14-15 में प्रश्न दिनांक तक कब किस-किस स्थान पर इस प्रकार की जांच करायी गई ? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत खारे/अन्य प्रदूषित पानी पीने से क्या-क्या बीमारियां हो रही हैं ? क्या विभाग उक्त जिलों में पीने योग्य पानी की व्यवस्था कर रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण दें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) भोपाल जिले के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के किसी भी शासकीय पेयजल स्रोत में खारे पानी अथवा अन्य प्रकार के प्रदूषण की समस्या नही है । अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हां, प्रश्नांश अवधि में पेयजल नमूनों के किये गये परीक्षणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "क-1 एवं क-2" अनुसार है । (ग) उत्तरांश "क" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>जिले में कुपोषण व बाल मृत्यु दर की जानकारी</u>

15. **(क्र. 113) श्री विश्वास सारंग :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2012, 13 व 14 में प्रदेश में कुपोषण और शिशु मृत्यु दर क्या रही ? किस जिले में कुपोषण और मृत्यु दर सर्वाधिक रही ? किस जिले में कुपोषण और मृत्यु दर सबसे कम रही ? (ख) प्रदेश में कुपोषण और शिशु मृत्यु दर के कारण क्या हैं ? (ग) क्या यह सच है कि राजधानी भोपाल में भी काफी संख्या में कुपोषित बच्चे पाये गये हैं ? यदि हां, तो भोपाल में यह संख्या कितनी है ? कुपोषण और शिशु मृत्यु की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा अभी तक क्या-क्या प्रयास किए गए हैं ? क्या यह प्रयास असफल साबित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? कारण बतायें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) विभागीय एम.आई.एस अनुसार मार्च 2012 मार्च 2013 तथा मार्च 2014 में जिलेवार अति कम वजन के बच्चों की जानकारी तथा सर्वाधिक और सबसे अति कम वजन के संबंध में वर्षवार जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 अनुसार हैं। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार वर्ष 2012 व 2013 की शिशु मृत्यु दर क्रमशः 65, 62 प्रति हजार जीवित जन्म रही है । वर्ष 2014 के आकड़े उपलब्ध नहीं है । पन्ना जिले में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक रही। इन्दौर जिले में शिशु मृत्यु दर सबसे कम रही। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 अनुसार हैं। (ग) प्रश्नावधि काल में भोपाल जिले में अतिकम वजन वाले बच्चों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 3 अनुसार हैं। जी नहीं। वर्ष 2013-14 में वर्ष 2012-13 की तुलना में 2.09 प्रतिशत कुपोषण कम हुआ है अतः यह कहना सही नहीं है कि विभाग के प्रयास असफल रहे है ।

गरोठ भानपुरा क्षेत्र के ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना

16. **(क्र. 140) श्री राजेश धरमवीर सिंह यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधान सभा क्षेत्र के भानपुरा एवं गरोठ तहसील के अंतर्गत कुल कितने ग्राम है जो कि राजस्व ग्राम एवं आबादी क्षेत्र घोषित नहीं है ? राजस्व ग्राम घोषित करने की शासन की कोई नीति है ? यदि हां, तो जो ग्राम राजस्व/आबादी क्षेत्र नहीं है उन्हें शासन राजस्व ग्राम घोषित करेगा ? (ख) क्या ये सही है कि राजस्व ग्राम घोषित नहीं होने से हितग्राही को शासन की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री आवास योजना एवं अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या वंचित हितग्राहियों को योजना का लाभ मिलेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) गरोठ विधान सभा क्षेत्र के भानपुरा एवं गरोठ तहसील में कुल 203 राजस्व ग्राम हैं, जिसमें से भानपुरा तहसील में 96 राजस्व ग्राम हैं सभी ग्राम आबादी क्षेत्र घोषित हैं। तहसील गरोठ में 107 राजस्व ग्राम हैं, जिनमें से 06 ग्राम वीरान ग्राम हैं शेष 101 ग्रामों में आबादी क्षेत्र घोषित है । राजस्व ग्राम बनाये जानेके लिए म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 में प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें कलेक्टर को शक्तियां प्रदत्त हैं । राजस्व ग्राम बनाये जाने की शासन की कोई अन्य नीति नहीं है । (ख) जी नहीं । सभी आबाद राजस्व ग्रामों के हितग्राहियों को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है ।

अति ओलावृष्टि एवं अतिवर्षा से फसलों के नुकसान की मुआवजा राशि का वितरण

17. **(क्र. 180) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील के लगभग 18 ग्रामों में दिनांक 27.02.2014 को हुई ओलावृष्टि एवं अतिवर्षा से फसलों को हुई क्षति की मुआवजा राशि का भुगतान बैंक द्वारा समस्त ग्रामों के औला पीड़ित कृषकों को किया जा चुका है ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि नहीं, तो प्रश्न दिनांक तक शेष रहे किसानों को मुआवजा राशि संबंधित बैंक द्वारा कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ? (ग) यदि समस्त पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है, तो संबंधित अधिकारी से भुगतान हेतु कोई ओलावृष्टि से पीड़ित किसान का मुआवजा राशि देना शेष नहीं है, इस आश्य का प्रमाण पत्र प्राप्त कर अवगत करावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील के 19 ग्रामों में दिनांक 27/02/2014 को हुई ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से फसलों को क्षति हुई है । क्षति अनुसार प्रभावित कृषकों को रू. 1,74,52,534/- राहत राशि का भुगतान बैंक द्वारा ओला पीड़ित कृषकों को किया जा चुका है । (ख) एवं (ग)उक्त 19 ग्रामों में से 2 ग्रामों के शेष 58 कृषकों को राहत राशि रू.3,06,566/- का भुगतान शेष है । जिले से राहत राशि की मांग अत्यधिक विलम्ब से प्राप्त होने के कारण परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त नियमानुसार राहत राशि का आवंटन किया जा सकेगा ।

विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति

18. **(क्र. 181) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले में महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत कितने तहसील स्तरीय कार्यालय संचालित हैं ? तहसीलवार कार्यालय के नाम बतावें तथा उक्त कार्यालय शासकीय भवनों में या निजी भवनों में संचालित हैं ? (ख) उक्त तहसील स्तरीय संचालित कार्यालयों में पदवार स्वीकृत पदों की संख्या एवं उनके विरूद्ध कौन-कौन से अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, के नाम बतावें तथा शेष रिक्त पदों की संख्या बतावें तथा कब से रिक्त हैं कि अवधि बतावें ? (ग) प्रश्नांश (ख) में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण बतावें ? (घ) क्या विभाग में रिक्त पद होने के कारण शासन द्वारा संचालित योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ हितग्राही तक पहुॅचाने में कोई कठिनाई नहीं आ रही है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है । (ग) विभाग अंतर्गत विगत 01 वर्ष के अंदर राजगढ़ जिले में 03 परियोजना अधिकारी श्रीमती आराधना गर्ग राजगढ़ ग्रामीण, श्री सज्जनसिंह कठैत परियोजना नरसिंहगढ़ एवं श्री केदार शर्मा परियोजना व्यावरा में पदस्थापना की गई। परियोजना अधिकारी के कुल स्वीकृत 453 पदों में से 107 पद रिक्त है । इस कारण सभी पदों पर परियोजना अधिकारियों की पदस्थापना की जाना संभव नहीं है । विभाग द्वारा 68 परियोजना अधिकारियों के पदों की पूर्ति का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजा गया। विभागीय पदोन्नति से ही परियोजना अधिकारी के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही भी की जा रही है । विभाग के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के रिक्त 643 पदों की पूर्ति की कार्यवाही व्यापम द्वारा की जा रही है । सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पद समाप्त कर शासन द्वारा सांख्यिकी अन्वेषक का पद निर्मित किया गया है । भर्ती नियम में संशोधन का प्रस्ताव प्रचलन में है । अन्य लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के संवर्गो हेतु भी नियुक्ति एवं पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है । पदों की रिक्ति एवं पूर्ति निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । अतः पदों की पूर्ति हेतु समय सीमा दिया जाना संभव नहीं है । (घ) जी नही-उपलब्ध अमले से कार्य कराकर सभी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुचाया जा रहा है ।

भू-संरक्षण अन्तर्गत निर्माण कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

19. **(क्र. 182) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के भूमि संरक्षण विभाग को वर्ष 2009 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिये प्राप्त हुई वर्षवार सूची उपलब्ध करावें ? (ख) उक्त राशि से प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य कहॉ-कहॉ पर कब-कब किस अधिकारी द्वारा कराये गये है ? विवरण ग्राम पंचायतवार, ग्रामवार, कार्यवाही, स्वीकृत की गई राशि एवं व्यय तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सहित देवें ? (ग) प्रश्नांश (ख) में दिये गये शेष कार्यों एवं प्रगतिरत कार्यों को कब तक पूरा कराया जावेगा ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -1 पर है । (ख) सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में उत्तरांश (क) में उल्लेखित कार्य सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी के तकनीकी मार्गदर्शन में कृषि विकास अधिकारी एवं सर्वेयर के द्वारा कराये गये । विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 2 पर है । (ग) उत्तरांश (ख) में उल्लेखित शेष रहे बलराम तालाब के कार्यो को पूरा करने का दायित्व स्वयं कृषक का होने के फलस्वरूप समय सीमा बताया जाना संभव नही है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग-3 को फोर लेन निर्माण हेतु भू-अर्जन की बकाया राशि का भुगतान

20. **(क्र. 183) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर की किन-किन गॉवों की कितनी-कितनी भूमि (रकबा हेक्टेयर में) राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 03 की फोर लेन बनाये जाने हेतु अर्जित की गई है ? ग्रामवार विवरण देवें ? (ख) उक्त ग्रामों की अर्जित की गई भूमि में से कितने ग्रामों में भू-अर्जन राशि वितरण की गई है एवं कितने ग्रामों के कितने किसानों/भू-स्वामियों को किन कारणों से राशि भुगतान किया जाना शेष है ? तथा शेष किसानों/भू-स्वामियों को शेष राशि का भुगतान कब तक किया जावेगा ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.03 के फोरलेन निर्माण हेतु कितने ग्रामों के भू-अर्जन प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में लंबित है ? उक्त ग्रामों के लंबित प्रकरणों का निराकरण कर कब तक राशि वितरित कर दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) कुल 20 ग्रामों की ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है । (ख) मुआवजा वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । कुल 19 ग्रामों के 793 किसानों/भू-स्वामियों को बैंक खाता नम्बर, पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण राशि का भुगतान नहीं हो सका है । इन किसानों/भू-स्वामियों को बैंक खाता नम्बर, पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। 01 ग्राम उदनखेडी की मुआवजा राशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई गुना से प्राप्त नहीं होने के कारण मुआवजा राशि का वितरण नहीं किया जा सका है । (ग) कोई प्रकरण लंबित नहीं है । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।

विभाग द्वारा कार्य करवाने तथा संधारण करने बावत्

21. **(क्र. 200) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भिण्ड जिले में वर्ष, 2011 से प्रश्न दिनांक तक मुख्यमंत्री पेयजल संकल्प योजनांतर्गत स्कूल/ नवीन बसाहटों, अनु. जाति बस्ती में कहां-कहां पर खनन व निर्माण कार्य करवाये ? कौन-कौन से कार्य पूर्ण हैं ? कौन-कौन कार्य अपूर्ण हैं ? कौन सा कार्य अप्रारंभ है ? (ख) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भिण्ड के अंतर्गत वर्ष, 2011 से प्रश्नांश दिनांक तक कुओं की सफाई उबारीकरण पुर्नजीवित का कार्य भिण्ड जिले के अंतर्गत कहां-कहां पर किया गया ? (ग) भिण्ड जिले के अंतर्गत हेण्डपंपों का संधारण और मरम्मत/कम्प्रेशर प्लेट फार्म को सामान्य, ऊँचा व मरम्मत करने के लिए विगत पांच वर्षों में शासन से कितना बजट प्राप्त हुआ ? किस प्रकार निविदा आमंत्रित की गई ? ठेकेदार को भुगतान किस प्रकार किया गया ? मद में बजट न होने के उपरांत भुगतान करने के क्या कारण हैं ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"क"अनुसार । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"ख" अनुसार । (ग) रूपये 1393.01 लाख । संक्षिप्त निविदाएं आमंत्रित की गई । कार्य पूर्ण होने के उपरांत संबंधित ठेकेदार को शासन के नियमानुसार कार्यमद में उपलब्ध आवंटन के अंतर्गत चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

पोषण आहार के परिवहन पर व्यय

22. **(क्र. 221) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित ऑगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं बच्चों आदि को पोषण आहार के अतिरिक्त क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ? (ख) ऑगनवाड़ी केन्द्रों में वितरण हेतु प्रदाय पोषण आहार के परियोजना मुख्यालय तक अथवा आंगनवाडी केन्द्र तक परिवहन व्यय हेतु राशि स्वीकृत/भुगतान की जाती है ? तथा किस दर से बतावें ? (ग) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र की नालछा एवं धरमपुरी परियोजना अंतर्गत संचालित ऑगनवाडी केन्द्रो हेतु विगत पॉच वर्षो में वर्षवार कितनी-कितनी राशि परिवहन पर व्यय की गई है ? परियोजना मुख्यालय तक तथा वहॉ से केन्द्र तक भुगतान राशि की जानकारी केन्द्रवार,वर्षवार उपलब्ध कराई जावे ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) विभाग अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रो में दर्ज गर्भवती धात्री महिलाओं एवं बच्चो आदि को पोषण आहार के अतिरिक्त स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ जांच, संदर्भ सेवा, पोषण एवं स्वास्थ शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है । (ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों में वितरण हेतु पोषण आहार (टेकहोम राशन) एम.पी.एग्रो द्वारा परियोजना स्तर तक प्रदाय किया जाता है । परियोजना स्तर से आंगनबाड़ी केन्द्र तक के परिवहन हेतु शासन द्वारा निर्धारित राशि प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र प्रति क्विंटल रू. 50/- प्रतिमाह के मान से भुगतान की जाती है । (ग) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र की नालछा एवं धरमपुरी परियोजना अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रो हेतु परियोजना मुख्यालय तक पोषण आहार एम.पी.एग्रो लिमिटेड द्वारा पहुंचाया जाता है । परियोजना मुख्यालय से आंगनबाड़ी केन्द्र तक परिवहन पर व्यय राशि की केन्द्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है ।

प्राकृतिक आपदा से पीडित कृषकों को राशि का वितरण

23. **(क्र. 241) श्री रामनिवास रावत :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि श्योपुर जिले की तहसील विजयपुर, वीरपुर एवं कराहल में दिसम्बर 2013 से मई 2014 तक श्योपुर जिले में कितनी राशि प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से पीड़ित किसानों को वितरित की गई ? तहसीलवार कृषकों की संख्या बताऐं ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क)जानकारी परिशष्ट "अ" अनुसार है ।

परिशिष्ट -''तीस''

परासिया वि.स. में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना

24. **(क्र. 255) श्री सोहनलाल बाल्मीक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा परासिया विधानसभा क्षेत्र में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित किये जाने की घोषणा की गई थी ? क्या इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिलाध्यक्ष छिन्दवाड़ा द्वारा संबंधित न्यायालय प्रारंभ करने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को समस्त दस्तावेज स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है । (ख) यदि हां, तो अपर जिला एवं सत्र न्यायालय परासिया में प्रारंभ होने में विलंब का क्या कारण है ? तथा कब तक अपर जिला एवं सत्र न्यायालय परासिया में प्रारंभ होने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हॉ । जी नहीं। (ख) नियमित न्यायालय स्थापित किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप समस्त आवश्यक मूलभूत सुविधाये अभी उपलब्ध नहीं होने के कारण विलम्ब हुआ है । निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है । (ए.पी.खेर) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग ।

<u>**परासिया वि.स. क्षेत्र की नल-जल योजना एवं हेण्डपंपों की स्वीकृति**</u>

25. **(क्र. 257) श्री सोहनलाल बाल्मीक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013 से आज दिनांक तक पेयजल हेतु नल-जल योजना एवं हैण्डपंप कितने स्वीकृत किये गये हैं ? (ख) स्वीकृत नल-जल योजना में से कितने कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं कितने अधूरे हैं एवं कितने अभी पूर्ण रूपेण लंबित हैं ? इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा समय-सीमा बतायें ? (ग) क्षेत्रान्तर्गत कितने ऐसे गॉव हैं जहॉ पेयजल का भारी संकट है ? ऐसे ग्रामों के लिये पेयजल सुविधा हेतु शासन के पास कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हॉ, तो ऐसे ग्रामों को कब तक पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी जावेगी ? यदि नहीं तो क्या आगामी वर्षों में ऐसी कोई योजना लाने का प्रावधान है ? (घ) क्या परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों एवं विकासखंड में नल-जल योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो किन ग्रामों को सम्मिलित किया जायेगा ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रश्नांकित अवधि में 148 नलकूप/हैण्डपम्प, 5 मुख्यमंत्री पेयजल योजनायें तथा जनपद पंचायत द्वारा बी.आर.जी.एफ.मद में 4 नल जल योजनाएं स्वीकृत की गईं हैं। (ख) 4 मुख्यमंत्री पेयजल योजनाऐं तथा 2 बी.आर.जी.एफ. मद की योजनाऐं पूर्ण की जा चुकी हैं। 1 मुख्यमंत्री पेयजल योजना के क्रियान्वयन हेतु खनित स्रोत गुणवत्ता प्रभावित पाये जाने के कारण योजना के शेष कार्य नहीं किये गये। शेष 2 बी.आर.जी.एफ.मद की योजनाऐं संबंधित पंचायत द्वारा स्रोत निर्माण न किये जाने के कारण पूर्णतः लंबित है । अपूर्ण/लंबित योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु निशिचित समयावधि बताया जाना सम्भव नहीं है । (ग) ऐसा कोई ग्राम नही है जहां पेयजल का भारी संकट हो । अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है । (घ) जी नहीं, वर्तमान में नल जल योजना का कोई प्रस्ताव नहीं है । शासन के वर्तमान प्रचलित दिशा निर्देश संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार चिन्हिंत ग्राम नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सम्मिलित किये जावेगें।

परिशिष्ट -''इकतीस''

<u>**पन्ना जिले में फसल प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत् हितग्राहियों को लाभाविंत किया जाना**</u>

26. **(क्र. 267) श्री मुकेश नायक :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष, 2011-12 से 2013-2014 तक पन्ना जिले में खरीफ एवं रबी की फसल में कृषि विभाग, आत्मा परियोजना एवं कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना द्वारा फसल प्रदर्शन कार्यक्रम अंतर्गत कितने ग्रामों के कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ? (ख) क्या फसल प्रदर्शन कार्यक्रम अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को कब-कब प्रशिक्षण दिये गये, फसल प्रदर्शनों पर वर्षवार कितनी राशि व्यय की गई? (ग) फसल प्रदर्शन कार्यक्रम के लिये शासन के क्या दिशा निर्देश है, किसानों के चयन के मापदण्डों के निर्धारण की क्या प्रक्रिया है ? (घ) क्या चयनित हितग्राहियों को कृषि विभाग, आत्मा परियोजना एवं कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना द्वारा वर्ष, 2011-12 से 2013-2014 तक बीज उपलब्ध कराये गयेयदि हां तो कोन से एवं कितने किसानों को उपलब्ध कराये गये ? (ड.) क्या फसल प्रदर्शन कार्यक्रम हेतु बीज उपलब्ध कराये गये है यदि हां तो उससे कितने प्रतिशत उत्पादन वृद्धि हुई ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक पन्ना जिले में खरीफ एवं रबी की फसल में कृषि विभाग पन्ना द्वारा फसल प्रदर्शन कार्यक्रम अंतर्गत 821 ग्रामों के 30917 हितग्राहियों को, आत्मा परियोजनान्तर्गत 249 ग्रामों के 381 हितग्रहियों को एवं कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना द्वारा 118 ग्रामों के 617 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। जिसमें से 531 को बीज एवं अन्य सामग्री तथा शेष 86 को केवल फफूंदनाशक, कीटनाशक, खरपतवारनाशी, उर्वरक आदान प्रदर्शन में प्रदान किये गये। (ख) कृषि विभाग द्वारा फसल प्रदर्शन कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2012-13 में वन पट्टाधारी कृषकों को चना एवं मसूर फसल पर प्रशिक्षण दिया गया । शेष प्रदर्शन अंतर्गत प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है । वर्षवार प्रदर्शनों पर व्यय की गई जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 पर है । (ग) कृषि विभाग अंतर्गत किसानों का चयन क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा प्रदर्शन में कृषकों की रूचि तथा योजना के प्रावधान अनुरूप कृषकों की पात्रता के अनुसार प्रत्येक फसल के लिये हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायत से अनुमोदन प्राप्त कर, समस्त सूचियां एकत्र कर अनुमोदन जनपद पंचायत की स्थाई समिति से किया जाता है । आत्मा परियोजनान्तर्गत किसानों का चयन स्थानीय कृषि स्थाई समिति/आत्मा समिति द्वारा किया जाता है । कृषि विज्ञान केन्द्र अंतर्गत, आंचलिक निर्देशक अंचल-7 एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के निर्देशानुसार फसल प्रदर्शन हेतु कृषक का खेत रोड के किनारे हो एवं कृषक प्रदर्शन हेतु इच्छुक हो आदि मापदण्डों के आधार कृषकों का चयन किया जाता है । (घ)वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक कृषि विभाग, आत्मा परियोजना एवं कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना द्वारा उपलब्ध कराये गये बीज एवं किसानों की संख्या की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 पर है । (ड़) प्रतिशत उत्पादन वृद्धि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2/1 पर है ।

परिशिष्ट -''बत्तीस''

पवई तहसील में नियुक्त पटवारियों की स्थिति

27. **(क्र. 268) श्री मुकेश नायक :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले की पवई तहसील एवं सतना जिले की बिरसिंहपुर तहसील में कार्यरत पटवारियों का तहसीलवार विवरण दें ? उक्त पटवारियों का गृह ग्राम, किस तहसील में है ? उक्त तहसील के किस हल्के में कब से पदस्थ है ? विवरण दें, तथा क्या उक्त पटवारी मुख्यालय में निवास करते हैं या नहीं बताएं ? (ख) प्रश्नांश (क) की तहसीलों के पटवारियों द्वारा खसरों में बोई गई कृषि उपजों का इन्द्राज कब से नहीं किया है, तथा उक्त तहसीलों के किस-किस ग्राम में सीमा चिन्ह नहीं है गांव वार तहसीलवार विवरण दें ? बंदोबस्त नक्शा किन-किन ग्रामों के फटे हुए हैं ? तहसीलवार विवरण दें ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) की तहसील के किन-किन पटवारियों की शिकायतें वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक कलेक्टर पन्ना एवं सतना को एवं शासन को प्राप्त हुई है ? उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? शिकायतवार कार्यवाहीवार विवरण दें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) पन्ना जिले की पबई तहसील में कुल 55 पटवारी कार्यरत है । सतना जिले के बिरसिंहपुर तहसील मे कार्यरत पटवारियों की स्थिति पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है गृह ग्राम एवं तहसील तथा हल्के में पदस्थ पटवारियो की स्थिति पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है । तहसील मीटिंग या जिले की मीटिंगो के दिन छोडकर पटवारी मुख्यालय में ही निवास करते है । (ख) तहसील पवई के समस्त 179 ग्रामों के खसरो मे फसलो का इन्द्राज किया जा चुका है, तथा समस्त ग्रामों में 50 प्रतिशत ही सीमा चिन्ह है । सीमा चिन्ह विहीन कोई ग्राम नही है, तथा किसी भी ग्राम का बन्दोबस्ती नक्शा फटा हुआ नही है । तहसील बिरसिंहपुर के सभी पटवारियों द्वारा बोई गई फसलो का इन्द्राज खसरे में लगातार किया गया है । तहसील बिरसिंहपुर अन्तर्गत टहा, अमिलिया, तेलनी, जैतवारा, डेहुट, कोनिया, मझगवां, बाघी, भालमउ, सिरसहा, बैरहना, प्रतापपुर, झाला, ओरमानी, अघराखोह, छापर, बिजहरी, मौहरिया, आदि गांवो के सीमा चिन्ह नही है । बरहा, तेलनी एवं जैतवारा ग्रामों के बन्दोबस्त,नक्शा उपलब्ध नही है । (ग) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है ।

फसल बीमा दावा राशि का वितरण

28. **(क्र. 278) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा फसल बीमा दावा राशि का जो वितरण किया गया है ? वह सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में किन-किन सोसायटियों को दिया गया है ? उनके नाम बतावें ? (ख) फसल बीमा दावा राशि मिलने वाले किसानों की संख्या, नुकसानी तथा देय राशि बतावें ? (ग) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किये गए सर्वे की हल्केवार जानकारी दें ? (घ) बीमा राशि किस बीमा कम्पनी द्वारा वितरण की गई ? उस कम्पनी का नाम बतावें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हॉ । सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था टकरावद, खाईखेडा, चंदवासा, बरखेडा नायक, असावती, भटूनी, खजूरीपंथ, सुवासरा, अजयपुर, रूणीजा, गुराडिया एवं तरनोद के कृषकों को दावा राशि का भुगतान किया गया है । (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 4606 कृषकों का बीमा किया जाकर 3115 पात्र कृषकों को बीमा क्षतिपूर्ति दावा राशि 23766248.70 रू0 का भुगतान संबंधित कृषकों के खातों में किया गया। (ग) योजनान्तर्गत आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्वालियर म.प्र. के द्वारा न्यायदर्श पद्धति से आयोजित फसल कटाई प्रयोगों के परिणामों के आधार पर प्रावधान अनुसार बीमा दावा राशि की गणना बीमा कम्पनी के द्वारा की जाती है । (घ) बीमा दावा राशि का भुगतान एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी भोपाल द्वारा किया जाता है ।

मत्स्य कल्याण बाजार के निर्माण में राशि का दुरूपयोग

29. **(क्र. 290) श्री रामलाल रौतेल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में अनुपपुर जिले को मत्स्य कल्याण बाजार हेतु नगरपालिका क्षेत्र को कुल कितनी राशि प्रदान की गई है ? उक्त राशि से कहां-कहां निर्माण कार्य कराया गया है ? (ख) क्या यह सच है कि राशि व्यय करने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह राशि का दुरूपयोग माना जा सकता है ? विभाग दुरूपयोग करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगा ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनूपपुर जिले में स्थानीय बाजार में मत्स्य बाजार निर्माण हेतु नगरपालिका क्षेत्र में कोई राशि प्रदाय नहीं की गई। वर्ष 2013-14 में एक बाजार हेतु 3.50 लाख की राशि प्रदाय की गई है ।, (ख) नगरपालिका परिषद् अनूपपुर द्वारा मत्स्य बाजार /मत्स्य विक्रय शेड का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है । अभी तक कोई व्यय नही हुआ है ।

मोजर वियर पावर प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना

30. **(क्र. 293) श्री रामलाल रौतेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में मोजर वियर पावर प्रोजेक्ट हेतु कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है ? कृषक का नाम, ग्राम, रकबा, आराजी तथा मुआवजा की राशि सहित जानकारी प्रदान करें ? (ख) पुर्नवास नीति के तहत कुल कितने परिवार के सदस्यों को रोजगार का अवसर प्रदान किया गया है ? तथा कितने परिवार रोजगार से वंचित हैं ? (ग) कम्पनी में वर्तमान में कुल कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है ? नाम, पिता, ग्राम सहित जानकारी प्रदान करें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ख) परियोजना हेतु अधिग्रहित कुल भूमि में खातेदारों की संख्या १०६३ है, जिसमें से परियोजना में रोजगार प्राप्त करने हेतु ५९३ खातेदारों ने अपना नामांकन कंपनी में जमा किया, जिस पर से ४८४ खातेदारों को परियोजना में रोजगार का अवसर दिया गया है तथा शेष १०९ खातेदारों को कम्पनी में रोजगार दिया जाना प्रक्रियाधीन है । (ग) कम्पनी में वर्तमान में कुल ३६४९ स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है, जिसकी सूची, नाम, पिता का नाम, ग्राम के नाम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है ।

<u>सिवनी जिले में रबी की फसल कि बोनी हेतु युरिया एवं डी.ए.पी खाद उपलब्ध करायी जाने</u>

31. **(क्र. 305) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में रबी फसल की बोनी हेतु कितने टन यूरिया एवं डी.ए.पी. उर्वरक प्रदाय किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित लक्ष्य के अनुसार यूरिया एवं डी.ए.पी उर्वरक की पूर्ति की गयी है? यदि हां तो कितनी मात्रा में यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें (ग) क्या सिवनी जिले के अंतर्गत सहकारी समिति के द्वारा परमिट काटने के बाद भी यूरिया एवं डी.ए.पी उर्वरक उपलब्ध नहीं कराया गया ? यदि हां,तो कारण बतावें ? (घ) क्या केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यूरिया और डी.ए.पी उपलब्ध नहीं कराये जाने के लिए शासन संबधित के विरूद्ध करवाई करेगा ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) :
(क) रबी फसल की बोनी हेतु पूरे मौसम हेतु 18850 मे.टन यूरिया एवं 5500 मे.टन डी.ए.पी. उर्वरक प्रदाय किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । (ख) अभी तक 7646 मे.टन यूरिया एवं 4549 मे.टन डी.ए.पी. उर्वरक की पूर्ति की गई है । उर्वरकों की उपलब्धता के अनुसार आपूर्ति निरंतर जारी है । (ग) सहकारी समितियों के द्वारा परमिट काटने के बाद भी यूरिया एवं डी.ए.पी. उर्वरक उपलब्ध नहीं कराये जाने संबंधी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । (घ)उपलब्ता के अनुसार यूरिया एवं डी.ए.पी. उर्वरकों की आपूर्ति जारी है । अत: शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता।

<u>घटिया सामग्री प्रदाय करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना</u>

32. **(क्र. 310) श्री संजय पाठक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम कटनी द्वारा वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं जैविक खेती तथा अन्य योजनाओं में सूक्ष्म तत्व के कीटनाशक दवाईयों के प्रदाय आदेश प्राप्त हुये ? (ख) यदि प्रश्नांश (क) आदेश प्राप्त हुये तो किस कंपनी को सामग्री प्रदाय हेतु आदेश दिये गये ? क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? (ग) प्रदाय सामग्री के गुणवत्ता की जॉच कराने का जब प्रदाय आदेश में उल्लेख था तो बिना जॉच कराये भण्डारण कराने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? (घ) क्या दोषी अधिकारियों को घटिया सामग्री प्रदाय हेतु निलम्बित कर राशि की वसूली की जायेगी ? यदि हॉ, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र पर है । मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा अनुमोदित प्रदायकों को विपणन संघ की अनुमोदित दरों पर आदेश जारी किया जाना प्रतिवेदित है । (ग) एवं (घ) कृषि विभाग द्वारा गुणवत्ता का परीक्षण कराया गया होने से प्रश्न उपस्थित नहीं है ।

महिला कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया जाना

33. **(क्र. 313) श्री कमलेश्वर पटेल :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि 30 अक्टूबर 1995 से अप्रैल 2010 तक एकीकृत महिला एवं बाल विकास परियोजना सिहावल जिला सीधी की योजना व कर्मचारियों को अप्रैल 2010 में शासकीय अधिग्रहीत किया गया था ? (ख) प्रश्नांक (क) यदि हां, तो उस समय कितनी महिला/पुरूष कर्मचारी किस-किस संवर्ग पद में कार्यरत थे ? कितनों को सेवा से पृथक किया गया व कितनों को सेवा में यथावत रखा गया ? पृथक-पृथक जानकारी दें ? (ग) क्या उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय क्रमांक 6543 में क्रमश: 15 कर्मचारियों को सेवा में वापस में लिये जाने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो न्यायालय के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया ? कब तक पालन किया जाकर, विलम्बकर्ताओं के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ? (घ) क्या विभाग की पुन: सेवा निरंतर किये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) अप्रैल 2010 से सीधी जिले की बाल विकास परियोजना, सिंहावल शासनाधीन कर ली गई है किन्तु परियोजना में कार्यरत अशासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को अधिग्रहित नहीं किया गया है । (ख) परियोजना शासनाधीन किये जाने के पूर्व कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की पदस्थापना संलग्न परिशिष्ट एक अनुसार है । सभी कर्मचारी शासन निर्देश के तहत जनपद पंचायत सिंहावल के अनुबंधित (अशासकीय) कर्मचारी रहे है । अनुबंध की शर्तो के अनुसार परियोजना शासनाधीन होने के फलस्वरुप अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाए स्वमेव समाप्त हो गई है । (ग) माननीय उच्च न्यायालय के पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में विभाग के आदेश् क्र.1 (ए) 21/2010/50-1 दिनांक 03.03.2014 द्वारा संविलियन संबंधी अभ्यावेदन अमान्य किया गया है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता। (घ) जी नहीं। अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को शासकीय सेवा में लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

परिशिष्ट -''तैंतीस''

किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना

34. **(क्र. 331) श्री मेव राजकुमार :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों की सुविधा हेतु मण्डी निधि से कौन-कौन से कार्य किये जाते हैं ? (ख) मण्डी निधि से वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में खरगौन जिले में कौन-कौन से कार्य एवं कितनी राशि के कार्य कौन-कौन सी मण्डियों के लिए किसानों की सुविधा हेतु स्वीकृत किये गये उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ? (ग) इंदौर जिले में कृषि उपज मण्डी एवं उप मण्डियों में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किसानों की सुविधा हेतु कौन-कौन से कार्य, कितनी राशि के एवं कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ? (घ) प्रश्न (ग) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र महेश्वर की कृषि उपज मण्डी समिति करही एवं उप मण्डियों तथा कृषि उपज मण्डी समिति बड़वाह की उपमण्डी बलवाडा एवं बागोद में किसानों की सुविधा हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा समय-समय पर प्रस्तावित कार्यो के प्रस्ताव जैसे मार्ग निर्माण, कृषक विश्राम गृह, तोल-काटा, गोडाउन भवन निर्माण आदि की स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई ? किसानो की सुविधा हेतु कब तक उक्त कार्यो में स्वीकृति प्रदान करते हुये किसानो को सुविधा प्रदान की जावेगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा मंडी निधि का उपयोग नहीं किया जाता है अपितु मण्डी निधि का उपयोग मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम -1972 की धारा -38 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए धारा-39 में वर्णित उपयोजन के लिये कृषि उपज मंडी समिति द्वारा किया जाता है । किये जाने वाले कार्यो का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -"एक" पर है । (ख) मंडी निधि से वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में खरगौन जिलें में किसानों की सुविधा हेतु स्वीकृत किये गये कार्य का नाम, राशि, मंडियों के नाम का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - "अ" अनुसार है । (ग) मंडी निधि से वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में इंदौर जिले की कृषि उपज मंडी एवं उपमंडियों में किसानों की सुविधा हेतु स्वीकृत किये गये कार्य का नाम, राशि एवं उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है । (घ) उपरोक्त प्रस्तावों को किसान सड़क निधि के अंतर्गत गठित साधिकार समिति के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव की सूची में निर्णयार्थ सम्मिलित किया गया है । साधिकार समिति की बैठक की तिथि नियत नहीं होने से समयावधि बताई जाना संभव नहीं है ।

खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित हब निर्माण

35. **(क्र. 332) श्री मेव राजकुमार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि खरगोन जिले की महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 29/06/2012 को मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा कृषि को लाभ का धंधा बनाने हेतु हार्टिकल्चर हब की (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग) स्थापना किये जाने की घोषणा की गई थी ? (ख) यदि हां, तो इस घोषणा के परिपालन में संबंधित विभाग द्वारा वर्तमान स्थिति में क्या कार्यवाही कर ली गई है एवं कार्य में कितनी प्रगति है ? (ग) क्या यह सही है कि दिनांक 10/11/2014 के दैनिक समाचार पत्र नईदुनिया के खरगोन संस्करण में प्रकाशित समाचार में सहायक संचालक उद्यानिकी खरगोन के अभिमत अनुसार महेश्वर में हार्टिकल्चर हब (खाद्य प्रसंस्करण) उद्योग की स्थापना नही किये जाने की खबर प्रकाशित हुई थी ? क्या मान. मुख्यमंत्रीजी की घोषणा का विभाग द्वारा पालन नही किया जा रहा है ? (घ) क्या विभाग चालू वित्तीय वर्ष में महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में हार्टिकल्चर हब की स्थापना कर किसानों को लाभ का धंधा बनाने की कार्यवाही पूर्ण करते हुये माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा का पालन कराते हुये किसानों को इस का लाभ मिल सकेगा ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (घ) जी हां। विभाग द्वारा नियुक्त सलाहकार गंराट थ्रोनटान इण्डिया से जिला खरगोन सहित 20 जिलों में पीपीपी मोड में हार्टिकल्चर हब स्थापित करने के लिए साध्यता अध्ययन कराया गया। सलाहकार कंपनी ने जिन 4 जिलों में हार्टिकल्चर हब की स्थापना की अनुशंसा की है, उनमें खरगौन जिला शामिल नहीं है । खरगौन जिले में मेगा फूड पार्क स्थापित होने से हार्टिकल्चर हब की स्थापना साध्य नहीं रही है ।

कुटीर उद्योग की योजनायें

36. **(क्र. 380) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मन्दसौर जिले में कितने कुटीर एवं ग्रामोद्योग रजिस्टर्ड है, ये कहॉ-कहॉ संचालित है, इन उद्योगो को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधाऐं प्रदान की जा रही है ? (ख) विभाग द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग संचालन एवं प्रशिक्षण हेतु 1 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक विभाग को कितनी-कितनी राशि उक्त जिले में प्राप्त हुई ? कितनी राशि खर्च की गई ? (ग) लघु एवं कुटीर उद्योग, विभाग द्वारा वर्ष 2010 से नवीन उद्योग हेतु कितने प्रशिक्षण एवं कार्यशाला कहॉ-कहॉ पर आयोजित की गई ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विभाग द्वारा कुटीर एवं ग्रामोद्योगों का पंजीयन नहीं किया जाता. मन्दसौर जिले में संचालित कुटीर एवं ग्रामोद्योगो तथा उन्हे की जा रही सुविधाओ की जानकारी पुस्ताकालय में रखे परिशिष्ट – एक के प्रपत्र ''अ'', ''ब'', ''स'' एवं ''द'' अनुसार है. (ख) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट – दो प्रपत्र ''अ'', ''ब'', ''स'' एवं ''द'' अनुसार है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट तीन प्रपत्र ''अ'', ''ब'', ''स'' एवं ''द'' अनुसार है.

मण्डी में विधायक प्रतिनिधि की नियुक्ति

37. **(क्र. 381) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला मन्दसौर द्वारा अपने पत्र क्र./116/मण्डी निर्वाचन/2014, दिनांक 23.07.2014 को जिले के समस्त विधायको को मण्डी समिति ने नाम निर्देशन हेतु विधायक प्रतिनिधि के प्रस्ताव मांगे थे ? यदि हां, तो कितने विधायको के प्रतिनिधि हेतु आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है अद्यतन स्थिति से अवगत करावें ? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र क्रमांक 319, दिनांक 16.08.2014 को प्रेषित पत्र के माध्यम से विधायक प्रतिनिधि प्रस्ताव कलेक्टर जिले को दिए थे ? यदि हां, तो मण्डी विधायक प्रतिनिधि नियुक्ति में देरी का कारण बताए ? (ग) क्या यह सही है कि तीन माह पूर्व प्रश्नकर्ता द्वारा दिए गए विधायक प्रतिनिधि नियुक्ति प्रस्ताव के बावजूद प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किए गए, इस हेतु कौन अधिकारी, कमर्चारी जवाबदार है, विधायको के पत्रो एवं कार्यो में लापरवाही हेतु इन कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जा रही है, अवगत करायें ? (घ) क्या मन्दसौर जिला कलेक्टर द्वारा मण्डी विधायक प्रतिनिधि हेतु प्रस्ताव विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भोपाल प्रेषित कर दिए गए है ? यदि हां, तो दिनांक सहित जानकारी दें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हॉ । जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी) के पत्र क्रमांक-1115 से 1119 /मंडी निर्वाचन/2014 दिनांक 23.07.2014 से प्रस्ताव चाहे गये, जिसके क्रम में माननीय विधायक मंदसौर द्वारा ही नाम निर्देशन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसमें मंदसौर एंव दलौदा हेतु अधिसूचना जारी कर दी गयी है । माननीय सांसद एवं माननीय विधायक मल्हारगढ़/सुवासरा एवं गरोठ से प्रस्ताव अपेक्षित है । जिला कलेक्टर मंदसौर ने पत्र दिनांक 16.09.2014 एवं 19.11.2014 से स्मरण भी कराया है । (ख) जी हॉ । शेष माननीय सांसद एवं माननीय विधायक मल्हारगढ़ गरोठ एवं सुवासरा से प्रस्ताव अप्राप्त होने के कारण प्रस्ताव पर कार्यवाही लंबित है । (ग) माननीय विधायक मंदसौर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कलेक्टर मंदसौर द्वारा अधिसूचना दिनांक 19.11.2014 को जारी की जा चुकी है । (घ) जी नहीं । माननीय सांसद एवं माननीय विधायक मल्हारगढ़/सुवासरा एवं गरोठ से प्रस्ताव अपेक्षित होने से प्रेषित नहीं किये गये। माननीय विधायक मंदसौर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार अधिसूचना क्रमांक 1667/मंडी/एस सी 2/14 दिनांक 19.11.2014 से प्रेषित की जा चुकी है ।

कृषि सामग्री का वितरण

38. **(क्र. 395) श्री प्रताप सिंह :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले के जबेरा एवं तेन्दूखेड़ा में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक कितनी आदान सामग्री कृषकों में वितरित की गई ? (ख) दमोह जिले में कृषि आदान सामग्री क्रय किये जाने हेतु कुल कितना आवंटन प्राप्त हुआ था ? प्रत्येक विकासखण्ड में कितनी-कितनी राशि की आदान सामग्री वितरित करायी गई ? (ग) क्या कृषि आदान सामग्री शासन स्तर से सीधे उपलब्ध करायी गई अथवा स्थानीय स्तर पर क्रय की जाकर वितरित की गई ? यदि स्थानीय स्तर पर सामग्री क्रय की गई है तो क्या क्रय नीति अपनायी गई ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एक पर है । (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट दो पर है । (ग) स्थानीय स्तर पर शासन व्दारा अधिकृत संस्था म.प्र. राज्य कृषि उधोग विकास निगम, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, बीज निगम, बीज उत्पादक सहकारी समितियों से अनुमोदित दरों पर प्रदाय आदेश देकर कृषकों को आदान सामग्री उपलब्ध कराई गई।

छतरपुर जिले में नायब तहसीलदार के रिक्त पद

39. **(क्र. 419) श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले के लिए मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा नायब तहसीलदारों के पद सृजित किए गए हैं ? यदि हां, तो प्रश्न दिनांक तक राजस्व निरीक्षक मण्डलवार सृजित नायब तहसीलदार के पदों की जानकारी प्रस्तुत करें ? (ख) क्या उक्त सृजित पदों के विरूद्ध नायब तहसीलदारों की पदस्थापना की गई है ? यदि हां, तो राजस्व निरीक्षक मण्डलवार पदस्थ नायब तहसीलदारों के नामों की सूची देवें ? (ग) क्या प्रश्न दिनांक तक छतरपुर जिले में नायब तहसीलदारों के पद रिक्त हैं ? हां, तो रिक्त पदों की संख्या का उल्लेख करते हुए स्पष्ट करें कि रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शासन स्तर पर क्या-क्या कार्यवाहियां प्रचलित हैं ? (घ) शासन, कृषकों के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए रिक्त पदों पर शीघ्र नायब तहसीलदारों की पदस्थापना करने के निर्देश जारी करेगा ? हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) शासन द्वारा जिला छतरपुर के लिए नायब तहसीलदार के 22 पद तहसीलवार स्वीकृत्त है, राजस्व निरीक्षक मण्डलवार नहीं है । (ख) वर्तमान में जिले में 10 नायब तहसीलदार पदस्थ है, जिनकी तहसीलवार पदस्थापना की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है । (ग) जी हां। पद पूर्ति की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (घ) उत्तर (ग) अनुसार ।

परिशिष्ट -''चौंतीस''

ग्राम बीज प्रशिक्षण योजना एवं कृषि महोत्सव

40. **(क्र. 448) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसानों के लिए विभाग द्वारा ग्राम बीज प्रशिक्षण योजना क्रियान्वित की जा रही है ? यदि हां, तो योजना की विस्तृत जानकारी प्रदाय करे ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार बिजावर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत बीज ग्राम प्रशिक्षण योजनान्तर्गत विगत 03 वर्ष मे कहॉ-कहॉ एवं कब-कब प्रशिक्षण दिया गया ? इन प्रशिक्षणों में कितना व्यय हुआ ? प्रशिक्षण में कहॉ-कहॉ कितनी राशि किस मद में व्यय की गई ? (ग) क्या छतरपुर जिले में कृषि महोत्सव में कृषि क्रांति रथ हेतु वाहन किराए पर लिए गए ? यदि हां, तो किस-किस विकासखण्ड में कौन-कौन से वाहन किराए पर लिए गए ? इन विकासखण्ड में शासकीय/अर्धशासकीय वाहन प्राप्त करने हेतु विभाग ने क्या प्रयास किए ? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) के अनुसार कृषि क्रांति रथ पर जी.पी.एस लगाया गया ? यदि हॉ, तो किन-किन विकासखण्ड में ? यदि नहीं तो क्यों ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हां, किसानों के लिये विभाग द्वारा बीज ग्राम योजना क्रियान्वित की जा रही है । विस्तृत जानकारी के लिए योजना की मार्गदर्शिका पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' पर है । परिशिष्ट-"अ" (ख) छतरपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र बिजावर में विगत तीन वर्षों (2011-12, 2012-13, 2013-14) में आयोजित प्रशिक्षणों के स्थान दिनांक तथा व्यय राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब''

पर है । (ग) जी हां, कृषि क्रांति रथ हेतु वाहन जिले के सभी आठ विकासखण्डों के लिये टाटा 407 किराये पर लिये गये । जिले के विकासखण्डों में विभागीय शासकीय/अर्धशासकीय वाहन न होने के कारण, वाहन टाटा 407 जिले के आठ विकासखण्डों के लिये कृषि क्रांति रथ हेतु किराये पर लिये गये। (घ) जी नहीं, कृषि क्रांति रथ पर जी.पी.एस. हेतु जिले में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होने से जीपीएस नहीं लगवाया जा सका।

सहायक अधीक्षक (राजस्व विभाग) को पुनरीक्षित वेतनमान का प्रदाय

41. **(क्र. 456) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) यह कि हाईकोर्ट, जबलपुर में कलेक्टर/कमिश्नर सागर संभाग, सागर में पदस्थ 12 सहायक अधीक्षकों द्वारा प्रस्तुत पिटीशन क्रं. 16118/2011 में दिनांक 13.1.2014 को आदेश पारित किये गये थे कि उक्त कर्मचारियों को पुराने वेतनमान 4500-7000 के स्थान पर 5000-8000 का वेतनमान दिनांक 01.4.2006 से स्वीकृत करते हुये एरियर्स की राशि 12 प्रतिशत् ब्याज सहित 03 माह में प्रदाय की जावे ? (ख) यह कि उक्त आदेश के तारतम्य में कमिश्नर महोदय, सागर द्वारा दिनांक 04.3.2014 को उक्त प्रकरण स्वीकृति हेतु म.प्र. शासन राजस्व विभाग, भोपाल को अनुशंसा सहित भेजा गया था ? (ग) यदि हां, तो हाई कोर्ट के आदेशानुसार उक्त कर्मचारियों को कब तक स्वीकृति प्रदाय की जावेगी ? (घ) यदि शासन द्वारा उक्त प्रकरण में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, तो सहायक अधीक्षकों को कब तक एरियर्स राशि उपलब्ध कराई जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जी हां । (ग) कार्रवाई विचाराधीन है । (घ) जी नहीं, निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

आवासीय प्रयोजन के भू:खण्डों का नामांतरण एवं डायवर्सन

42. **(क्र. 486) श्री ठाकुरदास नागवंशी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के पत्र क्रमांक 3759/राजस्व/2014, दिनांक 2.9.14 एवं कलेक्टर होशंगाबाद के पत्र क्रमांक 3177/ मू.अ./ पी.जी.सेल/ न.क्रं./ 2014, दिनांक 11.9.2014 पर अनुविभाग, पिपरिया, सिवनी मालवां/इटारसी/सौहागपुर द्वारा क्या कार्यवाही की गई, बतावें ? (ख) कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजन हेतु प्लाट के डायवर्सन के क्या नियम हैं, तथा ऐसे भू:खण्ड जिस पर विगत कई वर्षों से आवासीय मकान बना है, उसके डायवर्सन के क्या नियम हैं ? (ग) डायवर्सन प्रकरण दर्ज होने से कितनी समयसीमा में प्रकरण निराकृत कर दिया जायेगा ? (घ) डायवर्सन के क्या नियम हैं, तथा क्या गाईडलाईन हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जिन व्यक्तियों के द्वारा कृषि भूमि पर कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किया जा रहा है या ऐसे भू-खण्डों में मकान निर्माण हेतु आवेदन पत्र दिये गये हैं, उन पर संबंधित विभागों से अनापत्ति/ अभिमत प्राप्त करने एवं संहिता की धारा 172 के प्रावधानों की पूर्ति होने पर डायवर्सन आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा रहा है । नजूल भूमि के नामांतरण के प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर आदेश पारित किये जा रहे हैं। पट्टा नवीनीकरण के प्रकरणों में राजस्व विभाग के पत्र क्र. एफ 6-48/2014/सात-नजूल दि. 11 जुलाई 2014 में दिए गए निर्देशानुसार भू-भाटक निर्धारण किया जाकर नवीनीकरण की कार्यवाही की जा रही है । (ख)म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 एवं 59(2) के प्रावधानों के तहत डायवर्सन (व्यपवर्तन) की कार्यवाही की जाती है । (ग)03 माह में प्रकरण के निराकरण की समय सीमा है । (घ) म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 एवं 59 (2) के प्रावधानों के तहत बनाये गये नियमों के आधार पर डायवर्सन किये जाने के नियम हैं तथा गाईड लाईन क्रय विक्रय की गाईड लाईन है, जिसके आधार पर पंजीयक कार्यालय में क्रय विक्रय की कार्यवाही संपन्न होती है ।

निर्वाचन कार्य में संलग्नीकरण एवं रीडिप्लाय

43. **(क्र. 487) श्री ठाकुरदास नागवंशी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र पिपरिया अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पिपरिया एवं तहसील कार्यालय पिपरिया में वर्तमान वर्ष, 14-15 में कितने कर्मचारी रिडिप्लाय मेंट पर हैं, तथा कितने कर्मचारी सलंग्नीकरण पर पदस्थ हैं ? नामवार, पदवार विभागवार कर्मचारियों की सूची देवें ? (ख) सहायक रिटर्निंग ऑफीसर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदत्त अधिकारों के तहत् किन-किन कर्मचारियों को निर्वाचन के कार्य में लगाया गया है (कार्यालयीन कार्य हेतु), कर्मचारीवार, कर्मचारी के विभाग के नाम सहित सूची देवें ? (ग) राज्य निर्वाचन आयोग (सामान्य निर्वाचन एवं स्थानीय) द्वारा अनुविभाग स्तर पर कितने कर्मचारी निर्वाचन कार्य में लगाये जाने के निर्देश हैं ? मुख्यालय स्तर पर जिन कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्य करने एवं बी.एल.ओ. का कार्य करने लगाया गया है, क्या उनका अनुमोदन आयोग से लिया गया है ? (घ) बी.एल.ओ. का कार्य कराने हेतु किस स्तर के कर्मचारी को लगाने के निर्देश हैं, उनकी क्या योग्यता है ? (ड़) क्या यह सही है कि शिक्षकों को बी.एल.ओ. के कार्य में लगाया गया है, जबकि शासन के आदेशानुसार इनसे शिक्षकीय कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न लिये जाने के निर्देश हैं, यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया एवं तहसील कार्यालय पिपरिया में वर्ष 2014-2015 में 07 कर्मचारी रिडिप्लायमेंट पर है, तथा नगर पालिका निर्वाचन 2014 हेतु 17 कर्मचारी विभिन्न विभाग के संलग्न है । (ख) निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारियों की सूची संलग्न परिशिष्ट पर है । (ग) निर्वाचन कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए एवं आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को संलग्न किया जाता है । बी.एल.ओ कार्य हेतु लगाये गये कर्मचारियों की सूची का अनुमोदन जिला निर्वाचन अधिकारी से आयोग के निर्देशानुसार कराया गया है । (घ) बी.एल.ओ. का कार्य करने हेतु तृतीय श्रेणी के कर्मचारी लगाने के निर्देश है ।

परिशिष्ट -''पैंतीस''

मछुआ क्रेडिट कार्ड की जानकारी

44. **(क्र. 503) श्री मधु भगत :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मा. मुख्यमंत्री जी के किन्ही निर्देशों और विभाग की किसी नीति अंतर्गत बालाघाट जिले में कितनी संख्या में मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाये है ? संस्थावार नामवार सूची प्रदाय करें ? (ख) बालाघाट जिले में वंशानुगत मछुआ जाति के लोगों की अनुमानित जनसंख्या कितनी है और उनमें से किसानों को किस प्रकार से संगठित किया गया है और क्या मछुआ क्रेडिट कार्ड किसी जाति व वर्गो के किसी रूप में संगठित मछुओं के लिये बनाये गये है ? (ग) बालाघाट जिले के नदियों-नालों, शासकीय व निजी तालाब जलाशयों में मत्स्य पालन-आखेटन और मत्स्य विक्रय करने और विभिन्न नामों की वंशानुगत मछुआ जाति के लोगो की जनसंख्या कितनी है और उनमें से कितनों के मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाये गये है ? (घ) प्रश्नांश (घ) के बिना क्या प्रश्नांश (क) से (ग) लोगों से मा.मुख्यमंत्री जी की मछुआ जाति के सर्वागीण कल्याण की परिकल्पना को मूर्तरूप दिया जा सकेगा ? (ड.) क्या नदियों-तालाबों में मत्स्याखेटक, मत्स्यपालक, मत्स्यविक्रेता के साथ रेत-कछार एवं सिंघाडा कृषि का वंशानुगत पेशा करने वाले वंशानुगत मछुआ जाति के लोगों के सर्वागीण विकास की योजना बनायी जावेगी और मछुआ क्रेडिट कार्ड प्रदान कराये जावेगें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हॉ। बालाघाट जिले में कुल 938 मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाये गये संस्थावार नामवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एक अनुसार।(ख) बालाघाट जिले में वंशानुगत मछुआ जाति के लोगों की अनुमानित जनसंख्या 24750 है उनमें से 3642 व्यक्तियों को 65 मछुआ सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित किया गया। संगठित मछुओं में से 938 सदस्यों के क्रेडिट कार्ड बनाये गये है । (ग) जिले की नदियों-नालों शासकीय व निजी तालाब जलाशयों में मत्स्य पालन आखेटन और मत्स्य विक्रय करने वाली विभिन्न नामों की वंशानुगत मछुआ जाति के लोगों की अनुमानित जनसंख्या 24750 है । इनमें से प्रश्नांश ''ख'' में उल्लेख अनुसार 938 क्रेडिट कार्ड बनाये गये है ।(घ) जी हॉ।(ड़) जी हॉ। वंशानुगत मछुआ जाति के सर्वागीण विकास हेतु मछुआ कल्याण बोर्ड गठित है उनकी अनुशंसाएँ प्राप्त होने पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जाकर कार्यवाही की जावेगी।

निर्माण कार्यों की जानकारी एवं जांच विषयक

45. **(क्र. 504) श्री मधु भगत :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बालाघाट, सिवनी जिले में 1 अप्रैल 2012 से प्रश्न दिनांक तक महिला बाल विकास विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों पर खर्च की गई है, तथा एक अप्रैल 2012 से प्रश्न दिनांक तक वित्तीय वर्षों में शासन द्वारा उक्त जिलों को कितनी राशि आवंटित की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त जिलों में उक्त समय अवधि में ऐसे कितने कर्मचारी एवं अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की किन-किन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई दिनांकवार जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) उक्त जिलों में विभाग में कितने अधिकारी कर्मचारी के पद स्वीकृत है कितने रिक्त है तथा कितने कार्यरत हैं, तथा ऐसे कितने अधिकारी के पद है जिन पर प्रभारी 02 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे है ? (घ) विभाग में कौन-कौन सी योजना कब से संचालित है उक्त जिलों में कितने लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रकरण तैयार हुए है कितने हितग्राहियों को लाभ प्रदाय किया जा रहा है विकास खण्डवार जानकारी प्रदान करें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क)जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (अ) अनुसार है । (ख) बालाघाट सिवनी जिले में उक्त अवधि में अधिकारियों एवं कर्मचारिंयो के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनिमितता संबंधि शिकायते प्राप्त नहीं हुई। (ग) जिला बालाघाट व सिवनी में अधिकारी कर्मचारी के स्वीकृत पद रिक्त पद कार्यरत की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (ब)अनुसार है । इन जिलो में अधीनस्थ परियोजनाओं में उक्त अवधि में दो वर्ष से अधिक की अवधि में कोई भी अधिकारी प्रभारी के रूप में कार्यरत नहीं रहा। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (स)अनुसार है ।

मछली पालन हेतु लीज पर दिये गये तालाब

46. **(क्र. 521) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि बिना विज्ञप्ति जारी किये गये किसी भी तालाब को मछली पालन हेतु लीज पर दिया जा सकता है ? यदि नहीं तो सिवनी जिले में सहायक संचालक, मत्स्य द्वारा सिवनी जिले अंतर्गत अनेक जलाशय बिना विज्ञप्ति जारी किये बाहरी मछुआ समिति को 10-10 वर्षों के लिये जलाशय किस आधार पर दिया है ? (ख) क्या यह सही है कि मछुआ सहकारी समिति को लीज पर दिये जाने के बाद समिति द्वारा भारी ठेकेदारों (बाहरी व्यक्तियों) को जलाशय सौंपकर अवैध रूप से आखेट नियमित रूप से कराया जा रहा है ? यदि हॉ तो शासन दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही कर लीज पर दिये गये जलाशय रद्द कर वैधानिक रूप से कार्यवाही कर नवीन स्थानीय समितियों को जलाशय देने की कार्यवाही करेगा ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। जिले के सहायक संचालक मत्स्योद्योग सिवनी के द्वारा प्रश्नाधीन किसी प्रकार के जलाशय/तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर नही दिये जा रहे है । मत्स्य पालन की नीति-2008 त्रिस्तरीय पंचायतों को मत्स्योद्योग के अधिकार के तहत तालाबों/जलाशयों को नियमानुसार 10 वर्षीय पट्टे पर दिये जाने हेतु अधिकार जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत को प्रदत्त किये गये है । संबंधित पंचायतों के द्वारा तालाब/जलाशय पट्टे पर दिये जा रहे है । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।

मुआवजा निर्धारण व वितरण

47. **(क्र. 526) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में गत 1 दिसम्बर, 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितनी फसलों के पाला गिरने, ओला गिरने, जल जाने या अन्य कारणों से नष्ट होने की जानकारी विभाग के पास है ? इनमें किसानों को किस-किस तहसील में कितना-कितना मुआवजा मिला है और कितना-कितना नुकसान हुआ है ? (ख) क्या यह सही है कि सिवनी जिले की सिवनी विधान सभा क्षेत्र में अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के कारण प्रश्न दिनांक तक अधिकांश किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हुआ है ? उनके नाम मुआवजे की अपेक्षित राशि सूची अनुसार उपलब्ध करावे ? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार ऐसे कितने कृषक हैं जिन्होंने नुकसान का उचित मूल्यांकन न होने की शिकायत उच्च अधिकारियों को की ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

खेल मैदान के संबंध में

48. **(क्र. 531) श्री प्रदीप अग्रवाल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के कितने राजस्व ग्रामों में बच्चों के खेलने के लिये खेल का मैदान, शासकीय भूमि के रूप में उपलब्ध है, एवम् कितने ग्रामों में उपलब्ध नहीं है ? (ख) जिन ग्रामों में जगह उपलब्ध है, क्या वह जगह बच्चों के खेलने के लिये सुरक्षित है, या उस पर अतिक्रमण किया गया है ? (ग) यदि शासकीय भूमि उपलब्ध है, तो शासन द्वारा उसे विकसित करने हेतु बच्चों के भविष्य को देखते हुये क्या प्रावधान किये जा सकते है ? (घ) यदि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है, तो उसे मुक्त कराने के लिये अभी तक क्या प्रयास किये गये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) कुल 200 राजस्व ग्रामों में से किसी ग्राम में खेल का मैदान के रूप में कोई शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है । शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 128 ग्राम की शालाओं में खेल का मैदान उपलब्ध है । शेष 72 में खेल मैदान नहीं है । (ख) बाउन्ड्रीवाल नहीं होने से कुछ ग्रामों के खेल मैदान सुरक्षित नही है । (ग) उत्तरांश "क" में दी गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । (घ) खेल मैदान की शासकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है ।

बीज खरीदी एवं वितरण

49. **(क्र. 532) श्री प्रदीप अग्रवाल :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में कृषि विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक रबी एवं खरीफ सीजन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत वितरण हेतु जो बीज खरीदा गया है, उसकी खरीद प्रक्रिया क्या है ? खरीदने की नीति

क्या है, तथा खरीदे गये बीज को कहां-कहां वितरण किया गया ? इसकी संस्थावार सूची व जानकारी दी जावे ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित खरीदे गये बीज के मानक या अमानक होने संबंधी प्रतिवेदन एवं सक्षम नियंत्रणकर्ता अधिकारी का प्रतिवेदन क्या रहा ? (ग) क्या यह सत्य है कि दतिया जिले में रबी/खरीफ सीजन हेतु अमानक स्तर का बीज क्रय किया गया है ? (घ) यदि हां, तो उक्तानुसार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई, एवं वर्तमान में उक्त अधिकारी का पद स्थापना स्थल अवगत कराया जावे ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कृषि विभाग के द्वारा बीज क्रय नहीं किया जाता और न ही प्रश्नांकित अवधि में बीज क्रय किया गया, शेष प्रश्न ही नहीं उठता। (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुपोषित बच्चों की संख्या

50. **(क्र. 566) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रतलाम जिले में एवं विशेषकर आलोट तहसील में कितने बच्चे वर्ष, 2011 से प्रश्न दिनांक तक कुपोषण के शिकार पाये गये ? तहसीलवार, ग्रामवार ब्यौरा क्या है ? (ख) उक्त कुपोषित बच्चों में कितने बच्चों की अब तक उपरोक्त अवधि में मृत्यु हुई ? व मृत्यु किस अभाव में हुई, ब्यौरा क्या है ? (ग) कुपोषण के शिकार बच्चों के इलाज व अन्य सहायता पर वर्ष, 2011 से अब तक किये गये व्यय का तहसीलवार, ग्रामवार ब्यौरा क्या है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' अनुसार है । (ख) जिले में उपरोक्त अवधि में कुपोषण से किसी बच्चे की मृत्यु प्रतिवेदित नही हुई है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' अनुसार है ।

आलोट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित गौ-शालाएं

51. **(क्र. 567) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आलोट विधान सभा क्षेत्र में कितनी एवं कौन-कौन सी गौ-शालाएं संचालित हैं ? (ख) उपरोक्त गौ-शालाओं को वर्ष, 2011 से अक्टूबर, 2014 तक मेंटीनेंस, पशु आहार, दवाईयां, रखरखाव व अन्य मदों में शासन द्वारा आवंटित राशि का मदवार ब्यौरा क्या है ? (ग) किन-किन गौ-शालाओं के कितने एवं कौन-कौन से प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन हैं और कब से ? व किस कारण उन्हें स्वीकृति प्राप्त नहीं हो रही है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) आलोट विधानसभा क्षेत्र में निम्नानुसार 4 गौशालायें संचालित है:- 1. श्री गोवर्धन गौशाला, आलोट 2. गोविन्द गौशाला समिति, ताल 3. बालेश्वर गौशाला, बालूखेड़ी, आलोट (अक्रियाशील) 4. श्री देवनारायण गौशाला, भौजाखेड़ी, आलोट (ख) उपरोक्त गौशालाओं को वर्ष 2011 से अक्टूबर 2014 तक चारा-भूसा इत्यादि हेतु प्रदाय अनुदान का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार । (ग) म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड में आलोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गोविंद गौशाला समिति द्वारा वर्ष 2013-14 में शेड निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है किन्तु उक्त गौशाला द्वारा पिछली प्रदत्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । इस कारण कार्यवाही संभव नहीं है ।

परिशिष्ट -''छत्तीस''

विभाग की अनुदान योजनाएं

52. **(क्र. 639) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उद्यानिकी विभाग अंतर्गत जिला आगर में कौन-कौन सी योजनायें जनसामान्य हेतु वर्तमान में संचालित है ? योजनाओं का स्वरूप, मापदण्ड व होने वाले लाभ की जानकारी देवें ? (ख) विभाग की योजनाओं हेतु आवेदन की प्रक्रिया क्या है ? क्या आवेदन प्राप्त करने से पूर्व योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं जनसामान्य को जागरूक करने का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो विगत 02 वर्षो में क्षेत्रांतर्गत विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की प्रमाणिक जानकारी दें ? (ग) क्या विभाग की योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित होता है ? यदि हां, तो लक्ष्य से कितने प्रतिशत अधिक आवेदन लिए जा सकते है ? क्षेत्रांतर्गत विगत दो वर्षों में लिए गए आवेदनों की व स्वीकृत आवेदनों की योजनावार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें ? (घ) क्या यह सही हैं कि पहले आओ पहले पाओं आधार पर आवेदनों की स्क्रूटनी की जाकर स्वीकृति की जाती है ? यदि हां, तो शासन स्तर से मानिटरिंग किस प्रकार की जाती है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है । (ख) विभाग की 9 योजनाओं के लिए कृषकों के ऑनलाईन पंजीयन और शेष योजनाओं के लिए प्रथम आओ प्रथम पाओ की प्रक्रिया है । जी हां । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है । (ग) जी हां। ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने के आवेदनों के लिए कोई सीमा नहीं है । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है । (घ) लाटरी पद्धति से चयनित हितग्राहियों के प्रकरणों का परीक्षण लाटरी के उपरांत तथा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण आवेदन प्राप्ति पर किया जाता है । शासन स्तर से हितग्राहियों के आवेदनों का परीक्षण अथवा पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है ।

क्षेत्रान्तर्गत कृषि महोत्सव 2014 का क्रियान्वयन

53. **(क्र. 640) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि महोत्सव-2014 अंतर्गत शासन स्तर से कौन-कौन सी गतिविधियॉ तय की गई थी ? (ख) शासन स्तर से तय गतिविधियों के सुचारू क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रान्तर्गत किन-किन शासकीय सेवकों को जवाबदारी दी गई थी ? (ग) क्या कृषि महोत्सव अंतर्गत जिला आगर में निकाले गए कृषि रथ के ग्राम भ्रमण के दौरान नि:शुल्क नकल, चाय नाश्ते की व्यवस्था है यदि हां तो मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था की गई थी ? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित कार्यों के लिए जिला आगर को कितनी राशि आवंटित की गई ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कृषि महोत्सव 2014 अंतर्गत शासन स्तर से तय की गई गतिविधियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है । (ख) शासन स्तर से तय गतिविधियों के सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिले के कलेक्टर तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विश्वविद्यालय) उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, पंचायत और ग्रामीण विकास, वन, जल संसाधन, उर्जा, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा, राजस्व, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, आदिवासी विकास, महिला एवं बाल विकास, विभाग के क्षेत्रान्तर्गत जिला, अनुभाग, विकास खंड एवं ग्राम स्तरीय शासकीय सेवकों को जवाबदारी दी गई थी । (ग) जी हां । मानिटरिंग हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में एक अधिकारी नियुक्त किया गया। (घ) उल्लेखित कार्यो हेतु जिले को रू. 21.60 लाख की राशि आवंटित की गई।

ओलावृष्टि की राहत राशि से वंचित किसान

54. **(क्र. 652) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत गत वर्ष 2013 में हुई भीषण ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई थीं, तथा जिन-जिन ग्रामों के किसानों को राहत राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी, क्या उसका विधिवत वितरण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक वितरण करा दिया जायेगा ? (ख) क्या ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सड़िया के किसानों को ऐसी स्वीकृत राशि का लाभ अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों, तथा कब तक स्वीकृत राशि किसानों के खातों में जमा करा दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता । (ख)ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र की वर्ष 2013 की ग्राम सड़िया के किसानों की कोई राशि भुगतान से शेष नहीं है । शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता ।

धार जिले में कृषि विभाग द्वारा किसानों को दिये जाने वाले लाभ की जानकारी

55. **(क्र. 704) श्रीमती रंजना बघेल (किराड़े) :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2011 से वर्ष 2014 तक किन-किन योजनाओं में हितग्राही किसानो को लाभ दिया गया ? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) क्या आरक्षित कोटे का प्रावधान हैं ? यदि हां, तो आरक्षित वर्ग के कितने हितग्राहियों को लाभ दिया गया ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" पर है । (ख) जी हॉ। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो" पर है

कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना निधि से संबंधित

56. **(क्र. 729) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना निधि से वर्ष 2009-2010 से अक्टूबर 2014 तक कितनी आय प्राप्त (अर्जित) होकर व्यय हेतु शासन द्वारा क्या-क्या प्रक्रिया निर्धारित की है ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रक्रिया अंतर्गत किन-किन विभागों/संस्थानों को राशि देने का प्रावधान है ? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित राशि मुरैना जिले में कहां-कहां, किन-किन कार्यो/कितनी-कितनी राशि योजनाओं हेतु व्यय की, जानकारी वर्ष 2009-2010 से अक्टूबर 2014 तक दी जावे ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि में वर्ष 2009-10 से अक्टूबर 2014 तक प्राप्त राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है । म.प्र. कृषि उपज मंडी (राज्य विपणन विकास निधि) 2000 के संशोधित नियम 7 (2) में निहित प्रावधान अनुसार राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा राशि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है । (ख) मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि नियम 2000, के संशोधित नियम 7(2) में निहित प्रावधान अनुसार राशि स्वीकृत दिये जाने का प्रावधान है । (ग) वर्ष 2009-10 से अक्टूबर 2014 तक मुरैना जिले के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति मुरैना में 2000 मे.टन गोदाम निर्माण कार्य हेतु राशि रूपयें 80.00 लाख स्वीकृत की गई तथा उपरोक्त कार्य पर राशि रूपयें 75.00 लाख व्यय की गई है ।

परिशिष्ट -''सैंतीस''

कृषि संचालक के विरूद्ध कार्यवाही

57. **(क्र. 745) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन के पास तत्कालीन कृषि संचालक श्री बी.एस.शर्मा के विरूद्ध तथा उप संचालक कृषि विदिशा एवं तत्कालीन उपसंचालक कृषि बालाघाट श्री बिलैया के विरूद्ध पूर्व विधायक श्री किशोर समरीते द्वारा 1.10.2013 से 15.11.2014 तक कितनी शिकायतें राज्य शासन को प्रेषित की गयीं ? शिकायतों पर कितनी जांच समितियां राज्य शासन द्वारा बनाई गई ? जांच अधिकारियों द्वारा राज्य शासन को कितने जांच प्रतिवेदन सौंपे गये तथा उन जांच प्रतिवेदनों पर राज्य शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? (ख) श्री बी.एस.शर्मा संचालक कृषि रहते हुए अपनी पदस्थापना अवधि में विभिन्न योजनाओं में दी गई स्वीकृतियों में बलराम तालाब निर्माण, नलकूपों के खनन, किसानों के भ्रमण दल तथा दवाओं की खरीदी, कृषि उपकरणों की खरीदी में अपनी पदस्थापना अवधि से 25.08.2014 तक कुल कितनी राशि व्यय की गई ? (ग) बालाघाट जिले में 1.1.2007 तक तथा विदिशा जिले में 1.1.2014 से 15.11.2014 तक कृषि उपकरणों की खरीदी, किसानों के भ्रमण दलों में व्यय, दवाओं की खरीदी, बलराम तालाबों के निर्माण, नलकूपों के खनन तथा अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को कृषि उपकरण दिये जाने में व्यय की गई राशि का कार्य पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों का पूर्ण विवरण दिया जावे ? इस दौरान श्री बिलैया उपसंचालक कृषि के विरूद्ध 75 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के मामले की राज्य शासन द्वारा अब तक जांच न किये जाने का कारण बताया जावे ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हॉ । मान. पूर्व विधायक श्री किशोर समरीते से दो शिकायतें प्राप्त हुई है । शिकायत की जॉच संचालक, कृषि तथा कलेक्टर, बालाघाट से कराई जा रही है । जॉच अधिकारियों द्वारा राज्य शासन को जॉच प्रतिवेदन नहीं सौंपा गया है । (ख)डॉ. डी. एन. शर्मा, संचालक कृषि द्वारा अपनी पदस्थापना अवधि में कोई भी राशि व्यय नहीं की गई है । संचालनालय स्तर से आबंटन जारी किया जाता है व्यय जिलों के उप संचालक कृषि द्वारा किया जाता है । (ग) प्रशनांश में बालाघाट जिले में पदस्थापना की जानकारी अस्पष्ट होने से उक्त जिले की जानकारी नहीं दी जा रही हैं। विदिशा जिले से संबंधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है । शेष जानकारी प्रश्नांश क में दिये गये उत्तर अनुसार है ।

परिशिष्ट -''अड़तीस''

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुदान का भुगतान

58. **(क्र. 758) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत श्योपुर जिले को चालू वित्त वर्ष में कितना बजट एवं लक्ष्य प्राप्त हुआ ? (ख) चालू वित्त वर्ष में ही उक्त योजना के तहत वर्तमान तक अनुदान प्राप्त करने हेतु कितने कृषको के आवेदन प्राप्त हुए । परिक्षण उपरांत कितने कृषकों के आवेदन सही पाये गये ? पंजीकृत कृषकों की सूची भी उपलब्ध करावें ? (ग) उक्त पंजीकृत कृषको में से कितने कृषको को वर्तमान तक अनुदान का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? इसमें विलंब के क्या कारण है व इस हेतु कौन उत्तरदायी हैं ? (घ) क्या ये सच है कि वर्तमान तक विभाग के संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा एक भी पंजीकृत कृषको को अनुदान का भुगतान नहीं किया गया हैं ? यदि किया गया हैं तो अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध करावें ? (ड.) यदि नहीं तो अनुदान का भुगतान करने में विलंब के कारणों की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए शीघ्र पंजीकृत कृषको को अनुदान का भुगतान करने के निर्देश क्या शासन विभाग को जारी करेगा यदि नहीं तो क्यों ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) श्योपुर जिले को चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त बजट एवं लक्ष्य का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है । (ख) चालू वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत 229 आवेदन प्राप्त हुये तथा 229 आवेदन पंजीकृत किये गये। पंजीकृत कृषकों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है । (ग) उक्त पंजीकृत कृषकों के देयक अप्राप्त होने से भुगतान नहीं किया गया है । देयक प्राप्त होते ही अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी। अत: विलंब के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है । (घ) जी हॉ, भुगतान नहीं किया गया है । पंजीकृत कृषकों से देयक प्राप्त होते ही भुगतान किया जावेगा। अत: विलंब के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है । (ङ) विलंब के लिये कोई दोषी नहीं है, इसलिये कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। कृषकों द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान के निर्देश पूर्व से ही है ।

आंगनबाड़ी केंद्रों में अनियमितताएं

59. **(क्र. 760) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्योपुर जिले में प्रश्न दिनांक की स्थिति में कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है ? इन केंद्रों में संचालित गतिविधियों के संबंध में शासन के क्या निर्देश है निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें ? (ख) उक्त केंद्रों में उक्त निर्देशानुसार सभी कार्य एवं गतिविधियां नियमित संचालित होने केंद्रों के नियमित न खुलने तथा गुणवत्तायुक्त भोजन न परोसे जाने सहित अन्य कई प्रकार की अनियमितताएं बरती जाने की स्थिति निर्मित होती रही है अथवा होती रहती है ? यदि हां, तो इन अनियमितताओं की रोकथाम हेतु विभाग क्या कार्यवाही करेगा ? (ग) एक जून 2014 से वर्तमान तक की अवधि में उक्त संचालित सहित केंद्रों में सेमिनार केंद्रों में किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस दिनांक को निरीक्षण किया गया के दौरान क्या अनियमितताएं पाई गई इनके लिए कौन दोषी पाया गया के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? (घ) उक्त अवधि में ही उक्त केंद्रों में अनियमितताएं बरती जाने की क्या कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच कराई गई ? कृपया बतावें जांच उपरांत कौन दोषी पाया गया के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) श्योपुर जिला अन्तर्गत कुल 894 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है । केन्द्रों में संचालित निम्न गतिविधियां के शासन निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है । 1-आईसीडीएस गतिविधि पोषण आहार 2- लाड़ली लक्ष्मी योजना 3- सुपोषण अभियान 4- बाल चैपाल 5- सबला योजना 6- इस्निप योजना 7- अटल बाल मिशन (ख) उक्त केन्द्रों में प्रश्नांश (क) अनुसार गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है । केन्द्र संचालन में पाई गई अनियमितताओं का समय-समय पर निराकरण किया गया है । अनियमितताओं की रोकथाम हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा सतत् निरीक्षण, बैठकें व मूल्यांकन किया जाता है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है । (घ) उक्त अवधि में केन्द्रों में अनियमितताएं बरती जाने संबंधी 7 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनकी जाच कराई गई। जाच उपरान्त 02 कार्यकर्ताओं की सेवायें समाप्त की गई व 02 का सात दिवस का मानदेय काटा गया एवं 03 को कार्य में सुधार करने संबंधी नोटिस जारी किये गये है । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है ।

पौध संरक्षण दवा विनिर्माताओं द्वारा प्रतिवेदन दिये जाना

60. **(क्र. 778) श्री अनिल जैन :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 31 दिसम्बर 2013 की स्थिति में कितने पौध संरक्षण दवा विनिर्माता अनुज्ञप्तिधारी थे ? स्थानीय एवं मल्टीनेशनल्स की जानकारी दी जावे ? (ख) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनुज्ञप्तिधारी पौध संरक्षण दवा

विनिर्माताओं और विक्रेताओं द्वारा विक्रय मात्रा का प्रतिवेदन डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से जिले के पंजीयन प्राधिकारी को भी प्रति माह भेजना आवश्यक है ? यदि हां, तो गत वर्ष कितने विनिर्माताओं और विक्रेताओं के द्वारा अपनी रिपोर्टस जिलों तक भेजी गई है ? (ग) विनिर्माताओं से उक्त प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की इस स्थिति को सुधारे जाने हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) प्रदेश में 31 दिसम्बर 2013 की स्थिति में स्थानीय 101 एवं मल्टीनेशनल्स निरंक कुल 101 पौध संरक्षण अनुज्ञप्तिधारी विनिर्माता थे । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रश्नांश "ख", उत्तर के परिपेक्ष्य में शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

बीज खाद एवं पौध संरक्षण दवाओं की उपलब्धता

61. **(क्र. 779) श्री अनिल जैन :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से बीज खाद और पौध संरक्षण दवाओं के मात्रात्मक प्रदाय एवं गुणात्मक प्रदाय किसानों की आवश्यकतानुसार सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर शासन की ओर से क्या किन्हीं अधिकारियों को दायित्व सौंपे गये हैं ? यदि हॉ तो इन अधिकारियों के विभाग व पदनाम ससंदर्भ बताये जायें ? (ख) टीकमगढ़ जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा दिनॉक 15 सितम्बर से 10 नवम्बर 2014 तक बीज खाद और पौध संरक्षण दवाओं की प्रदायक स्रोत सहित भंडारित मात्रा और वितरित मात्रा की समितिवार, आयटमवार जानकारी सहित बतावें कि क्या इन संस्थाओं द्वारा आदान सामग्री के भंडारण कराने के पूर्व आवश्यक अनुज्ञप्ति लिये जाने की प्रक्रिया पूरी कराई गई है ? यदि हॉ तो संस्थावार अनुज्ञप्ति क्रमांक व वैधता अवधि बताई जाये और यदि नहीं तो इस के लिए किस स्तर पर कौन उत्तरदायी है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा बीज खाद और पौध संरक्षण दवाओं की भंडारित और वितरित मात्रा के प्रतिवेदन किस-किस स्तर पर कब-कब भेजे जाने का प्रावधान शासन द्वारा निर्धारित है ? जिला टीकमगढ़ की संस्थाओं के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदनों की जानकारी उक्त प्रावधानवार संस्थावार दी जाये, और यदि प्रतिवेदन नहीं दिये जा रहे हैं तो इसके लिए किस स्तर पर कौन उत्तरदायी हैं ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हां । जिला स्तर पर उप संचालक कृषि एवं विकास खण्ड स्तर पर निरीक्षक पदैन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी किसान कल्याण तथा कृषि विकास को दायित्व सौंपा गया है । (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -1 पर है । कृषि साख समितियों के द्वारा आदान भण्डारण एवं वितरण के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्ति प्रक्रिया का पालन कराया जा रहा है । जिन केन्द्रों की अनुज्ञप्ति वैधता समाप्त हो चुकी है उनका नवीनीकरण प्रक्रियाधीन है । चूंकि यह निरंतर प्रक्रिया है । अत: किसी भी स्तर पर कोई उत्तरदायी होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है । (ग) कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा विकासखंड एवं जिला स्तर पर पंजीयन प्राधिकारी की आवश्यकता अनुसार साप्ताहिक एवं मासिक रूप से प्रतिवेदन भेजने का प्रावधान है जो सभी स्तर पर नियमित रूप से प्राप्त हो रहे हैं ।

नल-जल योजनाओ की स्वीकृति एंव क्रियान्वयन

62. **(क्र. 780) श्री अनिल जैन :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षो में कितनी नल-जल योजनायें किन-किन गांवों में स्वीकृत की गई हैं ? वर्षवार जानकारी दी जावें ? (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत योजनाओं में से कौन-कौन सी योजनायें पूर्ण होकर ग्राम पंचायतों

को सौंप दी गई हैं ? इनमें से कौन-कौन सी योजनायें चालू हैं और कौन-कौनसी योजनायें बंद पड़ी हैं ? इनके बंद रहने का कारण एवं इस बाबत् विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? (ग) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत योजनाओं में से ऐसी कितनी योजनायें हैं जो अपूर्ण हैं अथवा उनमें काम प्रारंभ नहीं किया गया है ? योजनावार कारण सहित जानकारी दी जावें ? (घ) प्रश्नाधीन अवधि में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा क्षेत्र में खनन किये गये हैण्डपंपों की जानकारी वर्तमान स्थिति सहित दी जावें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 60 नलजल योजनाएं स्वीकृत की गई । शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "क" अनुसार । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "क" अनुसार । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "क" अनुसार । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ख" अनुसार ।

सागर संभाग अंतर्गत कृषि विभाग के उपसंचालकों के निजी खातों के संबंध में

63. **(क्र. 793) श्री हर्ष यादव :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 09.07.14 के ता.प्र.सं. 6 (क्रं. 2336) के उत्तर में माननीय मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जांच समिति गठित करने को कहा था ? यदि हां, तो कब किसके आदेश से समिति बनी ? समिति ने अब तक क्या कार्य किया है ? प्रश्नकर्ता को जांच समिति में कब बुलाया गया समिति गठन आदेश प्रश्नकर्ता को बुलाने के पत्रों की प्रति उपलब्ध करायें ? (ख) क्या यह सही है कि माननीय मंत्री महोदय के आदेश के बाद भी जांच करी ही नहीं जा रही है ? यदि हां, तो आदेश पालन नहीं करने वालों पर क्या कार्यवाही की जावेगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हां। विभाग के पत्र क्र बी-10/37/2014/14-2 दिनांक 22/07/2014 द्वारा जांच दल गठित किया गया है । आदेश परिशिष्ट-1 पर संलग्न है । समिति द्वारा जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । प्रश्नकर्त्ता को जांच समिति में बुलाया जाने की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है । (ख) जी नहीं । समिति द्वारा जांच की जा रही है । जांच पूर्ण होते ही वस्तुस्थिति के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट -''उनतालीस''

संयुक्त संचालक कृषि विभाग सागर द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश की उपेक्षा

64. **(क्र. 796) श्री हर्ष यादव :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 8.8.2014 को संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सागर को पत्र लिखकर जानकारी चाही थी ? (ख) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी द्वारा जानकारी प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई गई है ? (ग) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र द्वारा मान. सांसदों, विधायकों को जानकारी देना एवं उनके पत्रों का समय सीमा में शीघ्र उत्तर देने का प्रावधान किया गया है ? (घ) यदि हां तो जानकारी नहीं देने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी ? क्या यह सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों की जानबूझकर घोर अवहेलना नहीं है ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हॉ । (ख) उक्त अधिकारी संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सागर द्वारा पत्र क्रमांक वि.स.प्र.ता./2336/स्टेनो/2014/15/4073, दिनांक 22.11.2014 द्वारा जानकारी उपलब्ध करा दी गई है । (ग) जी हॉ । (घ) प्रश्नांश "ख" अनुसार चाही गई जानकारी उपलब्ध करा दी गई है । अत: कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पाटन विधानसभा क्षेत्र में उत्पन्न खाद की कमी

65. **(क्र. 806) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विकास खण्ड में रबी 2014-15 में कौन-कौन से उर्वरक की मांग विपणन संघ द्वारा निर्धारित की गयी है ? इस मांग के विरूद्ध कौन-कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में म.प्र.राज्य सहकारीविपणन संघ में उपलब्ध है बतलावें ? (ख) रबी फसल बुवाई हेतु 01अक्टूबर 2014 से 15 नवंबर 2014 तक पाटन विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कितना उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध था ? बतलावें ? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित उर्वरक में से कितनी उर्वरक के परमिट किसानों को प्रदाय किये गये बतलायें ? उर्वरक की कमी का संकट किस बजह से उत्पन्न हुआ है ? क्या किसान मार्केट से अधिक दाम देकर उर्वरक खरीद रहे है ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर है । (ख) 01 अक्टूबर 2014 से 15 नवम्बर 2014 तक विकासखंड पाटन के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के स्टाक में 2613 मे टन उर्वरक उपलब्ध था। (ग) विकासखण्ड पाटन में 2613 मे टन उर्वरक के परमिट किसानों को प्रदाय किये गये । जबलपुर जिले के डबललॉक केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक भण्डारित है । जिले में उर्वरक की कमी नहीं है । मार्केट से अधिक दाम देकर उर्वरक खरीदने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

परिशिष्ट -''चालीस''

कृषि महोत्सव का आयोजन

66. **(क्र. 822) श्री जितू पटवारी :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सन् 2014 में कृषि महोत्सव आयोजन का क्या उद्देश्य था, एवं यह आयोजन कहां-कहां तथा किस-किस स्तर पर किया गया है ? इस आयोजन के अंतर्गत किस-किस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आयोजनों पर मदवार कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा व्यय की गई ? (ग) उपरोक्त महोत्सव से कितने किसान किस रूप में लाभान्वित हुए हैं ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कृषि महोत्सव 2014 के आयोजन का मुख्य उददेश्य कृषि एवं सम्बद्ध विभागों जैसे- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं खाध प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, पंचायत और ग्रामीण विकास, वन, जलसंसाधन, उर्जा, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा, राजस्व, लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, आदिवासी विकास, महिला एवं बाल विकास, विभाग द्वारा किसानों एवं कृषि वैज्ञानिको के मध्य सीधा संपर्क कायम कर दोनों के मध्य नवीन एवं वैज्ञानिक तकनीक सुधार से वर्तमान फसलों की उत्पादकता बढाना एवं नवीन फसल (किस्मों) की संभावनाओं के आधार पर भविष्य में फसल चक्र को परिवर्तन कर खेती को लाभ का धंधा बनाना था । यह आयोजन ग्राम, विकासखंड जिला एवं राज्य स्तर पर किया गया । इसके अंतर्गत आयोजित गतिविधियों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है । (ख) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में आयोजनों पर मदवार शासन द्वारा व्यय की गई राशि के देयक जिलों में प्राप्त हो रहे है, उनके भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । जानकारी समस्त जिलों से प्राप्त की जा रही हैं। (ग) उपरोक्त महोत्सव से गतिविधि वार लाभांवित किसानों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है ।

<u>हनुमना तहसील अंतर्गत ग्राम हटा 49 की भूमि किसानों को आवंटित की जाना</u>

67. **(क्र. 865) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले की हनुमना तहसील अंतर्गत ग्राम हाटा 49 की भूमि नं. 784/2 रकबा 215 एकड़ वन राजस्व की थी ? जिसमें 100 एकड़ 84 ढिसमिल फारेस्ट रिजर्व की थी एवं शेष भूमि को सन् 1972 में पट्टेदारों को कृषि कार्य हेतु आवंटित की गई थी ? (ख) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यवाही में वन विभाग का मुनारा भी लगाया था जो कि आज भी मौके पर मौजूद है ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में सन् 1972 में किसानों को कृषि कार्य हेतु आवंटित 114 एकड़ 20 ढिसमिल जमीन से बेदखल क्यों किया जा रहा है ? क्या सरकार सन् 1972 की वन विभाग की सीमा (मुनारा) को ही आधार मानकर किसानों को कृषि कार्य हेतु आवंटित जमीन पुन: प्रदाय करेगी ? यदि हॉ तो कब तक ? समय सीमा बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) प्रश्नाधीन ग्राम हाट की भूमि खसरा <u>क्र-784/2</u> कुल रकबा 315.84 एकड वन राजस्व भूमि थी। जिसमें से 100.84 एकड म.प्र.शासन (रिजर्व फारेस्ट) की है । शेष 215 एकड भूमि स्वामी के नाम दर्ज अभिलेख है । सन् 1972 में कृषि कार्य हेतु कोई भूमि वंटित नहीं की गई । (ख) जी हां (ग) प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1972 में कृषि कार्य हेतु किसानों को आवंटित नहीं की गई थी। न ही राजस्व भूमि से किसी किसान को बेदखल किया जा रहा है । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

<u>सीतामऊ कृषि उपज मण्डी द्वारा नवीन दुकानों का निर्माण एवं नीलामी</u>

68. **(क्र. 884) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीतामऊ कृषि उपज मण्डी द्वारा कितनी नवीन दुकानों का निर्माण किया गया है ? उनकी लागत राशि की जानकारी दें ? (ख) इन दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया कितनी बार संपादित की गई, तथा विज्ञप्ति कितनी बार निकाली गई ? (ग) कितने व्यक्तियों द्वारा इस नीलामी में भाग लिया गया तथा किन-किन व्यक्तियों ने कितनी-कितनी बोली अलग-अलग दुकानों पर लगाई, उन व्यक्तियों के नाम और लगाई गई बोली की राशि की जानकारी दें ? (घ) किन व्यक्तियों के नाम से अन्तिम और अन्तिम से पहले व्यक्ति की बोली लगाई गई, उनकी राशि तथा किन व्यक्तियों के नाम पर दुकानों का आवंटन किया गया ? आज दिनॉक तक किन-किन दुकानों का बोलीकर्ता के साथ अनुबंध किया गया ? उनकी जानकारी दें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कृषि उपज मंडी समिति सीतामउ द्वारा 17 नवीन दुकानों का निर्माण किया गया है । जिसकी निर्माण लागत 46.91 लाख रूपयें है । (ख) कृषि उपज मंडी समिति सीतामउ की नीलामी प्रक्रिया तीन बार संपादित की गई है तथा विज्ञप्ति तीन बार निकाली गई। (ग) कृषि उपज मंडी समिति सीतामउ के दुकानों की नीलामी में 105 व्यक्तियों ने भाग लिया। नीलामी प्रक्रिया तीन चरणों में संपादित की गई तथा प्रत्येक दुकान पर बोली लगाने वाले व्यक्तियों एवं उनके द्वारा लगायी गयी बोली की राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -"अ" पर है । (घ) प्रत्येक दुकान पर अंतिम एवं अंतिम से पहले बोली लगाने वाले व्यक्ति एवं उनकी राशि तथा जिन व्यक्तियों को दुकान का आवंटन किया गया तथा जिन बोलीकर्ता से अनुबंध किया गया उसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -"ब" संलग्न है ।

फौती नामांतरण के लंबित प्रकरण

69. **(क्र. 900) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवम्बर 2014 की स्थिति में रायसेन एवं देवास जिले में फौती नामांतरण के कितने प्रकरण लंबित है तथा क्यों ? (ख) उक्त प्रकरणों का निराकरण कब तक होगा ? क्या यह सत्य है कि रायसेन जिले में फौती नामांतरण के अनेक प्रकरण लंबित है, तथा पटवारियों द्वारा निरंक जानकारी दी जाती है यदि हॉ, तो क्यों ? (ग) फौती नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण करने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश है ? उनकी प्रति दें तथा समय सीमा क्या निर्धारित है ? (घ) समय सीमा में फौती नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण न होने की स्थिति में किस स्तर के अधिकारी की क्या-क्या जवाबदारी है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

प्राकृतिक प्रकोपों से क्षति

70. **(क्र. 901) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राकृतिक प्रकोपो से मकान क्षति, पशुहानि, सर्पदंश से मृत्यु, पानी में डूबने से मृत्यु, थ्रेसर दुर्घटना में घायल, अग्नि दुर्घटना आदि प्रकरणों में राहत राशि भुगतान के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश है उनकी प्रति दें ? (ख) क्या यह सत्य है कि देवास एवं रायसेन जिले में उक्त श्रेणी के अनेक प्रकरण नवम्बर 2014 की स्थिति में लंबित है यदि हां, तो क्यों कारण बतायें ? (ग) उक्त प्रकरणों में पीड़ित व्यक्ति या उसके परिजन को तत्काल सहायता राशि प्राप्त हो इस संबंध में विभाग क्या-क्या कार्यवाही करेगा ? (घ) विलंब से राशि भुगतान के लिए कौन तथा किस स्तर का अधिकारी जवाबदार होगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) प्राकृतिक प्रकोपों से मकान क्षति, पशुहानि, सर्पदंश से मृत्यु, पानी में डूबने से मृत्यु, अग्नि दुर्घटना के प्रकरणों में राहत राशि भुगतान के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में प्रावधान है । थ्रेसर दुर्घटना में घायल प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं है । अतः इन्हें आर.बी.सी. 6-4 के मापदंड अनुसार सहायता राशि नहीं दी जाती । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता । (ग) एवं (घ) प्रश्नांश "ख" की जानकारी के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

केवलारी विधान सभा को सूखाग्रस्त घोषित किया जाना

71. **(क्र. 918) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केवलारी विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष औसत से कम वर्षा हुई है ? यदि हॉ तो कितनी वर्षा हुई ? (ख) क्या औसत से कम वर्षा होने के कारण धान एवं सोयाबीन की फसल खराब हो गई है ? यदि हॉ तो उक्त फसल खराब हो जाने के कारण शासन मुआवजा राशि का वितरण करेगा यदि हॉ ता कब तक ? (ग) क्या केवलारी विधान सभा क्षेत्र में अल्प वर्षा होने के कारण शासन सूखा ग्रस्त घोषित करेगा ? यदि हॉ तो कब तक यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । केवलारी तहसील में वर्ष 2014 में कुल 429.0 एम.एम. वर्षा हुई है । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता । (ग) शासन के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होने पर सूखाग्रस्त घोषित करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग केवलारी के विश्रामगृह का जीर्णोद्धार

72. **(क्र. 919) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग केवलारी द्वारा निर्मित विश्राम गृह की स्थिति जर्जर हो गई है ? (ख) उक्त विश्राम गृह की मरम्मत हेतु आज दिनॉक तक विगत 3 वर्षों में कितनी धन राशि का व्यय किया गया है ? वर्षवार विवरण दें ? (ग) शासन द्वारा उक्त विश्राम गृह की मरम्मत हेतु अभी तक विगत तीन वर्षो में कितनी धन राशि आवंटित की गई है ? उक्त आवंटित धन राशि के विरूद्ध कितनी धन राशि का व्यय किया गया है ? (घ) विगत तीन वर्ष का विवरण दें ? क्या विभाग उक्त विश्राम गृह की मरम्मत हेतु धन राशि आवंटित करेगा ? यदि हॉ तो कब तक व यदि नहीं तो क्यों ? कारण स्पष्ट करें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी केवलारी द्वारा किसी भी विश्राम गृह का निर्माण नहीं कराया गया है ।(ख) उत्तरांश-"क" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नही होता । (ग) उत्तरांश-"क" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) उत्तरांश-"क" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ग्राम-तेहरा मजरा-रतनसिंह का पुरा तह-पोरसा में सीमाकंन में विलंब

73. **(क्र. 927) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि रतनसिंह पुत्र सरदार सिंह भदौरिया ग्राम -तेहरा मजरा-रतन का पुरा तह. पोरसा जिला मुरैना द्वारा अपनी भूमि सर्वे क्र. 828 रकबा सवा पॉच बीघा के सीमाकंन हेतु जिलाधीश मुरैना को दिनांक 27.7.012 को जनसुनवाई में दिया गया था उस पर क्या कार्यवाही की गई पूर्ण जानकारी दी जावें ? (ख) क्या यह भी सही है तहसीलदार पोरसा द्वारा 27.6.013 को राजस्व निरीक्ष वृत रजौधा को 11.7.013 तक सीमांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का पत्र दिया था लेकिन कृषक की भूमि का सीमांकन क्यों नहीं कराया गया कारण सहित जानकारी दी जावें ? (ग) क्या यह भी सही है कृषक द्वारा दिनांक 18.7.012 व 9.7.014 को चालन द्वारा सीमांकन फीस जमा करने के बावजूद भी सीमांकन नहीं किया गया व तहसीलदार पोरसा द्वारा सीमांकन पर स्थगन आदेश दिया क्यों, कारण सहित जानकारी दी जावें ? (घ) क्या उक्त प्रकरण में लोक सेवा गारन्टी अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो उल्लघंन करन वाले कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं । (ख) जी हॉ । तत्कालीन ना. तहसीलदार पोरसा द्वारा आवेदक रतन सिंह की भूमि के सीमांकन हेतु संबंधित रा.नि. का पत्र दि. 29.6.13 जारी कर दि. 11.7.2013 तक सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत् निर्दिष्ट किया गया था, किन्तु सीमांकनाधीन भूमियों का नक्शाजजीर्ण स्थिति में होने के कारण रा.नि. द्वारा सीमांकन कार्यवाही में विलम्ब हुआ। (ग) आवेदक रतन सिंह द्वारा चालान क्र. 51 दि. 28.6.2013 से रू. 50 जमा खजाना किये गये थे, किन्तु भूमि का नक्शा जीर्ण होने के कारण रा.नि. द्वारा सीमांकन की समय रूप से कार्यवाही नहीं हो सकी। इस मध्य आवेदक दिनेश कुमार, राजकुमार, विनोद कुमार, राकेश कुमार, रामकिशोर पुत्र वासुदेव द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर पुराने नक्शे तथा नवीन नक्शे में सर्वे नम्बरों की भिन्नता होने और इस स्थिति में सीमांकन के दौरान विवाद होकर झगड़ा होने की संभावित संवेदनशील परिस्थितियों निर्मित होने के कारण ना. तहसीलदार श्री एन.एस. राजपूत द्वारा अन्यादेश तक सीमांकन कार्यवाही को रोका गया था । (घ) जी नहीं । म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत आवेदन का निराकरण समय सीमा में न होने की स्थिति में आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को एवं दिव्तीय अपील कलेक्टर को प्रस्तुत की जा सकती है ।

<u>मुरैना जिले में वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना से लाभान्वित किसानों की संख्या</u>

74. **(क्र. 936) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना के तहत कितने कार्यक्रम किये गये उन पर कितनी राशि खर्च की गई कार्यक्रमों की संख्या, व्यय राशि, दिनांक, कार्यस्थल सहित पूर्ण जानकारी दी जाये ? (ख) उक्त अवधि में कितने किसानों को राज्य के बाहर तथा अपने राज्य में चयनित कृषि केन्द्रों, प्रक्षेत्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों पर भ्रमण कराया गया ? (ग) उक्त योजना का लाभ प्राप्त किसानों की संख्या, नाम, पते सहित जानकारी दी जावें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) मुरैना जिले में वर्ष-2013-14 में मुख्य मंत्री खेत तीर्थ योजना के तहत किये गये कार्यक्रमों पर राशि रूपयें-2,23,000/- व्यय किये गये। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" पर है । (ख) वर्ष - 2013-14 में लक्ष्य न होने से राज्य के बाहर भ्रमण नही कराया गया। राज्य के अंदर कृषक भ्रमण कराया गया । विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -"ब" पर है । (ग) उक्त योजना में 393 किसानों को लाभान्वित किया गया । विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - "स" पर है ।

<u>मुरैना जिले के सबलगढ सब.डिवीजन में जलपरीक्षण गुणवत्ता उपलब्धता की लेब बन्द रहने के संबंध में</u>

75. **(क्र. 937) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि सबलगढ सब-डिवीजन की लेब जो पानी की गुणवत्ता, उपलब्धता का परीक्षण करती है पिछले लम्बे समय से बन्द है क्यों ? कारण सहित पूर्ण जानकारी दी जावें ? (ख) क्या यह भी सही है कि उक्त सब-डिवीजन में सबलगढ नगर, कैलारस नगर की पचास हजार की जनसंख्या व पहाडगढ सहित 85 ग्राम पंचायतों का क्षेत्र होते हुऐ भी लेब बन्द है ? जनवरी 2010 नवम्बर 2014 तक कितने ग्रामों में कितनी बार जल परीक्षण कराया गया संख्या सहित ग्रामवार जानकारी दी जावें ? (ग) उक्त सब-डिवीजन में कितने तकनीकी स्टाफ की स्वीकृत संख्या है कितने कर्मचारियों की पदस्थापना कब से नहीं की गई पदनाम सहित समय सहित जानकारी दी जावें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हां । रसायनज्ञ के द्वारा नियुक्ति पश्चात कार्य पर उपस्थित न होने के कारण। पुन: रसायनज्ञ की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (ख) जी हां । जनवरी 2010 से नवम्बर 2014 तक सबलगड उपखण्ड के अंतर्गत स्थपित लैब द्वारा कुल 314 ग्रामों में 3457 जल नमूनों को एकत्रित किया जाकर जिला प्रयोगशाला में जल परीक्षण कराया गया । ग्रामवार कराये गये परीक्षण की संख्या सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार । (ग) कुल 43 पद स्वीकृत, 08 हैण्डपम्प तकनीशियनों के पद दिनांक 22 सितंबर 2008 से तथा 02 रसायनज्ञ (संविदा) के पद 26 दिसंबर 2011 से रिक्त है ।

<u>नेपा लिमिटेड को लीज पर दी गई राजस्व भूमि</u>

76. **(क्र. 942) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के नेपानगर शहर की भूमि के कुल क्षेत्रफल में कितना क्षेत्रफल राजस्व क्षेत्र (राजस्व विभाग) के अधीन होकर नेपा लिमिटेड, नेपानगर को लीज पर दिया गया है ? (ख) उक्त राजस्व भूमि कितने वर्षो की लीज पर दी गई हैं ? कब से कब तक ? कृपया अवधि बतावें ? (ग) उपरोक्त लीज भूमि में कितनी भूमि पर शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी निर्माण कार्य हुए हैं ? (घ) उपरोक्त भूमि में कितने अलग-अलग व्यवसाय संचालित हैं ? इनमें से कितने लघु एवं सूक्ष्म व्यवसाय की श्रेणी में आते है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

सतना जिले में रवी फसल बोनी के लिये उर्वरक एवं बीज की जानकारी उपलब्धता

77. **(क्र. 952) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 में रबी फसल की बोवनी के लिये प्रदेशभर में कितने मैट्रिक टन उर्वरक एवं बीज की आवश्यकता है ? (ख) 10 नवम्बर,2014 तक कितनी उर्वरक एवं बीज प्रदेश में उपलब्ध कराया गया उर्वरकवार एवं बीजवार जानकारी देवें ? (ग) सतना जिलें में अभी तक कितने टन डी.ए.पी.यूरिया एवं सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध कराया गया हैं ? (घ) क्या यह सही है कि सतना जिले में जितनी उर्वरक की आवश्यकता किसानों को है ? वह 10 नवम्बर 2014 तक उपलब्ध नहीं हो पाई ? आवश्यकतानुसार उर्वरक कितनों दिनों में उपलब्ध करा दी जायेगी ? समय-सीमा बतायें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) वर्ष 2014-15 में रबी फसल के लिये प्रदेश में 25.60 लाख मे.टन उर्वरक एवं 20.186 लाख क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया। (ख) विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2 पर है। (ग) सतना जिले में अभी तक 9468 मे.टन डी.ए.पी., 9692 मे.टन यूरिया एवं 105 मे.टन सिंगल सुपर फास्टफेट उपलब्घ कराया गया। (घ) जी नहीं। सतना जिले में 10 नबम्वर 2014 तक 19392 मे.टन उर्वरक उपलब्ध कराया गया । उपलब्धता अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति निरंतर जारी है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट -''इकतालीस''

आरक्षण रोस्टर का पालन

78. **(क्र. 963) श्री आरिफ अकील :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि विभाग के पोषण आहार निरीक्षक के पद पर वर्ष, 2005-06 से 2010 तक की गई नियुक्तियों में आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है ? (ख) यदि हां, तो रोस्टर की जानकारी उपलब्ध करावें ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण सहित बतावें ? इस नियम विपरीत कार्यवाही के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं, तथा उनके विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी, बतावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) वर्ष 2005-06 से वर्ष 2010 तक विभाग में पोषण आहार निरीक्षको की नियुक्ति नहीं की गई है । (ख) प्रश्नांक 'क' के सन्दर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध कार्यवाही

79. **(क्र. 964) श्री आरिफ अकील :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि श्री एम.एम. बाल पाण्डे तत्कालीन उपसंचालक कृषि, विदिशा के विरूद्ध करोड़ों की वित्तीय अनियमिता कर भ्रष्टाचार की शिकायतें शासन/विभाग को प्राप्त हुई हैं ? (ख) यदि हां, तो कब-कब, कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन शिकायतों में कौन-कौन दोषी पाया गया, के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या यह भी सही है कि विदिशा कार्यकाल के दौरान वर्ष, 2011 में पांच ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा सामग्री वितरित नहीं करने के बावजूद उपसंचालक के द्वारा फर्जी भुगतान करने संबंधी मामला उजागर हुआ है ? यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार में कौन-कौन कर्मचारी/ अधिकारीगण संलिप्त हैं ? उनके नाम व पद सहित यह अवगत करावें कि प्रश्न दिनांक तक किस-किस के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हां। (ख) शिकायतों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 पर है । (ग) जी नहीं । सामग्री प्राप्त होने के पश्चात भुगतान किया गया। शेष प्रश्नांश का प्रश्न नहीं उठता है ।

नगर पंचायत करैरा एवं ग्राम पंचायत दिनारा की शासकीय भूमि की जानकारी

80. **(क्र. 972) श्रीमती शकुन्तला खटीक :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) करैरा विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत करैरा एवं ग्राम पंचायत दिनारा के शासकीय भूमि के सर्वे नम्बरों की सूची उपलब्ध करावें ? (ख) नगर पंचायत करैरा एवं ग्राम पंचायत दिनारा के शासकीय सर्वे की भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है ? निम्नांकित बिन्दुओं पर जानकारी देवें ? क्रमांक, ग्राम/नगर का नाम, पटवारी हल्का नं., शासकीय सर्वे नं., रकबा, भूमि की स्थिति (अतिक्रमित है या अतिक्रमण से मुक्त) ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''क''(ख) प्रश्नाधीन बिन्दुवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ख'' पर है ।

बँटवारा प्रकरणों के निराकरण में विलंब

81. **(क्र. 979) पं. रमेश दुबे :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में भूमियों को बँटवारा किये जाने के कुल कितने प्रकरण कब से लंबित हैं ? पंजीकृत व अपंजीकृत किन्तु तहसील न्यायालयों में प्रचलित प्रकरणों की जानकारी तहसीलवार राजस्व न्यायालयवार दें ? क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित है यदि हां, तो बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में न्यायालय तहसीलदार चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में पक्षकार हरिराम वर्मा निवासी सिरेगांव का मौजा सिरेगांव की भूमि का उनके पुत्रों के बीच बँटवारा का प्रकरण किस तिथि से प्रचलित है और अब तक निराकरण नहीं होने के क्या कारण हैं ? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में संबंधित बँटवारा प्रकरण में संबंधित हल्का पटवारी को किस-किस तिथि को कितनी बार बटवारा फर्द प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हल्का पटवारी द्वारा बटवारा फर्द किस तिथि को तहसीलदार चौरई के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ? (घ) क्या प्रश्नकर्ता विधायक के द्वारा संबंधित हल्का पटवारी श्री पवन उईके के द्वारा तहसीलदार के बार-बार आदेश के बावजूद भी बटवारा फर्द तैयार कर प्रस्तुत नहीं करने, इस हेतु राशि की मांग करने आदि को लेकर आवेदक के शपथ पत्र सहित तहसीलदार चौरई को पत्र प्रेषित किया है ? यदि हां, तो संबंधित पटवारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है और नहीं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है । अविवादित बंटवारा के लिए समय सीमा 90 दिवस, विवादित बंटवारा के लिए समय सीमा 210 दिवस निर्धारित है । (ख) बंटवारा प्रकरण दि. 7-12-2012 से लंबित था, जिसका निराकरण दि. 31-10-2014 को किया जा चुका है । (ग)) हल्का पटवारी को 10.02.2014, 25.02.2014 एवं 27.05.2014 को आदेश जारी किया गया है । जिसमें पटवारी के विरूद्ध बंटवाराफर्द प्रस्तुत न करने पर दि. 27.05.2014 को 1000/- रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। दि. 12.08.2014 को पटवारी द्वारा बंटवारा फर्द प्रस्तुत करने पर पक्षकार के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पुन: दि. 22.10.2014 को बंटवारा फर्द लिया गया। (घ) मान. विधायक महो. द्वारा प्रेषित पत्र पर संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर जवाब लिया गया एवं पक्षकारों को न्यायालय में बुलाया जाकर कथन अंकित किये गये, जिसमें शिकायत प्रमाणित न पाये जाने पर शिकायत नस्तीबद्ध की जाकर पटवारीके विरूद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के

आदेशों की अवहेलना करने पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पृथक से कार्यवाही प्रस्तावित कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चौरई की ओर भेजी गई है । जिसके अ.वि.अ. द्वारा पटवारी को वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना करने पर पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए दो वेतन-वृद्धि रोके जाने के आदेश प्रसारित किये गये।

परिशिष्ट -''बयालीस''

<u>विधायक के पत्रों पर कार्यवाही</u>

82. **(क्र. 984) पं. रमेश दुबे :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता विधायक के द्वारा जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास छिन्दवाड़ा एवं परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास, विछुआ, जिला- छिन्दवाड़ा को कब-कब, किस-किस संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है ? पत्रवार पत्रों में उल्लेखित विषयों की जानकारी दें ? (ख) मा. विधान सभा सदस्यों के पत्रों पर कार्यवाही कर जवाब दिये जाने हेतु क्या कोई निर्देश प्रसारित किये गये हैं ? क्या यह निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी छिन्दवाड़ा एवं परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास विछुआ को उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि हां, तो पत्रों पर कार्यवाही व जवाब दिये जाने की समयसीमा क्या है ? (ग) क्या शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप उक्त अधिकारियों के द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्रों पर समयसीमा में कार्यवाही कर उसका समयसीमा में जवाब दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों, तथा क्या विभाग इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी छिन्दवाड़ा व परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विछुवा को शासन दोषी मानता है ? यदि हां, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है और यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) क्या प्रश्नकर्ता के द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र बोरिया परियोजना विछुआ में आंगनवाड़ी में पदस्थ कार्यकर्ता के विरूद्ध पत्र क्रमांक 256, दि. 22.1.2014 के माध्यम से परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विछुआ को शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो जांच में शिकायत सत्य होने के पश्चात् भी उसे पद से पृथक करने में विलंब क्यों हुआ ? इसके लिए कौन दोषी है ? दोषी के विरूद्ध क्या शासन कार्यवाही के आदेश देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क.) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'क'अनुसार है । (ख.) जी हां सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्य सचिव का निजी कक्ष) ज्ञाप क्र.237/मु.स./90 दिनांक 18.05.90 द्वारा माननीय विधायको को उनके पत्रो का उत्तर दिये जाने बाबत परिपत्र जारी किया गया है । उत्तर देने की समय सीमा निर्धारित नही की गई है । (ग.) जिला कार्यक्रम अधिकारी छिन्दवाडा व परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास बिछुआ के द्वारा माननीय विधायक द्वारा प्रेषित पत्रो पर नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराया गया है । अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नही होता है । जानकारी संलग्न परिशिष्ट'ख'अनुसार है । (घ.) जी हां । आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती शहनाज़ टेकन की सेवाये परियेाजना कार्यालय बिछुआ के आदेश क्रमांक 2598 दिनांक 11.11.2014 द्वारा समाप्त की गई। सेवा समाप्त करने में विलम्ब नही किया गया विभाग के परिपत्र दिनांक 10.07.2007 के निर्देशानुसार कार्यवाही करने में समय लगा।

परिशिष्ट -''तैंतालीस''

<u>महाअधिवक्ता कार्यालय में नियुक्त पेनल लायर की नियुक्ति</u>

83. **(क्र. 1009) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महाअधिवक्ता कार्यालय में नियुक्त पेनल लायर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है एवं वर्तमान समय में जबलपुर, इन्दौर एवं ग्वालियर खंड पीठ में कितने पेनल लायर नियुक्त हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पेनल लायर को कितना वेतनमान दिया जाता है ? एवं इनकी नियुक्ति के मापदंड क्या है ? तथा इन्हें किस प्रतिक्रिया के तहत नियुक्ति कितने समय के लिये दी जाती है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) माननीय महाधिवक्ता महोदय की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा की जाती है । जबलपुर में 84, इन्दौर में 75 एवं ग्वालियर में 49 पैनल लायर नियुक्त हैं । (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित पैनल लायर को राज्य शासन द्वारा कोई वेतनमान नहीं दिया जाता बल्कि जिस दिन उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु निर्देशित किया जाता है उक्त दिनांक का उन्हें निश्चित पारिश्रमिक प्रतिदिन 1000/- अधिकतम रूपये 1500/- का भुगतान महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा किया जाता है । नियुक्त किये जाने वाले पैनल लायर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 में विहित मापदण्ड के अनुसार महाधिवक्ता के परामर्श से नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति अवधि की समय-सीमा निर्धारित नहीं है । (ए.पी.खेर) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग ।

<u>जानकारी का प्रदाय</u>

84. **(क्र. 1024) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीधी जिले में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में परियोजना अधिकारी, लिपिक वर्ग तथा पर्यवेक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत है और उनके एवज में कितने पद भरे हैं ? परियोजनावार जानकारी उपलब्ध करावें ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ? क्या सभी पर्यवेक्षकों को नियमित रूप से वेतन, टी.ए. का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब से भुगतान नहीं किया गया ? कब तक कर दिया जावेगा ? (ख) सीधी जिले में कार्यरत कितने पर्यवेक्षकों को समयमान वेतनमान वृद्धि का लाभ दिया गया है ? दिया गया है तो क्या उनके एरियर्स का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों और कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ? (ग) क्या सभी कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त का भुगतान कर दिया गया हे ? यदि हां, तो अधिकारियों, कर्मचारियों का पद एवं नाम सहित जानकारी देवें और जिन्हें अभी भुगतान नहीं किया गया है ? उन्हें कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ? समय-सीमा बतावें ? (घ) सीधी जिले में जुलाई 2014 तक कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए है ? क्या सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जावेगा ? समय-सीमा बतावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) सीधी जिले में संचालित एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में परियोजना अधिकारी, लिपिक वर्ग तथा पर्यवेक्षकों के स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है । सीधी जिले में विभाग द्वारा विगत एक वर्ष में 03 परियोजना अधिकारियों - श्री संजीव मोहर (कुसमी), श्रीमती सुधा त्रिपाठी (रामपुरनैकिन-1) एवं श्री विकास तिवारी (मझौली) में पदस्थापना की गई है । परियोजना अधिकारी के कुल स्वीकृत 453 पदों में से 107 पद रिक्त है । इस कारण सभी पदों पर परियोजना अधिकारियों की पदस्थापना की जाना संभव नहीं है । विभाग द्वारा 68 परियोजना अधिकारियों की पदों की पूर्ति का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजा गया है । विभागीय पदोन्नति से भी परियोजना अधिकारी के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है । विभाग के अन्तर्गत पर्यवेक्षकों के रिक्त 643 पदों के पूर्ति की कार्यवाही व्यापम द्वारा की जा रही है । सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पद समाप्त कर शासन द्वारा सांख्यिकी अन्वेषक का पद निर्मित किया गया है । भर्ती नियम में संशोधन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है । अन्य लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के संवर्गो हेतु भी नियुक्ति एवं पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है । पदों की रिक्ति एवं पूर्ति निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । अतः पदों की पूर्ति हेतु समय सीमा दिया जाना संभव नहीं है ।वर्तमान में सभी कार्यरत पर्यवेक्षकों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जा रहा हैं तथा पर्यवेक्षकों को नियमानुसार समयावधि में अनुमोदित अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम/भ्रमण डायरी निरीक्षण टीप सहित प्रस्तुत करने पर यात्रा भत्ता देयक भुगतान किये गये है । (ख) सीधी जिले में कार्यरत नियमित पर्यवेक्षकों में से समयमान वेतनमान की पात्रता रखने वाली

कुल 13 पर्यवेक्षकों में से 8 पर्यवेक्षकों को द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है शेष अन्य 5 पर्यवेक्षकों को समयमान वेतनमान भुगतान किये जाने हेतु एरियर के देयक कोषालय में प्रस्तुत कर दिये गये है । एरियर्स के भुगतान की कार्यवाही कर दी गई है । (ग) सीधी जिले अन्तर्गत छठवें वेतनमान की अंतिम किश्त का भुगतान परियोजना कुसमी में पदस्थ कर्मचारियों का कर दिया गया है । शेष अन्य परियोजनाआं में पदस्थ कर्मचारियों को छठवें वेतनमान की अंतिम किश्त का भुगतान किये जाने हेतु देयक कोषालय में प्रस्तुत कर दिये गये है । भुगतान की कार्यवाही कर दी गई है । विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है । (घ) विभागान्तर्गत सीधी जिले में जुलाई 2014 तक 04 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये हैं, जिनमें से 02 कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान कर पीपीओ जारी किया गया है । शेष 02 कर्मचारियों के पेंशन एवं स्वत्वों के भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है । निश्चित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट -''चौवालीस''

कृषि मंडियों में प्राप्त आय का स्थानीय विकास में उपयोग

85. **(क्र. 1036) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शासन को प्राप्त होने वाली राजस्व आय का 50% हिस्सा जिस क्षेत्र से आय होती है उसी क्षेत्र के विकास पर उपयोग किया जाना निर्धारित है ? (ख) यदि हां, तो विधानसभा क्षेत्र धरमपुरी की कृषि उपज मंडी धामनोद एवं कपास मंडी मिर्ची मंडी/पशुमंडी से विगत 5 वर्षो में कितनी राजस्व आय हुई है ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा प्राप्त आय से स्थानीय स्तर पर क्या-क्या विकास कार्य किए गये है ? वर्षवार स्वीकृत लागत सहित जानकारी देवें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी नहीं, प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों से शासन को प्राप्त होने वाली राजस्व आय का 50 प्रतिशत हिस्सा जिस क्षेत्र से आय होती है, उसी क्षेत्र के विकास पर उपयोग करने के संबंध में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में कोई प्रावधान नही है । (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

करैरा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत थनरा की भूमि 1640 पर बिना डायवर्सन के निर्माण

86. **(क्र. 1040) श्रीमती शकुन्तला खटीक :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि करैरा तहसील के अंतर्गत ग्राम थनरा की भूमि सर्वे नं. 1639 रकबा 8.080, सर्वे नं. 1640 रकबा 1.080, सर्वे नं. 1641 रकबा 1.820 है. में निजी पी.के. यूनिवर्सिटी के भवन का निर्माण कार्य प्रचलित हैं ? यदि हां, तो उक्त भूमि सर्वे नंबर 1639 रकबा 8.080, सर्वे नं. 1640 रकबा 1.080 सर्वे नं. 1641 रकबा 1.820 है, का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परगना करैरा के किस आदेश क्र. एवं दिनांक से डायवर्सन किया गया है ? यदि नहीं किया गया है, तो उक्त भूमि पर बगैर डायवर्सन कराये निर्माण किस आधार पर चल रहा है ? (ख) क्या यह सही है कि पी.के. यूनिवर्सिटी के भवन एवं परिसर का निर्माण चल रहा है ? उसके अंतर्गत जो अन्य भूमि सर्वे नम्बर आते हैं, उनका भी डायर्वन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से खसरा नम्बर है एवं उनका कितना रकबा है ? यदि नहीं, तो उक्त सर्वे नम्बरों के लिये गये डायवर्सन आदेश की प्रति संलग्न कर जानकारी दें ? (ग) क्या यह सही है कि पी.के. यूनिवर्सिटी के निर्माण की अनुमति सक्षम एजेंसी से प्राप्त कर नक्शा स्वीकृत कराया गया है ? यदि हां, तो जारी की गई निर्माण कार्य की स्वीकृति की प्रति संलग्न कर जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) ग्राम थनरा की भूमि सर्वे नं. 1639, 1640, 1641 में निजी पी.के. यूनिवर्सिटी के भवन का निर्माण नहीं चल रहा है । अनुविभागीय अधिकारी करैरा के प्र. क्र. 14/2013/14/अ2 आदेश दिनांक 20.5.2014 के द्वारा सर्वे नं. 1681 रकबा 0.74, सर्वे नं. 1692/2 रकबा 1.35, किता 2 रकबा 2.09 हे. एवं प्र.क्र. 15/2013-14/अ2 आदेश दिनांक 20.5.2014 के द्वारा सर्वे नं 1630/1, 1630/2, 1639, 1640 किता 4 रकबा 9.88 हे. का डायवर्सन हो चुका है । (ख) पी.के. यूनिवर्सिटी के भवन एवं परिसर का निर्माण कार्य चल रहा है तथा निर्माण कार्य उक्त व्यपवर्तित भूमि सर्वे नं. 1692/1, 1681 कता 2 रकबा 20.09 हे. में चल रहा है । वर्तमान में अन्य किसी भी सर्वे नं. में निर्माण कार्य नहीं चल रहा है । (ग) जी हां ।

<u>कृषि महोत्सव 2014 में विधानसभा क्षेत्र चंदला अंतर्गत किसानों को खसरा, खतौनी की नकलें एवं बटवारा कराया जाना</u>

87. **(क्र. 1047) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. शासन कृषि महोत्सव 2014 में कृषि क्रांति रथ भ्रमण कराया गया था ? यदि हॉ, तो विधान सभा क्षेत्र चंदला अंतर्गत कितने गांवों का भ्रमण किया गया ? (ख) क्या यह सही है कि भ्रमण के दौरान किसानों को खसरा, खतौनी की नकलें, बटवारा व सीमांकन कराया जाता है ? यदि हॉ तो विधान सभा क्षेत्र चंदला अंतर्गत कितने किसानों को नकले, खसरा, खतौनी एवं बटवारा, सीमांकन कराया गया पंचायतवार एवं ग्रामवार तथा किसानों के नाम पता सहित जानकारी उपलब्ध करायें ? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) अनुसार बतायें कि यदि किसानों को कृषि महोत्सव की योजना अनुसार जानकारी नही दी गई है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है । क्या उस अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ? यदि हॉ, तो कब तक ? समय-सीमा बतायें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क)जी हॉ । क्षेत्र चंदला अंतर्गत कुल 122 ग्रामों में भ्रमण किया गया। (ख) जी हॉ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर है । (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के संबंध में कृषि महोत्सव के दौरान नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी दी गई है । कार्य में लापरवाही बरतने वाले दो कर्मचारी को दि. 25.9.14 से निलंबित किया गया है । जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर है ।

परिशिष्ट -''पैंतालीस''

<u>पोषाहार (पोषण-आहार) केन्द्रों के देयकों का भुगतान</u>

88. **(क्र. 1048) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिला बाल विकास के आंगनवाडी केन्द्रों पर पोषाहार का वितरण करने वाला तथा मध्यान्ह भोजन में विद्यालयों में वितरण करने वाला एक ही व्यक्ति/संस्था होना आवश्यक है ? यदि हॉ, तो इस संबंध में नियम बतावें ? (ख) जिला छतरपुर में आंगनवाडी केन्द्रों पर पोषाहार का वितरण करने वाला व्यक्ति क्या मध्यान्ह भोजन की सामग्री का वितरण स्कूलों में कराता है ? यदि नहीं, तो उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो कब तक की जावेगी ? (ग) जिला छतरपुर में मध्यान्ह भोजन सामग्री वितरित करने वाली संस्थाओं का ब्योरेवार वर्णन देवें ? (घ) क्या सांझा चूल्हा एवं समूहो का विभाग द्वारा समय सीमा में देयकों का भुगतान किया जाता है । जिला छतरपुर में वर्ष 2010 से अक्टूबर 2014 तक किये गये बिलों के भुगतान की एवं शेष बिल जिनका भुगतान नहीं किया गया, बिन्दुवार व ब्यौरेवार जानकारी प्रदाय करें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हां । ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन वितरण करने वाले स्व-सहायता समूहों को ही आंगनवाड़ी केन्द्रो में पूरक पोषण आहार वितरण का कार्य सौंपा जाता है । जबकि नगरीय/शहरी क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन के स्व-सहायता समूहों से पूरक पोषण आहार वितरण कराने की बाध्यता नहीं है । जिले में विभागीय आदेश क्र./एफ 4-5/2014/50-2, दिनांक 24 फरवरी 2014 के अनुसार पोषण आहार वितरण का कार्य किया जा रहा है । आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है । (ख) जी हां । सांझा चूल्हा कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो समूह स्कूलों में मध्यान्ह भोजन वितरित करता है वही समूह आंगनवाड़ी में भोजन प्रदाय करता है । कार्यवाही का कोई प्रश्न ही नहीं है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है । (घ) समूहों को भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है । परियोजनाओं से प्राप्त समूहों के समस्त देयकों का भुगतान किया जा चुका है । कोई भी बिल भुगतान हेतु लंबित नहीं है ।

विभाग की योजनाओं की जानकारी

89. **(क्र. 1059) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भिण्ड जिले में विभाग की कौन-कौन सी योजनायें कब से संचालित है ? योजनावार, दिनांकवार जानकारी दें ? उक्त योजनाओं में कितनी-कितनी राशि का बजट 1 अप्रैल 2012 से प्रश्नतिथि तक कितना बजट प्राप्त हुआ ? योजनावार जानकारी दें ? (ख) भिण्ड जिले में किस-किस अनुविभाग में किस-किस स्थान पर आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं ? उक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों पर किस नाम/पदनाम की कब से स्थाई/अस्थाई रूप से नियुक्ति है ? उक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों पर क्या-क्या सामग्री आवश्यक रूप से होनी चाहिये ? क्या-क्या है केंद्रवार/अनुविभागवार विवरण दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (ए) अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (बी) अनुसार है ।

विभाग द्वारा कराये गये कार्य

90. **(क्र. 1060) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भिण्ड जिले में 1 अप्रैल 2012 से प्रश्नतिथि तक किस-किस योजना में एवं मदों में कितनी-कितनी राशि आवंटित हुई ? उक्त आवंटित राशि का किन-किन मदों में कब एवं कितना व्यय क्या-क्या कार्यों में किया गया ? विधान सभा क्षेत्रवार/ अनुविभागवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार किये गये कार्यों के गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र किस नाम/पदनाम के अधिकारियों/कर्मचारियों ने जारी किये ? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार व्यय की गई राशि से क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी लागत से कराये गये ? अनुविभागवार/विधान सभा क्षेत्रवार दें ? किस-किस फर्म/कम्पनी/प्रोपराईटरशिप एवं अन्य को प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ? विधान सभा क्षेत्रवार/अनुविभागवार दें ? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार कराये गये कार्यों की क्या-क्या शिकायतें कब-कब जिला प्रशासन/ई.एन.सी./राज्य शासन को प्राप्त हुई ? उन पर कब व क्या कार्यवाही की गई ? प्रकरणवार जानकारी दें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी प्रपत्र 'क' एवं "ख" पुस्तकालय में रखे अनुसार । (ख) जानकारी प्रपत्र 'ग' पुस्तकालय में रखे अनुसार। (ग) जानकारी प्रपत्र 'ख' पुस्तकालय में रखे अनुसार। (घ) जानकारी प्रपत्र 'घ' पुस्तकालय में रखे अनुसार ।

भूमियों का डायवर्सन

91. **(क्र. 1073) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के अनुविभागीय अधिकारी बैतूल एवं मुलताई के द्वारा वर्ष 2013-2014 से प्रश्नांकित तिथि तक किस दिनांक को किस ग्राम के किस खसरा नंबर का कितना, किसके नाम दर्ज रकबा का किन प्रयोजनों के लिए डायवर्सन किया ? इस डायवर्सन के पूर्व कन्ट्री एण्ड टाउन प्लानिंग विभाग ने किस दिनांक को अपनी सहमति या अनापत्ति दी ? (ख) उपरोक्त अवधि में किस ग्राम के किस खसरा नंबर के कितने रकबे को अनुविभागीय अधिकारी ने किन कारणों से अपने प्रबंधन में लिया किस दिनांक को उसे प्रबंधन से मुक्त किया किस दिनांक को किसके बंधक रखे गए भूखण्ड को बंधक से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मुक्त किया गया ? (ग) अनुविभागीय अधिकारी को कंट्री एण्ड टाउन प्लानिंग की अनुमति, सहमति या अनापत्ति के बिना डायवर्सन किए जाने, भूखण्डों को प्रबंधन में लिए जाने, बंधक भूखण्डों को मुक्त किए जाने के क्या-क्या अधिकार किस कानून, किस नियम, किस आदेश निर्देश के तहत दिए है, प्रति सहित बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

जानकारी एकत्रित करना बताया जाना

92. **(क्र. 1074) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 320 उत्तर दिनांक 02 जुलाई 2014 में बताई गई किस-किस प्रश्नांश की जानकारी एकत्रित कर ली गई है, एकत्रित जानकारी उपलब्ध करवाए ? (ख) प्रश्न क्रमांक 320 के प्रश्नांश (क), प्रश्नांश (ख), प्रश्नांश (ग) एवं प्रश्नांश (घ) में ऐसी कौन सी जानकारी चाही गई है, जो विभाग को एकत्रित करने में समय लगा है ? (ग) प्रश्न क्रमांक 320 के किस प्रश्नांश में चाही गई जानकारी प्रश्नकर्ता को कब तक एकत्रित कर उपलब्ध करवाई जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

विधान सभा प्रश्न में दी गई जानकारी

93. **(क्र. 1075) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न संख्या-17 दिनॉक 02 जुलाई 2014 के उत्तरांश (घ) में बताए गए मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 16-10-90 -सात- 2ए दिनॉक 28 अक्टूबर 2005 के साथ किस जिले में दर्ज कितनी बड़ झाड़ के जंगल एवं कितनी छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों को लेकर क्या-क्या अनुरोध किया गया ? (ख) मध्य प्रदेश शासन द्वारा आई.ए. क्रमांक 791 एवं 792 में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष किस जिले की किस मद में दर्ज कितनी जमीनों की जानकारी प्रस्तुत की गई उस जानकारी पर न्यायालय ने किस दिनॉक को किन मदों की जमीनों को किस कानून के दायरे में आने वाली भूमि माना किन मदों में दर्ज जमीनों को संरक्षित वन एवं नारंगी वन भूमि माना ? (ग) आई.ए. क्रमांक 791 एवं 792 में दिनॉक 1 अगस्त 2003 को दिए गए आदेश के बाद राज्य शासन ने किस पत्र क्रमांक दिनॉक से बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, पहाड़ चट्टान मद में दर्ज जमीनों को संरक्षित वन एवं नारंगी वन माने जाने के अधिकार या छूट प्रदान की हैं यदि नहीं की हो तो कारण बतावें ? (घ) किस कानून, किस नियम, किस न्यायालीन आदेश के तहत राज्य में बड़े झाड़ एवं छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों को संरक्षित वन एवं नारंगी वन माना जा रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

राजस्व अभिलेखों में दर्ज दखल रहित जमीन

94. **(क्र. 1076) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1954 संशोधित संहिता 1959 के अध्याय 18 में बताई गई दखल रहित जमीनों को राजस्व विभाग राजस्व अभिलेखों में किन-किन मदों एवं किन-किन सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज करता है ? (ख) राजस्व अभिलेखों में किन-किन मदों एवं किन-किन सार्वजनिक और निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज दखल रहित जमीनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1) एवं धारा 20 में अधिसूचित किए जाने के क्या-क्या प्रावधान भू-राजस्व संहिता की किस धारा में दिए गए हैं ? (ग) राजस्व अभिलेखों में किन-किन मदों एवं किन-किन सार्वजनिक और निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में दिनॉक 12 दिसम्बर 1996 आई.ए. क्रमांक 791 एवं 792 में किस दिनॉक को क्या आदेश दिए हैं इसमें किस दिनॉक को दिए आदेश में किन मदों की जमीनों को धारा 29, धारा 4(1) में अधिसूचित भूमि माने जाने के वन विभाग को क्या अधिकार एवं क्या छूट प्रदान की गई हैं ? (घ) राजस्व विभाग ने किन मदों एवं किन प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को परिभाषित वन भूमि एवं किन मदों और किन प्रयोजनों में दर्ज जमीनों को संरक्षित वन भूमि माने जाने के संबंध में किस दिनॉक को पत्र जारी किया हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

अनुविभागीय अधिकारियों के पास लम्बित गांव

95. **(क्र. 1097) श्रीमती रेखा यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर, बिजावर, लौडी, नौगांव, जिला छतरपुर के समक्ष भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 से 19 तक की जांच हेतु लम्बित बताई गई जमीनें राजस्व अभिलेखों में किन-किन मदों या नोईयत में किन-किन सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज भूमि हैं ? (ख) धारा 5 से 19 तक की जांच हेतु लम्बित कितनी जमीनों को वन विभाग ने वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया है ? इसकी अनुविभागीय अधिकारी या कलेक्टर ने किस दिनांक को वन विभाग को अनुमति प्रदान की है ? (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में दिनांक 12 दिसम्बर 1996 आई.ए. क्रमांक 791 एवं 792 में दिनांक 1 अगस्त 2003 को किन मदों की जमीनों को लेकर क्या आदेश दिए हैं ? किन मदों की जमीनों में धारा 5 से 19 तक की जांच के अधिकार या छूट दी गई है ? (घ) 12 दिसम्बर 1996 एवं 1 अगस्त 2003 के न्यायालयीन आदेश के बाद भी बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल, पहाड़, चट्टान, घांस, चरनोई मद में दर्ज जमीनों की धारा 5 से 19 तक की जांच एवं कार्यवाही किए जाने का क्या कारण है ? यह जांच एवं कार्यवाही कब तक बन्द की जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

अर्जित जमीनों पर किसानों का नाम काट कर शासन का नाम दर्ज करना

96. **(क्र. 1098) श्रीमती रेखा यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भू-अर्जन अधिनियम 1894 के तहत अर्जित की गई निजी भूमियों को पटवारी मानचित्र में पृथक किया जाकर खसरा पंजी में शासन का नाम दर्ज किए जाने के संबंध में क्या प्रक्रिया निर्धारित की जाकर पटवारी की क्या-क्या जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ? (ख) बैतूल एवं छतरपुर जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित किस सिंचाई जलाशय एवं नहर के लिए अर्जित किस ग्राम की निजी भूमि को पटवारी मानचित्र एवं खसरा पंजी में प्रश्नांकित तिथि तक भी संशोधित नहीं किया जा सका है ? भूमि का अर्जन किस दिनांक को पारित अवार्ड आदेश के तहत किया गया ? (ग) अर्जित किस ग्राम की कितनी निजी भूमि को पटवारी मानचित्र में संशोधित किए जाने, खसरा पंजी में शासन का नाम दर्ज किए जाने के संबंध में किस पटवारी ने किस दिनांक को नायब तहसीलदार के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ? यदि प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया हो, तो कारण बतावें ? (घ) वर्षों पूर्व अर्जित कर ली गई निजी भूमि को कब तक पटवारी मानचित्र एवं खसरा पंजी में संशोधित कर दिया जावेगा ? समय सीमा सहित बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अर्जित की गई निजी भूमियों को अवार्ड पारित हो जाने के बाद अर्जित भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को पटवारी अभिलेख में म.प्र.शासन के साथ संबंधित विभाग का नाम दर्ज किया जाता है । (ख) बैतूल जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' पर है । छतरपुर जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' पर है । (ग) बैतूल जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' पर है । छतरपुर जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' पर है । (घ) बैतूल जिले में जिन प्रकरणों के खसरा पंजी में संशोधन नहीं किया गया है, की जांच कराई जा रही है ।छतरपुर जिले में भू-अर्जन अवार्ड की प्रति प्राप्त होने पर पटवारी अभिलेख में खातेदार के स्थान पर म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग दर्ज किया गया है ।

ड्रिप स्पिंकलर योजना हेतु राशि का आवंटन

97. **(क्र. 1108) श्री उमंग सिंघार :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ड्रिप स्प्रिंकलर (डीप इरीगेशन) योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में भोपाल, इन्दौर एवं उज्जैन संभाग के जिलों को कितनी राशि का आवंटन किया गया ? संभागवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करायें ? (ख) वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में उक्त योजना में कितने कृषक लाभान्वित हुए ? (ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में पात्र हितग्राहियों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिला है ? तथा उक्त योजना की राशि में आर्थिक भ्रष्टाचार किया गया है ? यदि नहीं तो क्या आवंटन की जांच करवाई जायेगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) इंदौर, उज्जैन एवं भोपाल संभाग में ड्रिप, स्प्रिंकलर (ड्रिप इरीगेशन) योजना में वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 13-14 का आवंटन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" पर है । (ख) वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में संभागवार लाभान्वित कृषकों की संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" पर है । (ग) उक्त् योजना में पात्र हितग्राहियों को ही लाभान्वित किया गया है । शेष प्रश्न नहीं उठता।

<u>नरसिंहपुर जिलान्तर्गत नल जल योजनाऐं</u>

98. **(क्र. 1117) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नरसिंहपुर जिलान्तर्गत कितनी नल जल योजनाएं स्वीकृत हैं, किस-किस गांव हेतु स्वीकृत हैं, विधानसभा क्षेत्रवार बताएं ? (ख) उक्त में से कितनी नल जल योजनाओं का कार्य पूर्ण होकर पंचायतों को सौंप दिया गया है एवं कितनी किन-किन कारणों से अपूर्ण हैं, कब तक पूर्ण हो जाएंगी ? (ग) ग्राम पंचायतों को सौंपी गई नल जल योजनाओं में कितनी-कितनी संचालन में हैं एवं कितनी किन-किन कारणों से बंद हैं, उनको कब तक चालू कर दिया जाएगा ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 323 योजनाएं। जानकारी परिशिष्ट-एक पुस्तकालय में रखे अनुसार। (ख) 265 योजनाएं पंचायतों को हस्तांतरित एवं 58 योजनाएं अपूर्ण/प्रगतिरत है । योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है । (ग) 230 योजनाएं चालू एवं 35 योजनाएं पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक में दर्शित कारणों से बंद हैं। बंद योजनाओं को पुनः चालू करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है ।

<u>नरहसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जाना</u>

99. **(क्र. 1118) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पटवारी हल्का नं.41 खसरा नं.189 से अतिक्रमण हटाने संबंधी पत्र कलेक्टर, नरसिंहपुर को प्रेषित किया गया था ? (ख) यदि हां, तो उक्त संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) क्या यह भी सही है कि तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर अंतर्गत पटवारी हल्का नं. 32 में मुआवजा बांटने में अनियमिता होने संबंधी पत्र प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा कलेक्टर, नरसिंहपुर को प्रेषित किया गया था ? (घ) यदि हां, तो उस संबंध में भी अभी तक क्या कार्यावाही हुई हैं, अवगत कराएॅ ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां, पत्र <u>क्र-जे.एस.पी/2014/656</u>, दिनांक 16.9.2014 (ख) राजस्व निरीक्षक नजूल से प्रतिवेदन लिया जाकर, अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जिला कलेक्टर को प्रेषित किया गया है । प्रतिवेदन में उल्लेखित अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्व मामला कायम कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है । (ग) जी हां । (ध) ग्राम बेलखेडी प.ह.न. 32 तहसील गोटेगांव में ग्राम कोटवार एवं पटवारी द्वारा मुआवजा वितरण में की गई अनियमितता की जांच की गई। जांच निष्कर्ष में पाया गया कि भूमि शिकमी देने कारण शिकमीदारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान संबंधितों को तहसीलदार गोटेगांव के निर्देशानुसार किया गया है जो सही है । इस सबंध में कार्यालय कलेक्टर नरसिंहपुर के पत्र <u>क्रमांक-12755/राहत/2014</u> नरसिंहपुर दिनांक 29.11.2014 राहत आयुक्त म.प्र. शासन भोपाल एवं माननीय विधायक श्री जालिमसिंह पटेल को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है ।

<u>**मुख्यमंत्री नल जल योजना की स्वीकृति**</u>

100. **(क्र. 1124) श्री सूबेदार सिंह रजौधा :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जौरा विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री नल जल योजना, पहाड़ी क्षेत्र में अति उपयोगी होकर आवश्यक है ? क्या यह सही है कि इस योजना के अंतर्गत जल सहयोग राशि 3 प्रतिशत लिये जाने से आम जनता को परेशानी हो रही है ? (ख) मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत जन सहयोग रशि 3 प्रतिशत देने में ग्रामीण गरीब जनता सक्षम नहीं है ? जन सहयोग राशि विधायक निधि से दिये जाने का कोई प्रावधान है, जिससे आम जनता पर जन सहयोग राशि का दबाव कम किया जावे ? यदि नहीं तो विधायक निधि से जन सहयोग राशि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी ? या अन्य माध्यम से गरीब आम जनता को 3 प्रतिशत जन सहयोग राशि से मुक्त किया जा सकेगा ? (ग) जौरा विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री नल जल योजना के तहत कितने ग्राम अभी तक चिन्हित कर दिये गये हैं ? इस संबंध में चिन्हित किये गये ग्रामों की एवं प्रगति की जानकारी दी जावेगी ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं । जी नहीं। (ख) जी नहीं। जी नहीं। विधायक निधि या अन्य माध्यम से जन सहयोग राशि दिये जाने संबंधी फिलहाल कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) 10 ग्राम। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।

परिशिष्ट -"छियालीस"

<u>**स्थानान्तरण पर स्थगन**</u>

101. **(क्र. 1143) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के राजस्व विभाग में ऐसे कितने अधिकारी कर्मचारी है जिन्होने शासन द्वारा वर्ष 2005 में नये जिलों के गठन के दौरान स्थानान्तरण किये जाने पर न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है ? (ख) स्थगन की अवधि समाप्त हो जाने के बाद क्या उन्हे स्थानान्तरित स्थान हेतु भारमुक्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या स्थगन मात्र के सहारे एक ही स्थान पर वर्षों तक जमे अधिकारी कर्मचारियों के कारण शासन के आदेशों की अवहेलना नहीं हो रही है ? यदि हॉ, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है ? (घ) सक्षम न्यायालय के निरस्ती आदेश के बिना पदस्थ इन अधिकारी कर्मचारियों को कब तक स्थानान्तरित स्थान के लिए भारमुक्त किया जाएगा ? कृपया समय सीमा बताए ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>**अतिवृष्टि से प्रभावितों को आर्थिक सहायता**</u>

102. **(क्र. 1144) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खण्डवा जिले में गत माह में हुई अतिवृष्टि से हुई जन धन हानि का सर्वे कराया गया है ? (ख) यदि हां तो अतिवृष्टि से प्रभावित तहसीलवार प्रकरणों की संख्या एवं आकलित मुआवजा राशि की जानकारी दी जाए ? (ग) अतिवृष्टि से प्रभावित जनता को आज दिनॉक तक राहत राशि नहीं दी गई है, राहत राशि का वितरण कब तक किया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । (ख) तहसीलवार जानकारी परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ग) जिले से प्राप्त राहत राशि की मांग अनुसार प्रभावित कृषकों को राहत राशि उपलब्ध कराने के लिये उक्त योजना मद में बजट की व्यवस्था करने हेतु पुनर्विनियोजन की कार्यवाही की जा रही है ।

परिशिष्ट -"सैंतालीस"

लघु उद्योग निगम से सर्वे सामग्री का क्रय

103. **(क्र. 1145) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ट्रेसिंग क्लाथ, ट्रेसिंग पेपर, हेशियन क्लाथ, भू-अभिलेख की सर्वे सामग्री में शामिल है ? (ख) क्या उक्त सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम से खरीदी जाने वाली आरक्षित सूची में सर्वे सामग्री के अन्तर्गत आती है ? (ग) क्या उक्त सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम से उनके द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय की सकती है ? (घ) क्या भू-अभिलेख विभाग के द्वारा म.प्र.लघु उद्योग निगम द्वारा निर्धारित दरों व बाजार दरों की तुलना की जाती है ? यदि हां तो लगभग उसमें कितना अन्तर होता है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । (ख) जी हां । (ग) जी हां । (घ) म.प्र. लद्यु उद्योग निगम, राज्य शासन का उपक्रम होने से तथा उनका आरक्षित आयटम होने से बाजार दरो से तुलना किया जाना आवश्यक नही है ।

भू-अभिलेख में सामग्री का क्रय

104. **(क्र. 1146) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय में वर्ष 1997 से 2002 के मध्य ट्रेसिंग क्लाथ, ट्रेसिंग पेपर हेशियन क्लाथ खरीदा गया था ? (ख) क्या उक्त क्रय के संबंध में राजस्व विभाग अथवा आयुक्त भू-अभिलेख के पास कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? (ग) यदि हां तो क्या राजस्व विभाग अथवा आयुक्त भू-अभिलेख के यहां इस सम्बन्ध में प्रश्नाधीन जांच प्रचलित है ? (घ) यदि विभाग के स्तर पर कोई जांच की गई है तो क्या जांच पूर्ण हो गई एवं उसके क्या निष्कर्ष रहें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । (ख) जी नही । (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नही होता है । (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

उज्जैन दक्षिण वि.स.क्षेत्र में हैंडपम्प खनन

105. **(क्र. 1161) डॉ. मोहन यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनॉक तक उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कितने हैंडपंपों का खनन किया गया है, उक्त में से कितने चालू अवस्था में हैं एवं कितने बंद पड़े हैं ? उनको चालू न किए जाने का क्या कारण है ? (ख) उक्त हैंड पंप खनन पर कितनी राशि व्यय की गई है ? (ग) जिन ग्रामों में हैंड पंप चालू हालत में नहीं हैं, वहां पीने के पानी की व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रश्नांकित अवधि में कुल 123 हैण्डपंप स्थापित किये गये इनमें से वर्तमान में 117 हैण्डपंप चालू व 6 बंद हैं। इन बंद हैण्डपंपों/नलकूपों में जलस्तर नीचे होने के कारण इन हैण्डपंपों को चालू किया जाना संभव नहीं है । (ख) रुपये 121.85 लाख। (ग) जिन ग्रामों में हैंडपंप चालू हालत में नही हैं, उनमें अन्य वैकल्पिक पेयजल स्रोतों से पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो रहा है ।

उज्जैन जिले में आंगनबाड़ी केन्द्र

106. **(क्र. 1162) डॉ. मोहन यादव :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिलान्तर्गत कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं ? (ख) उक्त में से कितने केंद्र निजी भवनों में किराएं से संचालित हो रहे हैं एवं कितने भवन निर्माणाधीन हैं ? (ग) निर्माणाधीन भवन कब तक आंगनबाड़ी केंद्रों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) उज्जैन जिला अंतर्गत कुल 2060 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है । जिसमें 1888 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 172 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र है । (ख) 961 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है एवं 34 आंगनबाड़ी भवन निर्माणधीन है । (ग) पूर्ण होते ही भवन उपलब्ध करा दिये जाएगें । निश्चित समय बताना संभव नही है ।

क्षतिपूर्ति राशि वितरण में विलंब

107. **(क्र. 1173) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राकृतिक प्रकोपों से मकान क्षति, पशु हानि, सर्पदंश, पानी में डूबने से मृत्यु, थ्रेशर से दुर्घटना में घायल अथवा मृत्यु, अग्नि दुर्घटना, बिजली के तारों के टूटने से जन हानि-पशु हानि आदि प्रकरणों में सहायता राशि भुगतान के संबंध में विभाग के क्या निर्देश है ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में, गत 3 वर्षों में कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत हुई दुर्घटनाओं की विस्तृत जानकारी देवें ? क्या यह सही है कि कुक्षी विधानसभा में उक्त श्रेणी के अनेक प्रकरण कई समय से लंबित है ? यदि हॉ, तो क्यों ? कारण स्पष्ट करें ? (ग) उक्त प्रकरणों में पीड़ित व्यक्ति या उसके परिजन को क्या तत्काल सहायता राशि प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों, कारण स्पष्ट करें ? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में राशि भुगतान में विलंब के लिए कौन-कौन से अधिकारी व कर्मचारी दोषी है व दोषियों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों कारण स्पष्ट करें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) प्राकृतिक प्रकोपों से मकान क्षति, पशुहानि, सर्पदंश, पानी में डूबने से जनहानि के प्रकरणों में सहायता दिये जाने के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में प्रावधान है । थ्रेसर से दुर्घटना में घायल अथवा मृत्यु तथा बिजली के तारों के टूटने से जनहानि, पशुहानि प्राकृतिक आपदा नहीं है । अतः इन्हें आर.बी.सी. 6-4 के मापदंड अनुसार सहायता राशि नहीं दी जाती । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । जी नहीं । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता । (ग) जी हां । शेष प्रश्नांष उद्भूत नहीं होता । (घ) प्रश्नांश "ग" की जानकारी के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

परिशिष्ट -''अड़तालीस''

भूमिहीन कृषकों को पट्टे का प्रदाय

108. **(क्र. 1174) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में गत 5 वर्षों में कितने भूमिहीन कृषकों ने पट्टे के लिये आवेदन दिया है ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिपेक्ष्य में प्राप्त आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गयी ? प्राप्त आवेदनों में से कितने कृषक पात्र एवं अपात्र है ? नियमावली सहित आवेदकवार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जानकारी निरंक है । (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध कॉलोनी निर्माण

109. **(क्र. 1177) डॉ. रामकिशोर दोगने :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर नगरपालिका क्षेत्र अंतगर्त नेहरू उद्यान (गंगा आश्रम क्षेत्र) क्या राजस्व अभिलेख अनुसार शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है ? यदि हां, तो उक्त उद्यान कुल कितने एकड़ भूमि एवं किस खसरा नंबर पर कब से स्थित है तथा उक्त भूमि किस वर्ष में कौन से कलेक्टर द्वारा किसे देखरेख के लिए सौंपी गई थी ? (ख) प्रश्नांकित उद्यान निर्माण के लिए नगर पालिका सीहोर/जिला प्रशासन सीहोर द्वारा अभी तक शासकीय मद से क्या-क्या निर्माण कार्य कराये है उसकी खर्च राशि का संपूर्ण विवरण दें ? (ग) क्या यह सही है कि प्रशासन ने जिस व्यक्ति को उक्त पार्क की देख भाल हेतु रखा था उसके परिवारजनों ने शासकीय भूमि को एक कॉलोनाईजर को बेच दी, तथा उक्त कॉलोनाईजर ने भू-खण्ड काटकर अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दिये हैं ? (घ) क्या यह भी सही है कि जिला प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनाईजर के लिए चलाई मुहिम में यह तथ्य आये थे कि प्रश्नांकित भूमि राजस्व अभिलेख में शासकीय दर्ज है जिसे कॉलोनाईजर ने अवैध रूप से भूखण्ड विक्रय किये हैं ? (ड.) क्या भूमि विक्रय उपरांत प्रशासन ने कोई जांच की थी तो उसके क्या निष्कर्ष आये ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । नगर सीहोर स्थित शीट क्रमांक 109 भू-खण्ड क्रमांक 1 क्षेत्रफल 7597.50 वर्गमीटर (भूमि खसरा क्रमांक 467 रकबा 0.890 है.) वर्ष 1969-70 में नजूल जांच रजिस्टर में नेहरू बाल बिहार पालिका सीहोर के कब्जेदार के रूप में दर्ज था। उक्त भूमि की देख रेख के लिए कलेक्टर सीहोर द्वारा किसी व्यक्ति को नही सौंपी गई। (ख) प्रश्नांकित उद्यान निर्माण के लिए नगर पालिका सीहोर द्वारा कोई राशि व्यय नही की गई। (ग) जी नहीं। उक्त भूमि पर आदेश दिनांक 22/07/1975 द्वारा श्रीमती सूरज बाई बेवा बाबूलाल को स्थायी पट्टेदार घोषित किया गया था। सूरज बाई के फौत होने पर न्यायालय नजूल अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 46/अ-6/98-99 आदेश दिनांक 15/03/1999 के द्वारा कला बाई बेवा गोपाल आनन्द सदानन्द पुत्र गोपाल के नाम दर्ज हुआ। आनन्द सदानन्द ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02/09/2013 के द्वारा भूमि में से क्षेत्रफल 67.53 वर्गमीटर शिशर शर्मा आ.एम.एम. शर्मा श्रीमति ज्योति शर्मा पत्नि शिशिर शर्मा के नाम विक्रय किया है । अभी उसका नामान्तरण नहीं हुआ है । अन्य कोई विक्रय पत्र जानकारी में नही है । (घ) आम आदमी पार्टी जिला सीहोर के द्वारा प्रस्तुत शिकायत दिनांक 24/02/2014 के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सीहोर ने उक्त भूमि के संबंध में जांच की थी तथा जांच में यह प्रतिवेदन किया गया था कि नजूल शीट क्रमांक 109 भूखण्ड क्र0 1/2 क्षेत्रफल 1925 वर्गमीटर पर कलाबाई बेवा गोपाल आनन्द सदानन्द पुत्र गोपाल के नाम की प्रविष्टी संदिग्ध है । नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है । (ड़) प्रश्नांश ''घ'' में वर्णित अनुसार अनुविभागीय अधिकारी सीहोर ने जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 06-03/2014 को अपर कलेक्टर सीहोर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अपर कलेक्टर सीहोर ने अपने न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 06/निगरानी /2013-14 में कार्यवाही करते हुए दिनांक 05/07/14 को आदेश पारित कर उक्त क्षेत्रफल 1925 वर्गमीटर पर म.प्र. शासन का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। अपर कलेक्टर सीहोर के आदेश के विरूद्ध आनन्द सदानन्द ने राजस्व मंडल ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की राजस्व मंडल ग्वालियर ने अपने प्रकरण क्रमांक निगरानी 2096-11/2014 तें दिनांक 06-08-2014 को आदेश पारित नजूल अधिकारी सीहोर का आदेश दिनांक 22/07/1975 स्थिर रखा।

धार जिले में राजस्व भूमि का डायवर्सन

110. **(क्र. 1191) श्री उमंग सिंघार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष, 2012-13 एवं 2013-14 में धार जिले में कितनी अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया ? (ख) धार जिले में कितनी जमीन (भूमि) का डायवर्सन रेसीडेन्सल उपयोग के लिये किया गया ? जमीन का सर्वे नंबर, रकबा एवं जमीन पूर्व में किस व्यक्ति के नाम पर थी, ब्लॉकवार सूची उपलब्ध करावें ? (ग) म.प्र. शासन के नाम दर्ज कितनी भूमि का आवंटन निजी व्यक्तियों के नाम किया गया सर्वे नंबर, हल्का नंबर, रकबा सहित बतायें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) कोई नहीं । (ख) जिला धार में प्रश्नांकित अवधि में कुल 96822 हेक्टर भूमि का डायवर्सन आवासीय उपयोग में किया गया है । परिशिष्ट "अ" पुस्तकालय में रखे गये अभिलेखानुसार। (ग) कोई नहीं।

कृषकों को विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत अनुदान राशि

111. **(क्र. 1201) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में कृषकों को कितनी योजनाओं में कितनी अनुदान राशि विगत 03 वर्षों में स्वीकृत की गई ? योजना नाम, अनुदान राशि सहित वर्षवार देवें ? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की पृथक-पृथक देवें ? (ख) अनुदान देने के मापदंड योजना अनुसार बतावें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है । (ख) शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार ही योजनाओं में अनुदान दिया जाता है ।

परिशिष्ट -"उन्चास"

नामांतरण के लंबित प्रकरण

112. **(क्र. 1202) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में दि. 10.11.2014 तक कितने नामांतरण, फौती नामांतरण, विवादित व अविवादित नामांतरण के प्रकरण लंबित हैं ? पृथक-पृथक बताएं ? कितने समय से लंबित हैं ? (ख) विवादित नामांतरणों को छोड़कर शेष के निराकरण की समयसीमा क्या निर्धारित है ? (ग) विवादित प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों में निर्धारित समय से विलंब से निराकृत या लंबित प्रकरणों के लिए शासन उत्तरदायी अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक करेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : ((क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में दि. 10.11.2014 तक की स्थिति में कुल 45 नामांतरण लंबित हैं । विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ख) म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना अनुसार विवादित नामांतरण को छोड़कर शेष अविवादित नामांतरण के निराकरण की समय-सीमा 30 दिवस है । (ग) विवादित प्रकरणों को छोड़कर शेष अविवादित प्रकरण में निर्धारित समय-सीमा अवधि के अन्तर्गत है । अत: प्रश्नांश क एवं ख के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

परिशिष्ट -"पचास"

भू-राजस्व खनिज नियमों के अन्तर्गत गौण खनिज की खदानों का आरक्षण

113. **(क्र. 1211) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 के तहत बनाये जाने वाले निस्तार पत्रक में किस-किस गौण खनिज के संबंध में क्या प्रावधान हैं ? म.प्र. गौण खनिज नियम-3 में क्या-क्या छूट किस-किस गौण खनिज को दी हैं ? (ख) बैतूल जिले के कितने ग्रामों के निस्तार पत्रक विभाग के पास उपलब्ध हैं,उनमें से कितने ग्रामों के निस्तार पत्रक में गौण खनिज के लिए कितनी भूमि प्रश्नांकित तिथि तक दर्ज कर ली गई है? नदी-नाले सहित जानकारी दें ? (ग) उपरोक्त (क) अनुसार छूट के बाद भी निस्तार पत्रक में गौण खनिज की खदनों का आरक्षण कर प्रश्नांकित तिथि तक भी दर्ज न किए जाने का क्या कारण रहा है ? (घ) राजस्व विभाग कब तक ग्रामवार निस्तार पत्रक में गौण खनिज हेतु खदानों का आरक्षण दर्ज करेगा ? समयसीमा बतायें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

शाहपुर बैतूल उप रजिस्ट्रार एवं न्यायालय की स्थापना

114. **(क्र. 1215) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजस्व अनुभाग शाहपुर (बैतूल) को अनुभाग का दर्जा प्राप्त है ? यदि हां, तो कब से है ? यदि नहीं, तो कब दर्जा प्राप्त होगा ? (ख) आदिवासी क्षेत्र शाहपुर में उप रजिस्ट्रार कार्यालय कब तक प्रारंभ होगा ? (ग) तहसील शाहपुर एवं तहसील घोड़ा डोंगरी की कितनी जनसंख्या शाहपुर अनुभाग में है ? थाना पुलिस की संख्या देवें ? (घ) आदिवासी क्षेत्र अनुभाग शाहपुर में न्यायालय कब प्रारंभ होगा ? क्या ग्रामीण जनता न्यायालय न होने से परेशान है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में खरीफ फसल के संबंध में

115. **(क्र. 1216) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घोड़ा डोंगरी क्षेत्र के चोवना में कितने क्षेत्र में धान बीज की बोनी की गई थी ? रकबा देवें ? (ख) क्या सत्र 2014-15 में धान फसल प्रभावित हुई है ? यदि हां, तो सर्वे की गई है ? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही होगी ? (ग) घोड़ा डोंगरी क्षेत्र के (1) रानीपुर (2) शाहपुर (3) चिचोली में कितने एकड़ में सोयाबीन की बोनी हुई थी ? (घ) क्या सोयाबीन वर्षा के कारण प्रभावित हुई है ? यदि हां, तो क्या सर्वे हुआ है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) 210 हेक्टयर भूमि में । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता । (ग) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र के रानीपुर ग्राम पंचायत-750 एकड़, शाहपुर तहसील- 14343.47 एकड़ एवं चिचोली तहसील में 25,500 एकड़ । (घ) जी नहीं । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

<u>स्वीकृत नज जल योजना एवं हैण्डपम्प</u>

116. **(क्र. 1223) श्री मेहरबान सिंह रावत :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र जिला मुरैना के अंतर्गत कितने हैण्डपम्प एवं कितनी नल जल योजना शासन द्वारा स्वीकृत है ? संख्या बतावें ? (ख) सबलगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने हैण्डपम्प एवं नल जल योजना खराब है ? संख्या बतावें एवं इन्हें कब तक सुधारा जा रहा है ? और बंद नल जल योजनाओं को कब तक चालू करा दिया जावेगा ? समय सीमा बतावें ? (ग) स्वीकृत नल जल योजना कब तक शुरू होनी थी एवं इनका कार्य कब तक पूर्ण होना था ? समय सीमा बतावें ? एवं अभी तक योजनायें क्यों शुरू नहीं हुई है ? कारण सहित बतावें ? (घ) क्या संबंधित दोषी ठेकेदार एवं अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी ? समय सीमा बतावें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 1881 हैण्डपंप एवं 37 नलजल योजनाएं। (ख) 35 हैण्डपंप तथा 10 नलजल योजनाएं । बंद हैण्डपंपों को 7 दिवस में सुधारा जावेगा, बंद नलजल योजनाओं को चालू कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है । (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार । पूर्ण किये जाने की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (घ) कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट -"इक्यावन"